पंचदश माला, खंड 28, अंक 14

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2012
9 भाद्रपद, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 07 July 2015

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

प्रहलाद मुंशी
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 14, शुक्रवार, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 285	1-7
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 304	7-106
अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450	106-721
सभा पटल पर रखे गए पत्र	721-725
सभा का कार्य	725-728
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	729
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	730-740
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	741-742
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	741-744

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2012/9 भाद्रपद, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

*[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 285, डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील।

...(*व्यवधान*)

11.0¼ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(*व्यवधान*) 1-7

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा रोजगार सृजन

[हिन्दी]

***285. +डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:**
श्री बलीराम जाधव:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र की रोजगार सृजन की गति तथा उसके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार तथा देश में सृजित कुल रोजगार में इसके अंश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति/सृजन में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार सृजन की गति तथा और अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) महोदय, श्री वायालार रवि की ओर से मैं यह निवेदन करता हूं कि विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।...(*व्यवधान*)

विवरण

(क) सरकार देश में समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करवा कर इस क्षेत्र के कार्यात्मक और प्रचालानात्मक पहलुओं की देख-रेख करती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें आंकड़े 2009 तक एकत्रित किए गए थे और नतीजे 2011-2012 में प्रकाशित किए गए थे। इसके पहले लघु उद्योगों (एसएसआई) की तीसरी गणना संदर्भ वर्ष 2001-02 के साथ की गई थी जिसके नतीजे 2004-2005 में प्रकाशित किए गए थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जारी देश में कुल रोजगार के आंकड़े वर्ष 2004-05 और 2009.10 के लिए उपलब्ध हैं।

चौथी और नवीनतम अखिल भारतीय गणना के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 805.24 लाख है, जबकि तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार कुल रोजगार 249.33 लाख था। इसके अलावा भारत के महापंजीयक द्वारा दी गई देश की कुल जनसंख्या के आधार पर देश में प्रति एक हजार की आबादी पर एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार तीसरी एसएसआई गणना के लिए 24.24 और चौथी एमएसएमई गणना के लिए 71.19 था। एनएसएसओ के आंकड़े देश में प्रति हजार आबादी पर कुल कामगार की आबादी वर्ष 2004-05 के लिए 420 और वर्ष 2009-10 के लिए 392 दर्शाते हैं। इससे यह पता चलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार की सघनता में गिरावट नहीं आई है। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ऋण, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता व कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर देश में सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का सशक्तिकरण और विकास करती है। मुख्य योजनाओं में क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमिता व कौशल विकास कार्यक्रम, और निष्पादन व क्रेडिट रेटिंग योजना शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने में सहायता करते हैं।

अनुबंध

लघु उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की राज्य-वार रोजगार तीव्रता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रति हजार कामगार की आबादी (कुल रोजगार का अनुमान स्रोतः एनएसएसओ)		रोजगार सघनता (एमएसएमई में प्रति हजार रोजगार)	
		2004-05++ (61वां राउंड)	2009-10 (66वां राउंड)	तृतीय एमएसआई	चतुर्थ एमएसएमई गणना
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	394	411	15.05	48.01
2.	हिमाचल प्रदेश	524	499	21.41	72.19
3.	पंजाब	416	382	37.30	101.93
4.	चंडीगढ़	348	342	53.58	118.68
5.	उत्तराखंड	439	407	23.01	74.40
6.	हरियाणा	401	385	26.17	80.49
7.	दिल्ली	332	331	45.26	119.63
8.	राजस्थान	433	409	15.35	48.45
9.	उत्तर प्रदेश	363	335	24.08	49.29
10.	बिहार	312	280	13.04	30.60
11.	सिक्किम	434	437	2.44	134.13
12.	अरुणाचल प्रदेश	441	383	3.36	100.05
13.	नागालैंड	476	380	28.54	78.94
14.	मणिपुर	415	349	63.14	90.80
15.	मिजोरम	466	406	27.97	83.23

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	320	379	17.80	50.58
17.	मेघालय	504	454	28.28	76.68
18.	असम	385	363	16.09	48.37
19.	पश्चिम बंगाल	380	386	27.05	98.79
20.	झारखंड	407	326	10.25	43.63
21.	ओडिशा	436	420	25.08	84.19
22.	छत्तीसगढ़	486	419	25.52	40.95
23.	मध्य प्रदेश	433	403	22.28	49.46
24.	गुजरात	468	424	25.00	85.82
25.	दमन और द्वीप	407	384	163.91	204.41
26.	दादरा और नगर हवेली	509	318	72.93	159.09
27.	महाराष्ट्र	466	443	21.18	66.38
28.	आंध्र प्रदेश	505	476	28.08	86.93
29.	कर्नाटक	493	456	31.01	82.28
30.	गोवा	350	337	21.75	118.83
31.	लक्षद्वीप	327	415	27.00	83.37
32.	केरल	393	377	35.01	146.36
33.	केरल	486	448	32.34	122.99
34.	पुदुचेरी	386	414	36.15	95.39
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	420	399	21.00	94.87
	अखिल भारत	420	392	24.24	71.19

नोट: +–राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय;

++–एनएसएसओ के इकाई स्तर के आंकड़ों से अनुमान

स्रोत: *–तीसरी अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना संदर्भ वर्ष–2001-02;

**–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी भारतीय गणना संदर्भ वर्ष–2006-2007;

डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील: महोदया, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग और औद्योगिक उत्पादन में उनका योगदान 45 प्रतिशत है तथा देश के कुल निर्यात में उनका योगदान 40 प्रतिशत है।...(*व्यवधान*)

खादी और ग्रामोद्योग तथा कॅयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक उद्योग पुनरूद्धार कोष योजना क्रियान्वित की जाती है लेकिन इस क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ...(*व्यवधान*) मैं इसका कारण जानना चाहूँगा...(*व्यवधान*) क्या इसका कारण कार्यक्रमों को सही भावना के साथ लागू नहीं किया जाता है...(*व्यवधान*) या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कोष का नहीं होना है?...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(*व्यवधान*)

महोदय, कारीगरों के लाभ के लिए कारीगर कल्याण कोष न्यास की स्थापना मंत्रालय द्वारा की गई है।...(*व्यवधान*) मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना के तहत सभी कारीगरों को शामिल किया गया है और यदि नहीं तो सभी कारीगरों को शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं।...(*व्यवधान*)

श्री एम.वीरप्पा मोईली: अध्यक्ष महोदया, सरकार...(*व्यवधान*)

7-10

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अतिरिक्त बिजली

***286. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए आकलन के अनुसार अनेक राज्यों द्वारा चालू योजना अवधि के अंत तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम बिजली वाले राज्यों में अतिरिकत बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त पारेषण और वितरण नेटवर्क उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कम बिजली वाले राज्यों में अतिरिक्त बिजली के उपयुक्त उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) केंद्रीय प्राधिकरण (सीईए, विद्युत की प्रक्षेपित मांग के आधार पर देश में उत्पादन क्षमता तथा पारेषण योजना बनाता है। इलेक्ट्रिकल विद्युत सर्वेक्षणों के माध्यम से सीईए द्वारा विभिन्न राज्यों एक केंद्र शासित राज्यों के साथ-साथ अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग का आकलन किया जाता है। राज्य में विद्युत की मांग अपने स्रोतों से उत्पादन, केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों में उनके हिस्से के प्रति आपूर्ति और केस-1 और एव-2 केस बोलियों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारकों, विद्युत एक्सचेंजों के साथ-सा द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पदकों (आईपीपी से खरीदी गयी विद्युत द्वारा पूरी की जाती है। जबकि, राज्य में विद्युत की मांग मौसम-दर मौसम में, माह-दर-माह, दिन-प्रतिदिन और घंटे-दर-घंटे भिन्न-भिन्न होती है, राज्य में विद्युत की उपलब्धता भी उपलब्ध यूनिटों में उत्पादन के स्तर और राज्य द्वारा विभिन्न स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने हेतु की गई व्यवस्था पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है। अतएव, कुछ राज्यों में मौसमी आधार पर या माह में कुछ दिनों या दिन/वर्ष में कुछ घंटों के लिए अवधि के दौरान विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सरप्लस विद्युत उपार्जित होती है। राज्य सामान्यतया सरप्लस विद्युत का निपटान विद्युत एक्सचेंजों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारकों तथा द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से करते हैं।

(ग) और (घ) राज्य के भीतर पारेषण एवं वितरण का विकास राज्य में विद्युत यूटिलिटियों के अधिकार क्षेत्र में आता है; अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण का विकास केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत में लगभग 27,750 मे.वा. अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की पांच क्षेत्रीय इलैक्ट्रिक ग्रिडें नामत: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी ग्रिडें हैं (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)। एनईडब्लू ग्रिड (उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिडें सम्मिलित) सिंक्रोनस रूप में प्रचालन कर रही है और दक्षिणी क्षेत्रीय (एसआर) ग्रिड एचवीडीसी संपर्क के माध्यम से एसिंक्रोनस रूप से एनईडब्ल्यू ग्रिड से जुड़ी है। सामान्यत: सिंक्रेनस रूप से जुड़ी प्रणालियों के भीतर विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण में कोई बाधा नहीं होती, एचवीडीसी अंतर्सबद्ध संपर्कों की सीमित क्षमता के कारण विशेषकर जब मांग बहुत अधिक होती है, कभी-कभी एनईडब्लू ग्रिड से एसआर ग्रिड के लिए पारेषण क्षमता, बाधित होती है। जबकि, पारेषण योजना अखिल भारतीय आधार पर प्रत्याशित उत्पादन अभिवृद्धि तथा प्रक्षेपित मांग पूर्वानुमान के आधार पर बनाई जाती है, कमी वाले राज्यों को अपनी दीर्घावधि विद्युत प्राप्ति निश्चित करनी होती है और दीर्घावधि पहुंच के लिए सीटीयू

को अग्रिम आवेदन करना होता है ताकि, बिन्दु-दर-बिन्दु राज्य पारेषण अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) सरकार द्वारा सरप्लस विद्युत के विद्युत की कमी वाले राज्यों में उपयोग के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) दक्षिणी ग्रिड का एनईडब्लू ग्रिड के साथ सिंक्रोनस अंतसंपर्क, (ii) 12वीं योजना के दौरान 38,000 मे.वा. की अतिरिक्त अंतर्क्षेतीय पारेषण क्षमता का सृजन, (iii) उत्पादन समृद्ध क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण के लिए उच्च क्षमता पारेषण कॉरिडोरों सहित अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों का सुदृढ़ीकरण/विकास, (iv) विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना (v) खुली पहुंच के प्रचालन हेतु विनियम आदि शामिल है।

विवरण

अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की पांच ग्रिडों का ब्यौरा

क्र.सं.	अंतरक्षेत्रीय लिंक्स	क्षमता मेगावाट में
1.	पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र	3,630
2.	पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र	12,130
3.	पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र	4,390
4.	पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,260
5.	उत्तर क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र	4,220
6.	पश्चिमी क्षेत्र से दक्षि.ी क्षेत्र	1,520
7.	132 केवी/110 केवी अंतरक्षेत्रीय लिंक्स	600
	कुल	27,750

पारेषण और वितरण हानियां 9-20

***287. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य क्षेत्र की स्थिति के विपरीत निजी वितरक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को काफी दह तक कम करने में सफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य क्षेत्र में विद्युत पारेषण हानियों को कम करने और कड़े ग्रिड अनुशासन को भी बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी हां। विद्युत वितरण क्षेत्र में एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में आर-एपीडीआरपी का अनुमोदन किया था। आरएपीडीआरपी, परियोजना क्षेत्रों में एटीएंडसी हानियों को निरंतर कम करने के लिए यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन पर केन्द्रित है। स्कीम के तहत परियोजनाएं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में दो भागों में शुरू की जाती हैं। स्कीम का भाग-क ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा, ग्राहक सेवा, कंप्यूटरीकृत बिलिंग एवं संग्रहण आदि के लिए आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डटा एक्विजीशन (स्काडा) के लिए है, जो केवल 4 लाख जनसंख्या और 30 एमयू की वार्षिक ऊर्जा इनपुट वाले शहरों के लिए है और भाग-ख परियोजना नगरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए है। एटी एंडसी हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

आर.एपीडीआरपी के अंतर्गत, अब तक 32323.70 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं (भाग-क: 1402 नगरों तथा 63 नगरों में 63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़

रुपए; भाग-ख: 1134 नगरों में 25684.91 करोड़ रुपए) पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी की 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, दिल्ली में एटीएंडसी हानियां वर्ष 2002-03 (जिस वर्ष में निजी डिस्कॉम्स ने डेसू से वितरण व्यापार ग्रहण किया था) में 59.51% से काफी कम होकर वर्ष 2010-11 के दौरान 15.76% रह गयी हैं। तथापि, ओडिशा राज्य में,, जहां निजी यूटिलिटियां संपूर्ण राज्य को सम्मिलित करती हैं, एटीएंडसी हानियों का स्तर लगभग 44% के स्तर पर है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां वर्ष 2002-03 में 36.64% से कम होकर वर्ष 2010-11 में 26.15% रह गयी हैं। निजी यूटिलिटियां, राज्य डिस्कॉम, जो उप-नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि उपभोक्ताओं सहित संपूर्ण राज्य को सम्मिलित करती हैं, से अलग सामान्यत: शहरी क्षेत्रों में प्रचालन करती हैं।

एटीएंडसी हानियां कम करने के लिए निजी डिस्काम्स द्वारा उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का संवर्धन, बिलिंग एवं संग्रहण कुशलता में सुधार, ऊर्जा लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में आईटी अपनाना आदि हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) में दिए अनुसार, भारत सरकार ने परियोजना क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य स्तर पर एटीएंडसी हानियां कम करने के लिए आर-एपीडीआरपी का अनुमोदन किया था।

सख्त ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी), अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) के अनुरूप कार्रवाई करता है। ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन करने वाले राज्यों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 एवं 143 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी; द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है।

विवरण-I

एटी.एंड.सी. हानियों का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	34.37	43.92	47.44
	कुल बिहार		34.37	43.92	47.44
	झारखंड	जेएसईबी	54.16	10.21	46.79
	कुल झारखंड		54.16	10.21	46.79
	ओडिशा	सेस्को	46.84	39.98	45.54
		नेस्को	38.90	36.70	38.47
		सिस्को	50.59	51.00	54.12
		वेस्को	37.55	37.58	43.84
	कुल ओडिशा		42.20	39.70	44.35
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	46.81	55.36	51.96
	कुल सिक्किम		46.81	55.36	51.96
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	25.81	33.24	27.40
	कुल पश्चिम बंगाल		25.81	33.24	27.40
कुल पूर्वी क्षेत्र			36.64	33.94	38.24
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	60.15	58.82	61.45

1	2	3	4	5	6
	अरुणाचल प्रदेश कल		60.15	58.82	61.45
	असम	सीएईडीसीएल	39.36		
		एलएईडीसीएल	29.23		
		यूएईडीसीएल	31.42		
		एपीडीसीएल		29.31	29.19
	कुल असम		32.68	29.31	29.19
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	81.32	47.55	40.17
	कुल मणिपुर		81.32	47.55	40.17
	मेघालय	एमईएसईबी	43.37	48.77	
	कुल मेघालय				51.63
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	43.37	48.77	51.63
	कुल मिजोरम		41.08	38.95	41.00
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	41.08	38.95	41.00
	कुल नागालैंड		44.12	46.16	50.07
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	44.12	46.16	50.07
	कुल त्रिपुरा		31.91	29.16	34.48
			31.91	29.16	34.48
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			40.70	36.23	37.33
	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	20.59	19.83	15.80
		बीएसईएस यमुना	13.73	28.63	18.13
		एनडीपीएल	17.64	15.68	13.75
			17.92	20.78	15.76
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	32.60	28.11	26.29
		यूएचबीवीएनएल	34.00	30.58	29.85
	कुल हरियाणा		33.29	29.32	28.02

1	2	3	4	5	6
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	12.85	18.46	35.48
		एचपीएसईबी लि.			12.22
	कुल हिमाचल प्रदेश		12.85	18.46	15.72
	जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	69.05	70.44	72.86
	कुल जम्मू और कश्मीर		69.05	70.44	72.86
	पंजाब	पीएसईबी	18.51	17.73	
	कुल पंजाब				17.47
	राजस्थान	एवीवीएनएल	18.51	17.73	17.47
		जेडीवीवीएनएल	31.28	33.04	26.80
		जेवीवीएनएल	30.19	31.51	23.73
			28.40	26.70	22.66
	कुल राजस्थान		29.83	30.07	24.19
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	28.25	49.62	55.39
		केईएससीओ	53.44	51.66	44.11
		एमवीवीएन	29.90	37.58	37.57
		पश्चिमी वीवीएन	29.38	27.68	31.61
		पूर्व वीवीएनएल	49.75	27.86	40.43
	कुल उत्तर प्रदेश		35.04	35.73	40.29
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	39.89	28.35	28.48
	कुल उत्तराखंड		39.89	28.35	28.48
कुल उत्तरी क्षेत्र			29.96	29.66	28.91
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	एपीपीसीडीसीएल	14.24	17.93	20.56
		एपीईपीडीसीएल	10.26	9.69	14.51
		एपीएनपीडीसीएल	14.37	18.52	16.07
		एपीएनपीडीसीएल	11.36	16.63	14.20
	कुल आंध्र प्रदेश		12.99	16.43	17.50

1	2	3	4	5	6
	कर्नाटक	बेस्कॉम	19.17	21.10	22.75
		चेस्कॉम	25.33	28.21	28.73
		जेस्कॉम	38.80	38.05	25.75
		हेस्कॉम	33.90	28.51	26.22
		मेस्कॉम	14.01	18.40	13.75
	कुल कर्नाटक		24.94	25.34	23.71
	केरल	केएसईबी	21.61	14.90	14.09
	कुल केरल		21.61	14.90	14.09
	पुदुचेरी	पुडुचेरी पीडी	18.47	19.35	14.43
	कुल पुदुचेरी		18.47	19.35	14.43
	तमिलनाडु	टीएनईबी	14.39	18.87	19.90
	कुल तमिलनाडु		14.39	18.87	19.90
कुल दक्षिण क्षेत्र			16.92	19.05	19.26
पश्चिम	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	30.46		
		सीएसपीडीसीएल	38.29	36.28	28.64
	कुल छत्तीसगढ़		32.73	36.28	28.64
	गोवा	गोवा पीडी	21.69	6.12	14.08
	कुल गोवा		21.69	6.12	14.08
	गुजरात	डीजीवीसीएल	16.11	15.23	13.08
		एमजीवीसीएल	14.98	15.27	14.83
		पीजीवीसीएल	31.78	32.35	26.75
		यूजीवीसीएल	16.31	18.89	7.20
	कुल गुजरात		22.04	22.81	16.89
	मध्य प्रदेश	एसपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	50.24	42.26	43.95
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	36.38	36.16	31.12

1	2	3	4	5	6
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	55.84	46.11	37.99
	कुल मध्य प्रदेश		46.61	41.03	37.28
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	31.19	25.02	23.30
	कुल महाराष्ट्र		31.19	25.02	23.30
कुल पश्चिमी			31.64	28.02	24.44
कुल योग			27.37	26.58	26.15

(स्रोत: पीएफसी)

टिप्पणी: चूंकि पारेषण हानियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अत: सिक्किम पीडी (2008-09 से 2010-11 तक के लिए) एपीएसपीडीसी (2009-10 एवं 2010-11 के लिए) एपीएसपीडीसीएल (2009-10 से 2010-11 के लिए) एटी एंड सी हानियों में पारेषण हानियां शामिल हैं। जे एंड के के पीडीडी की 2008-09 से 2010-11 तक की संग्रहण दक्षता की गणना संसाधन योजना में उपलब्ध वसूले एग राजस्व के आंकड़ों के आधार पर की गई है।

टेनजेडको 1 नवंबर, 2010 से प्रचालनस्त, एटी एंड सी हानियों की गणना के लिए पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

2008-09 से 2010-11 तक दिल्ली और ओडिशा में डिस्कॉम-वार एटी एंड की हानियां

[एटी एंड सी हानियां (%)]

	2008-09	2009-10	2010-11
दिल्ली			
बीएसईएस राजधानी	20.59	19.83	15.80
बीएसईएस यमुना	13.73	28.63	18.13
एनडीपीएल	17.64	15.68	13.75
औसत दिल्ली	17.92	20.78	15.76
ओडिशा			
सेस्को	46.84	39.98	45.54
नेस्को	38.90	36.70	38.47
सिस्को	50.59	51.00	54.12
वेस्को	37.55	37.58	43.84
औसत ओडिशा	42.20	39.70	44.35

*ओईआरसी द्वारा गठित प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रचालित एवं प्रबंध की जा रही है।

288. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) सुविधा शुरू करने का है जिससे रोगियों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई के सस्ते विकल्प के बारे में जानकारी मिल सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सुविधा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह सुविधा कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त सुविधा के अंतर्गत सस्ती वैकल्पिक दवाई देने से पूर्व रोगी का डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भेषज विभाग ने यह योजना तैयार की है तथा इसके ब्यौरे उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

हेपेटाइटिस संक्रमण के मामले

***289. श्री सी शिवासामी:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों में विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस संक्रमण के अनेक मामलों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किस्म-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) सरकार द्वारा हेपेटाइटिस के मामलों पर नियंत्रण करने और इसके उपचार के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार हेपेटाइटिस संक्रमण के प्रति जागरुकता पैदा करने और टीकाकरण अभियान शुरू करने तथा संक्रमित लोगों को निशुल्क उपचार प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अद्यतन रिर्पोट के अनुसार) वायरल हेपेटाइटिस (समस्त कारणों सहित) के राज्य/संघ प्रदेश-वार सूचित मामले संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) हेपेटाइटिस बी संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत राज्यों/संघों प्रदेशों को हेपेटाइटिस बी के टीके और टीकाकरण को लागत मुहैया करा रही है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ प्रदेशों को जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

सरकार ने अप्रैल, 2005 से व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में सभी टीकों के लिए आटो-डिसेब्लड (एडी) सिरिंज शुरू की हैं। ए.डी. सिरिंज एकल प्रयोग, सेल्यु लॉकिंग वाली होती है जिन्हें एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से गैर-कीटाणु रहित इंजेक्शन/उपकरण के बार-बार इस्तेमाल किए जाने से होने वाले दुरूपयोग तथा संदूषण/परस्पर संक्रमण पर रोक लगती है। सभी ब्लड बैंकों के लिए ब्लड यूनिटों की हेपेटाइटिस बी और सी के लिए नेमी जांच को अनिवार्य बनाया गया है ताकि संदूषित ब्लड यूनिट का पता लगाकर फेंका जा सके।

चूंकि हेपेटाइटिस ए और ई का मुख्य कारण संदूषित जल का सेवन है, इसलिए भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें/स्थानीय निकायों से सहायता देती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) हेपेटाइटिस समेत जल जनित रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण पर राज्य सरकारों को तकनीकी मार्ग दर्शन देता है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के ढांचे के भीतर समन्वित रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के तहत इन रोगों वें प्रकोपों की जांच पड़ताल करने में उन्हें मदद मिलती है। एनसीडीसी प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने अलावा प्रकोपों की जांच तथा इटियोलोजिकल निदान के लिए प्रयोगशाला सहायता का भी समन्वय करता है। महामारी संभावित रोगों के प्रकोपों का पता लगाने और कार्रवाई हेतु निगरानी को चाक-चौबंद करने के लिए समन्वित रोग निगरानी परियोजना के तहत राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। गत तीन और चालू वर्षों के दौरान राज्यों/संघ प्रदेशों को जारी धनराशि के ब्यौर संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

रिपोर्टेड वायरल हेपेटाइटिस के सूचित राज्यवार मामले (सभी कारणों)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009	2010	2011	*2012
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9457	9949	11050	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	219	636	1
3.	असम	7770	312	2557	0
4.	बिहार	एनआर	एनआर	202	1
5.	छत्तीसगढ़	1835	287	139	0
6.	गोवा	96	71	118	0
7.	गुजरात	3068	3190	4328	0
8.	हरियाणा	2011	1583	2557	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2979	2566	1248	11
10.	जम्मू और कश्मीर	6190	3990	5129	0
11.	झारखंड	340	358	384	0
12.	कर्नाटक	11029	8872	6049	8
13.	केरल	7810	5353	5336	11
14.	मध्य प्रदेश	7381	5168	3851	2
15.	महाराष्ट्र	7488	5446	5994	6
16.	मणिपुर	1764	320	229	0
17.	मेघालय	205	438	87	0
18.	मिजोरम	476	571	812	6
19.	नागालैंड	542	119	64	0
20.	ओडिशा	5610	3328	3272	5
21.	पंजाब	5750	6546	5041	0
22.	राजस्थान	981	1356	967	0
23.	सिक्किम	364	1180	484	0

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	3978	5732	5940	0
25.	त्रिपुरा	987	717	404	0
26.	उत्तराखंड	20132	6645	3143	5
27.	उत्तर प्रदेश	1988	2203	7749	5
28.	पश्चिम बंगाल	4525	4779	5480	29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	243	255	208	3
30.	चंडीगढ़	390	एनआर	1309	0
31.	दादरा और नगर हवेली	217	314	269	0
32.	दमन और दीव	62	103	484	0
33.	दिल्ली	7657	6510	8347	17
34.	लक्षद्वीप	30	20	15	0
35.	पुदुचेरी	517	650	520	8
	संपूर्ण	124085	89150	94402	139

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा

नोट: NR का तात्पर्य सूचित नहीं।

*अनंतिम और उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2012-2013 (लाख रुपए में) के दौरान सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य	2009-10 निमुक्त	2010-11 निमुक्त	2011-12 निमुक्त	2012-13* निमुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	935.00	893.00	1811.37	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.00	66.00	297.55	0.00
3.	असम	1285.00	1364.00	1416.77	0.00
4.	बिहार	99.00	1354.00	896.76	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	440.00	490.00	566.21	0.00
6.	गोवा	51.00	3.00	11.97	0.00
7.	गुजरात	713.00	674.00	929.65	903.00
8.	हरियाणा	123.00	163.00	816.34	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	51.00	143.00	41.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	284.00	237.00	121.50	0.00
11.	झारखंड	376.00	635.00	1515.10	0.00
12.	कर्नाटक	342.00	829.00	200.00	685.00
13.	केरल	125.00	302.00	163.82	374.00
14.	मध्य प्रदेश	910.00	1234.00	2372.01	0.00
15.	महाराष्ट्र	1547.00	1521.00	1179.64	1260.00
16.	मणिपुर	0.00	145.00	212.98	0.00
17.	मेघालय	155.00	6.00	156.18	0.00
18.	मिजोरम	76.00	46.00	20.00	0.00
19.	नागालैंड	178.00	102.00	108.01	0.00
20.	ओडिशा	479.00	750.00	1168.20	0.00
21.	पंजाब	286.00	382.00	439.50	0.00
22.	राजस्थान	648.00	1154.00	1322.17	1334.00
23.	सिक्किम	49.00	28.00	21.00	0.00
24.	तमिलनाडु	107.00	313.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	208.00	35.00	101.65	0.00
26.	उत्तराखंड	195.00	200.00	343.21	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	4055.00	3394.00	2763.49	1940.00
28.	पश्चिम बंगाल	1110.00	1261.00	629.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	6.00	6.00	0.00

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	9.00	14.00	14.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	4.00	3.00	6.40	0.00
32	दमन और दीव	1.00	3.00	7.80	0.00
33	दिल्ली	107.00	45.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	1.00	2.00	9.00	0.00
35.	पुदुचेरी	5.00	15.00	18.40	0.00
	कुल	15003.00	17812.00	19686.68	6496.00

* 27.8.2012 तक

विवरण-III

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के तहत राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को निमुक्त निधियाँ

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	201.71	169.82	112.88	47.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.51	123.00	148.07	94.21
3.	असम	23.55	139.75	151.09	80.01
4.	बिहार	10.00	121.17	103.89	147.35
5.	छत्तीसगढ़	46.42	110.13	48.59	0.00
6.	गोवा	33.83	16.64	26.82	18.02
7.	गुजरात	90.16	169.25	201.06	140.00
8.	हरियाणा	98.44	75.83	139.28	94.32
9.	हिमाचल प्रदेश	79.87	30.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	66.03	100.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	81.78	65.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	89.95	218.19	103.48	87.85

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	0.00	144.34	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	201.16	197.82	88.35	0.00
15.	महाराष्ट्र	138.49	292.85	118.57	0.00
16.	मणिपुर	0.00	35.00	31.56	0.00
17.	मेघालय	30.07	46.50	14.75	0.00
18.	मिजोरम	34.02	68.75	53.54	11.53
19.	नागालैंड	38.37	75.00	73.75	42.26
20.	ओडिशा	27.13	100.00	39.06	0.00
21.	पंजाब	97.63	147.60	103.79	53.95
22.	राजस्थान	177.66	227.53	136.28	0.00
23.	सिक्किम	20.40	28.00	14.50	20.87
24.	तमिलनाडु	87.54	193.62	60.95	0.00
25.	त्रिपुरा	19.08	24.00	7.00	0.00
26.	उत्तराखंड	78.10	131.74	64.50	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	275.30	0.00	243.75	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	111.08	99.40	35.85	27.69
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	15.61	0.00
30.	चंडीगढ़	29.10	8.00	13.74	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	17.51	15.00	5.27	0.00
32.	दमन और दीव	19.01	15.00	8.71	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	20.19	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	24.97	35.00	33.14	0.00
	संपूर्ण	2303.06	3223.93	2197.83	866.02

[हिन्दी]

स्वास्थ्य नीति

***290. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने मंत्रालय से बारहवीं पंचवर्षीय योजना और इसके बाद से विद्यमान स्वास्थ्य नीति में कतिपय संशोधन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में किसी वैकल्पिक नीति का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों में उक्त वैकल्पिक नीति लागू है; और

(ङ) क्या देश में उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) योजना आयोग ने कार्य समूहों और संचालन समिति इत्यादि की प्रक्रिया के माध्यम से स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। तथापि, 12वीं योजना दस्तावेज, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए कार्यनीतियां शामिल होंगी और जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन अपेक्षित होगा, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएँ

***291. श्री समीर भुजबल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत निजी विद्युत परियोजनाएं उनके लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में कार्यान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के पश्चात्, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार/सीईए की संस्वीकृति/तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टीईसी) अपेक्षित नहीं है। तथापि, जिन निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के आदेश 11वीं योजना के दौरान दिए गए थे, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I (चालू परियोजनाओं के लिए) तथा संलग्न विवरण-II (निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए) में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान 19 निजी जल-विद्युत परियोजनाओं को सहमति दी गई। इनमें से, कुल 845 मेगावाट की 10 निजी जल-विद्युत परियोजनाएं निर्माणधीन हैं। इन परियोजनाओं के विवरण संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। जिन शेष 9 जल-विद्युत परियोजनाओं में निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किए जाने हैं, उनके विवरण संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस समय महाराष्ट्र सहित देश में निर्माणधीन निजी ताप और जल-विद्युत परियोजनाओं के विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-V तथा संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं। इस समय महाराष्ट्र राज्य में कोई जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

विवरण-I

11वीं योजना के दौरान चालू की गई निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम और इकाई सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	आदेश तिथि	क्षमता (मेगावाट)	संविदा के अनुसार चालू होने की तिथि	कमीशनिंग वास्तविक तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	लैंको कोडापल्ली एक्सटे फेल-II जीटी	लैंको कोंडापल्ली पावर प्रा.लि.	नवं-07	233	अप्रै-09	07.12.09

1	2	3	4	5	6	7	8
2.		लैंको कोडापल्ली एक्सटेफेल-II जीटी	एलकेपीपीएल		133	अक्टू-09	19.07.10
3.		सिम्हापुर-1	एलकेपीपीएल	जुल-09	150	नवं-10	24.03.12
4.		सिम्हापुर-2	एलकेपीपीएल		150	जन-11	02.07.12
5.	छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली यू-1	एसीबी इंडिया लि.	नवं-08	135	नवं-10	13.12.11
6.		कसाईपल्ली यू-2	एसीबी इंडिया लि.		135	फर-11	21.06.12
7.		काठघोरा टीपीपी	वंदना स्टील एंड एनर्जी लि.	अक्टू-07	35	जन-12	14.02.12
8.	दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी जीटी-2	एनडीपीएल	डंल-08	36	जून-09	04.10.10
9.		रिठाला सीसीपीपी जीटी-1	एनडीपीएल		36	जुल-09	09.12.10
10.		रिठाला (एसटी)	एनडीपीएल		37	अग-09	04.09.11
11.	गुजरात	मुंद्रा टीपीपी फेज-II यू-1	अवानी पावर लि.	सितं-07	660	अप्रै-11	26.12.10
12.		मुंद्रा टीपीपी फेज-II यू-2	अवानी पावर लि.		660	अग-11	20.07.11
13.		मुंद्रा टीपीपी फेज-III यू-1	अवानी पावर लि.	जन-08	660	जून-11	07.11.11
14.		मुंद्रा टीपीपी फेज-III यू-2	अवानी पावर लि.		660	अग-11	03.03.12
15.		मुंद्रा टीपीपी फेज-III यू-3	अवानी पावर लि.		660	अक्टू-11	09.03.12
16.		मुंद्रा यूएमपीपी यू-1	टाटा पावर कं.	मई-07	800	अग-12	25.02.12
17.		मुंद्रा यूएमपीपी यू-2	टाटा पावर कं.		800	फर-13	25.07.12
18.		सलाया यू-1	एस्सार पावर	अग-07	600	नवं-11	22.02.12
19.		सलाया यू-2	एस्सार पावर		600	फर-12	13.06.12
20.	हरियाणा	महात्मा गांधी टीपीयू-1	सीएलपी/जेपीएल	मार्च-09	660	जन-12	12.01.12
21.		महात्मा गांधी टीपीयू-2	सीएलपी/जेपीएल		660	जूल-12	11.04.12
22.	झारखंड	मैथन आरबी टीपीपी यू-1	डीवीसी जेवी टाटा	अक्टू-07	525	अक्टू-10	30.06.11
23.		मैथन आरबी टीपीपी यू-2	एमपीएल जेवी ऑफ डीवीसी एंड टाटा पावर		525	अप्रै-11	23.03.12
24.	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू टीपीपी यू-1	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	मई-07	300	मार्च-10	24.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8
25.		जेएसडब्ल्यू टीपीपी यू-2	जेएसडब्ल्यू एनर्जी		300	मई-10	09.12.10
26.		जेएसडब्ल्यू टीपीपी यू-3	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरी) लि.		300	जुल-10	06.05.11
27.		जेएसडब्ल्यू टीपीपी यू-4	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरी) लि.		300	सितं-10	08.10.11
28.		वर्धा दरोरा यू-1	डब्लूपीसीएन (केएसके)	मई-07	135	मार्च-10	05.06.10
29.		वर्धा दरोरा यू-2	डब्लूपीसीएन (केएसके)		135	मई-10	10.10.10
30.		वर्धा दरोरा यू-3	डब्लूपीसीएन (केएसके)		135	जुल-10	13.01.11
31.		वर्धा दरोरा यू-4	डब्लूपीसीएन (केएसके)		135	सितं-10	30.04.11
32.		महान टीपीपी यू-1-4		मई-08	246	जन-12	09.02.12
33.		जीईपीएल टीपीपी यू-2	जीइपीएल	अप्रै09	60	नवं-10	28.04.12
34.		बुटीबोरी टीपीपी फेज-II यू-1	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर	दिसं-09	300	जन-12	17.08.12
35.	उत्तर प्रदेश	बीना टीपीपी यू-1	बिना पावर सप्लाई कं. लि.	सितं-08	250	अग.-11	11.08.12
36.	उत्तर प्रदेश	अनपास सी टीपीएस यू-1	लैंको अनपारा पावर प्रा. लि.	नवं-07	600	मार्च-11	15.11.11
37.		अनपास सी टीपीएस यू-2	लैंको अनपारा पावर प्रा. लि.		600	मई-11	12.11.11
38.		बारखेड़ा यू-1	बजाज एनर्जी	दिसं-09	45	अक्टू-11	06.11.11
39.		बारखेड़ा यू-2	बजाज एनर्जी		45	नवं-11	28.01.12
40.		खांबरखेड़ा यू-1	बजाज एनर्जी	दिसं-09	45	अक्टू-11	17.10.11
41.		खांबरखेड़ा यू-2	बजाज एनर्जी		45	नवं-11	28.11.11
42.		कुंडारकी यू-1	बजाज एनर्जी	दिसं-09	45	अक्टू-11	10.01.12
43.		कुंडारकी यू-2	बजाज एनर्जी		45	नवं-11	29.02.12
44.		मकसूदपुर यू-1	बजाज एनर्जी	दिसं-09	45	अक्टू-11	03.11.11
45.		मकसूदपुर यू-2	बजाज एनर्जी		45	नवं-11	21.01.12
46.		रोजा यू-3	रिलायंस	मार्च-08	300	मार्च-11	27.12.11

1	2	3	4	5	6	7	8
47.		रोजा यू-4	रिलायंस		300	जून-11	28.03.12
48.		उत्तराउला यू-1	बजाज एनर्जी	दिसं-09	45	अक्टू-11	21.02.12
49.			बजाज एनर्जी		45	नवं-11	19.03.12

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान आदेशित निर्माणाधीन निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वियन एजेंसी	आदेश तिथि	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक चालू होने का कार्यक्रम	अनुमानित चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	मदनपाडु टीपीप फेज I	मसर्स कोस्ट एनर्जी लि.	सित-09	यू-1	660	अक्टू13	अक्टू-14
				यू-2	660	मार्च-14	जन-15
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	फर-12	यू-1	660	मार्च-15	जून-16
				यू-2	660	जून-15	अग-16
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	सितं-10	यू-1	660	मई-14	अग-14
				यू-2	660	अग-14	नवं-14
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	मई-10	यू-3	150	दिसं-11	नवं-13
				यू-4	150	फर-12	फर-13
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	अग-09	यू-1	150	अग-11	अग-12
	प्रा.लि. फेज-II			यू-2	150	नवं-11	अक्टू-12
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी-II	मिनाक्षा एर्जा लि.	दिसं-09	यू-3	350	मई-12	नवं-13
				यू-4	350	अग-12	फर-14
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कार्पो. लि.	मार्च-10	यू-1	520	जून-13	अग-13
				यू-2	520	अप्रै-13	दिसं-13
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	अप्रै-09	यू-1	600	अग-12	जून-13

1	2	3	4	5	6	7	8
				यू-2	600	अग-12	अक्टू-13
				यू-3	600	दिसं-12	फर-14
				यू-4	600	अप्रै-13	जून-14
छत्तीसगढ़	अवंधा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कं.लि.	अप्रै-09	यू-1	600	जुल-12	जुल-13
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीएस)	डीबी पावर कं. लि.	मई-10	यू-1	600	मार्च-13	अग-13
				यू-2	600	जुल13	दिसं-13
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	अग-07	यू-1	300	फर-11	दिसं-12
				यू-2	300	नवं-10	अग-12
छत्तीसगढ़	बंडाखर टीपीपी	मेसर्स मारूती क्लीन कोल एवं पावर लि.	जून-11	यू-1	300	दिसं-12	जून-14
छत्तीसगढ़	बीजकोटे टीपीपी	मसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	दिसं-09	यू-1	300	जन-14	जून-14
				यू-2	300	अप्रै-14	अग-14
				यू-3	300	जुल-14	दिसं-15
				यू-4	300	अक्टू-14	मार्च-15
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	लैप प्रा.लि.	नवं-09	यू-3	660	जन-13	अग-13
				यू-4	660	मार्च-13	दिसं-13
छत्तीसगढ़	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	जन-10	यू-1	685	अग-13	जून14
				यू-2	685	जन-14	नवं-14
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	मसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	जुल-09	यू-1	50	जून-11	अग-12
छत्तीसगढ़	सिघताराय टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	दिसं-09	यू-1	600	जून-14	फर-15
				यू-2	600	अग-14	मई-15
छत्तीसगढ़	स्वास्तीक टीपीपी	एसीबी	फर-10	यू-1	25	जून-12	अक्टू-12
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिंदल	दिसं-08	यू-1	600	जन-14	जन-14
				यू-2	600	अप्रै-14	अप्रै-14

1	2	3	4	5	6	7	8
				यू-3	600	अग-14	अग-14
				यू-4	600	नवं-14	नवं-15
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	मेसर्स टीआरएन एनर्जी प्रा.लि.	सितं-08	यू-1	300	दिसं-13	जून14
				यू-2	300	अप्रै-14	अग-14
छत्तीसगढ़	उंचपींडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	जुल-07	यू-1	360	मई-12	अक्टू-13
				यू-2	360	नवं-12	जन-14
				यू-3	360	फर-13	अप्रै-14
				यू-4	360	जुल-13	जुल-14
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़	मेसर्स वंदना विद्युत	मई-08	यू-1	135	जून11	नवं-12
				यू-2	135	अग-11	मार्च-13
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एमजी	जन-10	यू-1	250	अक्टू-13	अक्टू-14
				यू-2	250	दिसं-13	दिसं-14
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	मई-07	यू-3	800	अग-13	अक्टू-12
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.		यू-4	800	फर-14	जन-13
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.		यू-5	800	अग-14	अप्रै-13
झारखंड	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर कं. लि.	मई-09	यू-1	270	जन-12	फर-12
				यू-2	270	मार्च-12	मार्च-13
झारखंड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	मेसर्स कॉर्पोरेट पावर लि.	दिसं-09	यू-1	270	मई-12	नवं-12
				यू-2	270	जून-12	फर-13
झारखंड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	मेसर्स कॉर्पोरेट पावर लि.		यू-3	270	फर-13	जन-13
				यू-4	270	मार्च-13	अग-13
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	अग-08	यू-1	600	जून-13	जून-14
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर		यू-2	600	जन-14	अग-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	नवं-09	यू-1	270	दिसं-11	फर-13

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-2	270	दिसं-11	जून-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-3	270	जन-12	अग-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-4	270	फर-12	दिसं-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-5	270	मार्च-12	मार्च-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	अक्टू-10	यू-1	270	जुल-14	जुल-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-2	270	अग-14	अग-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-3	270	नवं-14	नवं-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-4	270	जन-15	जन-15
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-5	270	मार्च-15	मार्च-15
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	दिसं-08	यू-1	270	दिसं-11	दिसं-12
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.)लि.	अप्रै-10	यू-1	300	फर-12	मार्च-13
			सितं-09	यू-2	300	मई-12	जून-13
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)		यू-1	300	नवं-11	नवं-12
				यू-2	300	फर-12	मार्च-13
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	अप्रै-09	यू-1	60	नवं-10	अग-12
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	नवं-09	यू-1	660	जन-14	अप्रै-14
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ		यू-2	660	मई-14	अग-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	नवं-09	यू-1	270	फर-12	फर-13
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-2	270	अप्रै-12	जून-13
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-3	270	जून-12	नवं-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-4	270	अग-12	जन-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स		यू-5	270	अक्टू-2	मार्च-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	अक्टू-10	यू-1	270	अप्रै-13	जुल-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-2	270	जून-.13	अग-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-3	270	अग-13	नवं-14

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-4	270	अक्टू-13	जन-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स		यू-5	270	दिसं-13	मार्च-15
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	फर-08	यू-1	660	अप्रै-.11	अग-12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.		यू-2	660	जुल-11	नवं-12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	फर-08	यू-1	660	अक्टू-11	दिसं-12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	नवं-09	यू-2	660	जून-12	फर-13
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.		यू-3	660	अक्टू-12	नवं-13
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी	नवं-10	यू-1	600	अप्रै-13	दिसं-13
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी		यू-2	600	अग-13	अप्रै-14
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं.लि.	सितं-08	यू-2	250	नवं-11	अप्रै-13
मध्य प्रदेश	गोरंगीटीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर	नवं-08	यू-1	660	जून-13	फर-15
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	अग-07	यू-1	600	जून11	अप्रै-13
				यू-2	600	दिसं-11	जून-13
मध्य प्रदेश	नीगरी टीपीपी	जय प्रकाश पावर वेंचर्स लि.	अग-09	यू-1	660	जून-13	जून-13
				यू-2	660	दिसं-13	दिसं-13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	जून-08	यू-1	660	मई-13	मई-13
				यू-2	660	दिसं-13	दिसं-13
				यू-3	660	जुल-14	जुल-14
				यू-4	660	फर-15	फर-15
				यू-5	660	अग-15	अग-15
				यू-6	660	अप्रै-16	अप्रै-16
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-I	झबुआ	फर-10	यू-1	600	मार्च-13	अक्टू-14
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआइटीपीएल	जून-09	यू-1	600	मार्च-12	अग-13
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआइटीपीएल		यू-2	600	जून-12	दिसं-13

1	2	3	4	5	6	7	8
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	मई-09	यू-1	350	अग-11	फर-13
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत		यू-2	350	दिसं-11	मार्च-13
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	अग-08	यू-1	350	नवं-11	नवं-12
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर		यू-2	350	दिसं-11	मार्च-13
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर		यू-3	350	फर-12	जुल-13
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	अक्टू-09	यू-1	350	दिसं-11	फर-14
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल		यू-2	350	जन-12	दिसं-14
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल		यू-3	350	मार्च-12	जन-15
ओडिशा	लैंको बबंध टीपीपी	लैंको बबंध पावर लि.	नवं-09	यू-1	660	अप्रै-13	मार्च-14
				यू-2	660	अग-13	मई-14
ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	एनपीसीएल	जून-09	यू-1	525	दिसं-12	अप्रै-14
पंजाब	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर	अग-08	यू-1	270	अप्रै-13	अप्रै-13
पंजाब	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर		यू-2	270	अक्टू-13	अक्टू-13
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	जूल-10	यू-1	700	जन-14	जन-14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.		यू-2	700	मार्च-14	मार्च-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट	जुल-09	यू-1	660	अक्टू-12	दिसं-13
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट		यू-2	660	जन-13	अप्रै-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट		यू-3	660	मई-13	जून-14
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	अप्रै-10	यू-1	660	दिसं--12	मार्च-13
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.		यू-2	660	मार्च-13	मई-13
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जन	अग-09	यू-1	600	फर-12	फर-13
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जन		यू-2	600	मार्च-12	मार्च-13
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी (इंड-बराथ टीपीपी)	आईबीपीएल	मई-10	यू-1	660	मार्च-12	जन-15
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	अक्टू-09	यू-1	660	फर-14	फर-14

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर		यू-2	660	जुल-14	जुल-14
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर		यू-3	660	दिसं-14	दिसं-14
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा.लि.	मार्च-11	यू-1	660	अक्टू-14	अग-14
				यू-2	660	फर-15	दिसं-14
				यू-3	660	जून-15	मार्च-15
उत्तर प्रदेश	हल्दीया टीपीपी-I	मेसर्स हल्दीया एनर्जी लि.	दिसं-10	यू-1	300	अग-14	अग-14
				यू-2	300	नवं-14	नवं-14

विवरण-III

निर्माणाधीन निजी जल विद्युत परियोजनाएं जिन्हें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सहमति दी गई थी

क्र-सं-	परियोजना का नाम	टीईसी/ स्वीकृत तिथि	राज्य/ कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग वास्तविक/ अब अनुमानित	देरी का कार.।
1	2	3	4	5	6	7
	प्राइवेट सैक्टर					
1.	टिडोंग-I 2 × 50 = 100 मेगावाट	23.07.07	हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीवीडू सीड्स	100	2013-14 2015-16	परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्य लंबित।
2.	टांगू रोमाई-I 2 × 22 = 44 मेगावाट	30.11.07	हिमाचल प्रदेश/ टांगू रोमाई पावर जेनेरेशन	44	2014-15 2015-16	सिविल कार्यों की धीमी कार्य-प्रगति।
3.	फाटा ब्यांग 2 × 38 = 76 मेगावाट	06.10.08	उत्तराखंड/मै. लैनको	76	2013-14 2013-14	
4.	सिंगोली भटवारी 2 × 33 = 99 मेगावाट	11.07.08	उत्तराखंड/एल एंड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लि.	99	2014-15 2015-16	स्थानीय मुद्दे। खराब भौमिकी।
5.	रंगीन-IV	06.07.07	सिक्किम/जल पावर कारपोरेशन लि.	120	2012-13 2014-15	खराब भौमिकी के कारण एचआटी तथा सर्ज शाफ्ट में धीमी कार्य-प्रगति, सितंबर 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए थे।

1	2	3	4	5	6	7
6.	भासमे 2 × 25.5 = 51 मेगावाट	दिसं-08	सिक्किम गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51	2012-13 2014-15	वन मंजूरी।
7.	ताशिदिंग 2 × 48.5 = 97 मेगावाट	28.03.11	सिक्किम/शिगा इनर्जी प्रा.लि.	97	2014-15 2017-18	खराब भौतिकी के कारण कार्य प्रगति।
8.	दिक्चू 3 × 32 = 96 मेगावाट	21.10.11	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	96	2015-16 2017-18	कार्य की धीमी प्रगति। परियोजना प्रारंभिक चरण में है।
9.	रोगनिचू 2 × 48 = 96 मेगावाट	01.10.08	सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	96	2014-15 2017-18	भूमि अधिग्रहण खराब भौमिकी।
10.	रंगित-II 2 × 33 = 66 मेगावाट	10.02.10	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66	2014-15 2017-18	भूमि अधिग्रहण।
	कुल			845 मेगावाट		

विवरण-IV

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन निजी जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति दी गई परंतु निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्थापित क्षमता		सीईए क्लियरेंस की तिथि
				इकाई × मेगावाट	मेगावाट	
1.	अलकनंदा	उत्तराखंड	जीएमआर	3 × 100	300	08.08.2008
2.	देमवे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	एडीपीएल	5×342+1× 40	1750	20.10.2009
3.	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	केएसकेडीएचएल	2 × 60	120	04.12.2009
4.	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	जेएपीएल	9 × 300	2700	16.02.2010
5.	कोटेहर	हिमाचल प्रदेश	एसडब्लूइपीएल	3 × 80	240	31.08.2010
6.	पानन	सिक्किम	एचएचपीएल	4 × 75	300	07.03.2011
7.	नाफरा	अरुणचल प्रदेश	एसएनइएल	2 × 60	120	11.02.2012
8.	नियामजांगछु	अरुणाचल प्रदेश	बीइएल	6 × 130	780	24.03.2011
9.	बजोलीहोली	हिमाचल प्रदेश	जीएमआर	3 × 60	180	30.12.2011

विवरण-V

11वीं योजना के दौरान आदेशित निर्माणाधीन निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वियन एजेंसी	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक चालू होने का कार्यक्रम	अनुमानित चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	मदनपाडु टीपीप फेज I	मसर्स कोस्ट एनर्जी लि.	यू-1	660	अक्टू13	अक्टू-14
			यू-2	660	मार्च-14	जन-15
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	यू-1	660	मार्च-15	जून-16
			यू-2	660	जून-15	अग-16
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-1	660	मई-14	अग-14
			यू-2	660	अग-14	नवं-14
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	यू-3	150	दिसं-11	नवं-13
			यू-4	150	फर-12	फर-13
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	यू-1	150	अग-11	अग-12
	प्रा.लि. फेज-II		यू-2	150	नवं-11	अक्टू-12
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी-II	मिनाक्षा एर्जी लि.	यू-3	350	मई-12	नवं-13
			यू-4	350	अग-12	फर-14
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कार्पो. लि.	यू-1	520	जून-13	अग-13
			यू-2	520	अप्रै-13	दिसं-13
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-1	600	अग-12	जून-13
			यू-2	600	अग-12	अक्टू-13
			यू-3	600	दिसं-12	फर-14
			यू-4	600	अप्रै-13	जून-14
छत्तीसगढ़	अवंधा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कं.लि.	यू-1	600	जुल-12	जुल-13

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीएस)	डीबी पावर कं. लि.	यू-1	600	मार्च-13	अग-13
			यू-2	600	जुला13	दिसं-13
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	यू-1	300	फर-11	दिसं-12
			यू-2	300	नवं-10	अग-12
छत्तीसगढ़	बंडाखर टीपीपी	मेसर्स मारूती क्लीन कोल एवं पावर लि.	यू-1	300	दिसं-12	जून-14
छत्तीसगढ़	बीजकोटे टीपीपी	मसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	यू-1	300	जन-14	जून-14
			यू-2	300	अप्रै-14	अग-14
			यू-3	300	जुल-14	दिसं-15
			यू-4	300	अक्टू-14	मार्च-15
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	लैप प्रा.लि.	यू-3	660	जन-13	अग-13
			यू-4	660	मार्च-13	दिसं-13
छत्तीसगढ़	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	685	अग-13	जून14
			यू-2	685	जन-14	नवं-14
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	मसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	यू-1	50	जून-11	अग-12
छत्तीसगढ़	सिघताराय टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	यू-1	600	जून-14	फर-15
			यू-2	600	अग-14	मई-15
छत्तीसगढ़	स्वास्तीक टीपीपी	एसीबी	यू-1	25	जून-12	अक्टू-12
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिंदल	यू-1	600	जन-14	जन-14
			यू-2	600	अप्रै-14	अप्रै-14
			यू-3	600	अग-14	अग-14
			यू-4	600	नवं-14	नवं-15
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	मेसर्स टीआरएन एनर्जी प्रा.लि.	यू-1	300	दिसं-13	जून14
			यू-2	300	अप्रै-14	अग-14
छत्तीसगढ़	उंचपींडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	यू-1	360	मई-12	अक्टू-13

1	2	3	4	5	6	7
			यू-2	360	नवं-12	जन-14
			यू-3	360	फर-13	अप्रै-14
			यू-4	360	जुल-13	जुल-14
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़	मेसर्स वंदना विद्युत	यू-1	135	जून11	नवं-12
			यू-2	135	अग-11	मार्च-13
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एमजी	यू-1	250	अक्टू-13	अक्टू-14
			यू-2	250	दिसं-13	दिसं-14
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	यू-3	800	अग-13	अक्टू-12
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	यू-4	800	फर-14	जन-13
गुजरात	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	यू-5	800	अग-14	अप्रै-13
झारखंड	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर कं. लि.	यू-1	270	जन-12	फर-12
			यू-2	270	मार्च-12	मार्च-13
झारखंड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	मेसर्स कॉपोरेट पावर लि.	यू-1	270	मई-12	नवं-12
			यू-2	270	जून-12	फर-13
झारखंड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	मेसर्स कॉपोरेट पावर लि.	यू-3	270	फर-13	जन-13
			यू-4	270	मार्च-13	अग-13
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	यू-1	600	जून-13	जून-14
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	यू-2	600	जन-14	अग-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	दिसं-11	फर-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-2	270	दिसं-11	जून-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-3	270	जन-12	अग-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-4	270	फर-12	दिसं-13
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-5	270	मार्च-12	मार्च-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-1	270	जुल-14	जुल-14

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-2	270	अग-14	अग-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-3	270	नवं-14	नवं-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-4	270	जन-15	जन-15
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-5	270	मार्च-15	मार्च-15
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	यू-1	270	दिसं-11	दिसं-12
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.)लि.	यू-1	300	फर-12	मार्च-13
			यू-2	300	मई-12	जून-13
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	यू-1	300	नवं-11	नवं-12
			यू-2	300	फर-12	मार्च-13
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	यू-1	60	नवं-10	अग-12
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-1	660	जन-14	अप्रै-14
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-2	660	मई-14	अग-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	फर-12	फर-13
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-2	270	अप्रै-12	जून-13
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-3	270	जून-12	नवं-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-4	270	अग-12	जन-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-5	270	अक्टू-2	मार्च-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-1	270	अप्रै-13	जुल-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-2	270	जून-.13	अग-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-3	270	अग-13	नवं-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-4	270	अक्टू-13	जन-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	यू-5	270	दिसं-13	मार्च-15
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-1	660	अप्रै-.11	अग-12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-2	660	जुल-11	नवं-12
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-1	660	अक्टू-11	दिसं-12

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-2	660	जून-12	फर-13
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-3	660	अक्टू-12	नवं-13
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी	यू-1	600	अप्रै-13	दिसं-13
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी	यू-2	600	अग-13	अप्रै-14
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं.लि.	यू-2	250	नवं-11	अप्रै-13
मध्य प्रदेश	गोंरगीटीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर	यू-1	660	जून-13	फर-15
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	यू-1	600	जून11	अप्रै-13
			यू-2	600	दिसं-11	जून-13
मध्य प्रदेश	नीगरी टीपीपी	जय प्रकाश पावर वेंचर्स लि.	यू-1	660	जून-13	जून-13
			यू-2	660	दिसं-13	दिसं-13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-1	660	मई-13	मई-13
			यू-2	660	दिसं-13	दिसं-13
			यू-3	660	जुल-14	जुल-14
			यू-4	660	फर-15	फर-15
			यू-5	660	अग-15	अग-15
			यू-6	660	अप्रै-16	अप्रै-16
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-I	झबुआ	यू-1	600	मार्च-13	अक्टू-14
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआइटीपीएल	यू-1	600	मार्च-12	अग-13
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआइटीपीएल	यू-2	600	जून-12	दिसं-13
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	यू-1	350	अग-11	फर-13
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	यू-2	350	दिसं-11	मार्च-13
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	यू-1	350	नवं-11	नवं-12
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	यू-2	350	दिसं-11	मार्च-13
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	यू-3	350	फर-12	जुल-13
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	यू-1	350	दिसं-11	फर-14

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	यू-2	350	जन-12	दिसं-14
ओडिशा	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	यू-3	350	मार्च-12	जन-15
ओडिशा	लैंको बबंध टीपीपी	लैंको बबंध पावर लि.	यू-1	660	अप्रै-13	मार्च-14
			यू-2	660	अग-13	मई-14
ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	एनपीसीएल	यू-1	525	दिसं-12	अप्रै-14
पंजाब	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर	यू-1	270	अप्रै-13	अप्रै-13
पंजाब	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर	यू-2	270	अक्टू-13	अक्टू-13
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-1	700	जन-14	जन-14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-2	700	मार्च-14	मार्च-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट	यू-1	660	अक्टू-12	दिसं-13
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट	यू-2	660	जन-13	अप्रै-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट	यू-3	660	मई-13	जून-14
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	यू-1	660	दिसं--12	मार्च-13
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदानी पावर लि.	यू-2	660	मार्च-13	मई-13
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जेन	यू-1	600	फर-12	फर-13
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जेन	यू-2	600	मार्च-12	मार्च-13
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी (इंड-बराथ टीपीपी)	आईबीपीएल	यू-1	660	मार्च-12	जन-15
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	यू-1	660	फर-14	फर-14
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	यू-2	660	जुल-14	जुल-14
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	जेपी पावर	यू-3	660	दिसं-14	दिसं-14
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा.लि.	यू-1	660	अक्टू-14	अग-14
			यू-2	660	फर-15	दिसं-14
			यू-3	660	जून-15	मार्च-15
उत्तर प्रदेश	हल्दीया टीपीपी-I	मेसर्स हल्दीया एनर्जी लि.	यू-1	300	अग-14	अग-14
			यू-2	300	नवं-14	नवं-14

विवरण-VI

निजी क्षेत्र की निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट और उससे ऊपर)
(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को छोड़कर) के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टीईसी/स्वीकृति तिथि	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित कमीशनिंग
1	2	3	4	5	6
	निजी क्षेत्र				
1.	महेश्वर 10 × 40 = 400 मे.वा.	03.12.1996	मध्य प्रदेश/एसएमएच-पीसीएल पीसीएल	400	2013-15
2.	चूजाछेन 2 × 49.5 = 99 मे.वा.	30.11.2004	सिक्किम/गति	99	2013-14
3.	तीस्ता-III 6 × 200 = 1200 मे.वा.	12.05.2006	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	1200	2014-15
4.	सोरांग 2 × 50 = 100 मे.वा.	श्रनदम-2006	हिमालच प्रदेश/हिमाचल सोरंग पावर	100	2013-14
5.	टांगू रोमई-I 2 × 22 = 44 मे.वा.	30.11.2007	हिमाचल प्रदेश/टांगू रोमई पावर जेनरेशन	44	2015-16
6.	श्रीनगर 4 × 82.5 = 330 मे.वा.	14.07.2004	उत्तराखंड/मै. जीवीके इंडस्ट्रीज	330	2013-14
7.	फाटा ब्यांग 76 मे.वा.	06.10.2006	उत्तराखंड/मैं. लैनको	76	2013-14
8.	सिंगोली भटवारी 3 × 33 = 99 मे.वा.	11.07.2008	उत्तराखंड/एल एंड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लि.	99	2015-16
9.	टिडोंग-I 2 × 50 = 100 मे.वा.	23.07.2007	हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीवीडू सीड्स	100	2015-16
10.	तीस्ता-IV 4 × 125 = 500 मे.वा.	27.12.2006	सिक्किम/लैनको	500	2015-16
11.	रंगीत-IV 3 × 40 = 120 मे.वा.	06.97.2007	सिक्किम/जल पावर कारपोरेशन लि.	120	2014-15
12.	जोरेथांग लूप 2 × 48 = 96 मे.वा.	26.08.2006	सिक्किम/मै. डैन्स इनर्जी	96	2014-15
13.	भासमे	दिसं-2008	सिक्किम गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51	2014-15

1	2	3	4	5	6
14.	ताशिदिंग $2 \times 48.5 = 97$ मे.वा.	28.03.2011	सिक्किम शिगा इनर्जी प्रा.लि.	97	2017-18
15.	दिक्चू $3 \times 32 = 96$ मे.वा.	21.10.2011	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	96	2017-18
16.	रंगित-II $2 \times 33 = 66$ मे.वा.	10.02.2010	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66	2017-18
17.	रोगनिचू $2 \times 48 = 96$ मे.वा.	01.10.2008	सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	96	2017-18

[हिन्दी]

ग्वाटेमाला में भारतीयों का लापता होना

***292. श्री के.डी. देशमुख:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्वाटेमाला में भारतीय मूल के लगभग 150 लोगों के लापता होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लापता होने वाले अधिकांश व्यक्ति पंजाब और गुजरात के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन लापता लोगों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) जी, हां। (ख) से (ङ) सरकार ने मीडिया रिपोर्ट देख ली हैं, जिनमें जनवरी, 2012 में दिल्ली हवाई अड्डे पर लावारिस भारतीय पासपोर्टों के बरामद होने का उल्लेख किया गया था और यह भी उल्लेख किया गया था कि इन पासपोर्टों पर ग्वाटेमाला के आप्रवासन प्राधिकारी की मुहर लगी थी। इन मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, विदेश मंत्रालय ने ग्वाटेमाला स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया। दूतावास ने इसके तुरंत बाद गवाटेमाला में संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया। ग्वाटेमाला के प्राधिकारियों ने सूचित किया कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। लावारिस पासपोर्टों के ब्यौरे प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं, ताकि ग्वाटेमाला के प्राधिकारी आगे की जांच-पड़ताल कर सकें।

पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों का पलायन

***293. श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के साथ कथित लूटपाट, अपहरण विशेषकर लड़कियों के, तथा उनका धर्म परिवर्तन कराने और उन्हें भारत में लिए मजबूर करने संबंधी घटनाओं से अवगत है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हाल ही में ऐसे कितने हिन्दू तथा सिख परिवारों ने भारत में आने की अनुमति मांगी है/भारत आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने वहां रहने वाले हिन्दुओं और सिखों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेशी मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ङ) सरकार को समय-समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट मिलती रहती है। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न तथा उन्हें धमकाने की घटनाओं की भी रिपोर्ट मिली है।

सरकार ने रिपोर्टें देखी हैं कि वैध वीजा पर भारत आने वाले हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के वीजा की अवधि बढ़ाने तथा उन्हें दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

पाकिस्तान सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों सहित अपने सभी नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे। हालांकि, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौता में एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का विशेष प्रावधान है। इसके बावजूद, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया था। पाकिस्तान सरकार ने यह कहा था कि सरकार को इस स्थिति की जानकारी है तथा वह अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का ध्यान रखती है।

हाल ही में, भारत ने पाकिस्तानी पक्ष को अपहरण, जबरन धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह मुस्लिम व्यक्तियों से किए जाने संबंधी मामलों पर अपनी गंभीर चिंताएं सूचित कर दी है। इस संबंध में 8 मई, 2012 को पाकिस्तान के साथ कार्यवाही की गयी। यह बताया गया कि हमारी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण की देखरेख करेगी और इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पाकिस्तानी पक्ष ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को उठाया है और यह कि पाकिस्तान सरकार सभी अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

हिंदुओं तथा सिखों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है; राष्ट्रीय असेम्बली (संसद का निचला सदन), द सीनेट, प्रांतीय असेम्बली और सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। पाकिस्तान सरकार ने 10 अगस्त, 2012 को एक प्रेस रिलीज में कहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध प्रांत में रह रहे हिंदू परिवारों में असुरक्षा की भावना संबंधी रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है और संबंध प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हिंदुओं की शिकायतों को दूर करें और उन्हें इस संबंध रिपोर्ट सौंपे। राष्ट्रपति जी ने अपनी तथा सरकार की ओर से हिंदुओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और उनकी सुरक्षा में एवं कल्याण के प्रति उन्हें आश्वस्त करने के लिए सिंध के विभिन्न प्रांतों का दौरा करने हेतु तीन संसद सदस्यों की एक समिति भी गठित की है।

[अनुवाद]

72-73

सस्ती एयरलाइनें

***294. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किफायती/सस्ती एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अपार क्षमता होने के बावजूद भी इन कैरियरों की विकास दर कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन एयरलाइनों के समक्ष किस प्रकार की परिचालनात्मक एवं विनियामक बाधाएं आ रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा निकट भविष्य में इन किफायती/सस्ती एयरलाइनों का विकास किस गति से होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) जारी की है, जिसमें अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई है। डी जी सी ए पूर्ण सेवा वाली एयरलाइन और कम लागत वाली एयरलाइन में भेद नहीं करता। सभी श्रेणियों की एयरलाइनों के लिए जारी किया जाने वाला हवाई प्रचालक परमिट एक जैसा होता है। तथापि, यह एयरलाइन पर होता है कि वह अपने कारोबारी मॉडल के आधार पर स्वयं को कम लागत या पूर्ण सेवा वाली एयरलाइन घोषित करे। इस समय, एयर इंडिया, जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस पूर्ण सेवा वाली एयरलाइनों के रूप में प्रचालन करती हैं, जबकि जेटलाइट, स्पाइसजेट, गो एयर और इंडिगो कम लागत वाले वाहकों के रूप में प्रचालन करती हैं।

(ख) जी नहीं। कम लागत वाली एयरलाइनों की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2010 से 2012 तक (जुलाई तक) 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 55.1 प्रतिशत हो चुकी है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनजातियों का विकास

***295. श्री लक्ष्मण टुडु:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित तथा स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संगठन को जनजातियों का विकास करने में किस प्रकार की सफलता मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (31.07.2012 तक) के दौरान ओडिशा सहित उनकी संबंधित अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को सैद्धांतिक रूप से चिह्नित निधियां तथा विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां, वर्षवार तथा राज्यवार संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोजित निधियों के ब्यौरे जिन्हें एनएसटीएफडीसी द्वारा उपयोगिता रिपोर्ट के रूप में प्राप्त किया गया है संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। ये एनएसटीएफडीसी द्वारा ज्यों को संवितरित निधियों के संबंध में है।

(ग) संगठन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातीय लोगों के विकास का अनुसरण कर रहा है। केवल जनजातीय महिलाओं के लिए नामत: आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 4% वार्षिक की दर से रियायती ब्याज दर पर धनराशि प्रदान की जाती है। आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए 6-8% वार्षिक रियायती दर पर 10.00 लाख रु. तक सावधिक ऋण उपलब्ध है। जनजातीय स्वयं सहायता प्राप्त समूहों के लिए 6% वार्षिक दर पर 5.00 रु. तक धनराशि दी जाती है। भारत में पीएचडी सहित तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अन्य योजनाओं में, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना हाल ही में शुरु की गई है और ब्याज सब्सिडी के घटक सहित 6% वार्षिक दर पर 5.00 लाख रु. तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के तहत निगम ने अप्रैल, 2001 में अपनी शुरुआत से लगभग 4.75 लाख अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

एनएसटीएफडीसी की रियाती वित्तीय सहायता राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों (सीएससीए) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संगठन ने 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित), 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ समझौते किए हैं। इस प्रबंध से अनुसूचित जनजातियां एससीए के अलावा लगभग 30,000 बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्त तक पहुंचने में सक्षम हुई हैं।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 (31.07.2012 तक) के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा चिह्नित एवं स्वीकृत वर्षवार, राज्यवार निधियां

(लाख रुपए में)

क.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		चिह्नित निधियां	स्वीकृत निधियां	चिह्नित निधियां	स्वीकृत निधियां	चिह्नित निधियां	स्वीकृत निधियां	चिह्नित निधियां	स्वीकृत निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	878.00	0.00	885.00	0.00	935.00	0.00	1026.00	0.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हिमाचल प्रदेश	124.00	145.05	125.00	198.20	131.00	596.09	145.00	0.00
4.	असम	580.00	0.00	585.00	50.30	616.00	403.10	676.00	638.80
5.	बिहार	132.00	0.00	135.00	0.00	141.00	0.00	155.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	1152.00	1407.27	1168.00	1286.92	1232.00	1653.15	1351.00	0.00
7.	दादरा और नगर हवेली	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8.	गोवा	50.00	47.92	50.00	6.57	50.00	0.00	50.00	0.00
9.	गुजरात	1300.00	1711.67	1321.00	3606.25	1393.00	5842.80	1528.00	4000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	50.00	108.00	50.00	8.92	50.00	49.86	50.00	13.05
11.	जम्मू और कश्मीर	190.00	454.70	195.00	416.20	206.00	221.00	226.00	0.00
12.	झारखंड	1235.00	73.95	1251.00	444.04	1320.00	605.55	1447.00	0.00
13.	कर्नाटक	605.00	2632.45	612.00	2792.04	645.00	3093.30	707.00	1528.75
14.	केरल	100.00	148.95	100.00	198.75	100.00	154.40	100.00	0.00
15.	लक्षद्वीप	50.00	9.08	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
16.	मणिपुर	174.00	0.00	172.00	0.00	182.00	0.00	200.00	0.00
17.	महाराष्ट्र	1490.00	1860.89	1515.00	1679.95	1597.00	479.00	1752.00	1109.06
18.	मेघालय	348.00	383.52	352.00	133.79	371.00	218.82	407.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	2130.00	2650.01	2160.00	2297.13	2278.00	2304.00	2498.00	0.00
20.	मिजोरम	148.00	0.00	150.00	0.00	156.00	5.60	171.00	0.00
21.	नागालैंड	305.00	202.37	313.00	1285.44	330.00	314.46	362.00	91.92
22.	ओडिशा	1415.00	282.80	1440.00	0.00	1517.00	157.42	1663.00	56.42
23.	राजस्थान	1235.00	65450	1253.00	833.61	1322.00	1292.60	1450.00	633.60
24.	सिक्किम	50.00	805.50	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
25.	तमिलनाडु	115.00	0.00	115.00	0.00	121.00	0.00	133.00	0.00
26.	त्रिपुरा	174.00	485.42	175.00	297.20	185.00	1432.50	203.00	0.00
27.	उत्तराखंड	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	50.00	0.00	50.00	6.88	50.00	0.00	50.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	770.00	1360.37	778.00	274.60	822.00	453.80	900.00	129.00
	कुल	15000.00	15424.42	15200.00	15816.79	16000.00	19277.45	17500.00	8200.60

टिप्पणी 1. आंध्र प्रदेश के मामले में, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य निधियां का लाभ नहीं उठा रहा है।

2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, मणिपुर, दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के मामले में, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 (31.07.2012 तक) के दौरान किए गए संवितरण की तुलना में प्राप्त उपयोगिता रिपोर्टों की वर्षवार, राज्यवार स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		संवितरण	उपयोगिता	संवितरण	उपयोगिता	संवितरण	उपयोगिता	संवितरण	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	128.68	128.68	137.03	137.03	288.61	187.11	9.82	
2.	असम	0.00	0.00	46.80	46.80	406.60	344.15	638.80	
3.	छत्तीसगढ़	838.35	649.66	961.48	717.50	1557.30	0.00	0.00	
4.	गोवा	47.92	47.92	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	
5.	गुजरात	1249.94	1249.94	1493.68	1493.68	3446.79	3141.49	0.00	
6.	हिमाचल प्रदेश	71.73	71.73	5.14	5.14	4.93	4.93	20.00	
7.	जम्मू और कश्मीर	341.90	215.93	0.00	0.00	61.20	0.00	0.00	
8.	झारखंड	124.87	124.87	459.69	398.50	255.77	223.51	0.00	
9.	कर्नाटक	1083.23	923.98	1007.37	59.57	1475.20	49.87	0.00	
10.	केरल	15.30	15.30	163.32	163.32	80.38	80.38	34.68	
11.	महाराष्ट्र	809.24	673.85	1682.36	1016.86	0.00	0.00	0.00	अभी उपयोगिता देय नहीं
12.	मेघालय	383.52	383.52	83.98	83.98	125.03	125.03	68.08	
13.	मध्य प्रदेश	1079.58	750.29	969.57	597.30	102.98	44.98	0.00	
14.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	
15.	नागालैंड	146.77	127.92	1357.68	1357.68	229.45	144.56	55.26	
16.	ओडिशा	245.85	207.34	0.00	0.00	157.42	157.42	5.12	
17.	राजस्थान	322.28	320.66	409.17	353.33	886.21	70.58	424.40	
18.	सिक्किम	406.50	406.50	0.00	0.00	192.75	192.75	0.00	
19.	त्रिपुरा	320.15	320.15	358.87	358.87	1581.10	1411.48	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	
21.	पश्चिम बंगाल	759.78	564.10	368.50	337.90	453.80	207.90	129.00	
	कुल	8375.59	7182.34	9518.09	7140.91	11306.92	6386.14	1385.16	0.00

टिप्पणी एससीए को संवितरण के 210 दिनों के अंदर एनएसटीएफडीसी को उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 31.12.2011 तक निर्मुक्त निधियां उपयोगिता के लिए देय है तथा इसके पश्चात निर्मुक्त निधियां उपयोगिता रिपोर्टों की प्रस्तुति के लिए देय नहीं हैं।

*: अन्य राज्यों को संवितरण के संबंध में एनएसटीएफडीसी निधियां/मानदंडों की अनुपालना के लिए निर्मुक्ति हेतु अनुरोध की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी] 79-86

महिला और बच्चों के लिए योजनाएं

***296. श्री कमल किशोर 'कमांडो':**
कुमारी सरोज पांडेय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनाथ, बेसहारा/निराश्रित बच्चों तथा विधवाओं, तलाकशुदा एवं विशेषकर अकेले रहने वाली महिलाओं की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे वंचित समूह के पुनर्वास तथा इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय और अनय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या ऐसी महिलाएं/बच्चे यौन शोषण सहित विभिन्न प्रकार के शोषणों का शिकार होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) अनाथ, बेघर/निराश्रित बच्चों और विधवा, तलाकशुदा एवं एकल महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है:

(i) समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस): आईसीपीएस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ अनाथ, बेघर/निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों हेतु गृहों; विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों एवं मुक्त आश्रयों की स्थापना एवं उनके रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्समेकन के लिए मुक्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम में दत्तक ग्रहण, प्रयोजन एवं पालन-पोषण के मध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संवेदनशील बच्चों की जरूरतों का अभिनिर्धारण करने के साथ-साथ उनके लिए सेवाओं की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए इस स्कीम में राज्य एवं जिला सतर पर समर्पित सेवा प्रदायगी अवसंरचना की स्थापना का भी प्रावधान है। वर्ष 2011-12 के दौरान, विभिन्न प्रकार के 802 गृहों, 196 विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों तथा 121 मुक्त आश्रयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आईसीपीएस के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त राशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) स्वाधार एवं अल्पावास गृह स्कीम: आश्रय आधारित ये दोनों स्कीमें कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को, जिनके पास सामाजिक/ पारिवारिक समर्थन अथवा आय का स्वतंत्र साधन नहीं होता है, आपातकालीन पहुंच सेवाएं प्रदान करती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, परामर्श आदि प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, देश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 311 स्वाधार गृह एवं 353 अल्पावास गृह चलाए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों को इन स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त राशि

का राज्य-वार एवं वर्ष-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और इस मंत्रालय की इन गृहों में बच्चों एवं महिलाओं के यौन दुर्व्यवहार/उत्पीड़न सहित दुर्व्यवहार/शोषण की कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। बच्चों के मामलों में, संबंधित राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों से उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है। हाल ही में दो स्वाधार गृह बंद कर दिए गए और एक गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाला गया।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को सभी गृहों में सर्वोत्तम देखभाल प्राप्त हो और ये दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा के शिकार न हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सभी बाल देखरेख संस्थानों को समय-समय पर अभिनिर्धारित करने और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत करने और अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए नियमों में यथा अधिदेशित राज्य एवं जिला स्तरीयस्तर निरीक्षण समितियों सहित मानीटरन तंत्र की स्थापना करने के लिए जोर देकर कहता रहा है।

विवरण-I

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों में)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	504.49	902.54	2038.24
2.	असम	129.92	301.79	-
3.	बिहार	-	604.58	115.22
4.	छत्तीसगढ़	206.13	-	-
5.	गुजरात	269.42	490.54	626.37
6.	हरियाणा	25.89	371.86	147.29
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	314.47
8.	झारखण्ड	-	-	420.67
9.	कर्नाटक	203.11	381.67	1410.91
10.	केरल	149.16	320.21	333.33
11.	मध्य प्रदेश	481.62	-	240.31
12.	महाराष्ट्र	-	3730.28	1174.79
13.	मणिपुर	105.42	202.29	216.16
14.	मेघालय	-	102.13	211.25
15.	मिजोरम	-	195.36	225.46
16.	नागालैण्ड	190.12	-	942.51

1	2	3	4	5
17.	ओडिशा	146.42	545.38	546.98
18.	पंजाब	-	-	574.65
19.	राजस्थान	225.07	332.47	566.55
20.	सिक्किम	-	-	88.94
21.	तमिलनाडु	193.12	447.65	1276.56
22.	त्रिपुरा	-	221.40	198.38
23.	उत्तर प्रदेश	-	-	2142.25
24.	पश्चिम बंगाल	500.86	186.83	1205.52
25.	चंडीगढ़	-	-	17.96
26.	दिल्ली	-	237.29	341.93
27.	पुदुचेरी	-	107.22	-
28.	चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन, मुम्बई	932.98	1789.90	2316.37

विवरण-II

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत एवं निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों में)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	397.02	581.33	557.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.66	3.78	14.48
3.	असम	118.62	286.40	231.33
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.35	-	-
5.	बिहार	84.77	86.79	57.50
6.	चंडीगढ़	3.72	5.35	4.29
7.	छत्तीसगढ़	7.81	54.31	30.40
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	7.21

1	2	3	4	5
9.	दिल्ली	2.75	15.59	15.44
10.	गुजरात	15.08	63.57	40.95
11.	गोआ	–	–	0.45
12.	हरियाणा	21.91	103.18	112.43
13.	झारखण्ड	16.57	36.87	31.62
14.	जम्मू और कश्मीर	22.59	34.67	26.14
15.	कर्नाटक	420.86	531.80	562.23
16.	केरल	41.51	62.75	64.85
17.	मध्य प्रदेश	162.55	283.24	211.86
18.	महाराष्ट्र	301.30	719.80	643.90
19.	मणिपुर	105.55	252.94	246.59
20.	मिजोरम	6.07	4.34	13.35
21.	नागालैण्ड	11.86	41.10	31.41
22.	ओडिशा	388.65	775.73	739.04
23.	पंजाब	10.90	23.07	41.59
24.	पुदुचेरी	4.26	–	24.27
25.	राजस्थान	4.20	78.26	132.23
26.	सिक्किम	3.55	5.16	5.26
27.	त्रिपुरा	348.72	513.38	509.92
28.	उत्तर प्रदेश	17.12	27.97	39.79
29.	उत्तराखंड	398.43	826.84	833.96
30.	पश्चिम बंगाल	47.44	102.70	93.94
	कुल	253.91	343.91	464.91

85-89

केन्द्रीय विद्युत कानूनों में संशोधन

*297. **श्री विश्व मोहन कुमार:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लागू की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्दीय कानूनों में संशोधन करने या उनके निरसन का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम् 2003 के अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई इसकी नीतियों और विनियमों से विद्युत क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और क्षेत्र में संतुलित विकास करने के समग्र उद्देश्य के साथ व्यापक सुधार हुए हैं। अधिनियम में जिस सुधार क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थीं- विद्युत उत्पादन को लाइसेंस रहित करना तथा विद्युत का प्रापण प्रतिस्पर्धात्मक बोली से करना, कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उदार प्रावधान, पारेषण/वितरण प्रणलियों में खुली पहुंच, विद्युत में व्यापार, राज्य विद्युत बोर्डों की अनबंडलिंग करना, विद्युत अपील अधिकरण, विनियामक मंच, उपभोक्ता शिकायत सुनवाई मंच, लोकपाल तथा समन्वय मंच इत्यादि की स्थापना। चूंकि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अत: सरकार/उपयुक्त आयोग समय-समय पर इस संबंध में नियम एवं विनियम बनाते हैं। कुछ सुधार संबंधी उपायों का उद्धरण सार संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, सरकार ने आर-एपीडीआरपी, राष्ट्रीय विद्युत कोष जैसी स्कीमें प्रारंभ की हैं और वितरण कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग तंत्र को अंतिम रूप दिया है। इसी प्रकार से, दीर्घावधि, मध्यावधि तथा अल्पावधि के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत के प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण के लिए दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज़ तैयार किए हैं। चलती रहने वाली सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम् 2003 के सुधारों की जांच तथा सिफारिश, यदि कोई हो तो, करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति कठित की है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सुधार संबंधी उपायों का उद्धरण

- **विद्युत उत्पादन को लाइसेंस रहित करना:** विद्युत प्रापण के लिए उत्पादन को लाइसेंस रहित करने तथा साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली से उत्पादन परियोजनाओं में निवेश तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क में सहूलियत हुई है। केंद्र सरकार ने अधिनियम का धारा 63 के अंतर्गत, इस संबंध में वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के दीर्घावधि एवं मध्यावधि प्रापण के लिए, दिशा-निर्देश तथा मानक बोली दस्तावेज़ जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने हाल ही में विद्युत के अल्पावति प्रापण (एक साल से कम से लिए) के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- **कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए उदार प्रावधान:** कैप्टिव उत्पादन को निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उदार बनाया गया है। कैप्टिव विद्युत उत्पादन से अत्यधिक लाभ हुआ है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की काफी मात्रा में अधिशेष विद्युत को विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से बेचा जा रहा है। इस प्रकार से, व्यापक मात्रा में गुप्त क्षमता बाजार में आई है। ये विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत बाजार की सघनता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक विकास हैं।

- **पारेषण/वितरण प्रणालियों में खुली पहुंच:** अंतर-राज्य स्तर पर खुली पहुंच पूरी तरह से प्रचालनात्मक है। राज्य स्तर पर, विनियामक सचिवालय मंच के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 एसईआरसी (राज्य विद्युत विनियामक आयोग) ने खुली पहुंच विनियमों की निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित कर दी हैं। 20 एसईआरसी ने क्रॉस सब्सिडी प्रभार निर्धारित कर दिए हैं। 25 एसईआरसी ने 1 मेगावाट तथा इससे अधिक के लिए खुली पहुंच की अनुमति दे दी है, 22 एसईआरसी ने पारेषण प्रभार निर्धारित कर दिए हैं तथा 18 एसईआरसी ने वहीलिंग प्रभार निर्धारित कर दिए हैं।

- **विद्युत का व्यापार:** विद्युत के व्यापार को सीईआरसी (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग) की बाजार विकास पहलों से बल मिला है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज तथा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड देश की दो प्रचालनात्मक विद्युत एक्सचेंज हैं जो अल्पावधि विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाकर देश में विद्युत बाजार की स्थापना में सहायता कर रही हैं।

- 25 राज्यों में सीजीआरएफ नियुक्त किए जा चुके हैं तथा 26 राज्यों में लोक पाल नियुक्त किए जा चुके हैं।

- **राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) की अनबंडलिंग:** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अंतर्गत, देश में

राज्य विद्युत बोर्डों को उत्पादन, पारेषण तथा वितरण खंडों में पृथक निकाय के लिए पुनर्गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज तक, 18 एसईबी पुनर्गठित किए जा चुके हैं। इससे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न कार्यों का और अधिक यथार्थ लेखा रखने और अनबंडल्ड यूटिलिटियों के बीच वाणिज्यिक अनुकूलता लाने में सहायता मिली है।

- **अपील अधिकरण की स्थापना:** सीईआरसी तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के निर्णय के विरूद्ध अपीलों का निपटान करने के लिए अपील अधिकरण स्थापित किया गया है ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटान हो सके।
- **विनियामकों के मंच का गठन:** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में फरवरी, 2005 में अधिसूचना द्वारा विनियामक मंच का गठन किया गया था।
- केंद्र सरकार ने देश में विद्युत प्रणाली के सहज तथा समन्वित विकास के लिए 19.2.2008 को विद्युत अधिनियम की धारा 166(1) के अनुपालन में समन्वयन मंच का गठन किया है।
- भारत सरकार ने 10.1.2010 से राष्ट्रीय भार प्रेषण कार्यों, जिनका प्रबंध पहले पावरग्रिड द्वारा किया जा रहा था, के प्रबंध के लिए विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम का गठन किया है।

बच्चों की दृष्टि पर कम्प्यूटर के उपयोग का दुष्प्रभाव

***298. श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कतिपय ऐसी रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें कहा गया है कि कम्प्यूटर की स्क्रीन को ज्यादा समय तक देखने तथा मोबाइल गेमों के अधिक उपयोग के कारण बच्चों की आंखों में तकलीफ, थकावट, सिर दर्द, देखने में धुंधलापन तथा निकट दृष्टिता सहित आंखों की अन्य समस्याएं हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में कम्प्यूटर तथा मोबाइल गेमों के अधिक उपयोग के कारण अनुमानत: कितने बच्चों की आंखें कमजोर हो गई हैं और उन्हें आंखों की अन्य समस्याएँ हो गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत सरकार के नोडल एजेंसी को भारत में बच्चों की नेत्रदृष्टि पर कम्प्यूटर के इस्तेमाल के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित किसी विशिष्ट रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अध्ययनों में पाया गया है। कि अधिकांश कंप्यूटर कार्यकर्ता कुछ नेत्र अथवा नेत्रदृष्टि संबंधी रोग लक्षणों का अनुभव करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये समस्याएं आंखों पर अत्यधित जोर देने वाले अन्य पेशों के कार्यकताओं की अपेक्षा कंप्यूटर कार्यकर्ताओं में अधिक होती हैं या नहीं। अमेरिकन आप्टोमेट्रिक एसोसिएशन में अनुसार दृष्टिमिति (आप्टोमेट्री) के डॉक्टरों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें 14% से अधिक रोगियों में कंप्यूटर कार्य के परिणामस्वरूप नेत्र अथवा नेत्रदृष्टि संबंधी रोग लक्षण पाए गए। सर्वाधिक सामान्य रोग लक्षण आंखों में तनाव, सिरदर्द, धुंधली दृष्टि तथा गर्दन या कंधे में दर्द हैं।

कंप्यूटरों तथा मोबाइल गेम्ज के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण से उत्पन्न नेत्र संबंधी समस्या वाले बच्चों की अनुमानित संख्या के संबंध में आईसीएमआर या स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***299. श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य:-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है;

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी हेतु

नियोजित स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं (वैयक्तिक/एजेंसी) का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा इनकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) क्या देश में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है/जिन्हें पूरी तरह से विद्युतीकृत नहीं किया गया है;

(घ) यदि हो, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 1,10,889 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण तथा 3,43,285 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई के चरण–I में 576 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। 15.08.2012 तक इनमें से, 1,05,550 यूईवी तथा 2,68,196 पीईवी में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, 1909 यूईवी तथा 53,505 पीईवी के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी 72 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। यूईवी तथा पीईवी के विद्युतीकरण के राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) 11वीं योजना क परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबोधक के रूप में पांच स्वतंत्र ऐजेंसियों अर्थात मैसर्स इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लि., नई दिल्ली, मैसर्स मेधाज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राईवेट लि., लखनऊ, मैसर्स शन्धाला पावर लि., कर्नाटक, मैसर्स कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (सीईएस), कोलकाता तथा मैसर्स वापकोस लि., गुड़गांव को नियुक्त किया गया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत तथा फील्ड सर्वे के अनुसार संशोधित डीपीआर के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1,12,795 थी जिसमें से 1,05,550 गांवों में कार्य पूरे किए जा चुके हैं। विद्युत मंत्रालय ने योजना आयोग को प्रस्तावित किया है कि 12वीं योजना में, शेष बचे सभी गांवों/वासस्थलों को शमिल करने के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखा जाए।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत यूईवी और पीईवी के विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा

15.08.2012 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण	
		कवरेज**	उपलब्धि	कवरेज**	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	27477	26324
2.	अरूणाचल प्रदेश	2106	1405	1760	864
3.	असम	8326	7937	12984	11949
4.	बिहार	23850	22396	19244	4716
5.	छत्तीसगढ़	1594	925	17291	11256
6.	गुजरात	0	0	17667	16291

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	0	0	6533	4687
8.	हिमाचल प्रदेश	95	79	10650	1059
9.	जम्मू और कश्मीर	239	162	4442	2533
10.	झारखंड	19071	18040	7106	5666
11.	कर्नाटक	61	61	28504	24620
12.	केरल	0	0	1272	67
13.	मध्य प्रदेश	843	539	49537	20723
14.	महाराष्ट्र	0	0	41739	36713
15.	मणिपुर	882	616	1378	472
16.	मेघालय	1866	1332	3239	1837
17.	मिजोरम	137	94	570	346
18.	नागालैंड	105	82	1140	963
19.	ओडिशा	14715	14254	29324	22593
20.	पंजाब	0	0	11840	0
21.	राजस्थान	4339	4033	34830	31110
22.	सिक्किम	25	25	418	381
23.	तमिलनाडु	0	0	10738	9673
24.	त्रिपुरा	148	128	658	536
25.	उत्तर प्रदेश	28439	27762	22980	2982
26.	उत्तराखंड	1512	1511	9160	9028
27.	पश्चिम	4442	4169	24309	20807
	कुल	112795	105550	396790	268196

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, राज्य सरकारों ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अपनी डीपीआर में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांव को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

**आरजीजीवीवाई के चरण–II के अंतर्गत 72 स्वीकृत परियोजनाओं के 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव (यूईवी) और 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (पीईवी) शामिल हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) की प्रगति रिपोर्ट (31.07.2012 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एजेंसी का नाम	एनक्यूएम का स्कोप		निरीक्षित गांवों की संख्या	निरीक्षित उपकेंदों की संख्या	एनक्यूएम द्वारा पाए गए दोष	परियोजना कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा दोषी में सुधार किया गया
			गांव	उपकेंद्र				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	मै. इंटरटेक	58	1	31	1	264	211
2.	पंजाब		118	1	0	0	0	0
3.	हरियाणा		49	0	22	0	93	10
4.	महाराष्ट्र		362	2	228	2	1277	0
5.	राजस्थान		220	0	150	0	585	163
6.	बिहार		127	28	64	11	481	105
7.	झारखंड		144	17	91	8	556	415
8.	ओडिशा		375	42	246	16	2014	921
9.	तमिलनाडु		102	0	102	0	1038	260
10.	पश्चिम बंगाल		238	5	122	0	768	245
11.	अरूणाचल प्रदेश		33	9	11	0	26	0
12.	मिजोरम	मै. शांथला	6	4	2	0	0	0
13.	सिक्किम		3	0	2	0	12	0
14.	हिमाचल प्रदेश		98	2	0	0	0	0
15.	गुजरात	मे.मेघाज	157	0	115	0	556	208
16.	मध्य प्रदेश		248	10	37	0	103	0
17.	छत्तीसगढ़		141	14	80	5	62	54
18.	असम	मै.वैपकॉस	185	17	140	9	98	44
19.	कर्नाटक		66	9	49	0	588	138
20.	जम्मू और कश्मीर		37	8	9	2	75	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	मणिपुर		19	9	2	0	0	0
22.	मेघालय	मै.सीईएस	42	3	4	0	33	33
23.	नागालैंड		10	11	7	3	128	0
24.	त्रिपुरा		8	4	3	0	12	0
25.	केरल	एनए	एनक्यूएसम की नियुक्ति नहीं					
	कुल योग		2846	196	1517	57	8769	2838

*एनक्यूएम द्वारा इंगित देश में कुल डिफेक्ट्स 8769 हैं (जोकि छोटे प्रकार के हैं) इनमें से 2838 डिफेक्ट्स को पीआईए द्वारा सुधार दिया गया है।

[अनुवाद] 97-1~~52~~ 99

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का निःशुल्क उपचार

***300. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों/सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में मानसिक रोग या मधुमेह से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ ऐसे अस्पतालों के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सरकारी अस्पतालों में मानसिक विकार या मधुमेह सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, प्रमुख जानलेवा रोगों से ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को किसी भी सरकारी अस्पताल/संस्थानों तथा सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पतालों और संस्थानों से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) से वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में मानसिक विकारों तथा मधुमेह को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उस सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को "एक बारगी अनुदान" के रूप में जारी की जाती है जहां उपचार प्राप्त किया जाता रहा है।

इसके अलावा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को, एपीएल या बीपीएल के स्तर का विचार किए बिना उनके उपचार के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक घटक, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 123 जिलों को धनराशि प्रदान की गई है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार निःशुल्क अथवा अत्यंत नाममात्र के शुल्क पर होता है। इस योजना के तहत मानसिक विकार से ग्रस्त निर्धनता रेखा से नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों/सुपर स्पेशियलिटीज अस्पतालों को कोई अतिरिक्त/अनन्य धनराशि नहीं जारी की गई है।

केन्द्रीय सरकार मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के भार में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-12 के दौरान 21 राज्यों के 100 चुनिंदा जिलों में बीपीएल व्यक्तियों सहित सभी लोगों के लिए कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) का भी कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप-केन्द्रों पर 30 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों की मधुमेह एवं अतिरिक्त

चाप के लिए जांच की जाती है। संदिग्ध रोगियों को आगे की पुष्टि/उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, निर्धनता रेखा से नीचेक के रोगियों को उपचार मुफ्त प्रदान किया जाता है। इन अस्पतालों में विशेष तौर पर मधुमेह तथा मानसिक विकार से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की जाती है तथा ऐसे उपचार पर होने वाले व्यय को इन अस्पतालों के समग्र संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाता है।

99-102

लौह अयस्क का मूल्य

***301. श्री रतन सिंह:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चीन को कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना रहा;

(ख) लौह अयस्क के कुल निर्यात में चीन को निर्यात किए गए लौह अयस्क का हिस्सा कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चीन को निर्यात किए गए लौह अयस्क के मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में घरेलू उद्योगों के लिए आपूर्ति किए गए लौह अयस्क का मूल्य कितना रहा; और

(ङ) इस संबंध में भिन्न-भिन्न मूल्य होने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन में निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा कीमत नीचे दी गई है:

(मात्रा मिलियन टन में; कीमत करोड़ रुपए में)

2009-10		2010-11 (अनंतिम)		2011-12 (अनंतिम)	
मात्रा	मूल्य (अनुमानित)	मात्रा	मूल्य (अनुमानित)	मात्रा	मूल्य (अनुमानित)
109.30	38383.59	89.73	38001.11	57.73	31764.63

(स्रोत : एमएमटीसी)

नोट:- वर्तमान वर्ष के लिए लौह अयस्क के निर्यात संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन को लौह अयस्क का कुल निर्यात, जिसमें अधिकतर फाइन्स है, वह पिछले तीन वर्षों में कुल निर्यातित लौह अयस्क का 92% अनुमानित है।

(ग) चीन को निर्यातित लौह अयस्क (63% एफई ग्रेड फाइन्स) का निर्यात मूल्य का माहवार तथा वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लौह अयस्क का माहवार निर्यात मूल्य (प्रति टन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवंबर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2009-10	48	52	61	68	68	67	68	72	77	90	93	104
2010-11	162	138	122	122	130	125	130	148	150	155	174	160
2011-12	164-165	162-164	159-163	162-164	164-166	160-168	127-158	111-133	124-132	129-132	130-133	130-132
2012-13	135	126	124	116								

(स्रोत: एमएमटीसी)

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान (लम्प्स तथा फाइंस के लिए) मार्च माह में पिटहैड पर लौह अयस्क (62 से 65% एफई ग्रेड) का अखिल भारतीय औसत विक्रय मूल्य नीचे दिया गया है:

(प्रति टन रुपए में)

लौह अयस्क का प्रकार	मार्च, 2010	मार्च, 2011	मार्च, 2012
लम्प्स	1861	3863	5496
फाइन्स	1461	2435	2385

लौह अयस्क की कीमतें जहां वैश्विक बाजार स्थितियों से निर्धारित होती हैं वहीं चीन को निर्यातित और भारत में घरेलू खपत के लिए उपलब्ध फाइन्स के बीच मूल्य अंतर मुख्यत: इस तथ्य के कारण होता है कि देश में लौह अयस्क फाइन्स की मांग सीमित है। तथापि देश में उपलब्ध अप्रयुक्त फाइन्स की चीन में अच्छी मांग है, जिससे उन फाइन्सों के लिए ऊंची कीमतें मिलती हैं।

बाल विकास सूचकांक (चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स)

***302. श्री सुरेश कलमाडी:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक गैर-सरकारी संगठन 'सेव दि चिल्ड्रन' द्वारा जारी 'चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स' के संबंध में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) एक गैर सरकारी संगठन "बालक बचाओ" द्वारा जारी की गई बाल विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक पर बाल स्वास्थ्य (पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर), शिक्षा (प्राथमिक स्कूल नामांकन) और पोषण (पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन) के आधार पर भारत का सूचकांक 23.46 है और 141 देशों में भारत का स्थान 112वां है। इसमें वर्ष 2005 से 2010 तक के आंकड़े दर्शाएं गए हैं। रिपोर्ट में उपर्युक्त मानदंडों पर उनके सीडीआई स्कोर के अनुसार देशों को स्थान दिया गया है। जिस देश का स्कोर कम है, वह बेहतर है। रिपोर्ट में दी गई शीर्ष 10 देशों की सूची और सबसे नीचे 10 देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है।

(ग) रिपोर्ट देश में बाल विकास में सुधार दर्शाती है। वर्ष 1995-99, 2004-04 और 2005-10 में भारत का सीडीआई स्कोर क्रमश: 31.22, 28.72 और 23.46 था। स्कोर में उल्लेखनीय और लगातार गिरावट दर्शाता है।

(घ) कुपोषण एक जटिल, बहुआयामी और पीढ़ी पर चलने वाली समस्या है और इसके विभिन्न कारण है। कुपोषण का समाधान करने के लिए द्विआगामी दृष्टिकोण अपनाया गया है : पहला दृष्टिकोण, सभी क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों में पोषण लक्षित करने में कुपोषण निर्धारकों पर त्वरित कार्रवाई के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष और विशिष्ट उपाय हैं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री माताओं जैसे असुरक्षित वर्गों के प्रति लक्षित विशिष्ट उपाय हैं।

सरकार ने देश में कुपोषण की समस्या को प्राथमिकता दी है और कुपोषण के कारकों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण वाले अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष लक्षित उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि

शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में पोषण की एक या अन्य पहलू का समाधान करने की क्षमता है और इनका क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कारगर मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देख-रेख उपाय करता है जिसमें रक्ताल्पता के निवारण और उपचार हेतु गर्भवती और धात्री महिलाओं को आयरन और फोलिक एसीड अनुपूर्ण सहित प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव पश्च देखरेख शामिल है; गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थाओं में प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना; माताओं और बच्चों के लिए सेवा प्रदायगी का मानीटरन करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ और बाल संरक्षण कार्ड; मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए और स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस; एक नई पहल अर्थात् जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन सहित बिलकुल निशुल्क प्रसव का हक दिया जाता है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अलावा, प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 का क्रियान्वयन किया जाता है। प्राथमिक स्कूल में वर्ष 2010-11 के लिए वर्तमान नामांकन 13.52 करोड़ है।

103-04

'नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन' से मान्यता-प्राप्त अस्पताल/संस्थान

***303. श्री सोमेन मिश्राः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे देश में 'नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन' से मान्यता प्राप्त अस्पतालों/संस्थाओं में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एनबीई अस्पतालों/संस्थानों में एनबीई से मान्यता प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिस्तर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पूरे देश में ऐसे अस्पतालों/संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनबीई से मान्यता प्राप्त ऐसे अस्पतालों/संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने मान्यता प्राप्त करने संबंधी मार्ग-निर्देशों के अनुसार मूल चिकित्सा अनुसंधान किए हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जामिनेशन (एनबीई) ने प्रत्यापन (एक्रीडिटेशन) के लिए न्यूनतम मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनके अनुसार आवेदन अस्पतालों/संस्थानों के पास किसी एकल कैम्पस में अपेक्षित अवसंरचना के साथ निर्धारित संख्या में बिस्तर होने चाहिए। एनबीई द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन केवल तीन वर्षों के लिए होता है तथा अस्पतालों/संस्थानों को प्रत्यापन का नवीरकण करवाने के लिए 3 वर्ष की समाप्ति पर पुनः आवेदन करना होता है। उन मामलों में जहां बिस्तर क्षमता सहित न्यूनतम अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, वहां प्रत्यापन नहीं प्रदान किया जाता है तथा आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। एनबीई ने वर्ष 2009-2012 (आज की तिथि तक) की अवधि के दौरान प्रत्यापन के नवीकरण पर विचार करने के समय आवेदक अस्पतालों/संस्थानों के 233 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वे अपेक्षित न्यूनतम प्रत्यापन मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। वर्ष वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
2009-2010	70
2011	136
2012 (आज की तिथि तक)	27

(ङ) किसी प्रत्यायित अस्पताल/संस्थान के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु अनुसंधान परियोजना चलाना अनिवार्य है। अनुसंधान परियोजना चलाने वाले अस्पतालों की संख्या नीचे दी गई हैः

वर्ष	एनबीई द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों/ संस्थानों की संख्या
2009	230
2010	250
2011	230
2012 (आज की तिथि तक)	110

[हिन्दी]

105-06

सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राजसहायता

***304. श्री जफर अली नकवी:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली ग्रिड या ऑफ-ग्रिड इकाइयों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राजसहायता के जारी रहने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऑफ-ग्रिड और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी, सड़क रोशनी और स्टैंड अलोन विद्युत संयंत्रों के वितरण/संस्थापना के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की बैंचमार्क लागत (प्रतिवाट पीक 270/- रू.) की 30% सब्सिडी दी रही है जो अधिकतम 81/- रू. प्रतिवाट पीक के अध्यधीन है। मंत्रालय द्वारा लोगों को सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी और 210 वाट पीक तक की लघु क्षमता के पीवी संयंत्रों की संस्थापना के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पूंजी लागत की 40% सब्सिडी भी दी जा रही है जो 108/- रू. प्रति वाट पीक तक सीमित है। लागत के शेष 60% के लिए बैंकों द्वारा लाभार्थी को सामान्य वाणिज्यिक दरों पर ऋण सुविधा दी जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वीप समूहों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिलों में केन्द्र तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा स्टैंड अलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों/पैक्स की संस्थापना करने के लिए बैंचमार्क लागत की 90% सब्सिडी उपलब्ध है जो 243/- रू. प्रतिवाट पीक तक सीमित है।

सौर जल तापन प्रणलियों की संस्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों में लाभार्थी को संग्राहक की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र 3000-3300 रू. तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र 6000-6600 रू. की राशि प्रदान की जाती है।

सरकार द्वारा ग्रिड सम्बद्ध और विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु पूंजी निवेश पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इन्हें बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर संस्थापित किया जाता है और सौर परियोजना के विकासकर्ता को ग्रिड में प्रदान की गई बिजली के लिए फीड-इन टैरिफ का भुगतान किया जाता है। तथापि, रूफटाप प्रकाशवोल्टीय एवं लघु और विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसपीजीपी), जोकि 100 मेगावाट की एक पुरानी स्कीम थी, के अंतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता था।

(ख) और (ग) ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों तथा सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना हेतु सब्सिडी 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए जारी है। चूंकि अभी 12वीं योजना को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं मिली है अत: ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में 800 मेगावाट समतुल्य क्षमता की आर्फ-ग्रिड सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणलियों तथा 7.5 मिलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा जेएनएनएसएम की शुरूआत की गई है जिसे तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है और वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड सौर विद्युत और 2000 मेगावाटपीक समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा मिशन के पहले चरण को मंजूरी दी गई है और जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2010 से मार्च, 2013 तक 1100 मेवा.पी से अधिक की ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाओं तथा 200 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लिए योजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों, यूटीलिटीज, स्थानीय निकायों आदि सहित विभिन्न चैनल भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

106-07

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

3221. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं की सुरक्षा के विभिन्न प्रावधान, जैसे: महिला आरक्षण और पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, इत्यादि किए जाने के बावजूद उनके विरुद्ध अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और उनकी दशा बहुत सोचनीय बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारकारी उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के क्रमश: 2,03,804; 2,28,650 मामले रिपोर्ट किए गए जो अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। पुरुष प्रधान मानसिकता, महिलाओं को उपभोग की वस्तु मानना और महिलाओं के साथ हिंसा को समाज द्वारा सहन किया जाना ऐसे अपराधों के कुछ संभावित कारण हैं। कामकाजी लोगों में महिलाओं की बढ़ती संख्या, आवागमन की बढ़ती सुविधाओं और कामकाज की अलग-अलग समयावधि के परिणामस्वरूप महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है।

(ग) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम को सरकार सबसे अधिक महत्त्व देती है और इसीलिए सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराधों में निवारण में लिए विभिन्न कानून बनाए हैं। तथापि, संविधान के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय होने के विषय होने के कारण महिलाओं के प्रति अपराधों सहित सभी अपराधों का पता लगाने, उनका निवारण करने, उन्हें दर्ज करने, उनका अन्वेषण और अभियोजन करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। भारत सरकार समय-समय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से महिलाओं के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को विस्तृत सलाह भेजी गई है, जिसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए स्थापित व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता की व्यापक समीक्षा करके कानून एवं न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदी बनाने की उपयुक्त उपाय करें।

[अनुवाद] 107-09

'हुनर से रोज़गार' योजना

3222. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र में कौशल-विकास सहित रोज़गार सृजित करने के उद्देश्य से 'हुनर से रोज़गार' योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी निधि उद्दिष्ट की गई;

(घ) क्या उक्त योजना देश में जहां-जहां कार्यान्वित की गई, वहां सफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ओडिशा सहित देश में उक्त योजना की स्थिति क्या है और उससे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का कार्यकौशल सुधारने में कितनी सहायता मिली है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (च) वर्ष 2009-10 में युवकों में नियोजनीय कौशल के सृजन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक हुनर से रोजगार तक (एच.एस.आर.टी.) नामक विशेष शुरूआत की है। यह शुरूआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त-पोषित है। एच.एस.आर.टी. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामान्य विशेषताएं हैं: प्रशिक्षणार्थी 18-28 वर्ष के आयु समूह में हों, प्रत्येक प्रशिक्षण प्रोग्राम 6 से 8 सप्ताह की लघु अवधि का है; और प्रशिक्षाणार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती है।

एच.एस.आर.टी. शुरूआत को विशेष संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें भारत पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, होटल प्रबंध संस्थान, भोजन कला संस्थान और भारत पर्यटन विकास निगम शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा चयनित संस्थानों के माध्यम से इस शुरूआत को कार्यान्वित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। कुछ सितारा वर्गीकृत होटलों के लिए निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

एच.एस.आर.टी. शुरूआत में पर्यटन मंत्रालय सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण स्कीम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। सी.बी.एस.पी. स्की के लिए आबंटित बजट नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	आवंटित बजट
2009-10	12 करोड़
2010-11	17 करोड़
2011-12	25 करोड़
2012-13	50 करोड़

एच.एस.आर.टी. शुरूआत को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्रारंभ में इसमें केवल दो व्यवसायों नामतः खाद्य उत्पादन और खाद्य एवं पेय सेवाओं को शामिल किया गया था। अब इसमें 6 अन्य व्यवसायों/प्रशिक्षण क्षेत्रों नामतः हाउसकीपिंग, बेकरी एवं पेस्ट्री, ड्राइविंग, स्टोन मेसोनरी, गोल्फ केडीज और पर्यटक सुगमीकरण शामिल हैं।

एच.एस.आर.टी. शुरूआत ने ओडिशा सहित देश में आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के संगत कौशल के उन्नयन में सहायता की है। वर्ष 2009-10 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 5610 थी। यह वर्ष 2010-11 में बढ़कर 6981 और वर्ष 2011-12 में 12191 हो गई।

आदिवासियों की भूमि का विक्रय

3223. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद भी, आदिवासियों की भूमि को कॉर्पोरेट-जगत को बेचे जाने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासियों को उनकी भूमि वापस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जो अनुवांशिक हैं, परंतु अन्य हस्तांतरणीय नहीं है। वन भूमि जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकारों को मान्यता दी गई है, की बिक्री का कोई मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेश में विवाह करने के संबंध में जन-जागरूकता

***3224. श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेश में विवाद करने के बारे में सेमिनारों के जरिए जन-जागरूकता बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयोजित ऐसे सेमिनारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन सेमिनारों पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) विदेश में विवाह करने वाली वधुओं और उनके अभिभावकों के बीच इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए/अपनाए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेश में विवाह करने के संबंध में जागरूकता

वर्ष	सेमिनार की तिथि और स्थान	विषय	सेमिनार का आयोजन करने के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4
2009	20.4.2009 नई दिल्ली	"छोड़ दी गई अनिवासी भारतीय दुल्हनों की सहायता के लिए भारतीय मिशन" पर राष्ट्रीय सम्मेलन	विविध विकास समिति, एक दिल्ली आधारित गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई।

1	2	3	4
2011	15.2.2011 नई दिल्ली	"अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामले" पर राष्ट्रीय सेमिनार	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इस सेमिनार का आयोजन करने के लिए 9,74,527/- रु. खर्च किए गए।
2012	30.5.2012 जालंधर	प्रवासी विवाहों पर राष्ट्रीय सेमिनार	पंजाब पुलिस ने इस सेमिनार को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से एक सदंर्भ पर आयोजित किया किया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा राशि खर्च नहीं की गई।

जागरूकता सृजित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय:

मंत्रालय ने भावी दुल्हनों और उनके परिवरों को, प्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से उठने वाली समस्याओं और प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश करने से पहले बरती जाने वाली उचित सावधानियों के संबंध में शिक्षित करने और सुग्राही बनाने हेतु एक जागरूकता-सह-प्रचार अभियान शुरू किया है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल है:-

1. **सूचना पेम्पलेट:**-मंत्रालय ने भारतीय महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के और प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक बनाने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, मलयालम और तेलुगु में सूचना पेम्फलेटों को निकाला है। इन पेम्फलेटों को ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों/ डिस्पेंसरियों, गैर-सरकारी संगठनों/स्व: सहायता समूहों आदि के माध्यम से वितरित करने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

2. **अनिवासी भारतीय विवाहों पर मार्गदर्शन पुस्तिका:** मंत्रालय ने भावी दुल्हनों और उनके परिवारों के लाभ के लिए "प्रवासी भारतीयों से विवाह" पर एक मार्गदर्शन पुस्तिका निकाली है। मार्गदर्शन पुस्तिका को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी), 2007 की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया। इस पुस्तिका में, उनके अनिवासी भारतीयों पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों, उपलब्ध कानूनी उपचार, समस्याओं का निवारण करने के लिए एप्रोच किए जा सकने वाले प्राधिकरणों और गैर-सरकारी संगठन जो सहायता प्रदान कर सकते हैं, पर सूचना दी गई है। मार्गदर्शन पुस्तिका को, संबंधित समूहों में सूचना का व्यापक प्रसार करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय डायस्पोरा की उच्च जनसंख्या वाले देशों के मिशनों में भेज दिया गया है।

3. **मीडिया के माध्यम से जागरूकता-सह-प्रचार अभियान:** मंत्रालय, लोगों को इस मामले पर सुग्राही बनाने के लिए, प्रत्येक वर्ष प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टी.वी. नेटवर्क पर विज्ञापनों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से एक जागरूकता-सह-प्रचार अभियान चलाता है।

4. **सेमिनार और कार्यशालाएं:** मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में "प्रवासी भारतीयों से विवाह" पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था, जिसके अनुसरण में मंत्रालय ने, संबंधित राज्यों में राज्य महिला आयोग के साथ-साथ महिला संगठनों को जागरूकता फैलाने में शामिल करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से चंडीगढ़ और त्रिवेन्द्रम में वर्ष, 2006 में दो क्षेत्रीय कार्याशालाओं का आयोजन किया। इसके अलावा, प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) में, समानान्तर सत्रों का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इस सत्रों में भाग लिया है।

धोखेबाजी के अनिवासी विवाहों पर स्कूलों और कॉलेजों में, कन्या छात्राओं को सुग्राही बनाने के लिए, विदेशी मामलों पर माननीय स्थायी सिमति के सेमिनार/डिबेट आयोजित करने के एक सुझाव के उत्तर में, केरल,

पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों से ऐसे सेमिनार/डिबेट आयोति करने का अनुरोध किया गया। इसके आधार पर, पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर, 30.5.2012 को जालंधर में प्रवासी विवाहों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में विशेष फोकस, प्रभावित महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु सृजित किए जाने वाले अपेक्षित कानूनी सुरक्षा उपायों और संस्थानात्मक तंत्र पर था।

5. **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट:** इस संबंध में ब्यौरे, डायस्पोरा सेवाएं प्रभाग, जेंडर मामले के अधीन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट http:maia.gov.in पर भी डाले गए हैं।

[हिन्दी]

परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता के समूह की सदस्यता

3225. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के शीघ्र ही परमाणु सामग्री आपूर्तिकताओं के समूह (एन.एस.जी.) का सदस्य बनने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के एन.एस.जी. की सदस्यता कब तक प्राप्त करने की संभावना है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका सहित कतिपय देश एन.एस.जी. की सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के एन.एस.जी. का सदस्य बनने के समर्थन में कौन-कौन से देश हैं तथा कौन-कौन इसके विरूद्ध हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सरकार ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने में अपनी रूचि व्यक्त की है। अमरीका, फ्रांस तथा रूस ने एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। एनएसजी से संबंधित विचार-विमर्श गोपनीय प्रकृति के होते हैं। भारत की सदस्यता के संबंध में कोई निर्णय एनएसजी के सदस्यों के बीच सहमति बन जाने के बाद ही लिया जाएगा।

जलशोधक यंत्रों की गुणता

3226. श्री कामेश्वर बैठा:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरों और कार्यालयों में जल पीने योग्य बनाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले रिवर्स-ऑस्मोसिस (आर ओ) जलशोधक-यंत्रों और ऐसे अन्य उपकरणों में लगी झिल्लियों से हानिकारक रोगाणुओं के साथ-साथ उपयोगी जीवाणु भी छान दिए/अवशोषित कर लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे जल हानिकारक बन जाता है चूंकि उसमें पाए जाने वाले खनिज तत्व शरीर को नहीं मिलते और उपयोगकर्त्ता को पेट की विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावना होती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में बेचे जा रहे आर.ओ. तथा ऐसे अन्य उपकरणों की गुणता जांचने हेतु कोई अध्ययन किया है/करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारकारी उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां। रिवर्स-ऑस्मोसिस (आर ओ) उपयोगी और साथ ही हानिकारक रोगाणुओं को अवशोषित कर देता है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचना दी है कि इस सबंध में कोई ज्ञात वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, जो कि आईसीएमआर का एक संस्थान है, ने घरेलू जलशोधक-यंत्र एककों के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया है और 8 जलशोधक-यंत्रों की जांच की है। परिणामों से यह पता चला कि जांचे गए 8 जलशोधक-यंत्रों में से 6 ने व्यापक मानकों

को पूरा नहीं किया। इन 6 जलशोधक-यंत्रों ने विषाणुओं को पूरी तरह से नहीं हटाया। ब्यूरो आफ बायोलोजिक स्टैण्डर्ड्स जलशोधक-यंत्रों के मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता की देखरेख करता है।

[अनुवाद]

115-16

इंडोनेशिया से सड़क-संपर्क

3227. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इंडोनेशिया की सरकार की उस योजना की जानकारी है जिसके अंतर्गत भारत को 'आसियान' संगठन के अन्य सदस्य देशों के साथ सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं। भारत सर को इंडोनेशिया सरकार की ऐसी किसी योजना की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। 115-16

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-प्रौद्योगिकियां

***3228. श्रीमती अन्नू टन्डनः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भूतल-परिवहन हेतु ईंधनयुक्त सेल, हाइड्रोजन तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों जैसी नव-आविष्कृत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-प्रौद्योगिकियों के बारे में अकादमिक संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयासरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने प्रयासों में सहायता हेतु विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी हां, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपने व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत उद्योग सहित अकादमिक संस्थाओं और विभिन्न अनुसंधान और विकास संगठनों को हाइड्रोजन उत्पादन, उसके भंडारण और अनुप्रयोगों; ईंधन सैल प्रौद्योगिकियों; और सतह यातायात हेतु वैकल्पिक ईंधनों पर परियोजनाओं हेतु सहायता देता है।

(ख) परियोजनों में जैविक अवशिष्टों के फरमेंटेशन, बायोमास के गैसीकरण और बायोमास चलित ग्लिसरॉल के पुर्ननिर्माण; हाइड्राइडों और कार्बन सामग्रियों में हाइड्रोजन का भंडारण; हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिश्रित ईंधनों के उपयोग हेतु इंजनों/वाहनों का विकास और प्रदर्शन, ईंधन सेलों के उत्पादन हेतु सामग्रियों और घटकों सहित ईंधन सैलों का विकास, बैटरी प्रचालित वाहनों का विकास और प्रदर्शन और जैव ईंधनों के विभिन्न क्षेत्रों पर सौर और पवन ऊर्जा के प्रयोग से पानी के विखंडन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। मंत्रालय की सहायता से इन क्षेत्रों में लगभग चालीस अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) वर्तमान में सतह यातायात हेतु ईंधन सैलों, हाइड्रोजन और वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में देश की सहायता हेतु विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के विचाराधीन सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इन क्षेत्रों में विकास हेतु भारतीय कंपनियां, आकादमिक संस्थाएं और अनुसंधान संगठन, विदेशी कंपनियों अथवा संस्थाओं के साथ समन्वय कर सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 116-20

भीषण दुर्बलताकारी पक्षाघात के मामले

3229. श्री उदय सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के, विभिन्न भागों में भीषण दुर्बलताकारी पक्षघात रोग (एएफपी) के तेजी से बढ़ते मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उन राज्यों, जहां ए.एफ.पी. के मामलों की सूचना मिली है, को कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, नहीं। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एएफपी मामलों में स्पष्ट बढ़ोतरी का कारण इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश के अनुसार निगरानी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए 2004 से किए गए व्यापक प्रयासों के बाद एएफपी मामलों की बेहतर रिपोर्टिंग है। इन प्रयासों में एएफपी के केस की परिभाषा को व्यापक बनाना भी शामिल है। साथ ही, इस प्रणाली में एएफपी मामलों में चूक हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएफपी मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2010, 2011 और 2012 (18 अगस्त, 2012 तक) के दौरान दर्ज एएफपी मामलों, रिपोर्टिंग स्थलों और सूचित पोलियों मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं पोलियों उन्मूलन के संबंध में जांच पड़ताल के लिए एएफपी मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक अनुशंसित वैश्विक कार्यनीति है।

विवरण

रिपोर्टिंग साइटों और तुलनात्मक एएफपी और पोलियो के मामलों

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों	साइटें रिपोर्टिंग			एएफपी मामलों			पोलियों के मामलों		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	33	23	3	0	1	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	2,594	2,690	2,956	866	1,099	828	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	93	95	103	16	37	21	-	-	-
4.	असम	786	846	964	433	470	38	-	-	-
5.	बिहार	4,330	5,068	5,185	15,726	17,575	9,507	9	-	-
6.	चंडीगढ़	28	32	38	22	38	26	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	554	559	598	379	316	326	-	-	-
8.	दादरा और नगर हवेली	13	13	15	7	4	3	-	-	-
9.	दमन और दीव	15	16	16	5	6	1	-	-	-
10.	दिल्ली	184	202	397	445	705	402	-	-	-
11.	गोवा	106	106	106	25	24	7	-	-	-
12.	गुजरात	1,476	1,632	1,654	914	1,030	628	-	-	-
13.	हरियाणा	510	549	650	666	988	708	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	हिमाचल प्रदेश	201	205	214	141	141	102	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	218	228	238	196	238	151	1	-	-
16.	झारखंड	1,317	1,384	1,397	1,335	1,520	829	8	-	-
17.	कर्नाटक	1,295	1,282	1,387	853	912	641	-	-	-
18.	केरल	746	762	808	351	388	219	-	-	-
19.	लक्षद्वीप	14	14	14	0	0	0	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	2,233	2,404	2,559	2,772	2,806	1,661	-	-	-
21.	महाराष्ट्र	4,430	4,604	4,732	2,522	2,775	1,940	5	-	-
22.	मणिपुर	71	73	73	18	19	19	-	-	-
23.	मेघालय	57	58	59	28	29	23	-	-	-
24.	मिजोरम	35	35	35	4	5	2	-	-	-
25.	नागालैंड	74	74	72	31	34	12	-	-	-
26.	ओडिशा	1,196	1,214	1,251	1,507	1,155	995	-	-	-
27	पुदुचेरी	40	41	59	14	13	8	-	-	-
28.	पंजाब	418	461	472	363	567	408	-	-	-
29.	राजस्थान	933	986	877	1,322	1,820	1,153	-	-	-
30.	सिक्किम	32	32	32	7	8	5	-	-	-
31.	तमिलनाडु	2,009	2,029	+2,144	607	622	362	-	.	-
32.	त्रिपुरा	73	85	87	87	58	68	-	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	5,318	5,702	5,837	21,656	22,265	11,814	10	-	-
34.	उत्तराखंड	460	469	476	359	365	209	-	-	-
35.	पश्चिम बंगाल	985	1,495	1,691	2,105	2,507	1,827	8	1	-
	कुल अंक	32,877	35,478	37,219	55,785	60,539	35,290	42	1	0

* 25 अगस्त 2012 के रूप में डेटा

[हिन्दी]

फोटोथेरेपी मशीन की कार्यकारिता

3230. श्री अशोक अर्गल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों, विशेषकर डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चर्मरोग-विज्ञान विभाग, में स्थापित फोटोथेरेपी मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा उक्त मशीन कब से काम नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या फोटोथेरेपी की चिकित्सा चाहने वाले रोगियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारकारी उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है और इसलिए केन्द्रीय स्तर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों और सफदरजंग अस्पताल का संबंध है, डर्माटोलोजी विभाग में फोटोथेरेपी मशीनें कार्य कर रही हैं। जहां तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल का संबंध है, वाल्डमैन 7001 के यूवीए और यूवीबी (बीबी) फोटोथैरेपी मशीन पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। तथापि, यूवीबी (एनबी) एमिटिंग ट्यूबों में समस्या के कारण अस्पताल में उपलब्ध वाल्डमैन यूवी-1000 एल 16 जुलाई, 2012 से कार्य नहीं कर रही हैं। अस्पताल के अनुरक्षण एवं खरीद विभाग ने नई यूवीबी (एनबी) ट्यूबें खरीदने की प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी है। ऐसे रोगी जिन्हें यूवीबी (एनबी) की आवश्यकता है, को एक वैकल्पिक प्रबंध के रूप में, वाल्डमैन 7001 के यूवीए और यूवीबी (बीब) फोटोथैरेपी मशीन जिसमें यूवीबी (बीबी) ट्यूबों में लगी हैं, का एक्सपोजर दिया जाता है।

[अनुवाद]

शहरी स्वास्थ्य परियोजनाएं

3231. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और अन्य राज्यों की ओर से शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) नहीं, गुजरात राज्य सरकार से इस मंत्रालय में शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हाजियों के परिवारजनों को मुआवजा

3232. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हजयात्रा के दौरान जान गंवाने वाले हाजियों के परिवारजनों को मुआवजा देती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त ऐसे मुआवज़े का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे मामलों में मुआवज़ा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, दुर्घटना में किसी हजयात्री की मौत हो जाने पर उन हजयात्रियों के निकटतम संबंधी को मुआवजा दिया जाता है, जो भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के तत्वावधान में हज करते हैं। स्वाभाविक मौत के मामले को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाता है। एचसीओआई तथा प्राधिकृत बीमा कम्पनी के बीच व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पर एक करार के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

127

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में फर्जी व्यक्ति

***3233. श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नए शामिल व्यक्तियों की प्रामणिकता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त श्रेणी में फर्जी व्यक्तियों के शामिल होने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को विनिर्दिष्ट आदेशों में शामिल करने, बाहर निकालने तथा अन्य संशोधनों के लिए दावों के निर्धारण हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार केवल वे प्रस्ताव जिनकी संबंधित राज्य सरकारों तथा सिफारिश की गई है तथा न्यायोचित ठहराया गया है तथा जिनसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) सहमत हैं, पर विधान में संशोधन के लिए विचार किया जाता है।

(ग) सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किसी फर्जी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता। 127-24

जनजातीय क्षेत्रों का विकास

***3234. श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों के विकाससार्थ चालू वित्त वर्ष में ओडिशा सहित कुछ राज्यों की सरकारों को विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा जारी की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ओडिशा सहित देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है।

जैसा योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ओडिशा सहित चयनित राज्यों के चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए पिछड़े और जनजातीय जिले, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) नामक दो विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत कवर किये गये हैं। बीआरजीएफ का जिला घटक 8 केबीके जिलों सहित ओडिशा के 19 जिलों को कवर करता है। इसके अलावा, 8 केबीके जिले विशेष योजना के तहत भी कवर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आईएपी जो आरंभ में ओडिशा के 15 जिलों को कवर करती थी, वर्तमान में 8 केबीके जिलों सहित 18 जिलों को कवर करती है। 124-25

विदेशी सहायता से पर्यटन-स्थलों का विकास

***3235. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित देश में विदेशी वित्तीय सहायता से कुछ पर्यटन-स्थलों को विकसित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजना-वार ऐसी कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और उसका कितना उपयोग हुआ?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी ऋण सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) वर्ष 2003 में अजंता एलोरा संरक्षण के चरण-II और पर्यटन विकास परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 7331 मिलियन जापानी येन के बराबर की धनराशि के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस

परियोजना के लिए ऋण सहायता का उपयोग निम्नानुसार है:-

वर्ष	जापानी येन मिलियन में
2009-10	253.09
2010-11	2506.80
2011-12	146.09
2012-13 (31.7.2012 तक)	62.62

(ii) वर्ष 2010 में दक्षिण पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना-भारत का हिस्सा (सिक्किम) के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा 20 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर की राशि के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 0.14 मिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया गया है और वर्ष 2012-13 के दौरान कोई संवितरण नहीं किया गया है।

(iii) वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश और पंजाब को शामिल करते हुए पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना 1) हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 43.42 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर की धनराशि के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान 1.79 मिलियन यूएस डॉलर और वर्ष 2012-13 के दौरान 0. 21 मिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया गया है।

(iv) वर्ष 2012 में तमिलनाडु और उत्तराखंड को शामिल करते हुए पर्यटन के लिए अवसरंचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना 2) हेतु एशियन डेपलमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा 43.84 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर की धनराशि के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। 31 जुलाई, 2012 की स्थिति में इस परियोजना के अंतर्गत कोई भी संवितरण नहीं किया गया है।

125-26

महात्मा गांधी सुरक्षा योजना

***3236. श्री के.पी. धनपालन:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संघर्षग्रस्त देशों से भारत वापस लौटने वाले भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष पैकेज शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए 'महात्मा गांधी सुरक्षा योजना' और 'प्रवासी बैंक' जैसी योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) संघर्षग्रस्त देशों से भारत वापस लौटने वाले भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष पैकेज की शुरूआत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए एक "प्रवासी बैंक" प्रारंभ करने की भी कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक और ईसीआर देश में वैध कार्य परमिट वाले भारतीय कामगारों के लिए "महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना" (एमजीपीएसवाई) नामक एक योजना की शुरूआत की है। यह योजना सरकार से एक सह-अंशदान प्रदान करके, प्रवासी भारतीय कामगारों को, अपनी वापसी और पुन: स्थापना के लिए बचत करने और अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करने हेतु, प्रोत्साहित करती है व सक्षम बनाती है। यह, इस योजना के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु के विरूद्ध एक नि:शुल्क जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है।

स्वास्थ्यचर्या केन्द्र

126-27

***3237. श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपने यहां बहुविध एवं एकल अत्याधुनिक विशिष्ट-स्वास्थ्यचर्या प्रदान करने वाले अस्पतालों की बढ़ती संख्या के कारण एशिया का एक स्वास्थ्यचर्या-केन्द्र बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय विदेशी संगठनों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से यहां अस्पताल स्थापित करने में रुचि जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) चिकित्सा पर्यटन भारत में यात्रा करने के फलते-फूलते क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपचार के लिए

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत 2009 में 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 2.7 हो गया है। पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा पर्यटन संवर्धन को एक नई पहल के रूप में शामिल किया है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित विपणन विकास सहायता योजना (एमडीए) में अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। एमडीए योजना को चिकित्सीय एवं वेल्नेस पर्यटन सेवा प्रदाताओं पर भी लागू किया गया है। एमडीए योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सीय पर्यटन सेवा प्रदाताओं, अर्थात ज्वाइंट कमीशन फॉर इंटरनेशनल एक्रीडिटेड हास्पीटल्स (जेसीआई) तथा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हास्पीटल्स एंड हैल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पताल और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और चिकित्सीय पर्यटन में संलग्न सुविधा प्रदाताओं, ट्रेवल एजेंटों/टूर आपरेटरों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) और (घ) आटोमेटिक रास्ते के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। तथापि, अप्रैल, 2011 से 30 अगस्त, 2012 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय को अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। आर्थिक मामलों के विभाग एफआईपीबी यूनिट द्वारा उपरोक्त उक्त अवधि के दौरान ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

127-28

श्रमिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक

3238. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादी शिल्पकारों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत यथानियत पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत यथानियत पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अ.जा./अ.ज.जा., अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के शिल्पकारों/ श्रमिकों को कोई विशेष लाभ मुहैया कराती/कराता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) खादी कारीगर खादी के उत्पादन में सम्मिलित स्वनियोजित वैयक्ति हैं। ये अधिकतर अपने निवास स्थान से ही कार्य करते हैं और अपने परिवार की जीविका में वृद्धि करने के लिए समय में खादी का कार्य करते हैं। इनकी कोई आयु सीमा नहीं है, सेवा संबंधी कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है और ये खादी संस्थानों से अपनी इच्छा से जुड़ने अथवा अलग होने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार यहां कोई नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है। तथापि कारीगर खादी संस्थानों के कर्मचारी है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

केवीआईसी ने खादी कारीगरों की आमदनी बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित संस्थानों द्वारा उन्हें समतुल्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए, कई कदम उठाए हैं। केवीआईसी द्वारा कच्चे माल को अधनिर्मित/पूर्णनिर्मित सामग्री में बदलने के लिए पीस-दर आधार पर कारीगरों को भुगतान करने के लिए राज्य-वार लागत चार्ट निर्धारित किए गए हैं, जिनका खादी संस्थानों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है। विपणन विकास सहायता योजना के तहत खादी संस्थानों को उत्पादन के मूल्य की 20 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाती है जिसका 25 प्रतिशत कारीगरों के लिए उद्दिष्ट किया गया और जो उनके मजदूरी के अतिरिक्त है। केवीआईसी और राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के साथ पंजीकृत संस्थानों के लिए कारीगरों की मजदूरी के 12 प्रतिशत का योगदान कारीगर कल्याण निधि में करना अपेक्षित है।

(घ) से (च) केवीआईसी खादी कारीगरों जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कारीगर शामिल हैं के लाभार्थ विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रत्येक योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उप-योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक घटक उद्दिष्ट किया गया है।

127-44

इंडियन नर्सिंग काउंसिल

3239. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई एन सी) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के नाम क्या हैं और विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष

के दौरान कितने पाठ्यक्रमों के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र्-वार आवेदन प्राप्त हुए तथा इनमें से राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र्-वार कितने पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान की गई;

(ख) देश में नए नर्सिंग-पाठ्यक्रमों को आरंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए क्या मानक व मानदण्ड रखे गए हैं और इस हेतु आई एन सी द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान आई एन सी में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं-संबंधी अनेक शिकायतों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई एन सी के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है; और

(ङ) इंडियन नर्सिंग काउंसिल के समुचित कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारकारी उपाय किए गए हैं/करने का विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई एन सी) द्वारा मान्यता और अनुमति प्राप्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों के नाम विवरण–I में दर्शाए गए हैं। पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्राप्त आवेदनों और गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमतियों को संलग्न विवरण–II में दर्शाया गया है।

(ख) आईएनसी द्वारा यथा निर्धारित विनियमन/मानदण्ड उनके कार्यालय की वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org. पर उपलब्ध हैं। नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आईएनसी द्वारा अनुमति प्रदान करने के संबंध में जिस प्रक्रिया का अनुसरण कि है, वह यह है कि नए नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक स्कूल/कालेज के लिए सर्वप्रथम संबंधित राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र/आवश्यकता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। तदुपरांत संबंधित संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र में, संस्था में उपलब्ध शैक्षिक, नैदानिक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए आईएनसी को आवेदन करना पड़ता है। पूरित प्रस्ताव प्राप्त होने पर परिषद, आईएनसी अधिनियम, 1947 की धारा 13 के उपबंधों के अधीन नियुक्त स्वतंत्र निरीक्षकों के माध्यम से निरीक्षण करती है। तदुपरांत स्वतंत्र निरीक्षक की रिपोर्ट आईएनसी की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जो निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लेती है कि उस संस्था को उपयुक्तता/मान्यता प्रदान की जानी है अथवा नहीं।

(ग) और (घ) श्री टी. दिलीपकुमार, पूर्व नर्सिंग सलाहकार के विरुद्ध सीबीआई द्वारा शिकायत दर्ज की गई और जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने उनके विरूद्ध अदालत में चार्ज शीट दाखिल की है।

(ङ) आईएनसी की उचित कार्य प्रणाली के लिए नर्सिंग संस्थान खोले जाने की शर्तों से संबंधित सभी परिपत्र आईएनसी की कार्यालयीन वेबसाइट पर विधिवत प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि नर्सिंग स्कूलों/कालेजों की मान्यता के संबंध में आईएनसी की कार्यकारी समिति के निर्णयों को उसी दिन प्रदर्शित कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का संशय न रहे।

विवरण I

नर्सिंग मिडवाइफरी शिक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	परीक्षा	पंजीकरण
1	2	3	4	5
1.	सहायक नर्स और दाई	2 साल	नर्सिंग परीक्षा बोर्ड	पंजीकृत सहायक नर्स और दाई (आरएएनएम)
2.	जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी	साढे 3 साल	नर्सिंग परीक्षा बोर्ड	पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ (आर.एन. और आर एम)

1	2	3	4	5
3.	बी एस.सी.नर्सिंग में बेसिक)	4 वर्ष	विश्वविद्यालय	पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ (आर.एन. और आर एम)
4.	बी एससी. (बेसिक नर्सिंग में) पोस्ट	2 वर्ष (नियमित) 3 वर्षों (दूरी)	विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय	अतिरिक्त योग्यता
5.	एम. एससी नर्सिंग	2 साल	विश्वविद्यालय	अतिरिक्त योग्यता
6.	एमफिल (नर्सिंग)	1 वर्ष (पूर्ण) 2 साल (पार्ट) टाइम)	विश्वविद्यालय	अतिरिक्त योग्यता
7	पीएचडी.नर्सिंग	3 से 5 साल	विश्वविद्यालय	अतिरिक्त योग्यता
बाजार निर्मा-ताओं के लिए ऋण	मूल स्पेशलिटी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम: 1. आपतकाल और आपदा आपदा नर्सिंग 2. क्रिटिकल केयर नर्सिंग 3. कैंसर विज्ञान नर्सिंग 4. कार्डियो छाती रोगों नर्सिंग 5. मनोरोग नर्सिंग 6. न्यूरो नर्सिंग 7. नवजात नर्सिंग 8. या नर्सिंग 9. हड्डी रोग और पुनर्वास नर्सिंग 10. मिडवाइफरी में नर्स व्यवसायी 11. बुढ़ापे की नर्सिंग	1 साल	बोर्ड या विश्वविद्यालय	अतिरिक्त योग्यता

विवरण-II

नर्सिंग 2009-2010 संस्थानों की राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एएनएम		जीएनएम		बी.एस.सी.एन		एम.एस.सी.एन		पीबीएससी (एन		थोड़े समय के लिए	
		पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	14	14	26	26	11	11	12	12	–	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	असम	2	2	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–
5.	बिहार	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	2	2	2	2	7	7	6	6	3	3	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	6	6	10	10	13	13	2	2	3	3	4	4
13.	हरियाणा	1	1	3	3	7	7	1	1	6	6	7	7
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	17	17	11	11	–	–	–	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	2	2
16.	झारखंड	3	3	3	3	3	3	–	–	–	–	1	1
17.	कर्नाटक	19	19	10	9	12	12	77	77	34	34	6	5
18.	केरल			12	12	8	8	19	19	12	12	11	11
19.	मध्य प्रदेश	2	2	45	45	16	16	4	4	31	31	10	10
20.	महाराष्ट्र	64	63	3	3	12	12	6	6	12	12	1	1
21.	मणिपुर	1	1	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
22.	मेघालय	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मिज़ोरम	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	ओडिशा	34	33	26	26	6	6	3	3	1	1	2	2
26.	पुदुचेरी	–	–	–	–	2	2	3	3	5	5	–	–
27.	पंजाब	10	10	16	16	14	14	4	4	33	32	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	राजस्थान	–	–	13	13	35	35	4	4	16	16	5	5
29.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	तमिलनाडु	–	–	31	31	19	19	4	4	15	15	22	20
31.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	उत्तर प्रदेश	–	–	26	26	14	14	4	4	5	5	–	–
33.	उत्तराखंड	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
34.	पश्चिम बंगाल	2	1	8	8	4	3	2	2	4	4	2	2
	कुल योग	148	145	244	243	213	212	153	153	194	193	86	83

पीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हैं

पीआर* = संस्थानों की अनुमति दी

नर्सिंग 2010-2011 संस्थानों की राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एएनएम		जीएनएम		बी.एस.सी.एन		एम.एस.सी.एन		पीबीएससी (एन		थोड़े समय के लिए	
		पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	1	1	4	4	3	3	19	19	23	21	5	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	असम	3	3	3	3	–	–	–	–	3	3	–	–
5.	बिहार	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	20	20	4	4	9	9	1	1	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	गुजरात	5	5	17	17	10	10	2	2	5	5	-	-
13.	हरियाणा	1	1	3	3	2	2	2	2	1	1	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश		4	4	4	4	-	-	1	-	-	-	
15.	जम्मू और कश्मीर	3	3	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-
16.	झारखंड	2	2	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	12	12	6	5	5	5	30	30	66	66	2	2
18.	केरल	-	-	5	5	11	11	18	18	14	14	2	2
19.	मध्य प्रदेश	6	6	76	76	12	12	9	9	5	5	1	
20.	महाराष्ट्र	88	88	-	-	3	3	5	5	8	8	12	10
21.	मणिपुर	-	-	1	1			-	-	-	-	-	-
22.	मेघालय	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
23.	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ओडिशा	18	18	4	4	-	-	1	1	2	2	2	2
26.	पुदुचेरी	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
27.	पंजाब	37	37	7	7	10	10	19	19	23	23	-	-
28.	राजस्थान	1	1	5	4	36	36	6	6	30	30	1	1
29.	सिक्किम	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
30.	तमिलनाडु	1	1	6	6	10	10	4	4	22	22	15	11
31.	त्रिपुरा	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
32.	उत्तर प्रदेश	22	22	30	30	9	9	2	2	3	3	1	1
33.	उत्तराखंड	4	4	5	5	2	2	1	1	1	1		
34.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	1	3	3	-	-	2	2	2	2
	कुल योग	227	226	190	188	138	138	1	1	211	208	43	36

पीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हैं

पीआर* = संस्थानों की अनुमति दी

नर्सिंग 2011-2012 संस्थानों की राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एएनएम		जीएनएम		बी.एस.सी.एन		एम.एस.सी.एन		पीबीएससी (एन		थोड़े समय के लिए	
		पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	16	15	6	6	7	7	10	10	9	9	7	7
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	असम	2	2	4	4	–	–	1	1	1	1	–	–
5.	बिहार	16	16	–	–	1	1	–	–	2	2	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	49	49	17	17	16	16	–	–	6	6	1	1
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1	6	6
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	54	54	21	20	12	12	–	–	6	6	7	7
13.	हरियाणा	18	18	27	26	7	7	–	–	9	9	5	5
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	2	2	1	1	–	–	2	2	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	5	5	7	7	–	–	2	2	–	–	–	–
16.	झारखंड	7	7	3	3	1	1	–	–	1	1	–	–
17.	कर्नाटक	8	8	15	14	22	22	26	26	52	52	35	35
18.	केरल	–	–	6	6	17	17	13	13	19	19	8	8
19.	मध्य प्रदेश	50	49	150	148	35	33	4	4	20	20	1	–
20.	महाराष्ट्र	89	89	26	26	18	18	8	8	19	19	8	8
21.	मणिपुर	2	2	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
23.	मिज़ोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	नागालैंड	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	ओडिशा	38	38	18	17	2	2	2	2	-	-	1	
26.	पुदुचेरी	1	-	2	2	1	1	1	1	2	2	5	5
27.	पंजाब	58	57	44	44	1	1	2	2	12	12	2	1
28.	राजस्थान	47	46	36	35	22	22	8	8	22	21	2	1
29.	सिक्किम	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
30.	तमिलनाडु	6	5	14	14	22	22	12	12	23	23	2	2
31.	त्रिपुरा	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
32.	उत्तर प्रदेश	68	68	29	29	13	13	1	1	10	10	6	5
33.	उत्तराखंड	9	9	9	9	5	5	-	-	2	2	-	-
34.	पश्चिम बंगाल	-	-	10	9	3	3	1	1	1	1	8	8
	कुल योग	544	538	462	452	207	205	91	91	222	220	104	99

पीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हैं

पीआर* = संस्थानों की अनुमति दी

नर्सिंग 2012-2013 संस्थानों की राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एएनएम		जीएनएम		बी.एस.सी.एन		एम.एस.सी.एन		पीबीएससी (एन		थोड़े समय के लिए	
		पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*	पीए*	पीआर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	9	6	8	5	5	4	6	4	8	8	1	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	असम	2	-	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-
5.	बिहार	28	19	7	5	3	3	-	-	1	-	-	-
6.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	17	9	18	2	13	3	4	4	5	4	1	-
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	दिल्ली	2	2	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-
11.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	गुजरात	27	7	32	5	7	2	1		8	3	-	-
13.	हरियाणा	14	10	24	6	4	4	2	2	12	12	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	3	1	3	2	1	1	4	4	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	झारखंड	9	2	3	2	2	1	-	-	2	2	-	-
17.	कर्नाटक	2	1	9	8	9	8	12	9	29	27	5	1
18.	केरल	-	-	-	-	11	9	11	8	7	7	7	5
19.	मध्य प्रदेश	70	35	143	39	40	21	9	1	20	12	1	1
20.	महाराष्ट्र	204	74	145	61	8	-	5	-	15	1	-	-
21.	मणिपुर	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
22.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ओडिशा	39	12	26	7	5	1	-	-	1	-	1	-
26.	पुदुचेरी	3	-	2	-	1	-	3	-	-	-	2	-
27.	पंजाब	41	9	37	9	13	11	10	9	8	5	5	-
28.	राजस्थान	34	6	31	3	25	13	7	2	9	3	2	3
29.	सिक्किम	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30.	तमिलनाडु	14	9	14	5	16	14	25	11	19	11	-	-
31.	त्रिपुरा	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
32.	उत्तर प्रदेश	33	18	42	21	15	8	2	-	11	4	2	1
33.	उत्तराखंड	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34.	पश्चिम बंगाल	-	-	7	1	1	1	2	2	1	1	-	-
	कुल योग	558	219	268	182	188	107	101	54	161	104	29	12

पीए * = प्रस्तावों स्वीकार किए जाते हैं

पीआर* = संस्थानों की अनुमति दी

146-47

[अनुवाद]

145

अस्पतालों में वार्ड-संबंधी पात्रता

***3240. श्री राकेश सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सीजीएचएस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थी की वार्ड-संबंधी पात्रता उसके सीजीएचएस-अंशदान की दर के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या 4600 रु., 4800 रु., 5400 रु. और 6600 रु. की ग्रेड-पे के स्तरों से सीजीएचएस अंशदान की दर समान है जबकि उक्त ग्रेड-पे धारकों के बीच वार्ड का आबंटन असमान है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वार्ड-संबंधी पात्रता को सीजीएचएस-अंशदान की दर के आधार पर नियत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के वेतन एवं भत्ते और पेंशन के सुधारात्मक संशोधन के परिणामस्वरूप सीजीएचएस अंशदान दरों में 1.6.2009 से संशोधन किया गया है। कर्मचारियचों के अंशदान के लिए 5 स्तरीय (स्लैब) दरें हैं जबकि वार्ड पात्रताओं की केवल 3 श्रेणी हैं। वार्ड पात्रता लाभार्थी के मूल वेतन पर आधारित है जबकि अंशदान ग्रेड वेतन पर आधारित है। पांच स्लैब को तीन श्रेणियों में समायोजित किया गया है। अंशदान का वार्ड पात्रता से कोई संबंध नहीं है। अंशदान का निर्धारण विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों और भुगतान करने की क्षमता के मापदंड को ध्यान में रखते हुए किया गया है जहां अधिक ग्रेड पाने वाले कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की तुलना में अधिक अंशदान करते हैं। वार्ड पात्रता में सरकारी कर्मचारी के पदक्रम, वरीयता और सेवा की स्थिति पर भी विचार किया जाता है। यह सच है कि 4600 रु., 4800 रु., 5400 रु. और 6600 रु. के ग्रेड वेतन के लिए सीजीएचएस अंशदान की दरें एक समान हैं परन्तु उपर्युक्त कारणों को देखते हुए उनकी वार्ड पात्रताएं भिन्न-भिन्न हैं।

पर्यटन उद्योग में वृद्धि

***3241. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वव्यापी मंदी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कमी के कारण भारत के घरेलू पर्यटन उद्योग के प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2013-14 में आगंतुक पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और घरेलू पर्यटन में दस गुना वृद्धि करने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा पर्यटकों को क्या-क्या सहायता और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के पर्यटन पर योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने 12वीं योजना के दौरान घरेलू पर्यटन में 12% प्रति वर्ष वृद्धि के लक्ष्य की अनुशंसा की है। कार्यकारी दल ने 12वीं योजना जिसमें लगभग 12% की वार्षिक वृद्धि दर आवश्यक है, के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के हिस्से में कम से कम 1% वृद्धि की अनुशंसा की है।

विदेशी पर्यटक आगमन को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप में देश के विभिन्न गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियानों को चलाता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा महत्त्वपूर्ण और संभावित पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में शृंखलाबद्ध रूप से संवर्धनात्मक गतिविधियां चला रहा है। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, रोड शो आयोजित करना, भारत परिचय सेमिनार एवं कार्यशालाएं, भारतीय भोजन और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और समर्थन करना, ब्रोशर का प्रकाशन संयुक्त विज्ञापन और ब्रोशर समर्थन देना और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्तियों, टूर प्रचालकों और विचारकों को आमंत्रित करना शामिल है।

पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों में पर्यटन अवसंरचना का सृजन/उन्नयन, मार्गस्थ सुविधाएं, अंतिम छोर तक संपर्क उपलब्ध कराना, बजट आवास की उपलब्धता को बढ़ाना और प्रशिक्षित जन-शक्ति को बढ़ाना, आदि शामिल है।

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन से संबद्ध विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए कार्यकारी दल ने 12वीं योजना में पर्यटन क्षेत्र के लिए 22800 करोड़ रु. के कुल परिव्यय की भी अनुशंसा की है।

१५७ - ५८

रोगियों हेतु एंबुलेंस-सेवा

***3242. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ऐसे कामचलाऊ मालवाही वाहनों का वैनों में लाया-ले जाया जा रहा है जिनमें आवश्यक सुरक्षा-सुविधाएं या चिकित्सा-उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मार्ग निदेश विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) हाल ही में ऐसी कोई सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाएं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में उनकी अपेक्षा और उपयुक्तता के आधार पर अलग-अलग माडल हैं। तथापि विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंसों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विस्तृत विशिष्टताओं सहित 'राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड' को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

१५८ - ५९

भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत

***3243. श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत और पाकिस्तान की विदेश सचिव-स्तर पर बातचीत हुई;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या मुंबई में 26 नवम्बर को हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका के मुद्दे पर भी बातचीत हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास सृजन उपायों, जम्मू व कश्मीर तथा मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान सहित शांति एवं सुरक्षा पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 4-5 जुलाई, 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

विश्वास सृजन उपायों सहित शांति एवं सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गयी। विदेश सचिवों ने पहले से स्वीकृत परमाणु एवं पारंपरिक विश्वास सृजन उपायों से संबंधित वर्तमान क्रियान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा की। यह निर्णय लिया परमाणु एवं पारंपरिक विश्वास सृजन उपायों पर विशेषज्ञ स्तरीय समूहों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएं जिसमें मौजूदा विश्वास सृजन उपायों के क्रियान्वयन तथा सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जाए और परस्पर स्वीकार्य अतिरिक्त उपायों के बारे में सुझाव दिया जाए जिसमें दोनों देशों के बीच आधिकाधिक विश्वास सृजित हो और शांति एवं सहयोग मिले।

विदेश सचिवों ने नोट किया कि दोनों देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद शांति एवं सुरक्षा के लिए एक खतरा बना हुआ है। दोनों देशों ने आतंकवाद से कारगर एवं व्यापक तरीके से लड़ने तथा इसका उन्मूलन करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुन: अभिपुष्टि की ताकि इस महाविपत्ति के सभी स्वरूपों को नष्ट

किया जा सके। मुंबई आतंकी हमले के बारे में पाकिस्तान को बता दिया गया कि उसे मुंबई आतंकी हमले के दोषियों पर विश्वसनीय एवं कारगर कानूनी कार्रवाई करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अबू जुंदाल की गिरफ्तारी तथा उनसे की जा रही पूछताछ से अब यह मामला और महत्त्वपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने तथा मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दुहराया।

दोनों पक्षों ने जम्मू व कश्मीर के मुद्दे पर व्यापक तौर पर विचारों का आदान-प्रदान किया और मतभेदों को दूर करके तथा अभिमुखीकरण के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण एवं भविष्योन्मुखी तरीके से इन चर्चाओं को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा के पार यात्रा एवं कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान नियंत्रण रेखा के पार विश्वास सृजन उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने नियंत्रण रेखा के पार विश्वास सृजन उपायों पर इस्लामाबाद में 19 जुलाई, 2012 को कार्य समूह की एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।

विदेश सचिवों ने दोनों के बीच विश्वास एवं मैत्री आधारित एक रिश्ता बनाने के लिए लोगों के बीच आधिकाधिक आपसी संबंधों तथा मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने नोट किया कि संशोधित द्विपक्षीय वीजा करार को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इस पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर करने के बाबत कार्य करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आधिकाधिक संसदीय आदान-प्रदान; विभिन्न क्षेत्रों यथा धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने और एक-दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार को खत्म करने तथा मीडिया एवं खेलकूद संबंधी संपर्कों को बढ़ाने के महत्त्व पर बल दिया।

149-50

वन-उत्पादन

***3244. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश में वन उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थेपार्यो का सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), मूल्य संवर्धन तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के पहलुओं को देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. टी.हक. समिति ने लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी) के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशें के आधार पर एमएफपी के लिए एमएसपी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की जानी है। तथापि, ऐसी योजना के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

150-54

सौर लालटेन/लैम्प

3245. श्री भूपेन्द्र सिंह क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को सौर लालटेन/लैम्प प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रदान की गई सौर लालटेनों/लैम्पों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के नक्सल–वाद प्रभावित क्षेत्रों में सौर लालटैनों/लैम्पों को प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत मंत्रालय, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकारी मंत्रालयों के माध्यम से सौर लालटेनों, घरेलू लाइटों और सड़क रोशनियों के वितरण/ संस्थापना हेतु प्रति वाट पीक 81 रू. की सीमा तक पूंजी लागत के 30% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय, प्रति व्यक्ति सौर लालटेनों, घरेलू लाइटों और 210 वाट पीक तक के लघु क्षमता के पीवी संयंत्रों की संस्थापना करने हेतु नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रति वाट पीक 108 रु. की सीमा तक पूंजी लागत का 40% सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है। लागत का शेष 60% बैंक द्वारा सामान्य वाणिज्यिक दरों पर लाभार्थी को क्रेडिट सुविधा दी जाती है। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष के दौरान स्थापित सौर लालटेनों, घरेलू लाइटों और सड़क लाइटों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जे एन एनएसएम के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत, मंत्रालय देश में 60 सर्वाधिक एलडब्ल्यूई

प्रभावित जिलों में से प्रत्येक में 100 सौर चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना करने हेतु 90% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक सौर चार्जिंग स्टेशन पर 50 सौर लालटेन और 10 मोबाइल फोन चार्ज किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिलों में सौर चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना हेतु किसी भी राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 30 जून, 2012 तक 2012-13 के दौरान राज्य-वार सौर लालटेन (एसएल), सौर घरेलू रोशनियां (एचएल) और सौर सड़क रोशनियों (एसटीएल) निम्नलिखित दी गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		एसएल	एचएल	एसटीएल	एसएल	एचएल	एसटीएल	एसएल	एचएल	एसटीएल	एसएल	एचएल	एसटीएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	32
2.	आंध्र प्रदेश	647	316	130	2416	1	142	329	97	0	2816	607	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	2850	183	0	3058	0	496	171	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5870	0
5.	बिहार	0	399	265	0	180	0	0	3178	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	229	0	0	0	0	0	669	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	183	480	0	0	0	119	43	153	0	0	0
8.	दिल्ली	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	गोवा	115	40	68	38	0	156	0	0	88	28	31	0
10.	हरियाणा	26686	1527	3353	1470	12110	987	20737	4684	1944	0	36	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0	8	0	0	0	1078	939	5738	3358	0	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	663	7314	100	0	0	0	15150	19050	210	0	0	0
13.	झारखण्ड	0	279	0	0	2562	0	0	436	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	0	3390	423	0	8006	0	0	6221	0	0	958	0
15.	केरल	0	0	0	0	0	0	13186	0	645	0	1	0
16.	लक्षद्वीप	0	0	0	1689	0	0	3600	0	1725	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	35	292	0	0	0	0	0	653	1104	0	0	0
18.	महाराष्ट्र	60000	1147	1980	0	100	0	0	1368	2949	0	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	मणिपुर	904	650	120	0	365	438	0	0	0	0	0	0
20.	मिजोरम	0	0	116	2519	2350	0	0	0	0	1258	1406	0
21.	नागालैंड	912	40	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0
22.	ओडिशा	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	0	0	279	0	0	1017	0	0	0	0	0	0
24.	राजस्थान	0	12	0	0	24449	220	0	25908	0	0	8537	0
25.	सिक्किम	0	0	0	2730	750	0	640	4390	262	16180	512	15
26.	तमिलनाडु	0	0	3213	0	5979	465	0	39	0	0	229	0
27.	त्रिपुरा	0	22366	426	0	0	0	21922	6657	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	1132	33085	200	7308	40079	15699	1782	41819	20828	0	0	0
29.	उत्तराखंड	0	0	4784	0	0	895	0	0	0	27	11366	0
30.	पश्चिम बंगाल	14000	19238	25261	0	19783	5825	0	2492	650	0	1702	0
31.	अन्य	0	15463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	105094	108599	41610	18224	119772	26937	78900	123092	34585	20309	31320	47

[अनुवाद]

पोलियो वायरस

***3246. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेरकार को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ौसी देशों, जहां यह स्थानिक रोग है, से भारत में पोलियों वायरस आ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संबंध में क्या संरक्षात्मक कदम उठाए गए हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां। जब तक दुनिया के किसी भी हिस्से में पोलियो वायरस का संचरण होगा, तब तक पोलियों का खतरा भी कायम रहेगा।

(ख) अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात के अन्य निकटवर्ती जिलों एवं प्रखंडों की स्वास्थ्य सुविधाओं में मामलों का सक्रिय रूप से पता लगा कर पोलियों की निगरानी में तेजी लाई गई है।

इसके अलावा, अटारी ट्रेन स्टेशन और बाघा सीमा (पंजाब में), मुनाबाउ ट्रेन स्टेशन (राजस्थान में) और कामन पीएचसीएच चक दा बाग (जम्मू और कश्मीर में) में बच्चों का टीकाकरण जारी है।

जेएनएनएसएम में ठेके प्रदान किया जाना

***3247. श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित लोक हित अनुसंधान संगठन की हाल में में प्रकाशित रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है कि

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत ठेकों को प्रदान करने में अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निविदा प्रक्रिया तथा अन्य प्रक्रिया में सुधार और अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) "डाउन टू अर्थ" पत्रिका के दिनांक 1 से 15 फरवरी, 2012 के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के 1000 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना स्कीम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के संबंध में आरोप लगाए गए थे जो कि एनवीवीएन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) इन आरोपों की जांच करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

155-56

विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

***3248. श्री रवनीत सिंह:**
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों में और अधिक विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु विदेशी निवेश्कों को आकर्षित करने या विशेष पैकेज देने के लिए प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औद देश में विद्युत क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और ये किन राज्यों में कार्य कर रही हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, स्वचालित के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए 100% तक की विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है–

(i) हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल, तेल आधारित थर्मल एवं गैस आधारित थर्मल पावर संयंत्रों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं पारेषण।

(ii) अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन एंव वितरण।

(iii) घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का वितरण और

(iv) विद्युत-व्यापार।

तदनुसार कोई भी विदेशी निवेशक एफडीआई मार्ग से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम विभिन्न खंडों में प्रवेश के लिए बाधा समाप्त कर सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए इस उद्योग के सभी खंडों में निवेश के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करता हैं अधिनियम की धारा 63 में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क निर्धारण का उपबंध किया गया है जिससे, निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) जापान, यूरोप एव यूएसए की कई वैश्विक विद्युत संयंत्र उपस्कर विनिर्माता कंपनियों ने सुपरक्रिटिकल बॉयलरों/टरबाइन जेनरेटरों के विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भारत में विनिर्माण आधार की स्थापना करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों का गठन किया हैं ये कंपनियां हैं, गुजरात में एल एंड टी के साथ मिसुबिशी हैवी इंडस्ट्री लि., जापान, तमिलनाडु में बीजीआर के साथ हिताची, जापान, तमिलनाडु में जेएसडब्लू के साथ तोशीबा, जापान, गुजरात में भारत फोर्ज के साथ एल्स्टॉम, फ्रांस, तमिलनाडु में गैमन के साथ एंसाल्डो कैल्डी, इटली, महाराष्ट्र में थर्मैक्स के साथ बैवकॉक एवं विल्कॉक्स, यूएसए, तमिलनाडु में बीजीआर के साथ हिताची पावर यूरोप जीएमबीएच (जर्मनी)। दूसान, कोरिया (100% एफडीआई) तमिलनाडु में स्वयं अपने बल पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु आई है। सीएलपी होल्डिंग्स, हांगकांग ने झज्जर हरियाणा में 1320 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना की है और एईएस कारपोरेशन, यूएसए ने ओडिशा में 420 मेगावाट के थर्मल विद्युत संयंत्र के लिए ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. की स्थापना की है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए आरक्षण

3249. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक अनूसूचित जनजाति की माता और एक गैर-अनुसूचित जनजाति के पिता से उत्पन्न बच्चों को नौकरियों और अन्य लाभों में आरक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान सहित, राज्य-वार देश में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की सुनिश्चित संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में जब अनुसूचित जनजाति की महिला का गैर-अनुसूचित जनजाति के पुरुष के साथ विवाह से बच्चे हों, तो बच्चों को केवल तब अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है यदि अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्य उन्हें अपने स्वयं के समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार करें। तथापि, प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों की ऐसे मामलों में विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में जांच की जाएगी।

(ख) ऐसे परिवारों की संख्या के बारे में आंकडें जनजातीय कार्य मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऐसे मामलों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

[अनुवाद]

हाइड्रो पावर इनिशिएटिव

3250. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर इनिशिएटिव" योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत पहचान की गई स्कीमें कौन सी हैं;

(ग) क्या इन स्कीमों को राज्यों में भी लागू किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्कीमों को किन राज्यों में लागू किया जाना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) सरकार ने 24 मई, 2003 को 16 राज्यों में फैले हुए लगभग 50,000 मेगावाट की कुल 162 नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टों (पीएफआर) की तैयारी के लिए स्कीम शुरू की। इन सभी परियोजनाओं, जिनकी क्षमता 47.930 मेगावाट है, के लिए सितंबर, 2004 में पीएफआर पूरी कर ली गई थी।

(ग) और (घ) ये स्कीमें उन राज्यों में विकसित की जाएंगी जिसमें वे स्थित हैं। इन स्कीमों की राज्य-वार सूची नीचे दी गई है–

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों की संख्या	संस्थापित संस्था (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	1	81
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	27293
3.	छत्तीसगढ़	5	848
4.	हिमाचल प्रदेश	15	3328
5.	जम्मू और कश्मीर	13	2675
6.	कर्नाटक	5	1900
7.	केरल	2	126
8.	मध्य प्रदेश	3	205
9.	महाराष्ट्र	9	411
10.	मणिपुर	3	362
11.	मेघालय	11	931
12.	मिजोरम	3	1500
13.	नागालैंड	3	330
14.	ओडिशा	4	1189
15.	सिक्किम	10	1469
16.	उत्तराखंड	33	5282
	कुल	162	47930

[हिन्दी]

जनजातीय बच्चों का दुर्व्यापार

3251. श्री रामसिंह राठवा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यह पाया है कि विभिन्न राज्यों से गुजरात और राजस्थान में विभिन्न बीटी कपास खेतों में कार्य करने के लिए बच्चों को भेजने हेतु जनजातीय बच्चों का दुर्व्यापार होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बच्चों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने फरवरी, 2008 में "राजस्थान के डूंगरपुर जिले से कार्य हेतु गुजरात में बच्चों का पलायन" शीर्षक से एक अध्ययन कराया था। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों का बीटी कपास की खेती के लिए बच्चों का राजस्थान से गुजरात में अवैध व्यापार किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों के अनुसार, गुजरात सरकार ने बच्चों में संरक्षण हेतु कई उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) प्रैस नोट जारी करके, रेडियो/टेलीविजन का उपयोग करके, स्कूली बच्चों की रैली, पोस्टर/प्ले-काड्र्स/बैनर, होर्डिंग्स आदि को लगाकर जागरूकता विकास कार्यक्रम।

(ii) संचेतना: अधिकारियों एवं पणधारियों के लिए संचेतना कार्यशाला का आयोजन।

(iii) जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों/व्यापारिक संगठनों एवं निजी संगठनों के साथ बैठकें।

(iv) निरीक्षण।

(v) राज्य स्तरीय मानीटरन समितियों का गठन।

(vi) मानीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना।

(vii) जिला कार्य बल का गठन।

(viii) पुनर्वास के लिए संकेन्द्रण-सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में शामिल करना। 5500 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता।

(ix) गुजरात में बीटी कपास के बीजों की खेती में बाल श्रम के विरुद्ध ग्रामीण श्रम आयुक्त द्वारा अभियान।

राजस्थान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बालक आपातकालीन कोष के सहयोग से राजस्थान के तीन जिलों नामत: डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा की 90 ग्राम पंचायतों में 'नन्हें हाथ कलम के साथ' अभियान शुरू किया है।

[अनुवाद]

सूरजकुंड शिल्प मेले का स्तरोन्नयन

3252. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2013 से सूरजकुंड शिल्प मेले को स्तरोन्नत कर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के अन्य भागों में भी इस तरह के मेलों को नियमित आधार पर आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) जी हां। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2013 से सूरजकुंड मेला को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। सहभागी देश के अतिरिक्त, वर्ष 2013 के बाद से बड़ी संख्या में अन्य देशों से अधिक भागीदारी प्राप्त होगी। भागीदारी करने वाले देशों की भूमिका में मेले के मैदान में निर्धारित क्षेत्रों में देश-विशेष माहौल पैदा करना शामिल होगा, जिसमें संबंधित देशों की कला एवं शिल्प आदि के प्रदर्शन के लिए शिल्पकार और सांस्कृतिक मंडलियों को बुलाया जाएगा।

(ग) मेले एवं उत्सवों सहित पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन एवं क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदान किए गए पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय

सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। निधियों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजनाओं को मंजूर प्रदान की जाती है।

ऑनर किलिंग

3253. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में ऑनर किलिंग के आलोक में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ऑनर अपराध के रूप में परिभाषित किए जाने के लिए अपराध की एक पृथक श्रेणी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑनर किलिंग से निपटने के लिए सरकार का विचार एनसीडब्ल्यू को अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग का मत है कि "ऑनर" किलिंग्स के अलावा प्रहार, यातना, अंगविच्छेद, बलात्कार आदि जैसे अपराधों को भी, जो सम्मान को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, सम्मान के लिए किए जाने वाले अपराधों के दायरे में शामिल किया जाए।

(ग) और (घ), ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 04 सितंबर, 2009 को एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की समस्या के निवाण के लिए तंत्र की कारगरता की व्यापक समीक्षा करने और तथाकथित 'ऑनर किलिंग्स' द्वारा महिला अधिकारों के हनन को मिटाने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए सलाह दी गई थी।

मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण

3254. श्री आर. धुवनारायण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), निःशक्ति और अन्यथा अशक्त व्यक्तियों हेतु स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों के आरक्षण हेतु निर्धारित मानक और नियम क्या है;

(ख) क्या देश के मेडिकल कॉलेजों द्वारा उपरोक्त नियमों/मानकों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पदों में आरक्षण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं नियमों के अनुसार, राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। तथापि, अखिल भारतीय कोटा और केन्द्रीय सरकारी संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निम्नलिखित आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

(i)	अनुसूचित जाति–	15 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जनजाति–	7.5 प्रतिशत
(iii)	अन्य पिछड़े वर्ग–	27 प्रतिशत (केवल केन्द्रीय सरकारी संस्थानों//विश्वविद्यालयों में)

इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में यह व्यवस्था है कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए वार्षिक स्वीकृत दाखिला क्षमता के 3 प्रतिशत पद उन उम्मीदवारों से भरे जाएंगे जिनके निचले लिम्ब में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की लोकोमोटर्स विकलांगता है और यदि ऐसे उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण यह कोटा खाली रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद उन उम्मीदवारों से भरे जाएंगे जिनके लिम्ब में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की लोकोमोटर्स विकलांगता है। ये विनियम प्राकृतिक रूप से अनिवार्य हैं और तदनुसार ये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और साथ ही अखिल भारतीय कोटो के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए लागू होते हैं।

163-64

बाल सुधार गृह

3255. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल सुधार गृहों में एड्स ग्रस्त बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में बाल सुधार गृहों को संवदेनशील बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को भी निदेशित किया है कि बाल सुधार गृह में बच्चों के प्रति संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाएं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सुधार गृह में रह रहे बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की निगरानी के लिए विद्यमान तंत्र संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों सहित कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए गृह स्थापित करने एवं उनके रख-रखाव का प्रावधान है। अन्य खतरनाक बीमारियों से पीड़ित बच्चों जिनमें एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चे भी शामिल है, के साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए हाल ही में वर्ष 2011 में किशोर न्याय अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों में संशोधन किया गया और संबंधित नियमों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन हेतु भेजा गया है।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम में जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत गृहों की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों सहित विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान है।

(ख) से (ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित केन्द्रीय मॉडल नियमावली का नियम 86 में यह प्रावधान है कि यह गृह के कार्यालय प्रभारी का कर्तव्य है कि वह गृह के बच्चों का स्नेह, प्रेम, देखरेख, विकास और कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करे। साथ ही, केन्द्रीय मॉडल नियमावली का नियम 88 में यह प्रावधान है कि गृह माता और गृह पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्नेह और प्रेम से बच्चे की देखभाल करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आईसीपीएस के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को बच्चों की देखभाल के लिए अपेक्षित उपागम कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं संचेतना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र द्वारा विकसित मॉडयूल के अनुसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने का समय-समय पर आग्रह किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34(3) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को आश्रय देने वाली बाल देखरेख संस्थानों के पंजीकरण को इस आशय से अनिवार्य कर देती है कि इन गृहों में बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के एिल अधिनियम और उसके तहत नियमों के अधीन देखरेख के न्यूनतम मानक लागू किया जा सके। किशोर न्याय अधिनियम और उसके तहत केन्द्रीय मॉडल नियमावली में गृहों में राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला और नगर स्तर पर स्थापित निरीक्षण समितियों एवं बाल कल्याण समितियों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के सख्त मॉनीटरन तंत्र का प्रावधान है। साथ ही, नियमावली में प्रत्येक संस्थान में बाल समितियों के गठन का प्रावधान है अन्य बातों के साथ-साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामलों को रिपोर्ट करने को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाई गई मॉडल नियमावली के नियम 60 में बाल देखरेख संस्थाओं में नोटिस किए गए यौन दुर्व्यवहार सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार उपेक्षा और दुराचार से निपटने के व्यापक उपाय भी निर्धारित किए गए है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गृहों में बच्चों को सर्वोत्तम देखभाल प्राप्त हो और वे दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार न हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सभी बाल संरक्षण संस्थानों को समय-समय पर अभिनिर्धारित करने के लिए और जेजे एक्ट के तहत पंजीकृत करने, और जहां कहीं उपलब्ध न हों, वहां कार्यात्मक निरीक्षण समितियां स्थापित करने के लिए बलपूर्वक कहता रहा है।

साथ ही, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले गृहों का निरीक्षण भी करते हैं और इन निरीक्षणों के निष्कर्ष को आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

3256. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी विस्तार योजनाओं के भाग के रूप में भारत और विदेशों में कोयला खनन और गैस स्टेशन परियोजनाओं में निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं, पीएफसी ने विस्तार योजना के भाग के रूप में भारत अथवा विदेशी में किसी भी कोयला खान और गैस स्टेशन परियोजनाओं में निवेश नहीं किया है।

सियाचिन पर भारत-पाक वार्ता

3257. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सियाचिन मसले पर बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर सियाचिन क्षेत्र में सेनाओं में कमी करने के संबंध में उक्त वार्ता के दौरान लिए गए निर्णयों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) सियाचीन पर भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा सचिव स्तर की बातचीत 11-12 जून, 2012 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुई थी। यह बातचीत सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई थी। दोनों पक्षों ने सियाचीन के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गंभीर, दीर्घकालिक तथा परिणामोन्मुखी प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराया। इस बात पर सहमति हुई कि सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए दोनों देशों के नेताओं की इच्छाओं के अनुरूप सियाचीन पर बातचीत जारी रखी जाएं। इस बात पर भी सहमति हुई कि सियाचीन पर अगले दौर की बातचीत दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक तारीखों को नई दिल्ली में होगी।

[हिन्दी]

पावर ट्रिपिंग

3258. श्री रामकिशुन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ट्रिपिंग समस्या के कारणों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हेलिकाप्टरों के प्रयोग से किस हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां। पारेषण लाइनों और/या उत्पादन यूनिटों की ट्रिपिंग अन्य पारेषण लाइनों और/या उत्पादन यूनिटों की बंदी के कारणों में से भी एक कारण हो सकता है।

(ख) ट्रिपिंग कई कारकों के कारण हो सकती हैं जिनमें उत्पादन यूनिट/पारेषण लाइन में त्रुटि आने, सुरक्षा प्रणाली का अकुशल प्रचालन, इन्स्यूलेशन विफलता, सुरक्षित सीमा से अधिक वोल्टेज/फ्रीक्वेंसी/भार आदि शामिल हैं। पारेषण लाइनों के इन्स्यूलेटर स्ट्रिंग पर प्रदूषणों के जमा हो जाने से इन्सयूलेशन में खराबी भी हो सकती है जिससे पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग हो सकती है।

(ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धुंध वाली स्थितियों में पारेषण लाइनों के इन्स्यूलेटरों पर जमा हुए प्रदूषणों के कारण इन्स्यूलेटर स्ट्रिंग में फ्लैशओवर से ईएचवी पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग हो जाती है। 27 जनवरी, 2007 को हुई घटना की जांच करने और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गठित जाँच समिति ने पारेषण लाइनों में इन्स्यूलेटरों को धोने के लिए हेलीकाप्टरों के प्रयोग की सिफारिश की थी। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अपनी कुछ पारेषण लाइनों में इन्स्यूलेटरों को धोने के लिए हेलीकॉपटरों का प्रयोग किया था। उन क्षेत्रों जहाँ परम्परागत तरीके जैसे कि ट्रक माउंटेड वाशर/टेलीस्कोपिक बूम वाशर व्यवहार्य नहीं हैं या अधिक प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में इन्स्यूलेटरों को धोने के लिए हैलीकाप्टरों का प्रयोग करने से प्रदूषण से संबंधित ट्रिपिंग की कमी लाने में सहायक हो सकता है।

जड़ी-बूटियों/औषधीय पौधों की उपलब्धता

3259. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री मकनसिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में चिकित्सीय पौधों की उपलब्धता और संबंधित व्यापार की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार चिकित्सीय पौधों का कुल उत्पादन, इससे सृजित राजस्व और इससे जुड़े किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है और राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा इनके चयन हेतु अंगीकृत मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार का विचार नए जिलों को सम्मिलित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की सहायता से स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनरुत्थान प्रतिष्ठान (एफआरएलएचटी) द्वारा भारत की औषधीय पादपों की प्रजातियों के डाटाबेस पर किये जा रहे एक अध्ययन के अनुसार देश में अब तक 6560 औषधीय पादप प्रजातियों के उपलब्ध होने की सूचना है। एफआरएलएचटी के माध्यम से आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एनएमपीबी द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2005-06 के लिए औषधीय पादपों की अनुमानित वार्षिक मांग 3,19,500 मीट्रिक टन थी। कुल मिलाकर 960 सभी औषधीय पादपों का व्यापार किया जाता है, जिनमें से 178 प्रजातियों का वार्षिक उपभोग 100 मीट्रिक टन से अधिक है। यह अध्ययन वर्ष 2008 में प्रकाशित किया गया था और यह "मांग एवं आपूर्ति अध्ययन-एनएमपीबी एवं एफआरएलएचटी (2008)" शीर्षक के अंतर्गत एनएमपीबी की वेबसाइट अर्थात www.nmpb.nic.in पर उपलब्ध है। देश में औषधीय पादपों का राज्यवार उत्पादन केन्द्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 2008 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, औषधीय पादपों का उत्पादन 3.195 लाख मीट्रिक टन था। सभी औषधीय पादपों से अर्जित राजस्व केन्द्रीय रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) वर्ष 2008-09 से "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता रोपण समग्री की आपूर्ति हेतु पौधशालाओं की स्थापना करके पश्चवर्ती संबंधों और फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना, प्रमाणन, फसल बीमा आदि हेतु अग्रवर्ती संबंधों के साथ निजी भूमि पर बाजार प्रेरित औषधीय पादपों की कृषि हेतु सहायता प्रदान करना है। समूह में औषधीय पादपों की कृषि हेतु कृषकों को सहायता आर्थिक सहायता देते हुए प्रदान की जाती है। इस स्क्रीम के अंतर्गत सहायता हेतु अनुमोदित कृषकों की राज्यवार और वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरण राज्य की भौगोलिक और जलवायु दशाओं तथा राज्य में औषधीय पादपों की संभावना के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते हैं और इसे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को प्रस्तुत करते हैं।

विभिन्न राज्यों के 459 जिलों से चयनित कृषकों को "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि हेतु आर्थिक सहायता दी गई है/ इन्हें आर्थिक सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है। किसी भी राज्य में जिलों को कवर करने की संख्या हेतु कोई सीमा नहीं है। राज्यों को यह छूट है कि वे इस स्कीम की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत जितने चाहे उतने जिलों से कृषकों के समूह का चयन कर सकते हैं।

विवरण

"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कृषकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषकों की संख्या				
		2009-10*	2010-11*	2011-12*	2012-13 (अनंतिम आंकड़े)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5517	5547	6272	3274	20610

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	192	161	0	765	1118
3.	असम	408	1554	697	0	2659
4.	बिहार	120	150	55	1990	2315
5.	छत्तीसगढ़	0	184	184	0	368
6.	गुजरात	0	98	0	1051	1149
7.	हरियाणा	105	265	100	0	470
8.	हिमाचल प्रदेश	0	142	90	0	232
9.	जम्मू और कश्मीर	0	375	375	0	750
10.	झारखंड	667	2300	2393	2654	8014
11.	कर्नाटक	321	407	1822	0	2550
12.	केरल	25650	159	400	1617	27826
13.	मध्य प्रदेश	6065	17913	10434	6533	40945
14.	महाराष्ट्र	537	728	573	627	2465
15.	मणिपुर	54	70	101	0	225
16.	मेघालय	80	42	171	70	363
17.	मिज़ोरम	731	280	225	0	1236
18.	नागालैंड	380	290	763	596	2029
19.	ओडिशा	1239	650	2337	4270	8496
20.	पंजाब	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	24	1	0	25
22.	सिक्किम	700	1200	1850	2050	5800
23.	तमिलनाडु	2472	2870	5155	6500	16997
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	3615	214	250	11657	15736
26.	उत्तराखंड	171	457	1134	1010	2772
27.	पश्चिम बंगाल	2066	1348	1809	0	5223
	कुल	51090	37428	37191	44664	170373

नोट:-*राज्यों से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के अनुसार।

[अनुवाद] 171-228

खनिज उत्खनन हेतु सर्वेक्षण

3260 डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न खनिज अन्वेषणों/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) इन क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित प्रदेश-वावर और खनिज-वार अनुमानित धातु और खनिज भंडारों की प्रमात्र और मूल्य कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध खनिजों के निष्कर्षण और इसके प्रबंधन हेतु खनिज अन्वेषण पर किया गया कुल व्यय कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नए खनिज समृद्ध क्षेत्रों की क्षमता की पहचान और दोहन के लिए कोई नया सर्वेक्षण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पहचान किए गए नए खनिज समृद्ध क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे खनिजों के वाणिज्यिक दोहन और निजी कंपनियों को इनके आबंटन के संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(छ) राष्ट्र के समृद्ध खनिज भंडारों के उत्खनन में आधुनिक/नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत करने के लिए जीएसआई और अन्य एजेंसियों द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय खान ब्यूरो (आईबीएम) में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) और राज्यों के डीजीएम आदि द्वारा की गई गवेषण गतिविधियों का ब्यौरा और 2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन्न खजिनों के संबंध में उनके परिणाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जीएसआई द्वारा फील्ड सीजन 2012-13 के दौरान किए गए गवेषण कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) धातु एवं खनिजों के भंडार के अनुमानित परिमाण और मूल्य क्रमश: संलग्न विवरण-III और संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ग) जीएसआई को उपलब्ध खनिजों के निष्कर्षण का कार्य करने और उसके प्रबंधन का अधिदेश नहीं है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान खनिज गवेषण स्कीम के अंतर्गत उपयोग में लाई गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

खनिज गवेषण	2009-10	2010-11	2011-12	2012.13 (जुलाई, 2012 तक)
व्यय	17.02	23.76	23.81	7.60

(घ) जी हां, जीएसआई ने नए खनिज समृद्ध नए क्षेत्रों के गवेषण के लिए नव सर्वेक्षण कार्य शुरू करने हेतु क्षेत्रों की पहचान कर ली है।

(ङ) जीएसआई ने देश के विभिन्न हिस्सों में खनिज निक्षेपों की खोज हेतु प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक संभावना (ओजीपी) क्षेत्र के रूप में 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर की पहचान की ली गई है। हाल ही में ओजीपी क्षेत्र में क्षेत्रीय संसाधन मूल्यांकन के दौरान जीएसआई ने विभिन्न राज्यों में खनिज समृद्ध नए क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(घ) खनन क्षेत्र में 1993 में उदारीकरण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के कारण खनन और गवेषण में निजी क्षेत्र की प्रतिभगिता बढ़ी है। खनन पट्टों और पूर्वेक्षण लाइसेंसों सहित सभी खनिज रियायतें खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनिमय, 1957 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की तहत प्रदान की जाती हैं और किसी भी विशिष्ट खनिज का व्यावसायिक दोहन बाजार में ऐसे खनिज की मांग पर निर्भर करता है।

(छ) जीएसआई, आधुनिक भूवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीक, भू-आकृति विज्ञान और उपग्रह आकृतियों के अध्ययन से स्थलानुरेख मानचित्रण, एयरों एवं भूमि भूभौतिकीय अध्ययनों और भूरासायनिक मानचित्रण का समावेश करते हुए आधुनिक एवं परिष्कृत गवेषण प्रणालियों/तकनीकों के द्वारा देश के खनिज संसाधन मूल्यांकन वेक लिए सुव्यवस्थित अन्वेषण कार्य कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए

जीएआई ने उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर तथा खान विभाग द्वारा आधुनिकीकरण हेतु गठित जीएसआई के विशेषज्ञ पैनल द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आधुनिकीकरण संबंधी गहन कार्यक्रम शुरू किया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रय गवेषण को बेहतर बनाना है। जीएसआई द्वारा 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिकल्पित प्रौद्योगिकी संलयन के ब्यौरे संलगन विवरण–VI में दिए गए हैं।

विवरण-I

2008-09 से 2010-11 के दौरान विभिन्न खनिजों के लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य एवं तत्संबंधी परिणाम

2008-09

खनिज	एजेंसी	राज्य	स्थान	परिणाम/मात्रा
1	2	3	4	5
आधार धातु	एचसीएल	राजस्थान	झुंझुनू जिला में खेतड़ी खान	1.14 से 1.46 प्रतिशत तक ताम के औसत श्रेणी के अयस्क संसाधन लगभग 57.75 मिलियन टन
			झुंझुनू जिला में कोलिहान खान	1.22 से 1.56 प्रतिशत तक ताम के औसत श्रेणी के अयस्क संसाधन लगभग 19.65 मिलियन टन
	एचजैडल	राजस्थान	राजपुरा-दरीबा	1.79 प्रतिशत सीसा एवं 7.2 प्रतिशत जस्ता के औसत श्रेणी के अयस्क लगभग 26.65 मिलियन टन
			रामपुरा-अगूचा	1.41 से 2.25 प्रतिशत सीसा एवं 13.27 से 14.06 प्रतिशत जस्ता से युक्त अयस्क संसाधन का 118.76 मिलियन टन
			जादर समूह (मोंचिया, बलारिया, जावरमाला एवं वरूई)	लगभग 62.41 मिलियन टन अयस्क संसाधन।
	जीएसआई	हरियाणा	गंगुटाना के उत्तर	0.4 प्रतिशत ताम से युक्त लगभग 2.128 मिलियन टन अयस्क संसाधन।
आधार धातु	एमईसीएल	झारखंड	धोबनी खान क्षेत्र	1.28 से 1.35 प्रशित से युक्त अयस्क का कुल आकलित संसाधन 5.22 मिलियन टन।
		राजस्थान	दौसा जिला में धानी बसारी	1.16 से 1.117 प्रतिशत ताम एवं 1.25 ग्राम प्रति टन से 1.28 ग्राम प्रति टन स्वर्ण के आकलित अयस्क लगभग 5.12 मिलियन टन।
			झुंझुनू में सतकुई ब्लॉक	0.96 से 1.51 प्रतिशत ताम के अनुमानित अयस्क लगभग 3.33 मिलियन टन।

1	2	3	4	5
बॉक्साइट	नालको	ओडिशा	पंचपटमाली के मध्य-दक्षिण उवं उत्तार ब्लॉक में	कुल 230 मिलियन टन खान योग्य आकलित भंडार
	डीजीएम	छत्तीसगढ़	मेनपट पठार के पठराई उत्तर पूर्व क्षेत्र	47 प्रतिशत एएल$_2$ओ$_3$ औसत से युक्त मेट्रोलॉजिकल श्रेणी के बाक्साइट का 4 लाख टन।
बाक्साइट और लेटेराई	डीजीएम	महाराष्ट्र	घुंगूर क्षेत्र	लगभग 2.8 मिलियन टन बॉसाइट एवं 4.0 मिलियन टन लेटेराइट का आकलित संसाधन।
स्वर्ण	जीएसआई	छत्तीसगढ़	सोनाडेही स्वर्ण संभाव्य क्षेत्र	0.699 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का 2.28 मिलियन टन आकलित संसाधन।
		राजस्थान	दिलवाड़ा पश्चिमी ब्लॉक	1.81 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का आकलित स्वर्ण अयस्क संसाधन 0.053 मिलियन टन।
		उत्तर प्रदेश	सोनभद्र जिला में सोना पहाड़ी	3.03 ग्राम प्रति टन स्वर्ण के अनुमानित स्वण अयस्क संसाधन 0.053 मिलियन टन।
	एचजीएमएल	कर्नाटक	हूटी	5.79 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का कुल स्वर्ण अयस्क संसाधन 8.86 मिलियन टन।
			उटी	5.76 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का 0.11 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क संसाधन।
			हीराबुधनी	4.60 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का लगभग 0.7 मिलियन टन स्वर्णन आयस्क।
	एमईसीएल	राजस्थान	भूकिया पूर्व	2.33-2.61 ग्राम प्रति टन स्वर्ण का 1.173 मिलियन अन अयस्क संसाधन।
			धानीबसारी ब्लॉक	1.25-1.28 स्वर्ण का 5.12 मिलियन टन मिलियन भंडार।
बेनटोनाइट	डीजीएम	झारखंड	तिनपहाड़, बोरियो	0.980 मिलियन टन अनुमानित।
कैलसाइट एवं वालस्टोनाइट	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी संसलाड़ एंड ढकेला	कैसाइट का अनुमानित संसाधन 20000 टन।
चाइना कले	डीजीएम	गुजरात	भीमसागर	97.610 टन अनुमानित।
कले	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी घाटीकुरा एवं सेवा	21710 टन अनुमानित।
फेल्सफर	डीजीएम	कर्नाटक	एन/वी माटीमारी थूरकनडोनी इत्यादि	2100 टन अनुमानित।
जिप्सम	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी वायावल्लाह अकासर एवं राणासर	आकलित संसाधन 10.4 मिलियन टन।

1	2	3	4	5
लेटैराइट	डीजीएम	राजस्थान	भूररिया कालम बिनय आगा कॉडला इत्यादि	आकलित संसाधन 3.229 मिलियन टन।
चूना पत्थर	डीजीएम	छत्तीसगढ़	देवगांव-कूरा क्षेत्र	सीमेंट श्रेणी का 2.823 मिलियन टन एवं निम्न श्रेणी चूना पत्थर का 1.263 मिलियन टन अनुमानित।
			राजनंद गांव जिले में टेकपहाड़-कालकासा क्षेत्र	सीमेंट श्रेणी का 8.269 मिलियन टन एवं निम्न श्रेणी चूना पत्थर का 1.20 मिलियन टन अनुमानित।
		झारखंड	सूधी से अरबन क्षेत्र	17.998 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
			सूधी अरमाडस कोरी इत्यादि	10.8 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
		राजस्थान	कुजोटा एवं अजीतपुरा	81 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
			एन/वी समंत सगरौन की बस्ती	एमएमएस श्रेणी के 180 मिलियन टन एवं सीमेंट श्रेणी चुना पत्थर का 133 मिलियन टन अनुमानित।
			एन/वी झगमुरकासानी	सीमेंट श्रेणी चूनाथ पत्थर का 7.13 मिलियन टन अनुमानित।
			एन/वी देहरू	123.692 मिलियन टन खनन योग्य भंडार।
			एन/वी हरिमा एवं डेह	चूना पत्थर का 30 मिलियन टन अनुमानित।
			एन/वी मधुपुरा	चूना पत्थर का 20 मिलियन टन अनुमानित।
पाइरोफिलाइट/ सिलिमेनाइट		महाराष्ट्र	वालनी-खटगांव	1.29 मिलियन टन अनुमानित।
क्वार्टल	डीजीएम	छत्तीसगढ़	राजस्थान जिले के पश्चिमी हाल	2.2 मिलियन टन अनुमानित।
		कनार्टक	एन/वी डोडालातूर	7784 टन अनुमानित।
सिलका सैण्ड	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी थेकारी	42500 टन अनुमानित।
ग्रनाइट ग्रनाइटनाइस एवं डोलोराइट	डीजीएम	कर्नाटक	एन/वी संकावनाहाली, सेलूपारा, बेटाटापुरा इत्यादि	1.68 एमसीएम अनुमानित।
			एन/वी अवानी, गोकूंआ, वाला इत्यादि	0.74 एमसीएम अनुमानित।
सैण्ड स्टोन	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी मदौना खानपुर, गुर्जर, खिननॉट इत्यादि	47.73 मिलियन टन अनुमानित।
सैण्ड स्टोन (इस्पिलीटेबल)	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी नालोदी, नयागांव इत्यादि	0.66 मिलियन टन अनुमानित।

1	2	3	4	5
सैण्ड स्टोन और चूना पत्थर	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी खेहुना, सैपुरा, भैरूपूरा इत्यादि।	सैण्ड स्टोन का 220 मिलियन टन एवं निम्न श्रेणी सैण्ड स्टोन का 1.04 मिलियन टन अनुमानित।
क्रोमाइट	ओएमसी	ओडिशा	गुरजाना-कालियापनानी क्षेत्र	लगभग 8.36 लाख टन भंडार।
			दक्षिण कालियापानी क्षेत्र	लगभग 2015 लाख टन भंडार।
लौह अयस्क	जीएसआई	ओडिशा	सुंदरगढ़ में घोराबुरहानी-सागासाही क्षेत्र	55 प्रतिशत कट ऑफ लौह के साथ लगभग 9.1 मिलियन टन का संसाधन।
		तमिलनाडु	केलूर एवं चेगम क्षेत्र	लगभग 13.93 मिलियन टन संसाधन अनुमानित।
	डीएमजी	छत्तीसगढ़	रोघाट क्षेत्र	65.37 प्रतिशत लौह के साथ 0.17 मिलियन टन उच्च श्रेणी हेमेटाइट संसाधन।
		कर्नाटक	वासवपतना	38-50 लौह के साथ लगभग 7.8 मिलियन टन संसाधन।
		महाराष्ट्र	पाडवे-मजगांव क्षेत्र	लगभग 0.35 मिलियनटन लौह संसाधन।
		ओडिशा	मलंगटोली-मुंदाझाड़ा	लगभग 17.47 लियन टन लौह संसाधन।
		राजस्थान	दौलतपुरा, राजपुर इत्यादि	लगभग 7.54 मिलियन टन निम्न श्रेणी लौह का संसाधन।
	एनएमडीसी	छत्तीसगढ़	बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप संख्या 10, 11 ए, 11सी एवं 14	11 सी निक्षेप में 60.40 मिलियन टन एवं 14सी निक्षेप में 180.89 मिलियन टन लौह अयस्क अनुमानित।
	एनएमडीसी	कर्नाटक	डोनी मलाई लौह अयस्क खान	लगभग 3.1 मिलियनटन का लौह संसाधन।
	सेल	छत्तीसगढ़	राजाहरा, डाली, झारनडाली लौह अयस्क खान	लगभग 73.16 मिलियनट टन का लौह संसाधन।
		झारखंड	किरुबुरू लौह अयस्क खान एवं मनोहरपुर लौह अयस्क खान	63.25 लौह से मुक्त लगभग 49 मिलियन टन।
	मै. वीएम सालगांवकर	गोवा	वेलगुइस/सरला खान संकोरडेन मालपोना	वेलगुइम/सरला खान -11.23 मिलियन टन संकोरडेन मालपोना खान-9.27 मिलियन टन सियागो खान-9.18 मिलियन टन खनन योग्य भंडार
मैंगनीज अयस्क	जीएसआई	ओडिशा	बोलानी ब्लॉक बोनाई क्योंझर बेल्ट एवं दमूरदा (उत्तर) ब्लॉक	20 प्रतिशत कट ऑफ मैंगनीज के साथ 0.94 मिलियन टन संसाधन।
	राज्य डीजीएम	राजस्थान	कालाखूंता से कामबेसारा क्षेत्र	0.50 मिलियन टन उमरा एवं छोटीसार 0.51 मिलियन टन संसाधन।

1	2	3	4	5
	एमओआईएल	मध्य प्रदेश	बालाघाट जिले में अवस्थित पट्टा क्षेत्र	बालाघाट में 1-7-2009 तक सूचित भंडार एमओआईएल की खानें-भारवेली (21.88 मिलियन टन), उकवा (8. 99 मिलियन टन) एवं तिरोदी (1.55 मिलियन टन)।
		महाराष्ट्र	भंडारा जिले में एमओआईएल खान का चिकला विस्तार	चिकला विस्तार में दिनांक 1-4-2009 तक लगभग 3. 9 मिलियन टन का कुल भंडार सूचित किया गया।
			नागपुर जिले में एमओआईएल की कंदरी,	दिनांक 1-4-2009 तक एमओआईएल द्वारा सूचित मैंगनीज अयस्क भंडार-कंदरी (11.97 बिलियन टन) गुमगांव (5.41 मिलियन टन), बिलडुनगरी (0.46 मिलियन टन) एवं मनसार (3.73 मिलियन टन)

2009-10

खनिज	एजेंसी	राज्य	स्थान	परिणाम/मात्रा
आधार धातु	एचजैड एल	राजस्थान	भिलवाड़ा में रामपुरा-अगुचा खान	1.92 से 2.17% सीसा और 11.80 से 14.67% जिंक के साथ लगभग 120.36 मिलियन टन लौह संसाधन
			राजसमंद में राजपुरा दरिबा	1.40 से 2.30% सीसा और 6.30 से 8.10% जिंक के साथ लगभग 42.20 मिलियन टन लौह संसाधन
	एमईसीएल	राजस्थान	अजमेर में उत्तरी बाजता	0.70% कोंपर, 3.35% सीसा और 0.56% जिंक के साथ लगभग 1.241 मिलियन टन लौह संसाधन
			अजमेर में गणेशपुरा ब्लॉक	1.33% सीसा और 1.44% जिंक के औसत के साथ लगभग 0.973 मिलियन टन अयस्क
			चितौड़गढ़ जिले में रिवाड़ा ब्लॉक	3.42% सीसा, 3.38% कोंपर और 0.66% जिंक के साथ लगभग 2.65 मिलियन टन लौळ संसाधन
बॉसाइट	डीजीएम	छत्तीसगढ़	कबीरधाम जिले में दराज क्षेत्र	लगभग 0.22 मिलियन टन संसाधन
			सरगुजा जिले में मैनपेट प्लेट्यू का सरभंजा क्षेत्र	47% A_2O_3. के औसत के साथ 0.2 मिलियन टन बॉक्साईट
लौह अयस्क	जीएसआई	ओडिशा	सुंदरगढ़ जिले में सागासही ब्लॉक	लगभग 4.61 मिलियन टन भंडार दर्शाए गए
			सुंदरगढ़ जिले में गौरबुरहानी ब्लॉक	लगभग 4.61 मिलियन टन भंडार दर्शाए गए
	सेल	छत्तीसगढ़	दुर्ग जले में राजहारा, झारंदल्ली और दली	लगभग 74.02 मिलियन टन
	डीजीएम	छत्तीसगढ़	रोघाट क्षेत्र	अनुमानित श्रेणी का लगभग 5.0 मिलियन टन लौह अयस्क

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	हवेरी और सिमोगा जिले में अंबरककोप्पा	लगभग 6.20 मिलियन टन लौह अयस्क संसाधन
		ओडिशा	सुंदरगढ़ में जिले में कुसुमडीह	लौह अयस्क टोही संसाधनों का लगभग 2.14 मिलियन टन
	वी.एम. सालगावकर एंड ब्रदर्स प्रा.लि.	गोवा	वेलगाविम/सुरला खान	11.04 मिलियन टन भंडार
			सनकोर्डम मालपोरा	10.37 मिलियन टन भंडार
			सिगावा खान	7.50 मिलियन टन भंडार
मैग्नीज अयस्क	जीएसआई	ओडिशा	क्यौंझार जिले में दामुर्दा उत्तर ब्लॉक	20% मैग्नीज कटऑफ पर अनुमानित संसाधन का 0.07 मिलियन टन
			क्योंझार जिले में लासारदा-पचेरी-बोलानी और दामुर्दा क्षेत्र	अभी तक 20% मैग्नीज कटऑफ पर अनुमानित संसाधन का 14.84 मिलियन टन
	एमओआईएल	मध्य प्रदेश	बालाघाट जिले में तिरोदी	1.77 मिलियन टन सूचित भंडार
			बालाघाट जिले में भरवेली	21.53 मिलियन टन सूचित भंडार
		महाराष्ट्र	भंडारा जिले में डोंगरी बुजुर्ग	11.13 मिलियन टन सूचित भंडार
			भंडारा जिले में चिकला	4.33 मिलियन टन सूचित भंडार
स्वर्ण	जीएसआई	झारखंड	रांची में सिंदूरी पूर्वी ब्लॉक	1.81 ग्रा/टन सोने की औसती श्रेणी के साथ अयस्क का 3.10 मिलियन के कल अनुमानित संसाधन
		कर्नाटक	अज्जनदहल्ली ब्लॉक	ब्लॉक-सी में है, 2.17 ग्रा./टन (1 ग्रा./टन कट ऑफ) सोने की औसती श्रेणी के साथ अयस्क का 0.9946 मिलियन टन और 1.45 ग्रा./टन (0.5 ग्रा./टन कट ऑफ) सोने की औसत श्रेणी के साथ अयस्क का 0.213524 मिलियन टन
		राजस्थान	बांसवाड़ा जिले में दिलावाड़ा पश्चिम ब्लॉक	अयस्क का लगभग 1.62 मिलियन टन। इस प्रकार 1.87 ग्रा./टन एयू की औसती श्रेणी के साथ कुल 34.73 मिलियन टन संसाधन अनुमानित है।
			बांसवाड़ा जिले में गुंडेलपाड़ा ब्लॉक	3.978 ग्रा./टन एयू की औसत श्रेणी के साथ अयस्क के 1.932 मिलियन टन संसाधन

1	2	3	4	5
			डुंगरपुर जिले में भारकुंडी	0.25 ग्रा./टन एयू के साथ 4.5 मिलियन टन के कुल टोही संसाधन
एमईसीएल		झारखंड	रांची में (फेज-2) में पारसी केंदीय ब्लॉक	0.995 ग्रा./टन एयू के साथ 7.467 मिलियन टन और 1.65 ग्रा./टन एयू के साथ 3.714 मिलियन टन संसाधन अनुमानित हैं।
			रांची में (फेज-1) में पारसी केंद्रीय ब्लॉक	1.05 ग्रा./टन एयू के साथ 3.486 मिलियन टन और 1.72 ग्रा./टन एयू के साथ 1.67 मिलियन टन संसाधन अनुमानित हैं।
	एचजीएमएल	कर्नाटक	रायचूर जिले में हट्टी	5.68 ग्रा./टन एयू के साथ अयस्क के कुल 9.18 मिलियन टन संसाधन
			रायचूर जिले में हीरा बुदीनी	3.26 ग्रा./टन एयू के साथ स्वर्ण के लगभग 0.75 मिलियन टन संसाधन
लाइमस्टोन	जीएसआई	राजस्थान	जेसलमेर जिले में मिनियुम की धाना (इ)	एसएमएस श्रेणी लाइमस्टोन के 235.28 मिलियन टन और सीमेंट श्रेणी लाइमस्टोन के 336.07 मिलियन टन संसाधन
बेराडाट, रेड ओंकर और सिलिका सेंड	डीजीएम	राजस्थान	रायपुर, भरतपुर जिले में भौंडागांव आदि	सिलिका सेंड के लगभग 0.23 मिलियन टन और रेड ओकर के 0.27 मिलियन टन संसाधन अनुमानित थे।
डोलोमाइट	डीजीएम	मध्य प्रदेश	छतरपुर जिले में एन/वी बांजा	कुल 9.39 मिलियन टन संसाधन अनुमानित थे
जिप्सम	डीजीएम	राजस्थान	बीकानेर जिले में खाजूवाला, पुगल और कोलायाट	लगभग 1.5 मिलियन टन लौह अयस्क संसाधन अनुमानित थे
लेटेराइट	डीजीएम	मध्य प्रदेश	मंदसोर और नीचम	लगभग 47.25 मिलियन टन लौह अयस्क संसाधन अनुमानित थे।
		छत्तीसगढ़	बस्तर जिले में बस्तर एरिया	लगभग सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 6.30 मिलियन टन संसाधन
			रायपुर जिले में देवगांव कुररा क्षेत्र	सीमेंट ग्रेड लगभग 5.925 मिलियन टन और ब्लैंडएंबल ग्रेड के 3.079 मिलियन टन और निम्न ग्रेड के 18.587 मिलियन टन
लाइमस्टोन	डीजीएम	राजस्थान	जेसलमेर जिले में एन/वी साम	एसएमएस श्रेणी लाइमस्टोन के 116 मिलियन टन और सीमेंट श्रेणी लाइमस्टोन के 181 मिलियन टन संसाधन अनुमानित थे।
			खेरवाड और एन/वी गोंडवाना	सीमेंट/केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 68 मिलियन टन संसाधन आंकलित किए गए

1	2	3	4	5
			नागौर जिले में एन/वी मेडपुरा भेर	लाइमस्टोन ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 0.10 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए
लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट	डीजीएम	राजस्थान	एन/वी कर्जी, जगता, रावत-का-पडला आदि	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 0.10 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए
पायरोफलाइट /सीलोमेनाइट	डीजीएम	महाराष्ट्र	चंद्रपुर में एन/वी वालनी-खड्गांव	पायरोफीलाइट/सीलोमेनाइट सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के लगभग 0.16 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए
क्वार्टज	डीजीएम	कर्नाटक	मांडया हमनहल्ली आदि में एन/वी खेतरी	क्वार्टज के लगभग 15,000 टन संसाधन अनुमानित किए गए।
टॉक स्टेटाईट	डीजीएम	कर्नाटक	देवनगरी जिले में रेड्डी कैंप के पास कबाला गांव	20M गहराई में 0.20 मिलियन टन भंडार अनुमानित
लाइमस्टोन	जीएमडीसी	गुजरात	कच्द में एन/वी परंधरु	लाइमस्टोन के लगभग 41 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए।
			सूरत जिले में एन/वी ताडकेश्वर	लाइमस्टोन के प्रमाणित भंडार 69 मिलियन टन संसाधनों की गणना की गई
फ्राइऐबल क्वार्टरजाइट /ग्लास सेंड	एमईसीएल	असम	नौगांव जिले में जियाजूरी ब्लॉक	लगभग 320.53 मिलियन टन संसाधन आंकलित किए गए।
ग्रेनाइट ग्रेनेटिक जिनीयसिस और डोलेराइट	डीएमजी	कर्नाटक	चित्रदुर्ग जिले में एन/वी दशरहल्ली लंबानीहट्टी और कनेवी।	20 मीटर की गहराई तक 1.58 मिलियन घन मी. भंडार अनुमानित किए गए।
सेंडस्टोन	डीएमजी	राजस्थान	धोनपुर जिले में एन/वी शुभनपुरा रेटॉटी, डोमपुरा आदि	सेंडस्टोन के लगभग 25.64 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए।
सेंडस्टोन एंड मेसोनरी स्टोन	डीएमजी	राजस्थान	बूंदी जिले में एन/वी प्रेमपुरा लोइचा, दुल्हापुरा आदि	मेसोनरी उद्देश्य के लिए सेंडस्टोन के अनुमानित भंडार 180 मिलियन टन पाए गए।
			कोट जिले में एन/वी मंडीलिया, मंडीलिया, मंडाना, राजमढ़	मेसोनरी उद्देश्य के लिए सेंडस्टोन के अनुमानित भंडार 123.5 मिलियन टन पाए गए।

2010-11

खनिज	एजेंसी	राज्य	स्थान	परिणाम/मात्रा
आधार धातु	एचसीएल	राजस्थान	झुंझूनू जिले में खेतरी खान	लगभग 56.978 मिलियन टन 1.37% कोंपर के साथ
	एचजैडएल	राजस्थान	उदयपुर जिले में जवार ग्रुप की खान	सीसा-जिंक अश्यस्क के लगभग 65.86 मिलियन टन संसाधन

1	2	3	4	5
			राजसमंद में राजपुरा-दरिबा	लगभग 49.37 मिलियन टन लौह संसाधन 1.65 से 2.21% सीसा और 6.47 से 7.76% जिंक के साथ
सीसा-जिंक	जीएसआई	मध्य प्रदेश	छिंवाडा जिले में जंगदेहरी ब्लॉक	2008-09 के दौन 1.10% जिंक के साथ जिंक अयस्क के अनुमानित संसाधन 0.98 मिलियन टन
			बेतुल जिले में बिस्खान खारी ब्लॉक	2006-09 के दौरान 1.14% जिंक के साथ जिंक अयस्क के अनुमानित संसाधन 1.91 मिलियन टन
आधार धातु	एमईसीएल	राजस्थान	चितौड़गढ़ जिले में वारि (बीएंडसी) ब्लॉक	1.09% कॉपर के साथ कुल 2.56 मिलियन टन संसाधन
बॉक्साईट	डीजीएम	छत्तीसगढ़	सरगुजा जिले में मैनपेट प्लेट्यू का सरभंजा क्षेत्र	बॉक्साइट मेटल ग्रेड के लगभग 1,00,000 टन
			सरगुजा जिले में मैनपेट प्लेट्यू का दण्डकेसरा क्षेत्र	बॉक्साईट मेटल ग्रेड के लगभग 3,00,000 टन
	जीएमडीसी	गुजरात	कच्छ जिले में बालाछोड़ दबन, बांडथ और I एंड II खानें	बॉक्साईट के लगभग 10.93 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए।
लौह अयस्क	जीएसआई	छत्तीसगढ़	कंकेर जिले में अरिडोंगरी	62.28% Fe ग्रेड के साथ कुल 10.014 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए।
	डीजीएम	छत्तीसगढ़	बस्तर जिले में रावघाट	35-65% Fe ग्रेड के साथ लौह अयस्क के 11 मिलियन टन संसाधन अनुमानित किए गए
	सेल	झारखंड	सिंहभू (पश्चिम) में किरीबूरू और मेघातूबरू खानें	लौह अयस्क के किरीबूरू में 24.62 मिलियन टन भंडार और मेघातूबरू में 51.42 मिलियन टन भंडार अनुमानित किए गए।
	वी.एम. सालगावकर एंड ब्रदर्स प्रा.लि.	गोवा	वेलगविम/सुरुक्षा खान	लौह अयस्क के कुल 11.62 मिलियन टन भंडार
			सनकोर्डम मालपोरा	लौह अयस्क के कुल 10.37 मिलियन टन भंडार
			सिगाव खान	लौह अयस्क के कुल 7.5 मिलियन टन भंडार
	मैसूर मिनरल्स लि. (एमएमएल)	कर्नाटक	बेल्लारी जिले में में थिम्मपांगुडी	लौह अयस्क के कुल 17.1 मिलियन टन भंडार

1	2	3	4	5
	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव जिले में देवपुरा लौह	प्रमाणित और संभावित श्रेणी में कुल 6.52 मिलियन टन भंडार अनुमानित किए गए
	चौगुले एंड कंपनी प्रा.लि.	गोवा	उत्तरी गोवा में पाले निक्षेप	लौह अयस्क के 0.40 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
मैंगनीज अयस्क	जीएसआई	ओडिशा	क्योंझर जिले में दामुर्दा उत्तरी ब्लॉक	2009-10 में 18.98% मैंगनीज के साथ लगभग 0.152 मिलियन टन अनुमानित
	एमओआईएल	मध्य प्रदेश	बालाघाट जिले में भारवेली	24.58 मिलियन टन सूचित भंडार
		महाराष्ट्र	नागपुर जिले में गुमगांव	4.34 मिलियन टन सूचित भंडार
			नागपुर जिले में बेडोगरी	0.40 मिलियन टन सूचित भंडार
			नागपुर जिले में कंदरी	3.50 मिलियन टन सूचित भंडार
			नागपुर जिले में मनसार	4.66 मिलियन टन सूचित भंडार
			भंडारा जिले में डोंगरी चिकला	4.22 मिलियन टन सूचित भंडार
			भंडारा जिले में डोंगरी बुजुर्ग	11.22 मिलियन टन सूचित भंडार
मोलिबेडनम	जीएसआई	तमिलनाडु	धरमपुरी जिले में वेल्लमपट्टी क्षेत्र	2009-10 में 0.102% के मोलिबेडनम के औसत ग्रेड के साथ 2.74 मिलियन टन का अनुमानित
स्वर्ण	जीएसआई	कर्नाटक	तुमकुल जिले में अज्जानाहल्ली	2009-10 में 1 ग्राम प्रति टन कटऑफ पर 2.17 ग्राम प्रति टन औसत श्रेणी की 0.995 मिलियन टन अनुमानित संसाधन आंकलित
	एचजीएमएल	कर्नाटक	रायचुर जिले में हट्टी खान	5.26 ग्राम प्रति टन स्वर्ण की कुल 9.25 मिलियन टन स्वर्ण संसाधन आंकलित
			रायचुर जिले में हीरा बूदीनी	3.99 ग्राम प्रति टन से युक्त स्वर्ण अयस्क की लगभग 0.78 मिलियन टन संसाधन की गणना की
			रायचूर जिले में यूटीआई	2.50 ग्राम प्रति टन से 2.91 ग्राम प्रति टन स्वर्ण के साथ 2.18 मिलियन टन कुल खनन योग्य भंडार आकंलित है

1	2	3	4	5
चाइना कले	डीजीएम	केरल	कोल्लम जिले में कांजीरामकोडे	चाइना कले लगभग 0.33 मिलियन टन संसाधन आंकलित है
कले	डीजीएम	राजस्थान	कराऊली जिले में एन/वी खाओदा एंड गाज्जूपुरा	खाओदा में लगभग 70,200 टन एवं गाज्जूपुरा में 93,600 टन के अनुमानित भंडार
जिप्सम	डीजीएम	राजस्थान	बीकानेर तथा गंगानगर जिले में काजूवाला अनूपगढ़ के भाग	लगभग 1 मिलियन टन जिप्सम का संसाधन आंकलित
			जालौर जिले में संछोर के भाग	कुल 8.34 लाख टन का जिप्सम संसाधन आंकलित
लाइमस्टोन	डीजीएम	छत्तीसगढ़	बस्तर जिले में बस्तर क्षेत्र	सीमेंट श्रेणी लाइमस्टोन के कुल 6.70 मिलियन टन अनुमानित किया गया (अभी तक 13.00 मिलियन टन)
लाइमस्टोन	डीजीएम	राजस्थान	बरन में एन/वी लदवाड़ा/रायपुरा, बालदाड़ा और नागदा	मार्जिनल सीमेंट श्रेणी के लाइमस्टोन के अनुमानित भंडार लगभग 3.43 मिलियन टन आंकलित है; एन/वी डूंगरपुर 2.29 मिलियन टन एन/वी रायपुरा-लदवाड़ा; 1.56 मिलियन टन एन/वी बालदाड़ा एवं 1.118 मिलियन टन एन/वी नागदा
			झालवाड़ जिले में एन/वी डूंगरपुर सरोला खुर्द, बरिया	एन/वी डूंगरपुर सरोला सीमेंट श्रेणी लाइमस्टोन 7.59 मिलियन टन पर आंकलित एन/वी डूंगरपुर 2.29 मिलियन टन एन/वी सरोला खुर्द तथा बरिया
			नागपुर जिले में एन/एस हरीमा तथा पीतासार	लाइमस्टान की कुल 129.60 मिलियन टन अनुमानित
			नागपुर जिले में एन/वी (मधुपुरा) तथा बेराथल	लाइमस्टोन का कुल 26 मिलियन टन भंडार अनुमानित
पाइरोफाइट लाइट/ सिलिमेनाइट	डीजीएम	महाराष्ट्र	चंदरपुर जिले में एन/वी वालली खटगांव	पाइरोफाइट लाइट सिलिमेनाइट लगभग 0.40 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
टेल्क/ स्टीटाइट	डीजीएम	पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग जिले में गोककारमी	लगभग 60,000 टन संसाधन अनुमानित
ग्रेनाइट	डीजीएम	छत्तीसगढ़	बस्तर कांकेर जिले में मरवेंद-गुरू-वांडीड क्षेत्र	काले ग्रेनाइट की कुल 75,000 क्यूबिक मीटर अनुमानित

1	2	3	4	5
सेड स्टोन	डीजीएम	राजस्थान	धौलपुर जिले में एन/वी बदरिया वीजापुर	ब्लॉक केबुल की कुल 2.59 मिलियन टन एवं स्पिटिटेबुल स्टोन की 12.96 मिलियन टन संसाधन अनुमानित
			कोटा तथा बरन जिले में एन/वी	सेंडस्टोन की कुल 37.5 मिलियन टन संसाधन अनुमानित (मेशोनरी स्टोन)

स्रोत: विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर

विवरण-II

कार्य क्षेत्र 2012-13 के दौरान जीएसआई द्वारा आरंभ किए गए खनिज गवेषण कार्यक्रमों का ब्यौरा

खजिन	राज्य	स्थिति	टिप्पणियां/परिणाम
1	2	3	4
नोबल धातु	बिहार	जमुई जिले में सौनो ब्लॉक का कोरवाडीह झाझा क्षेत्र	स्वर्ण खनिजीकरण का अन्वेषण
	बिहार	गैरे-गयाि जले का केवटी क्षेत्र	स्वर्ण एवं आधार धातु खनिजीकरण का पता लगाना
	झारखंड	सारेईकेला/खारसावन जिले का लारगाडीह-बालीडी बलॉक	स्वर्ण हेतु अन्वेषण
	झारखंड	रांची जिले का का सिंदौरी/घनश्याम पुर ब्लॉक	स्वर्ण हेतु अन्वेषण
	ओडिशा	मयूरभंज जिले के बादामपहार-गोरमाहीसानी के बारकेराम-चलकाडीसाही तथा चम्पानी-हटिया ब्लॉक	स्वर्ण हेतु अन्वेषण
	महाराष्ट्र	नागपुर जिले के सकोली फोल्ड बेल्ट का गोथागांव-गोहरली क्षेत्र	नोबल तथा संबंधी धातुओं हेतु अन्वेषण
	मध्य प्रदेश	कटनी जिले का नन्हवारा-विलायत कलां क्षेत्र	महाकोशल शैल समूह में स्वर्ण हेतु आरंभिक खोज
	उत्तराखंड	रूद्र प्रयाग जिले का चौपरा-भटवारी क्षेत्र	नोबल तथा संबंधी धातुओं हेतु अन्वेषण
	उत्तर प्रदेश	स्वर्ण भद्र जिला	स्वर्ण तथा टंगस्टन खनिजीकरण हेतु खोज
	उत्तर प्रदेश	स्वर्ण भद्र जिला	स्वर्ण तथा टंगस्टन खनिजीकरण हेतु खोज
	राजस्थान	डूंगरपुर जिले का भरकुंडी क्षेत्र	स्वर्ण-तांबा खनिजीकरण हेतु गवेषण
	राजस्थान	बासवाडा जिले का गुंडलापारा पश्चिमी ब्लॉक	स्वर्ण तथा संबंधी आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण

1	2	3	4
	राजस्थान	बासावाडा, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में भूखिया	स्वर्ण-तांबा खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर जिले में कडिरी शिस्ट बैल्ट के दक्षिणी भाग में तन्कल्लू तथा कंडूकुर के बीच का क्षेत्र	स्वर्ण तथा संबंधी खनिजों हेतु आरंभिक क्षेत्र
नोबल धातु	कर्नाटक	टुमकुरपुर जिले के अज्जनहाली का ई-ब्लॉक	स्वर्ण खनिजीकरण के मूल्यांकन हेतु स्वर्ण अन्वेषण
	कर्नाटक	टुमकुरपुर जिले के अज्जनहाली का ई-ब्लॉक	स्वर्ण खनिजीकरण के मूल्यांकन हेतु स्वर्ण अन्वेषण
	कनार्टक	हावेरी जिले के शीमोगा शिस्ट बैल्ट का काकोल तथा निकटवर्ती क्षेत्र	स्वर्ण हेतु अन्वेषण
टंगस्टन	उत्तर प्रदेश	झांसी जिला	टंगस्टन तथा संबंधी खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
हीरा	छत्तीसगढ़	धमतारी, कनकेर तथा दुर्ग जिले	टोपोशीट सं. 64 एच/10 एवं 11 में किंबरलाइट क्लैन शैलों हेतु खोज
	छत्तीसगढ़	धमतारी, कनकेर जिले	टोपोशीट सं. 64 एच/14 एवं 15 में किंबरलाइट क्लैन शैलों हेतु खोज
	महाराष्ट्र	नागपुर तथा भंडारा जिले	हीरा सूचक खनिजों पर आधारित किंबरलाइट क्लैन शैलों हेतु खोज
	कर्नाटक	रायचूर, कोंपर तथा बेलारी जिले में मासी ब्लॉक	किंबरलाइटों का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण
	कर्नाटक	कौपल तथा बेलारी जिलों में टावरगेरी ब्लॉक	किंबरलाइटों का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण
	आंध्र प्रदेश	मेहबूब नगर तथा रंगरेड्डी जिलों में कोईलकोंडा देवाराकादरा ब्लॉक	किंबरलाइट/लैम्प्रोइट हेतु खोज
	आंध्र प्रदेश	कूरनुल तथा प्रकाशन जिलों में चेलिमा-वेलीगोडु ब्लॉक	किंबरलाइट/लैम्प्रोइट हेतु खोज
लौह एवं मैंगनीज	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम जिला	लौह अयस्क तथा मैंगनीज उत्पत्तियों का पता लगाने हेतु अन्वेषण
	ओडिशा	सुंदरगढ़ जिले के बोनाई-केन्दूझार का पश्चिमी कलामंग ब्लॉक	लौह अयस्क का गवेषण
	ओडिशा	सुंदरगढ़ जिले का पूर्वी सगासाही ब्लॉक	लौह अयस्क का गवेषण
	ओडिशा	केन्दूझार जिले के बोनाई-केन्दूझार का उत्तरपूर्वी बोलानी ब्लॉक	मैंगनीज का गवेषण

1	2	3	4
	छत्तीसगढ़	कबीरधाम (कावर्धा) जिले के एकलमा-चेलीकामा ब्लॉक में भालापुरी	लौह अयस्क का मूल्यांकन
लौह एवं मैंगनीज	कर्नाटक	टूमकूर जिले का चिक्कनयाकन्हाली क्षेत्र	मैंगनीज हेतु आरंभिक अन्वेषण
	राजस्थान	भरतपुर, करौली तथा बुंदी जिलों के भागों में करौली-बुंदी क्षेत्र	लौह-अयस्क निकायों की खोज
क्रोमाइट	आंध्र प्रदेश	कृष्णा तथा खम्मम जिलों के कोन्डापाली गंगीनेनी जिलों के बीच का क्षेत्र	क्रोमाइट खनिजीकरण हेतु गवेषण
	मणिपुर	चंदेल जिले का मोरेह क्षेत्र	क्रोमाइट भारी अल्ट्रा मैफिक्स पर गुरत्य-चुबकीय सर्वेक्षण
मैग्नेटाइट	मेघालय	पश्चिमी खासी हिल्स जिले में रामबाई के आस-पास	टिटेनीफेरस-वानाडीफेरस मैग्नेटाइट हेतु अन्वेषण
आधार धातु	महाराष्ट्र	गढचिरौली जिले का घनपुर-मुढौली ब्लॉक	तांबा तथा संबंधी खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	हरियाणा	महेन्द्रगढ़ जिला	तांबा खनिजीकरण की होस्ट शैल ईकाईयों के सीमाकंन पर बल देने के साथ बकरीजा के उत्तर में गैर-अन्वेषित भागों में अन्वेषण
	हिमाचल प्रदेश	कूल्लू जिले के पावर्ती घाटी का खानौर खाड क्षेत्र	आधार धातु उत्पत्तियों हेतु अन्वेषण
	जम्मू और कश्मीर	बारामूला जिले का बुनियार क्षेत्र	सीसा-जस्ता हेतु उपसतही अन्वेषण
	राजस्थान	भीलवाड़ा जिले के पुर-बनेरा बैल्ट का कारोई-राजपुरा क्षेत्र	आधार धातु हेतु उपसतही अन्वेषण
	राजस्थान	भीलवाड़ा जिले के पुर-बनेरा बैल्ट का सलामपुरा तथा दरीबा ब्लॉक	आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	भीलवाड़ा जिले के पुर-बनेरा बैल्ट का सलामपुरा तथा दरीबा ब्लॉक	आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	अलवर जिले के मुंडियावास-खेरा क्षेत्र का खेरा ब्लॉक	तांबा तथा संबंधी बहुमूल्य धातुओं हेतु अन्वेषण
आधार धातु	राजस्थान	अलवर जिले के मुंडियावास-खेरा क्षेत्र का	तांबा तथा संबंधी बहुमूल्य धातुओं हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	सीकर जिले का पश्चिमी नानगवास क्षेत्र	आधार धातु हेतु गवेषण
	राजस्थान	सीकर जिले का उत्तर दरीबा ब्लॉक	आधार धातु हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	सीकर जिले का घाटीवाला ब्लॉक	आधार धातु हेतु अन्वेषण

1	2	3	4
	राजस्थान	सीकर जिले का पालसवाला की धानी ब्लॉक	आधार धातु हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	झुंझुनू जिले के सैंट्रल खेतरी बैल्ट के साउथ	तांबा तथा संबंधी धातुओं हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	रामपुरिया-गडरियाखेरा ब्लॉक	आधार धातु एवं संबंधी स्वर्ण खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	अजमेर जिले का पिल्वा ब्लॉक	आधार धातु हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	उदयपुर जिले का चारी (एनडब्लू) ब्लॉक	आधार धातु खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	राजस्थान	सिरोही जिले के भिमाना एवं किवारली ब्लॉक	आधार धातुओं हेतु अन्वेषण
	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर जिले के रामगिरी-पेनाकाचेरला शिस्ट बैल्ट के कंगनापाले क्षेत्र का चेरपाले ब्लॉक	तांबा हेतु गवेषण
	केरल	वायानाड जिले का पंडितजारातारा क्षेत्र	वृहत सल्फाईड खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	सिक्किम	पूर्वी जिले के अनुमानित दिक्चू आधार धातु के विस्तृत क्षेत्र	आधार धातुओं तथा संबंधी स्वर्ण हेतु आरंभिक अध्ययन
	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग जिले के पकरो-निंगचो क्षेत्रों में	आधार धातु तथा संबंधी खनिजों हेतु अन्वेषण
दुर्लभ धातु आरईई एवं पीजीई	झारखंड	रांची जिले का डूब्लाबेरोटोली-सुंदिल क्षेत्र	दुर्लभ धातु हेतु अन्वेषण
	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम जिले के रन्जरोकोचा-जनोआ-जोजोहाटू-टोन्टो क्षेत्र	पीजीई, सीआर तथा एनआई हेतु अन्वेषण
	ओडिशा	ढेंकनाल जिले का कमाख्या नगर, चंदर क्षेत्र	पीजीई की खोज
	छत्तीसगढ़	जशपुर जिले के मयुरनाचा-कनपारा, जमझोर तथा मधुबन क्षेत्र	पीजीई हेतु पुनमूल्यांकन
	छत्तीसगढ़	रायपुर जिले के चंद्रनगर-लौहारदादर क्षेत्र	पीजीई एवं एनआई हेतु आरंभिक अन्वेषण
	महाराष्ट्र	नागपुर जिले का सौसर मोबाइल बैल्ट	आरईई एवं आरएम हेतु क्षेत्रीय मूल्यांकन
	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग जिले के अकेरी तथा खरदेवाडी क्षेत्र	पीजीई, एनआई एवं सीआर हेतु आरंभिक अन्वेषण
	मध्य प्रदेश	सिद्धि जिले के थापना-करहीया क्षेत्र	प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंटस तथा संबंधी स्वर्ण खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
दुर्लभ धातु आरईई एवं पीजीई	राजस्थान	पाली जिले में धानी ग्रेनाइट	आरईई खनिजीकरण हेतु अन्वेषण

1	2	3	4
	राजस्थान	पाली जिले का सेंदरा-चितार क्षेत्र	दुर्भभ धातुओं की खोज
	आंध्र प्रदेश	प्रकाशन जिले में चिमाकुर्थी इग्नेयस काम्पलेक्स	पीजीई खनिजीकरण का पुन:मूल्यांकन
	आंध्र प्रदेश	नेलोर जिले में वुटूकरू तथा कालीचेडू के बीच का क्षेत्र	आरईई हेतु आरंभिक अन्वेषण
	केरल	मालापुरम जिले में निलाम्बूर घाटी	पीजीई खनिजीकरण हेतु आरंभिक अन्वेषण
	तमिलनाडु	सीतमपुंडी एनोरथोसाइट काम्पलेक्स में तासामपलाईयम ब्लॉक केटी 1 तथा केटी2 क्षेत्र	वेधन द्वारा प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंटस हेतु गवेषण
	तमिलनाडु	मेटूपालइयम मैफिक-अल्ट्रामैफिक काम्प्लेक्स के सोलावानूर ब्लॉक में सिस्टमैटिक वेधन द्वारा हेतु गवेषण	प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमैंटस हेतु गवेषण
	तमिलनाडु	मेटूपालइयम मैफिक-अल्ट्रामैफिक काम्प्लेक्स	सोलावानूर एक्स. ब्लॉक में विस्तृत मानचित्रण द्वारा प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमैटस हेतु गवेषण
	तमिलनाडु	इरोड जिले के मेटूपालइयम बैल्ट के कराटाडीपालइयम-गोपीचेट्टीपालइयम-दसामपालइयम क्षेत्र	प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमैंटस हेतु आरंभिक अन्वेषण
दुर्लभ धातु	तमिलनाडु	तिरूपुर जिले का तिरूमनकराडू क्षेत्र	पीजीई हेतु आरंभिक अन्वेषण
	अरुणाचल प्रदेश	अंजब, लोहित तथा निचली दिबंग घाटी जिले	पीजीई तथा स्वर्ण खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	नागालैंड	औफीयोलाइट बैल्ट	प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमैंटस हेतु आरंभिक अन्वेषण
	मेघालय	लैलाड तथा उमलिंग, री-बोही-जिला	आरईई हेतु आरंभिक अन्वेषण
मोलीब्डेनस	महाराष्ट्र	नागपुर जिले के सकोली फोल्ड बैल्ट का खाँबना क्षेत्र	मोलीब्डेनम तथा संबंधी खनिजीकरण हेतु अन्वेषण
	तमिलनाडु	धर्मापुरी जिले के हरूर-उतानगरई मोलीब्डेनम बैल्ड के दक्षिणी वेल्म पट्टी ब्लॉक में	मोलीब्डेनम हेतु विस्तृत गवेषण
टैल्क स्टेटाईट	पश्चिम बंगाल	पूरूलिया जिले के परगा तथा अल्खुशा क्षेत्र	छोटा नागपुर गिनेसिस काम्पलेक्स के पेगमाटाइट तथा एपलाइट निकायों में दुर्लभ धातु खनिजीकरण का उल्लेख
लिग्नाइट	पश्चिम बंगाल	वर्धमान जिले के रानीगंज लिग्नाइट फील्ड आधारसूली क्षेत्र	लिग्नाइट हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	राजस्थान	बिकानेर जिले के पलाना बेसीन में दक्षिणी खारीचरनन क्षेत्र	लिग्नाइट की खोज

1	2	3	4
कोयला	पश्चिम बंगाल	बीरभूम जिले में रानीगंज कोलफील्ड	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	पश्चिम बंगाल	बीरभूम जिले में बीरभूम कोलफील्ड	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	पश्चिम बंगाल	बीरभूम जिले के राजमहल मास्टर बेसीन में गाजीपुर का पश्चिमी क्षेत्र	कोयला हेतु गवेषण
	ओडिशा	झरसुगुडा जिले में खरीया परहा ब्लॉक, आईबी-रियर कोलफील्ड	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	ओडिशा	झरसुगुडा जिले में गिरीन्डोला ब्लॉक, आईबी-रियर कोलफील्ड	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	ओडिशा	झरसुगुडा जिले में बंडबाहल ब्लॉक, आईबी-रियर कोलफील्ड	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	ओडिशा	अंगल जिले के तालचर कोलफीलडल में चरकानी ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	ओडिशा	अंगुल जिले के ताचलर कोलफील्ड में उत्तरी नुआगंव क्षेत्र	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	छत्तीसगढ़	रायगढ़ जिले के मंड-रायगढ़ कोलफील्ड का समरसिंघा ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	छत्तीसगढ़	रायगढ़ जिले के मंड-रायगढ़ कोलफील्ड का तेरम ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
कोयला	छत्तीसगढ़	सरगुजा जिले के टाटापानी-रामकोला कोलफील्ड में विजयनगर-गिद्दी ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	मध्य प्रदेश	छिन्दवाड़ा जिले के पेनच घाटी कोलफील्ड में भूरकुमधाना ब्लॉक	कोयला हेतु गवेषण
	मध्य प्रदेश	सिंगरोली जिले के सिंगरोली कोलफील्ड में सराई (पश्चिम) ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	मध्य प्रदेश	शाहडोल जिले के सोहागपुर कोलफील्ड में पचरी ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	मध्य प्रदेश	शाहडोल जिले के सोहागपुर कोलफील्ड में मैकी (उत्तरी) ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश	शाहडोल जिले के सोहागपुर कोलफील्ड में बिहार ब्लॉक	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	महाराष्ट्र	यवतमाल जिले के वर्धा घाटी कोल्डफील्ड में झमकोला क्षेत्र	कोयला हेतु गवेषण
	ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल		कोयला/लिग्नाइट क्षेत्रों में बोरहोलों (संवर्द्धनात्मक तथा गैर-संवर्द्धनात्मक) का भूभौतिकीय लोगिंग
कोयला	आंध्र प्रदेश	खम्मम तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों के गोदावरी घाटी कोलफील्ड के दक्षिणी उपबेसीन में वुटासमुद्रदम-वेंकटापुरम क्षेत्र	कोयला हेतु गवेषण
	आंध्र प्रदेश	खम्मम जिले के गोदवारी घाटी कोलफील्ड के मुख्य बेसीन के दक्षिणी भाग में पगाडेरू (पश्चिम) क्षेत्र	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	असम एवं मेघालय	धुबरी जिले के सिंगरीगमारी कोलफील्ड में सुक्चर-सिंगरीमारी क्षेत्र	कोयला हेतु क्षेत्रीय गवेषण
	असम एवं मेघालय	डूबरी जिले में शालीभूईन तथा पश्चिम गारों हिल्स में नकाईगिरी	संभावित कोयला क्षेत्र का पता लगाने हेतु आरंभिक मूल्यांकन
फोंस्फोराइट	मध्य प्रदेश	खंडवा जिले के मोदरी, सदखेरा तथा खेरा आस-पास के क्षेत्र	फोस्फोराइट खनिजीकरण हेतु पूर्वेक्षण
	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर और सागर जिलों में टोरो-सूरज पुरा ब्लॉक	फोस्फोराइट का विस्तृत पूर्वेक्षण
	राजस्थान	जैसलमेर जिले में फतेहगढ़ फोरमेशन	निम्न ग्रेड फोस्फोराइट की खोज
	आंध्र प्रदेश	कूरनूल बेसीन में अंकीरेडिपाले तथा ओक के बीच का क्षेत्र	फोस्फोराइट क्षमता हेतु पुर्नमूल्यांकन
ग्रेफाइट	मध्य प्रदेश	बेतूल जिले के टिक्करी, गोथाना, चिकलर तथा आस-पास के क्षेत्र	ग्रेफाइट हेतु अन्वेषण
	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग तथा उपरी सुबनसिरी जिलों में सियोम समूह तथा रागीडोक फोरमेशन	ग्रेफाइट होरीजन्स हेतु आरंभिक खोज
चूना पत्थर	हिमाचल प्रदेश	सीरमोर तथा सोलन जिले	चूना पत्थर/डोलामाइट बैंडस के मूल्यांकन तथा पता लगाने हेतु अन्वेषण

1	2	3	4
	राजस्थान	जैसलमेर जिला	निम्न सिलिका एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर की खोज
	राजस्थान	जेसलमेर जिले में साबू का टोबा-असूतार क्षेत्र	निम्न सिलिका एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर की खोज
	आंध्र प्रदेश	गुन्टूर जिले में मचेरला-रेनटाचिंताला-गुराजाला के बीच का क्षेत्र	चूना पत्थर संसाधनों हेतु आरंभिक अन्वेषण
	आंध्र प्रदेश	गुन्टूर जिले में पुलिपाडू तथा गुराजाला के बीच का क्षेत्र	चूना पत्थर संसाधनों हेतु गवेषण
	मेघालय	जयंतिया हिल्स जिले के लितांग घाटी में उमफायरलूह ब्लॉक	चूना पत्थर हेतु अन्वेषण
क्वार्टजाइट	जम्मू और कश्मीर	कथूआ जिले में बंजन-भूंड क्षेत्र	क्वार्टजाइट हेतु अन्वेषण
चाइना क्ले/ काओलिनाइट	राजस्थान	भिलवाडा जिले में जहाजपुर-मैंगरोप क्षेत्र	चाइना क्ले/काओलिनाइट का क्षेत्रीय मूल्यांकन
बीच सैंड्स में हैवी मिन्रलस	गुजरात	सूरत जिले के डूमाम तथा वलसाड जिले के तीथल के बीच समुद् तट	बीच सैंडस में हैवी मिन्रलस का आरंभिक मूल्यांकन
वोलास्टोनाइट	गुजरात	बनासकांठा जिले का धनपुरा-घोडा क्षेत्र	वोलास्टोनाइट तथा संबंधी खनिज उत्पत्तियों का मूल्यांकन
बैराइट	कर्नाटक	बगलकोट जिले का गडीसांकापुरा क्षेत्र (हंनगुंड-कुशटागी शिस्ट बैल्ट)	बैराइट हेतु आरंभिक अन्वेषण
बैन्टोनाइट	कर्नाटक	उदूपी जिले का तटीय क्षेत्र	बैंटोनाइट के विशेष उल्लेख के साथ क्ले मिनरलस हेतु अन्वेषण
सिलिमैनाइट	मेघालय	पश्चिमी खासी हिल्स लि में मैरंग-लंगटोर-नोंगडोंग क्षेत्र	सिलिमैनाइट का आरंभिक मूल्यांकन

विवरण-III

1-4-2010 तक खनिजवार भंडार/संसाधन की मात्रा

क्र.सं.	खनिज	इकाई	भंडार	शेष संसाधन	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	एलेक्सनडेराइट			आकलित नहीं	
2.	अंडारूसाइट	000' टन	-	18,450	18,450

1	2	3	4	5	6
3.	एटीमनी				
	अयस्क	टन	–	10,588	10,588
	धातु		–	174	174
4.	एपेटाइट	टन	2,090,216	22,138,530	24,228,746
5.	एस्बेस्टॉल	टन	2,510,841	19,655,762	22,166,603
6.	बाल क्ले	टन	16,777,842	66,615,662	83,393,504
7.	बेराइटस	टन	31,584,128	41,149,746	72,733,874
8.	बॉक्साइट	000' टन	592,938	2,886,682	3,479,620
9.	बेंटोनाइट	टन	25,060,508	543,306,838	568,367,346
10.	बोरेक्स	टन	–	74,204	74,204
11.	कैलसाइट	टन	2,664,338	18,281,110	20,945,448
12.	चाक	000' टन	4,332	585	4,917
13.	चाक	000' टन	177,158	2,528,049	2,705,207
14.	क्रोमाइट	000' टन	53,970	149,376	203,346
15.	कोबालट (अयस्क)	मिलियन टन	–	44.91	44.91
16.	ताम				
	अयस्क	000' टन	394,372	1,164,086	1,558,458
	धातु	000' टन	4,768.33	7,518.34	12,286.67
17.	कोरंडम	टन	598	740,194	740,792
18.	झामंड	कैरेट	1,045,318	30,876,432	31,921,750
19.	डायस्पोर	टन	2,859,674	3,125,144	5,984,818
20.	डाइटोमाइट	000' टन	–	2,885	2,885
21.	डोलोमाइट	000' टन	738,185	6,992,372	7,730,557
22.	डुनाइट	000' टन	17,137	168,232	,185,369
23.	एमराल्ड			आकलित नहीं	

1	2	3	4	5	6
24.	फेल्सफर	टन	44503240	87,832,212	132,335,452
25.	फायर क्ले	'000 टन	30104	683,415	713,519
26.	फलुराइट	टन	4712316	13,501,588	18,213,904
27.	फुलर्स अर्थ	टन	58200	256,593,879	256,652,079
28.	गारनेट	टन	19324793	37,638,032	56,962,824
29.	स्वर्ण				
	अयस्क (प्राथमिक)		24124537	469,570,375	493,694,912
	धातु (प्राथमिक)	टन	110.54	549.3	659.84
	अयस्क (प्लेसर)		-	26,121,000	26,121,000
	धातु (प्लेसर)		-	5.86	5.86
30.	ग्रेनाइट (डायमेंशन स्टोन)	000' क्यू.मी.	263692	45966608	46230300
31.	ग्रेफाइट	टन	8031864	166,817,781	174,849,645
32.	जिप्सम	000' टन	39096	1,247,402	1,286,498
33.	लौह अयस्क (मेग्नेटाइट)	000' टन	21755	10,622,305	10,644,060
34.	लौह अयस्क (हेमेटाइट)	000' टन	8093546	9,788,551	17,882,097
35.	कायनाइट	टन	1574853	101,670,767	103,245,620
36.	लेटेराइट	000' टन	24714	446,119	470,833
37.	सीसा और जस्ता				
	अयस्क	000' टन	108,980	576,615	685,595
	सीसा धातु	000' टन	2,245.01	9,304.38	11,549.39
	जस्ता धातु	000' टन	12,453.26	24,211.64	36,664.90
	सीसा + जस्ता धातु	000' टन	0	118.45	118.45
38.	चूना पत्थर	000' टन	14,926,392	170,008,720	184,935,112
39.	मैग्नेसाइट	000' टन	41,950	293,222	335,172
40.	मैंगनीज अयस्क	000' टन	141,977	288,003	429,980

1	2	3	4	5	6
41.	मार्बल	000' टन	276,495	1,654,968	1,931,463
42.	मारल	टन	139,976,150	11,704,870	151,681,020
43.	अभ्रक	कि.ग्रा.	190,741,448	343,495,531	532,236,979
44.	मोलिब्डेनस				
	अयस्क	टन	–	19,286,732	19,286,732
	अमओएस$_2$ से युक्त		–	12,640	12,640
45.	निकिल	मिलियन टन	–	189	189
46.	ओकर	टन	54,942,176	89,319,089	144,261,265
47.	परलाइट	000' टन	428	1,978	2,406
48.	पीजीएम (धातु)	टन	–	15.7	15.7
49.	पोटाश	मिलियन टन	–	21,816	21,816
50.	पाइराइट	000' टन	–	1,674,401	1,674,401
51.	पाइरोफिलाइट	टन	23,275,451	32,807,451	56,082,902
52.	क्वार्टज और सिलिका	000' टन	429,223	3,069,808	3,499,031
53.	क्वार्टजाइट	000' टन	86,599	1,164,649	1,251,248
54.	रॉक फास्फेट	टन	34,778,650	261,505,701	296,284,351
55.	रॉक साल्ट	000' टन	16,026	–	16,026
56.	रूबी	कि.ग्रा.	236	5,112	5,348
57.	नीलम	कि.ग्रा.	–	450	450
58.	सेल	000' टन	15,331	580	15,911
59.	सिलमेनाइट	टन	4,085,052	62,902,385	66,987,437
60.	चांदी				
	अयस्क	टन	187,558,668	279,426,291	466,984,959
	धातु	टन	8,039.47	19,588.68	27,628.25
61.	स्लेट	000' टन	0	2,369	2,369

1	2	3	4	5	6
62.	सल्फर (नेटिव)	000' टन	-	210	210
63.	टाल्क, स्टीटाइट एवं सोपस्टोलन	000' टन	90,026	178,996	269,022
64.	टिन				
	अयस्क	टन	7,131	83,719,066	83,726,197
	धातु	टन	1,132,43	101,142.41	102,274.84
65.	टाइटेनियम खनिज	टन	22,030,223	371,965,694	393,995,917
66.	टंगस्टन				
	अयस्क	टन	-	87,387,464	87,387,464
	डब्ल्यूओ$_3$ से युक्त		-	142,094.35	142,094.35
67.	वेनेडियम				
	अयस्क	टन	410,955	24,307,933	24,718,888
	वी$_2$ओ$_5$ से युक्त		1,60272	63,284.45	64,887.17
68.	वर्मीकुलाइट	टन	1,704,007	803,003	2,507,010
69.	वालस्टोनाइट	टन	2,487,122	14,082,751	16,569,873
70.	जिरकॉन	टन	1,347,470	1,786,482	3,133,952

स्रोत : राष्ट्रीय खनिज वस्तु-सूची, 1-4-2010 एवं आईबीएम वेबसाइट। आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

विवरण-IV

खनिज वार उत्पादन का मूल्य

(मूल्य 100 स्पष्ट में)

खनिज	इकाई	2009-10		2010-11(अनंतिम)		2011-12 (जनवरी, 12 तक)	
		मात्र	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी खनिज			1700692933		1928755746		1592288971
निमस ईंधन खनिज			1336654700		1428269646		1159723434

1	2	3	4	5	6	7	8
कोयला	टन	532042000	513182500	533223000	515661261	419156000	402404672
लिग्नाइट	टन	34071000	37756000	37651000	40643573	33256000	35139035
प्राकृतिक गैस (यूटी)	एमसीएम	47510	177803600	51203	191624461	39298	147070649
पेट्रोलियम (क्रूड)	टन	33691000	607912600	37705000	680340351	31873000	575109078
धात्विक			317337960		451564203		388675591
बाक्साइट	टन	14124093	4887897	12640785	4737480	10581170	4399301
क्रोमाइट	टन	3425580	10453620	4262207	22955675	2977575	19493108
तांबा सांद्र	टन	124577	3809462	136856	5469271	110285	5080821
प्राथमिक स्वर्ण	टन	2.084	3425814	2.239	4302096	1.844	4542970
लौह सांद्र	टन	571000	392025	714000	583309	336000	225560
लौह सांद्र	टन	127720000	137815781	125128000	205002575	87233000	169725441
लौह फाइंस	टन	90262000	126412246	82156000	169757545	54026000	148633235
लौह लम्पस	टन	133921	1765874	145043	1961805	131770	1998108
सीसा सांद्र	टन	2491950	11905233	2881080	13695816	1925559	9662402
मैगनीज अयस्क	टन	1279880	13058419	1420105	17633867	1167939	16229788
अन्य खनिज		10890758.8	3411589	11831960.64	5464764		8684857
गैर-धात्विक			46700273		48921897		43889946
पपीटाई	टन	5992	12911	3845	7702	2577	5396
एस्बेस्टॉस	टन	243	12268	258	12887	186	8494
बाल क्ले	टन	932993	218174	958454	202616	1240008	482040
बेराइट	टन	2152552	2601842	2333805	2651360	1469338	1426702
कैलसाइट	टन	49309	16980	39370	13048	47964	17565
चाल्क	टन	ҸҸ52ҸҸ	71087	174914	65220	140448	53692
क्ले (अन्य)	टन	1056273	71294	590702	44508	567286	38901
क्रूड माइका	टन	1060.858	39940	1292.717	43963	1396.748	49472

1	2	3	4	5	6	7	8
हीरा	कैरेट	16891	116279	19774	152651	14549	158731
डास्पोर	टन	25569	27421	26905	25468	19395	20038
डोलोमाइट	टन	5911759	1672224	5064876	1504152	4270624	1225507
फेलसफर	टन	496997	98648	472041	99377	484046	153421
फायरक्ले	टन	548748	89680	571421	100245	626552	112455
फ्लुराइट (ग्रेडेड)	टन	4995	20614	3150	14985	2430	9259
फ्लुराइट सांद्रा(ए)	टन	1879	28369	155	2738	0	0
फ्लुराइट सांद्र (एम)	टन	6907	70486	4239	63674	1397	19531
गारनेट	टन	1580617	763377	2058266	1200146	1823334	1167914
ग्रेफाइट	टन	124625	53830	114836	47098	116431	52209
जिप्सम	टन	3370322	1004631	4346700	1304004	2503834	1019297
कोअलिन प्राकृतिक	टन	2718377	524681	2447439	503740	2108510	418747
कोलिन परिष्कृत	टन	79963	152045	74742	123819	54808	91059
लेटेराइट	टन	1300772	177376	1158192	120886	1068813	162007
चूना पत्थर	टन	232951000	32477596	237774000	32254919	209200000	28932163
मैंगनेसाइट	टन	301070	435118	229734	341520	170718	264864
फास्फोराइट	टन	1605489	3103095	2152215	5513749	1907915	5371464
पारोफिलाइट	टन	240747	60425	234487	52129	184085	37339
सिलिका सैण्ड	टन	2545988	408559	3081468	342351	3228377	538611
सिलिमेनाइट	टन	33687	258779	47671	424964	48376	427085
साल्ट	टन			0	0	0	0
स्टीटाइट	टन	876548	713708	895817	592977	728206	608393
वालस्टोनाइट	टन	132385	111930	182600	150093	151944	130972
अन्य खनिज			1286906		944908		886618

स्रोत : एमसीडीआर विवरणी

विवरण-V

खनिज संभावित क्षेत्रों के अंदर पहचान की गई नई खनिज सम्पन्न क्षेत्र

क्र.सं.	मेटालोजोनिक क्षेत्र	राज्य	पहचान किए गए नये खनिज संपन्न	सामग्री
1.	उत्तरी दिल्ली वलन क्षेत्र	राजस्थान	खेरा ब्लॉक, मुडियावास-खेरा क्षेत्र, अलवर जिला	ताम
2.	उत्तरी दिल्ली वलन क्षेत्र	राजस्थान	महावा ब्लॉक, सिकार जिला	ताम
3.	चित्रदुर्ग दिल्ली वलन क्षेत्र	कर्नाटक	अज्जनहाली ब्लॉक-डी, ब्लॉक-ई एवं जी	स्वर्ण
4.	सिंहभूम क्षेत्र	झारखंड	सिंदौरी-घनश्यामपुर ब्लॉक, सिंदौरी पूर्वी ब्लॉक	स्वर्ण
5.	भूखिया स्वर्ण संभावित क्षेत्र	राजस्थान	गुंडेलपारा ब्लॉक, दिलवाड़ा पश्चिमी ब्लॉक	स्वर्ण
6.	महाकौशल बेल्ट	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र जिला का चाकोरिया-चरका क्षेत्र	स्वर्ण
7.	सितमपुड्डी मैफिक-अल्ट्रामैफिक कम्प्लेक्स	तमिलनाडु	तसमपलियाम ब्लॉक, चेतिया पालायाम ब्लॉक	पीजीई
8.	मेतुपल्लयाम मैफिक-अल्ट्रामैफिक कम्पलेक्स	तमिलनाडु	सोलवानुर	पीजीई
9.	ट्रांस-अरावली बेल्ट	राजस्थान	धानी ग्रेनाइट	आरईई
10.	संग घाटी कम्पलेक्स	मेघालय		आरईई
11.	जैसलमेर बेसिन	राजस्थान	मुनियान की धानी (पूर्व), जैसलमेर जिला)	चूनापत्थर
12.	बिसवारा बेसिन	मध्य प्रदेश	झाबुआ जिला के पिपलोडा एवं धानपुरा-खतमा ब्लॉक, लुकरी-कुकरोथा-रेपुरा-सूर्यपुरा क्षेत्र, छत्तरपुर एवं सागर जिला	निम्न श्रेणी का
13.	ओनई-केदुझाड़ बेल्ट	ओडिशा	घोराबुरहानी-सागासाही ब्लॉक, सुंदरगढ़ जिला	लौह अयस्क

विवरण-VI

11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित प्रौद्योगिकी संलयन का ब्यौरा

1. आईसीपी-एमएस जैसी रासायनिक प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपस्करों का सुदृढ़ीकरण, वैश्विक स्तर पर परिशुद्धता के सामंजस्य के लिए एडब्ल्यूएएस, आईसीपी-एईएस का उच्च वर्जन तथा निर्धारित समय के भीतर खनिज गवेषण के तर्कसंगत समापन में सहायक।

2. बहु-चैनल गामा किरण स्पैकट्रोमैट्री, बहु-बारम्बारता ईएम प्रणाली आदि जैसे पृष्ठीय भूभौतिक सर्वेक्षण के लिए उपस्करों का आधुनिकीकरण और संवर्द्धन।

3. हीरा, सामरिक और पीजीई गवेषण के लिए सर्वोत्तम पेट्रोलौजिकल उपकरण। कोयले के लिए गवेषण गतिविधि के सुदृढ़ीकरण हेतु भस्क संलयन उन्मूलक, भस्म कंटेंट विश्वलेषक, बम्ब कैलोरीमापी आदि।

4. अत्याधुनिक वेधन मशीन (रिर्वस सरकुलेशन, हाइड्रोलिक) आदि।

देश के खनिज संसाधनों के लिए गवेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपस्कर/उपकरण खरीदे गए अथवा योजना के अनुसार खरीद की प्रक्रिया में है:

1. वायुवाहित चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और गामा किरण सर्वेक्षणों सहित वायुवाहित सर्वेक्षण विश्वभर में प्रथम वर्ग के लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान करने में काफी लाभदायी सिद्ध हुए हैं और गवेषण के लिए इनका प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में जीएसआई में वायुवाहित सर्वेक्षण तक स्थिर विंग एयरक्राफ्ट (टीओएएसएस) की सहायता से किया जाता है। वायुवाहित सर्वेक्षण का सुदृढ़ीकरण हेलिबोर्न मल्टी सेंसर, वायुवाहित सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद द्वारा किया जाता है, जिसमें चुंबकीय, ग्रेविटी, टाइम डोमेन, विद्युत चुंबकीय (टीडीईएम) और गामा किरण स्पैक्ट्रोमैट्रीय तथा हाइपर स्पैक्ट्रोमैट्री जैसे बोर्ड सेंसर शामिल हैं।

2. खनिज गवेषण के लिए भूरासायनिक का अनुप्रयोग, मृदा सर्वेक्षण में परंपरागत तथा उन्नत भूरासायनिक तकनीकों को अपनाना, स्ट्रीम सेडिमेंट सर्वेक्षण, वाष्प सर्वेक्षण, तल शैल सर्वेक्षण प्रछन्न अयस्क पिंडों के प्रभा मंडल प्रसार का पता लगाने में लाभदायी सिद्ध हुए हैं। जीएसआई ने भूरासायनिक गवेषण के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वर्ण, पीजीई, रेयर अर्थ आदि जैसे तत्वों के लिए विश्लेषणात्मक मापकों का पता लागने के लिए आईसीपीएमएस, ईपीएमए आदि परिष्कृत उपकरणों की खरी द्वारा अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया है।

3. प्रछन्न निक्षेपों का पता लगाने के लिए समयानुकूल परीक्षित भूभौतिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग को सबसे प्रभावी गवेषण टूल माना गया है। बहु इलैक्ट्रोड प्रतिरोधकता-आईपी यूनिट, मल्टी फ्रील्वेंसी ईएम प्रोफाइलिंग यूनिट, ट्रांसिएंट ईएम साउंडिंग तथा प्रोफाइलिंग यूनिट, माइक्रों ग्रेवीमीटर और सब आडियो मैग्नेटिव यूनिट जैसे नए उपकरणों की खरीद के द्वारा भूभौतिकीय सर्वेक्षण को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

4. जीएसआई ने उप महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल (एससीएलएम) के चित्रण के लिए भारतीय क्रेटन के ऊपर अपनी भूभौतिकीय सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए मैग्नेटो टेल्यूरिक (एमटी) उपकरण प्राप्त किया है। सर्वेक्षण के परिणाम से पृथ्वी के गहरे भागों की वैज्ञानिक जानकाीर बढ़ेगी और क्रेटन के बनने की प्रक्रिया का ज्यादा सटीक मॉडल बनाने में सहायात मिलेगी जिससे प्रछन्न अयस्क भंडारों/किम्बरलाइट भंडारों (केसीआर) का पता लगाने में मदद मिलेगी।

5. जीएसआई अनन्य आर्थिक जोन और प्रादेशीय जल-सीमा में अपतटीय सर्वेक्षण और खनिज संसाधन मूल्यांकन करता है। समुद्री सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए जीएसआई, हुदई हैवी इंडस्ट्रीज, दक्षिण कोरिया से गहन समुद्रगामी अनुसंधान पोत प्राप्प कर रहा है। इससे हमारे देश के अनन्य आर्थिक जोन में मौजूद खनिज/प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में में सहायता मिलेगी।

6. पर्याप्त उपकरणों के बैंकअप सहित प्रौद्योगिकीय उन्नयन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) थिमेटिक भूवैज्ञानिक मानचित्रण (टीजीएम) के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संलयन की परिकल्पना की गई हैं जिसमें शामिल हैं: फील्ड लैपटॉप, अथवा टेबल पीसी, मानचित्रण जीपीएस ईकाई, जीएसआई पोर्टल, डिजीटल स्थल मानचित्र जिसमें वायरलेस नेटवर्क आदि के प्रयोग से फील्ड डाटा प्राप्त करने की सुविधा है: सुवाह्य जनरेटर सहित चल मानचित्रण वैन।

(ख) देश भर में सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण के पूरे होने के मद्देनजर एक एकीकृत थिमेटिक मानचित्रण (आईटीएम) की कल्पना की गई है, जिसके लिए 12वीं योजना की अवधि के भीतर कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी संलयन में शामिल है: ग्राउंड प्रेनट्रेशन राडार (जीपीआर), शैलोड्रिल, डीपड्रिल, थर्मल अयनन मास स्पेकट्रोमीटर और इलैक्ट्रान प्रोब माइक्रो एनलायजर तथा माइक्रोग्रेवी मीटर, आदि।

(ग) भूरासायनिक नमूनों के निम्न अभिज्ञान सीमा सहित प्रभावी विश्लेषणात्मक परिणाम के लिए एक निवारण उपाय के रूप में जीएसआई की प्रयोगशालाओं में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईसीपीएमएस, एएएस, एक्सआरएफ और डीएमए जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के संवर्धन को शामिल किया गया है।

(घ) भूभौतिकीय मानचित्रण के क्षेत्र में जिस प्रौद्योगिकी संलयन का प्रस्ताव किया जा रहा है उसमें उच्च परिशुद्धता ग्रेवीमीटर और टोटल फील्ड मैग्नेटोमीटर शामिल हैं।

7. हाइपरस्पेक्ट्रकल मानचित्रण के मामले में विशिष्ट स्पेक्ट्रकल प्रसार (भूवैज्ञानिक आब्जेक्ट के लिए जरूरी) के साथ स्पेसवाहित और वायुवाहित हाड़परन डाटा प्राप्त किया जाना है और प्रयोग में लाया जाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया जाना है और स्पेक्ट्रोएडियोमीटर, आंकड़ा संसाधन साफ्टवेयरन और हाइपरस्पेक्ट्रकल दूरस्थ संवेदी डाटा प्राप्त किया जाना है। आंकड़ा संसाधन साफ्टवेयरों तथा विशेषज्ञता विश्व बैंक से ली जानी है। इस संदर्भ में इसरो/एनआरएसजी/एनएनआरएमएस के सहयोग से हाइपरस्पेक्ट्रकल डाटा को सतत् रूप से प्राप्त करने पर विचार किया गया है।

8. ड्रिलिंग और सब्सफेंस सूचना की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की गति को बढ़ाने के लिए वेधछिद्र मार्ग के नियंत्रित डिफ्लेक्शन के लिए अंत:निर्मित प्रणाली सहित रिवर्स सरकुलेशन ड्रिलिंग जैसे उपस्करों और बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना और एक अकेले वेधछिद्र में कोरिंग तथा गैर-कोरिंग कार्यों के संयोजन को अपनाना जरूरी है। रोटरी एयर ब्लॉस्ट (आरएबी) ड्रिलिंग जो कि तीव्र और सस्ती प्रणाली है को भी इस्तेमाल किया जाना है। अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनें जैसे सिर्फ रिवर्स सरकुलेशन, हाइड्रोलिक रिग आदि 12वीं योजना के दौरान खरीद की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

जनजातीय सशक्तिकरण और रोजगार परियोजना

3261. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सहित राज्य-वार देश में जनजातीय बहुत ब्लॉकों में विदेशी सहायता की मदद से लागू की जा रही जनजातीय सशक्तिकरण और रोजगार परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): जनजातीय सशक्तिकरण और रोजगार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा और झारखण्ड में विदेशी सहायता की मदद से परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा यथा प्रशासित पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंध परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) और पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) की विदेशी मदद से परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है। ओडिशा और झारखण्ड राज्य सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और उपयोजित निधियों की स्थिति संलग्न विवरण-IV में दी गई है। राजस्थान में कोई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण I

विदेशी मदद से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की स्थिति

ओडिशा*

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधि प्रदान करने वाली एजेंसियां	प्राप्त निधि	कार्यान्वयन का क्षेत्र	वास्तविक प्रगति	व्यय
1.	ओडिशा जनजातीया सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम (ओटीईएलपी)	आईएफएडी डीएफ आईडी और डब्ल्यूएफपी	2008-09=40.00 करोड़ रु. 2009-10=रु. 40.00 करोड़ रु. 2010-11रु.44.00 करोड़रु. 2011-12रु. 60.00 करोड़ रु.	ओडिशा के 7 जनजातीया जिलों में 30 ब्लॉक वर्ष 2008 से नामेली, कोरापुट, कंधमाल, कालाहांडी और गाजापट्टी, तथा वर्ष 2009 से रायगढ़, नबरगपुर तथा मलकानगिरि	135 माइक्रो वाटरशेड (एमडब्ल्यूएस) पूरे हो गए हैं और 223 एमडब्ल्यूएस प्रगति पर हैं। कवर किए गए घरों की सं. 56180, कवर किए गए गांवों की सं. 1034	39.00 करोड़ रु. 42.14 करोड़ रु. 41.22 करोड़ रु. 30.20 करोड़ रु. (29 फरवरी, 2012 तक)

* सूचना का स्रोत: ओडिशा जनजातीय सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम, भुवनेश्वर, ओडिशा

विवरण-II

विदेशी मदद से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की स्थिति

झारखण्ड*

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधि प्रदान करने वाली एजेंसियां	प्राप्त निधि	कार्यान्वयन का क्षेत्र	वास्तविक प्रगति	व्यय
1.	झारखण्ड जनजातीय विकास परियोजना (जेटीडीपी)	आईएफएडी	2008-09 = शून्य 2009-10=9.42 करोड़ 2010-11 = 11.84 करोड़ रु. 2011-12=0.94 करोड़ रु.	झारखण्ड राज्य के 5 टीएसपी जिलों के तहत 330 गांव	कार्यक्रम जून, 20012 में समाप्त हो गया है। कवर किए गए घरों की कुल सं.- 36000 लाभार्थियों की सं.- 181647 गठित स्वयं सहायक समूहों (एसएचजी) की सं. 1462	7.97 रु. (निधियां आगे लाई गई) 2.29 करोड़ रु. 8.08 करोड़ रु. 10.31 करोड़ रु. (लेखा परीक्षा नहीं की गई है)

*सूचना का स्रोत: झारखण्ड सरकार

विवरण-III

विदेशी मदद से कार्यान्वित परियोजनाओं की स्थिति

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय*:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधि प्रदान करने वाली एजेंसियां	प्राप्त निधि	कार्यान्वयन का क्षेत्र	वास्तविक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	एनईआरसीओआरएमपी-1 परियोजना लगभग 860 गांवों में कार्य कर रही है और 6 परियोजना जिलों में 39161 घरों को कवर किया है।	आईएफएडी भारत सरकार लाभार्थी वित्तीय संस्थान	117.59 करोड़ रु 17.09 करोड़ रु. 15.12 करोड़ रु. 16.45 करोड़ रु. कुल 166.25 करोड़ रु.	असम (कार्बीअंगलौंग और उतरी कछार पहाड़ी जिले) मणिपुर (सेनापाटी और उखरुल जिले) (पश्चिम खासी पहाड़ियों और पश्चिम गारो पहाड़ी जिले)	2008 में 100% संपूर्ण (फरवरी, 1999 से सितंबर, 2008 तक)	100%
	एनईआरसीओआरएमपी-II	आईएफएडी	95 करोड़ रु.	असम (कार्बीअंगलौंग और उतरी कछार	परियोजना अवधि 2010-11 से 2015-16	27.35 करोड़ रु. के लक्ष्य वे मद्दे 2010-11 में

1	2	3	4	5	6	7
	मेघालय, मणिपुर और असम के मौजूदा 6 जिलों में नए क्षेत्रों में लिए मौजूदा एनईआरसीओआरएमपी-I का विस्तार 466 गांवों में 21121 घरों को कवर करने का लक्ष्य	भारत सरकार वित्तीय संस्थान	90 करोड़ रु. 15 करोड़ रु. कुल-200 करोड़ रु.	पहाड़ी जिले मणिपुर (सेनापाटी और उखरुल जिले) मेघालय (पश्चिम खासी पहाड़ियां और पश्चिम गारो पहाड़ी जिले)		5.503 करोड़ रु. खर्च किए गए) 2011-12 के लिए 34.80 करोड़ रु. का बजट स्वीकृत किया गया और निर्मुक्त किया गया)
2.	एनईआरएलपी पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और 4 अत्यधिक अलाभकारी स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों की ग्रामीण जीविका के सुधार करना (58 ब्लोकों के 1624 गांवों में लगभग 3.00 लाख घरों को कवर किया गया है।)	विश्व बैंक भारत सरकार	614.8 करोड़ रु. 68.4 करोड़ रु. कुल 683.2 करोड़ रु.	मिजोरम (एजवेल और लुगलेई) नागालैण्ड (पेरेन एंड तेनसांग) सिक्किम (दक्षिण पश्चिम और पूर्वी जिले के 15 पंचायत वार्ड) कार्यकारियों की भर्ती लगभग पूर्ण त्रिपुरा (पश्चिम और उत्तरी जिले	16.11.2011 को सीसीईए का अनुमोदन 20.01.2012 को ऋण और हस्ताक्षर आरपीएमयू और डीपीएमयू विश्व बैंक की टीम ने अप्रैल 10-11, 2012 से परियोजना के तकनीकी समर्थन मिशन किया है। 12 मार्च, 2012 से घोषित परियोजना का प्रभाव	2011-12 में 2.63 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए। 2012-13 के लिए 35.00 करोड़ रु. का बजट

*सूचना का स्रोत: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

विवरण-IV

ओडिशा और झारखण्ड राज्य सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और उपयोजित निधियों का विवरण

वर्ष	प्राप्त निधि (लाख रु. में)	उपयोजित निधि (लाख रु. में)
1	2	3
ओडिशा		
2008-09	4000.00	3900.00
2009-10	4000.00	4214.41
2010-11	4400.00	4121.77
2011-12	6000.00	3920.03 (29 फरवरी, 2012 तक)

1	2	3
झारखण्ड		
2008-09	शून्य	797.42 (आगे लाई गई निधि)
2009-09	941.66	22.91 (आगे लाई गई निधि)
2010-11	1183.95	807.75 (आगे लाई गई निधि)
2011-12	94.35	1031.28 (लेखा परीक्षा नहीं की गई है)
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एनईआरसीओआरएमपी-II)		
परियोजना अवधि 2010-11 से		
2015-16		
2010-11	2735.00	550.30
2011-12	3480.00 (अनुमोदित)	

[अनुवाद]

हवाई अड्डों हेतु भूमि अधिग्रहण

3262. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न भू-हवाई अड्डा परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में अनेक अवरोध उत्पन्न होते हैं/हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के जिला पाली सहित राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में परियोजना-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बेगमपेट हवाई अड्डा परिसर में नए हैंगर कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रत्यक्ष रूप से भूमि अधिग्रहण में शामिल नहीं होता है। यह संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे हवाईअड्डों के विकास के लिए निःशुल्क तथा सभी विल्लगमों से रहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराए।

राज्य सरकारों से पेशकश की गई भूमि और वह भूमि जो अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठा रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। बेगमपेट हवाईअड्डे पर हैंगर के निर्माण के लिए दिनांक 13.07.2012 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य द्वारा सरकार को 8880 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की गई थी।

विवरण

हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को पेशकश की गई भूमि के अनुरोध

आंध्र प्रदेश

हवाई अड्डा	उद्देश्य	
1	2	3
बेगमपेट	• आवासीय परिसर के लिए शमशाबाद हवाईअड्ड के समीप 45 एकड़ सरकारी भूमि के बदले में गाचीबावली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 9 एकड़ (समान मूल्य) भूमि का हस्तांतरण।	
कडप्पा	• 37.01 एकड़	
तिरूपति	• 424.95 एकड़	
राजामुंदरी	• 966 एकड़	
विजयवाड़ा	• 465 एकड़	
वारंगल	• 438 एकड़	
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
पोर्ट ब्लेयर	• 2.98 एकड़ (संशोधित) आईएलएस के लिए जीपी के लिए जीपी के संस्थापन हेतु	
	• 6.43 एकड़ (संशोधित)-नए टर्मिनल तथा एप्रन के लिए प्रावधान	
	• 9.41 एकड़ (संशोधित)-कुल अपेक्षित भूमि	
	असम	
गुवाहाटी	• 290.25 एकड़	
डिब्रुगढ़	• 227.2 एकड़	
	• 31.71 एकड़ भूमि डीजीसीए लाइसेंसिंग के लिए तत्काल अपेक्षित है।	
जोरहट (सीई)	• 77 एकड़	
लीलीबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)		
रूपसी	• रक्षा विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रूपसी हवाईअड्डा हस्तांतरित करने को कहा है।	
	अरुणाचल प्रदेश	
दापारिजो	• 34.3 एकड़	

1	2	3
	बिहार	
गया	• हवाईअड्डा विकास के लिए 200 एकड़	
	• सेना के अधिकार क्षेत्र में 44.3 एकड़	
पटना	• 227 एकड़ (संशोधित)	
नालंदा	• प्रक्षेपित भूमि 4800 एकड़। राज्य सरकार ने 1200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है। 4800 एकड़ भूमि के लिए राज्य सरकार से समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि नया हवाईअड्डा राज्य सरकार को पोषित करेगा। पटना हवाईअड्डे के उपचार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।	
	छत्तीसगढ़	
रायपुर	• 2206 एकड़ (संशोधित)	
	गोवा	
	• 20 एकड़	
	गुजरात	
अहमदाबाद	• 67.289 एकड़	
भावनगर	• 490.36 एकड़	
पोरबंदर	• 208.6 एकड़ (संशोधित)	
सूरत	• 2631.6 एकड़	
जामनगर	• 17.38 एकड़	
कांडला	• 282 एकड़	
	हिमाचल प्रदेश	
कांगड़ा	• 26 एकड़	
	जम्मू और कश्मीर	
जम्मू	• नए सिविल इन्क्लेव, एप्रन के लिए 138 एकड़	

1	2	3
	झारखंड	
रांची	• 606.27 एकड़ (संशोधित)	
देवधर (नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा)	• वर्तमान भूमि का 54 एकड़ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना है।	
	कर्नाटक	
बेलगांव	• 370 एकड़	
हुबली	• 27 एकड़	
मैसूर	• 168 एकड़	
करवार (रक्षा मंत्रालय/नौ सेना	• 130 एकड़	
मंगलोर	• 290.7 एकड़	
	केरल	
कालीकट	• 137 एकड़	
त्रिवेन्द्रम	• 169.5 एकड़	
	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	
अगाली	• 9 + 1 = 10 एकड़	
	महाराष्ट्र	
औरंगाबाद	• 182 एकड़	
पुणे (सीई)	• 10 एकड़	
	मध्य प्रदेश	
इंदौर	• 2541.8 एकड़	
जबलपुर	• 470 एकड़	
भोपाल	• गांधीनगर कॉलोनी में भाविप्रा की 106.76 एकड़ भूमि हाल ही में अधिग्रहित हवाईअड्डा भूमि के साथ	

1	2	3
तूरा	• हवाईअड्डा विकास के लिए 56.5 एकड़ (संशोधित) एवं प्रचालन लागत के लिए 3.5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का मुद्दा।	
शिलोंग (बारापानी)	• सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए 38 एकड़ समीपवर्ती भूमि (रक्षा विभाग की भूमि)	
लेंगपुई	• भाविप्रा को हवाईअड्डा सुपुर्द करने का कार्य राज्य सरकार के पास लंबित है।	
	नागालैंड	
दीमापुर	• हवाईअड्डा विकास के लिए 278.78 एकड़	
	ओडिशा	
भुवनेश्वर	• हवाईअड्डा विकास के लिए 132 एकड़	
झारसुगुडा	• दिक्चालन सहायक उपकरणों (डीवीओआर/एमएसएसआर) तथा रनवे विस्तार के लिए रनवे विस्तार के लिए राज्य सरकार से 191 एकड़ भूमि की तत्काल आवश्यकता।	
	पंजाब	
लुधियाना	• हवाईअड्डा विस्तार के लिए 328 एकड़	
पुदुचेरी	• हवाईअड्डा विकास के लिए 386 एकड़ (संशोधित) समझौता ज्ञापन के अनुसार भाविप्रा के नाम में 120 एकड़ भूमि करने का कार्य लंबित है (राज्य सरकार को 8 करोड़ रुपये संवितरित करने हेतु)।	
जयपुर	• प्रचालनिक आवश्यकताओं के लिए 60 एकड़	
बीकानेर	• नए सिविल इन्क्लेव के लिए 50 एकड़	
उदयपुर	• हवाईअड्डा लाइसेंसिंग के लिए 145 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा ट्रांसफर	
किशनगढ़ (अजमेर)	• नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा। राज्य सरकार को 442 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित करनी है।	
कोटा	• रनवे विस्तार के लिए 14 एकड़	
	तमिलनाडु	
कोयम्बटूर	• 594 एकड़ (संशोधित)	
तिरूचिरापल्ली	• 439 एकड़	
मदुरै	• 580.14 एकड़ (संशोधित)	
सेलम	• 563 एकड़	

1	2	3
तूतीकोरिन	• 586 एकड़	
वेल्लौर	• हवाईअड्डा विकास के लिए 1046 एकड़	
चेन्नई	• एसएएलएस उपलब्ध कराने तथा गौण रनवे हेतु 15.66 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तथा सौंपा जाना।	
	• समानांतर टैक्सी ट्रैक के लिए 4.1 एकड़ निजी भूमि।	
	• भाविप्रा द्वारा भारतीय नौ सेना को पट्टे पर दी गई 11.26 एकड़ भूमि वापस हस्तांतरित की जानी है।	
	• समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण तथा अतिरिक्त हैंगर के निर्माण के लिए रक्षा विभागा से 24.68 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जानी है।	
	त्रिपुरा	
अगरतला	• हवाईअड्डा विकास के लिए 303 एकड़ भूमि (जीपी को शिफ्ट करने के लिए 31 एकड़ भूमि की तत्काल आवश्यकता + मूल पट्टी के लिए 26 एकड़	
	उत्तराखंड	
देहरादून	• 141.3 एकड़ जिसमें से 25.3 एकड़ निजी भूमि से तथा 116 एकड़ राज्य सरकार से	
पंतनगर	• 176 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जाना लंबित है।	
	उत्तर प्रदेश	
वाराणसी	• हवाईअड्डा विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त/अप्रयुक्त भूमि का हस्तांतरण।	
	• पूर्वी साइड पर टर्मिनल भवन के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता।	
लखनऊ	• एनएचएआई/मैट्रो	
आगरा	• नए सिविल इन्क्लेव की स्थापना के पि 45 एकड़	
	पश्चिम बंगाल	
बरेली	• नए सिविल इन्क्लेव की स्थापना के पि 25 एकड़	
बागडोगरा	• राज्य सरकार ने 12.91 एकड़ भूमि दी है। कैट-1 लाइटिंग के लिए मंदिर के स्थल परिवर्तन तथा सड़क में परिवर्तन का कार्य लंबित है।	
बेहाला	• हवाईअड्डा विकास के लिए 90 एकड़	
मालदा	• हवाईअड्डा विकास के लिए 55 एकड़	
कोलकाता	• हैंगर के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि	

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

3263. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अगले वित्तीय वर्ष में सीपीएल हेतु छात्रवृत्ति की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत कमर्शियल पायलट लासेंस (सीपीएल) कोर्स करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को केवल वर्ष 2011-12 के दौरान संशोधित किया गया था तथा संशोधित योजना दिनांक 01.07.2010 से प्रभावी है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) का कोर्स करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	दी गई छात्रवृत्तियों की सं.	
		2009-10	2010-11
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	0
2.	असम	1	0
3.	जम्मू और कश्मीर	1	2
4.	झारखंड	3	3
5.	केरल	0	1
6.	ओडिशा	2	1
7.	राजस्थान	1	2
8.	उत्तर प्रदेश	1	0
9.	पश्चिम बंगाल	0	1
	कुल	10	10

वर्ष 2011-12 के लिए चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावों को भी तैयार किया जा रहा है।

पवन ऊर्जा हेतु निजी कंपनियां

3264. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कार्यरत निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनके द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रमात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन्हें किसी प्रकार का अनुदान/प्रोत्साहन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) देश में पवन विद्युत उत्पादन हेतु कार्य करने वाली अनेक निजी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। (i) त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करने के लिए पवन क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां और (ii) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियां। महाराष्ट्र में निजी कंपनियों द्वारा लगभग 2780 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में संस्थापित पवन विद्युत क्षमता और इन वर्षों में कुल संस्थापित क्षमता में से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित बिजली संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, विनिर्माताओं को उत्पादक शुल्क से छूट जैसे राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र निवेश के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर 10 वर्षों का करावकाश भी उपलब्ध है। इसके अलावा, संभाव्यता वाले राज्यों में अधिमान्य शुल्क भी दिया जा रहा है।

विवरण

पवन विद्युत संस्थापित क्षमता और उत्पादन

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल पवन विद्युत क्षमता से उत्पादन (बिलियन यूनिट)
2009-10	1564.6	18.19
2010-11	2349.3	18.74
2011-12	3196.7	23.35
2012-13	522.4 (जुलाई, 2012 तक)	9.09 (जून, 2012 तक)

[हिन्दी] 247-48

संघशासित प्रदेशों में खनन

3265. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने का है ताकि दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार संघ शासित प्रदेशों में खनन को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए/प्रस्तावित हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार, दमन और दीव में पहचाने गए कुछ चूना-पत्थर निक्षेपों को छोड़कर दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के संघ शसित प्रदेशों में खनिजों के बड़े निक्षेप नहीं है। संघशासित प्रदेशों से प्रमुख खनिजों के लिए किसी खनिज उत्पादन की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) खनिज उत्पादन मुख्यत: खनिज संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग आदि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, गवेषण और खनन गतिविधियों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गैर कोयला तथा गैर-ईंधन खनिज क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जो संघ शासित प्रदेशों पर भी समान रूप से लागू होती है।

[अनुवाद] 248

आई.सी.डी.एस. योजना में सहायता

3266. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी.डी.एस.) में यूनाइटेड किंगडम से कोई सहायता ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): इस समय यूनाइटेड किंगडम सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य क्षेत्र और पोषण सुधार कार्यक्रमों के लिए बिहार, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। इन परियोजनाओं के पोषण घटक प्राथमिक रूप से आईसीडीएस के माध्यम से राज्य सरकारों से सहमति के बाद कुछ समान उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित किए जा रहे हैं जैसे–(i) बच्चों में कमवजन दरों में कमी (ii) विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों और बहिष्कृत समूहों द्वारा गुणवत्ता, आवश्यक स्वास्थ्य, पोषण, पानी और सफाई के प्रबंध की सेवाओं के प्रयोग में बढ़ोतरी (iii) समुदायों में अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और सफाई रखने का अभ्यास और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदतों में वृद्धि। डीएफआईडी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों के पोषण घटकों को वित्तीय सहायता दिए जाने की राशि इस प्रकार है–ओडिशा-35 मिलियन पौंड (2009-2015) मध्य प्रदेश-27 मिलियन पौंड (2011-2014) और बिहार-41.4 मिलियन पौंड (2011-2016)।

248-49

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड

3267. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वृहद राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावित संरचना/कार्यसहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए तथा उक्त बोर्ड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय के पास वृहद राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय लोगों के विरुद्ध किए गए अत्याचार

3268. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हुए जनजातीय लोगों के विरुद्ध किए गए अत्याचार सहित अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) (अत्याचार निवारण) अधिनिमय, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई राय के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधनों से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2009-2011 के दौरान पंजीकृत मामलों, आरोप पत्र वाले मामलों, दोषी ठहराए गए मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के लिए दोषी व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार (आंध्र प्रदेश सहित) संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2012 से संबंधित सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 2009-11 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध कुल अत्याचारों के तहत पंजीकृत मामलों (सीआर), आरोप पत्र वाले मामलों (सीएस), दोषी ठहराये गये मामलों (सीवी), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोप पत्र वाले व्यक्तियों (पीसीएस) तथा अभियोजित व्यक्तियों के मामले (पीसीसी)

		2009						2010						2011					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	828	462	59	779	690	109	803	407	31	1080	781	91	802	511	41	949	837	118
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	13	0	15	13	0	54	38	1	49	38	1	34	20	16	29	21	17
3.	असम	9	25	3	22	43	9	3	14	1	11	39	2	2	11	1	5	17	1
4.	बिहार	67	43	9	123	114	17	71	42	5	132	114	11	97	88	12	216	195	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	छत्तीसगढ़	551	535	103	800	788	145	507	494	139	672	685	164	336	340	137	787	777	196
6.	गोवा	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	195	181	11	431	442	36	155	147	8	325	319	8	153	141	4	354	332	8
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	2	0	2	1	1	2	1	1	4	1	0	2	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	182	202	70	435	413	108	234	131	51	309	342	72	309	142	38	230	188	89
12.	कर्नाटक	272	215	5	777	717	17	294	197	10	1078	917	14	281	234	7	854	733	26
13.	केरल	102	79	4	148	122	4	88	85	5	116	138	5	231	78	6	124	89	4
14.	मध्य प्रदेश	1135	1112	409	2091	2107	721	1383	1301	384	2834	2419	944	1284	1245	301	2345	2325	541
15.	महाराष्ट्र	224	230	10	528	543	15	292	238	8	815	786	18	321	286	8	844	750	10
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	552	402	23	899	898	77	556	592	64	951	967	71	484	427	43	622	630	52
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1183	506	217	1012	1011	308	1319	569	168	1156	1153	319	1263	511	126	989	992	243
23.	सिक्किम	14	10	8	21	21	9	1	2	0	2	1	0	8	6	7	11	11	11
24.	तमिलनाडु	22	21	10	76	84	26	33	27	2	66	52	4	23	4	0	50	20	0
25.	त्रिपुरा	27	21	9	27	21	9	35	33	7	38	37	7	30	21	1	49	24	1
26.	उत्तर प्रदेश	4	2	7	10	6	13	0	0	25	0	0	40	35	30	6	84	64	17
27.	उत्तराखंड	0	0	4	0	0	11	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	16	6	0	16	6	0	47	14	0	38	14	0	41	25	0	23	21	0
	कुल राज्य	5405	4067	961	8212	8049	1634	5877	4332	912	9274	8803	1775	5740	4121	754	8570	8027	1381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	0	0	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0	26	26	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	16	8	1	17	19	2	2	4	0	5	5	0	2	1	0	1	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	18	9	1	17	26	2	3	5	0	6	6	0	9	8	1	27	27	1
	कुल अखिल भारतीय	5423	4076	962	8229	8075	1636	5880	4337	912	9280	8809	1775	5749	4129	755	8597	8054	1382

*अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों में अपराध शीर्ष शामिल हैं : हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं बलातहरण, डकैती, लूट, आगजनी, चोट पहुंचाना तथा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1986 के विरुद्ध अन्य अपराध

टिप्पणी : पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा निपटान पर सूचना में विगत वर्षों से लंबित मालों पर भी सूचना शामिल है।

(स्रोत : भारत में अपराध)

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क

3269. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क के संबंध में सूचना एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर पार्किंग शुल्क में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अत्याधिक पार्किंग शुल्क लिए जाने के कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई पर लगा गए पार्किंग प्रभारों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

I. पिछले तीन वर्षों से लागू वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के दौरान **आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर कार पार्किंग दरें** निम्नानुसार हैं:

पार्किंग अवधि	पार्किंग दरें
30 मिनट तक	70/- रुपये
30 मिनट से 02 घंटे तक	140/- रुपये
बाद के प्रत्येक घंटे के लिए	70/- रुपये

II. छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई पर कार पार्किंग दरें:

दर रुपये में

पार्किंग अवधि	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
				घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
0-30 मिनट	60	60	70	90	100
30-120 मिनट	130	130	140	150	160
120-180 मिनट	190	190	210	220	240
180-240 मिनट	250	250	280	290	310
24 घंटे के लिए	750	750	850	1000	1000

255-56

दक्षिणी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

3270. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिणी क्षेत्र की सिस्टम स्ट्रेंथनिंग-VII परियोजना (248 सीकेएम) में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत/इन पर हुए खर्च में वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) दक्षिणी क्षेत्र परियोजना के प्रणाली सुदृढ़ीकरण-VII में निम्नलिखित कार्य क्षेत्र सम्मिलित है:

(i) मदुरई-त्रिची 400 केवीडी/सी लाइन के एक सर्किट के एलआईएलओ द्वारा कराईकुड़ी में 2 × 315 एमवीए ट्रांसफार्मरों वाले नए 400/220 केवी उप केंद्र की स्थापना।

(ii) तालगुप्पा-नीलमंगला 440 केवी डी/सी लाइन के एक सर्किट के एलआईएलओ द्वारा हासन में 2 × 315 एमवीए ट्रांसफार्मरों वाले नए 400/220 केवी उप केंद्र की स्थापना।

यह एरियोजना 279.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अप्रैल 2005 में अनुमोदित की गई थी। अनुमोदन के अनुसार, परियोजना जुलाई, 2009 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित था।

कराईकुड़ी उप-केंद्र (प्रथम एलीमेंट) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जुलाई, 2009 तक चालू हो गया था। हासन उप-केंद्र (द्वितीय एलीमेंट) अक्तूबर, 2009 में पूरा किया गया। तथापि, यह मई, 2010 में चालू किया जा सका क्योंकि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम नेटवर्क में विलंब हुआ था।

परियोजना की संशोधित लागत 325.09 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2010 का मूल्य स्तर) है। परियोजना लागत में मूल अनुमोदित लागत के संदर्भ में बढ़ोत्तरी मुख्यत: भूमि एवं क्षतिपूर्ति की लागत में वृद्धि बाजार के दबाव एवं मुद्रास्फीति के कारण मूल्य में परिवर्तन और निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) में वृद्धि के कारण है।

(ग) यह परियोजना पहले ही जून, 2010 में चालू हो चुकी है।

256-60

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

3271. श्री अशोक तंवर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी गई "राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों" की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एम.फिल तथा पीएचडी सहित उच्चतर अध्ययनों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष 667 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई अध्येतावृत्ति के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 2012-13 के लिए चयन पूरा नहीं हुआ है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई अध्येतावृत्ति के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरजीएनएफ की योजनाओं के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या		
		2009-0	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40	70	79
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	29	14	25
4.	असम	46	30	35
5.	बिहार	7	6	4
6.	छत्तीसगढ़	9	15	13
7.	गोवा	0	0	2
8.	गुजरात	57	55	28
9.	हिमाचल प्रदेश	4	11	12
10.	जम्मू और कश्मीर	12	12	15
11.	झारखंड	14	57	44
12.	कर्नाटक	26	37	42
13.	केरल	4	3	4
14.	लक्षद्वीप	0	0	2
15.	मध्य प्रदेश	54	77	64
16.	महाराष्ट्र	18	10	13
17.	मणिपुर	104	74	68

1	2	3	4	5
18.	मेघालय	48	23	27
19.	मिजोरम	44	15	23
20.	नागालैंड	73	19	30
21.	ओडिशा	22	32	34
22.	राजस्थान	61	62	60
23.	सिक्किम	2	2	5
24.	तमिलनाडु	5	7	7
25.	त्रिपुरा	6	7	4
26.	उत्तर प्रदेश	1	6	5
27.	उत्तराखंड	3	3	3
28.	पश्चिम बंगाल	13	19	19
	कुल	702	667	667

#वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए 35 अतिरिक्त स्लोट समायोजित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए चयन नहीं किया गया है।

हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द परिसीमा सड़क एवं पार्क

3272. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द परिसीमा सड़कों की खराब स्थिति और हवाई अड्डों के इर्द-गिर्द पार्कों की बेदखली के संबंध में कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी शिकायतों पर कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं तथा लंबित शिकायतों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) मंत्रालय को हवाई अड्डों के चारों और पैरोमीटर सड़कों की खराब स्थिति तथा पार्कों की बेदखली के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जन्म दर और मृत्यु दर

3273. श्री हंसराज गं अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है;

(ख) क्या कतिपय राज्यों में जन्म दर और मृत्यु दर में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी दरों के अनुपात में कमी नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर इन दरों की तुलना में जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आयी है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के समरूप जन्म दर और मृत्यु दर को लाने के लिए पिछड़े राज्यों में जन्म दर और मृत्यु दर में सुधार लाने की कोई योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारत के महापंजीयक (आरजीआई), गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2010 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) अनुमानों के अनुसार देश के स्तर पर प्रति 1000 की आबादी पर जन्म दर 22.1 और प्रति 1000 की आबादी पर मृत्यु दर 7.2 है। वर्ष 2010 में कोई जनगणना की गई।

(ख) और (ग) वर्ष 2010 में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म दर कम थी। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010 में, राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मृत्यु दर कम थी। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्ष 2005 में देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है, इसमें उन 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहाँ विशेष रूप से भारत की ग्रामीण आबादी के गरीब और असुरक्षित लोगों को सुगम्य, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावकारी और भारोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतक और कमजोर अवसंरचना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी शीर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे परिवार सेवाओं सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि को समेकित करके एनआरएचएम एक छत्र कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। साथ ही देश में रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार में सुधार लाने के लिए समेकित रोग निगरानी परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जिसका उद्देश्य महामारी संभावित रोगों का पता लगाकर और शुरू में ही उनके लक्षण दिखने पर ठोस कदम उठाकर रोग निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है।

[अनुवाद] 212.

औषधि के मूल्य निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण

3274. श्री गुरूदास दासगुप्तः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने हाल में औषधि के मूल्य निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण की कोई रिपोर्ट प्राप्त की है जिससे यह पता चला है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा विनिर्मित कतिपय औषधियों पर अत्यधिक लाभ मार्जिन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कुछेक औषधियों के उत्पादन तथा उनके बार कीमत का अध्ययन किया है जिससे पता चलता है कि औषधियों की बिक्री की तुलना में उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार है कि राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची, 2011 में सूचीबद्ध सभी 348 औषधियों को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि सामान्य उपभोक्ता के खर्च पर कम प्रभाव पड़े। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भेषज विभाग के तहत राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। तदनुसार भेजष विभाग ने इस संबंध में पहले से ही अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

एम्स जैसी संस्थाएं

3275. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री मानिक टैगोर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे चार संस्थानों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थान के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इस परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की अनुमानित तिथि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल, बुन्देलखण्डड और रूहेलखण्ड क्षेत्रों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए दिनांक 19 जून, 2012 को केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वितीय चरण के तहत उत्तर प्रदेश में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दी है। केंद्र सरकार ने दिनांक 8 अगस्त, 2012 को रायबरेली में भूमि आबंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

तेन्दु पता

***3276. श्री भक्त चरण दास:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेन्दु पता जिसका बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है के व्यापार में राज्य निगमों, ठेकेदारों और व्यापारियों के एकाधिकार को नोट किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) (तेन्दु पता सहित) अर्थव्यवस्था संग्रहकर्त्ताओं जिनका इस पर बहुत कम नियंत्रण है, को कम लाभ प्रदान करती है क्योंकि वे या तो ऐसे बाजारों में सहभागिता करते हैं जो खराब रूप से विकसित हैं या एकाधिकार की शर्तों के अंतर्गत हैं। लघु वन उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर विचार कर रहा है। तथापि, इस योजना के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

फिजियोथेरेपी के लिए परिषद्

3277. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय फिजियोथेरेपी परिषद् की स्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं यद्यपि संसद में सरकार द्वारा इस संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था;

(ख) इस संबंध में योजना आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की इक्तिसवीं रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के बाद भी तहसील, जिला और राज्य स्तर पर फिजियोथेरेपिस्ट के विशेष अध्ययन के बावजूद उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन फिजियोथेरेपिस्टों के विशेष अध्ययन के बावजूद उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है तथा संसद में फिजियोथेरेपी संबंधी नए विधेयक को कब तक पुन:स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में योजना आयोग ने देश भर में परामेडिकल शिक्षा, फिजियोथेरेपी तथा

ओक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में मानको की पहचान तथा समरूपता से लागू करने के लिए शीर्ष निकाय बनाने की सिफारिश की है। तदनुसार "पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी केन्द्रीय केन्द्रीय परिषद विधेयक" 2007 में लोक सभा में पेश किया गया था जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति संबंधित विभाग को भेजा गया था जिसमें उनकी 31वीं रिपोर्ट ने बदलाव के सुझाव दिए थे परन्तु 14वीं लोक सभा के भंग होने पर विधेयक को समाप्त कर दिया गया। प्रस्तावित/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन विधेयक सभी परिषदों को शामिल करते हुए एक संरक्षी नियामक निकाय शामिल है जिसमें वर्तमान नियामक कार्य ढांचे में सुधार लाने तथा कुशल कार्मिकों की आपूर्ति की वृद्धि में दोहरे उद्देश्य सहित फिजियोथेरेपी शामिल है, को राज्य सभा में पेश किया गया जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति में भेज दिया गया था।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्टों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

इलाहाबाद कुंभ मेले में घोटाला

3278. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद में आगामी कुंभ मेले की तैयारी में 600 करोड़ रुपए की राशि के घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे किसी घोटोले का पता नहीं चला है।

(ख) से (घ) लागू नहीं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्योग

3279. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं के लिए योजनाओं को लागू किया है/लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए वित्तीय आबंटन और खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कॆंयर बोर्ड खादी, ग्रामोद्योग और कॆंयर क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। इस प्रकार की सभी योजनाओं में महिला लाभार्थियों शामिल किया जाता है।

केवीआईसी सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन का रहा है जिसमें महिलाओं और अन्य विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को अन्य सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 35 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की उच्चतर दर में मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को प्रदान की गई राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

कॆयर बोर्ड महिला कॆयर योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें महिलाओं को कताई कार्यकलापों के लिए तथा अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं रैट प्रदान किए जाते हैं। राज्य-वार प्रदान की गई सहायता तथा लाभान्वित महिलाओं की संख्या विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

पीएमईजीपी के तहत महिला लाभार्थियों को राज्यवार प्रदान की गई मार्जिन मनी सब्सिडी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12 (अनंतिम)	
		प्रदत्त मार्जिन मनी सब्जिडी (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	प्रदत्त मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	प्रदत्त मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	518.45	495	749.19	536	454.16	378
2.	हिमाचल प्रदेश	200.60	134	285.24	181	361.85	186
3.	पंजाब	925.39	307	899.75	251	695.23	232
4.	चंडीगढ़	6.76	14	12.34	5	11.45	16
5.	उत्तराखंड	268.85	261	333.16	321	244.44	200
6.	हरियाणा	324.18	98	392.47	147	198.44	110
7.	दिल्ली	14.82	21	0.00	0	48.66	57
8.	राजस्थान	1011.15	288	1380.29	450	1085.89	463
9.	उत्तर प्रदेश	5738.76	1023	4817.98	1076	5096.48	1389
10.	बिहार	120.99	53	193.50	86	1958.75	991
11.	सिक्किम	32.08	21	58.51	0	46.90	26
12.	अरूणाचल प्रदेश	8.43	12	4.18	15	86.88	83
13.	नागालैंड	11.98	0	167.43	99	397.10	216
14.	मणिपुर	40.24	50	7450	50	357.25	201
15.	मिजोरम	85.68	65	182.63	138	202.44	145
16.	त्रिपुरा	55.81	51	155.76	117	399.19	254
17.	मेघालय	185.20	144	161.44	107	46.90	203
18.	असम	319.91	519	820.11	1000	859.90	1071
19.	पश्चिम बंगाल	2716.78	2159	1484.01	1218	2131.99	1981
20.	झारखंड	54.95	91	264.67	167	322.09	283
21.	ओडिशा	996.86	422	1372.63	570	1204.58	539

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	छत्तीसगढ़	333.45	135	1353.04	393	1228.13	340
23.	मध्य प्रदेश	1290.93	326	2082.91	525	2104.89	535
24.	गुजरात**	526.48	176	1474.84	389	2885.38	552
25.	महाराष्ट्र***	1458.10	845	1737.06	1066	1470.68	807
26.	आंध्र प्रदेश	4110.25	780	4401.37	1240	3077.01	739
27.	कर्नाटक	525.75	197	564.28	427	1046.55	469
28.	गोवा	168.90	43	100.25	52	99.04	51
29.	लक्षद्वीप	0.00	0	8.72	10	4.38	4
30.	केरल	915.74	566	785.30	564	776.14	494
31.	तमिलनाडु	1930.46	1096	1398.62	827	2335.96	1142
32.	पुदुचेरी	11.07	32	33.08	81	19.09	32
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.58	31	13.99	26	11.11	21
	योग	24925.58	10455	27763.25	12134	31268.93	14210

**दमन और दीव सहित ***दादरा व नगर हवेली सहित

विवरण-II

महिला कॅयर योजना के तहत कॅयर बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता की राज्य वार राशि और लाभान्वित महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		प्रदान की गई सहायता (लाख रुपये में)	महिला लाभार्थियों की संख्या	प्रदान की गई सहायता (लाख रुपये में)	महिला लाभार्थियों की संख्या	प्रदान की गई सहायता (लाख रुपये में)	महिला लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पश्चिम बंगाल	-	-	1.51	48	5.04	160
2.	ओडिशा	-	-	5.26	167	3.94	125
3.	लक्षद्वीप	1.98	63	2.68	85	-	-
4.	केरल	6.08	193	2.52	80	4.80	151
5.	तमिलनाडु	0.32	10	-	-	-	-
6.	पुदुचेरी	-	-	-	-	0.95	30
	योग	8.38	266	11.97	380	14.73	466

[अनुवाद]

दुर्व्यापार रोकने संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

3280. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्व्यापार रोकने संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने हाल ही में एक बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्व्यापार को रोकने के लिए विधायी और निगरानी उपायों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि (यूनिसेफ), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों से सुझाव मांगें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सुझावों/सिफारिशें पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) अवैध व्यापार पर केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक 24 मई, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (सूएनडीपी), यूनीफेम और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अन्य विशेषज्ञों आदि को बैठक हेतु आमंत्रित किया था।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि बच्चों को वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से साक्ष्य देने की संभावना को बढ़ावा देने के लिए, ताकि न्यायिक कार्यवाही की प्रत्येक बैठक के दौरान बच्चों की उपस्थिति अपेक्षित न हो, अवैध व्यापार के मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के साथ-साथ विशेषकर बच्चों के अवैध व्यापार हेतु विभिन्न स्तरों पर सहयोग एवं संस्थागत तंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए और सभी स्तरों पर मुख्य पक्षकारों की क्षमता निर्माण के माध्यम से निवारणात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान बाल कल्याण समितियों हेतु अपने मॉड्यूल को इसके साथ कैसे समेकित किया जा सकता है, और/अथवा बाल कल्याण समितियों को इग्नू के पाठ्यक्रम में नामांकन करने के लिए कहा जाए। विभिन्न स्तरों पर सहयोग हेतु ध्यान दिए जाने और बच्चों के अवैध व्यापार के मानीटरन हेतु संस्थागत तंत्र विकसित करने की भी जरूरत है। मंत्रालय ने सिफारिशों पर यथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

अपंजीकृत भेषज निर्माता/दुकानें

3281. श्री सुदर्शन भगत:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री गोरखनाथ पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत भेषज विनिर्माताओं और चलाई जा रही दवाइयों की दुकानों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देशभर में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा पकड़े/पहचान किए गए अपंजीकृत भेषज विनिर्माताओं और दवाइयों की दुकानों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कतिपय भेषज कंपनियों/दुकानों द्वारा जेनेरिक दवाओं को ब्रांडेड दवा के रूप में बिक्री किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अपंजीकृत भेषज विनिर्माताओं और दवाइयों की दुकानों के कार्यकारण एवं उनके द्वारा ब्रांडेड दवा के रूप में जेनेरिक दवा की बिक्री पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र, को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत भेजष विनिर्माताओं और मेडिकल शाप के बार में कोई रिपोर्टें नहीं है। वैद्य लाइसेंस के बिना औषध का विनिर्माण और बिक्री करना

औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के छुट-पुट मामलों का नियामक प्राधिकरणों द्वारा पता लगाया जाता है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) सीडीएससीओ ने गत 3 वर्षों के दौरान बिना लाइसेंस औषधियों के विनिर्माण एवं बिक्री के 7 मामलों का पता लगाया है। इस बारे में की गई कार्रवाई के राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अधीन लगाए गए नियमों से देश में विनिर्मित औषधियों और देश में बेची जाने वाली आयातित औषधियों की गुणवत्ता को विनियमित किया जाता है। विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं को अपने उत्पाद जेनेरिक नाम या किसी ब्रांड नाम से बेचने की छूट है।

(ङ) सरकार ने अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों की रोकथाम के लिए मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत बनाने हेतु गत कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में संशोधन करके नकली और मिलावटी औषधियों के निर्माण बाबत कठोर जुर्माने का प्रावधान किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों को इन कार्यकलापों में शामिल होने से बचाया जा सके। कुछ अपराधों को संज्ञान योग्य और गैर-जमानती भी बनाया गया है।

2. औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत अधिक जुर्माना के मद्देनजर नकली या गैर-गुणवत्तापरक घोषित औषधियों के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

3. औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2008 में औषधियों से जुड़े अपराधों के शीघ्र निपटान करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसे न्यायालय पहले ही स्थापित कर लिए है।

4. देश में नकली औषधियों की आवाजाही में सतर्क जनभागेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा व्हीसल ब्लोअर योजना शुरू की गई है। इस योजना में नकली औषधियों की आवाजाही को लेकर नियामक प्राधिकरणों को ठोस जानकारी देने के लिए मुखबरों को समुचित इनाम देने का प्रावधान है।

5. निरीक्षण स्टाफ को चौकसी रखने और देश में औषधियों की आवाजाही की गुणवत्ता पर निगरानी रखने बाबात औषधियों के नमूने लेने तथा जांच और विश्लेषण करने को निर्देश दिए गए हैं।

6. केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों स्तरों पर औषधि नियंत्रण विभागों की जनशक्ति तथा अन्य अवस्थापनाओं को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है।

विवरण

सीडीएससीओ द्वारा गत तीन वर्षों में ज्ञात किए गए अपंजीकृत औषधि निर्माताओं और मेडिकल शाप के मामले तथा उन पर की गई कार्रवाई

वर्ष 2010-11

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1.	तमिलनाडु	01	मुकदमा चलाया गया
वर्ष 2011-12			
1.	दिल्ली	02	1 मामले में मुकदमा चलाया गया
2.	कर्नाटक	04	3 मामलों में मुकदमा चलाया गया
वर्ष 2012 (आज तक)			
	शून्य		

275- 276.82

रसायनों एवं उर्वरकों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

3282. **श्री रेवती रमण सिंह:**
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एल्ड्रीन, डीडीटी, बीएचसी क्लोरडेन सहित रसायन और उर्वरक जो देश के भीतर/बाहर प्रतिबंधित हैं, के उपयोग के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या कतिपय अध्ययनों से यह पता चला है कि एक भारतीय की औसत खुराक में 0.27 मिलीग्राम डीडीटी होता है जिसके कारण भारतीय लोगों के शरीरी में डीडीटी का जमाव सबसे अधिक होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी हां, भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों के लिए 1988 में डीडीटी और 1997 में बीएचसी के प्रयोग का प्रतिबंध लगा दिया है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर) ने इन कीटनाशकों को स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) आईसीएमआर को ऐसे अध्ययनों की जानकारी नहीं है जिससे यह पता चला है कि भारतीयों के खुराक में 0. 27 एमजीडीडीटी होता है। तथापि, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर), आंध्र प्रदेश में किए गए कुल खुराक अध्ययनों के अनुसार जनसंख्या के सभी आयु समूहों में डीडीटी की कुल मात्रा स्वीकृत दैनिक खुराक (एडीआई) से काफी कम, एडीआई की 0.01-0.03 प्रतिशत की रेंज में पाया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार खाद्य निरीक्षक, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुपालन की जाँच के लिए देश भर से खाद्यों के नमूने उठाते हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय उपयोजन

3283. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को तैयार करने तथा जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निधि के आबंटन को सुनिश्चित करने और इसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों सरकारों द्वारा इस निधि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने अक्तूबर, 2005 तथा दिसंबर, 2006 में क्रमश: राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसबी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी; के निरुपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

(ग) से (ङ) वर्ष 2011-12 से योजना आयोग ने टीएसपी के तहत निधियों को चिह्नित करने के उद्देश्य हेतु 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण किया है। वर्ष 2011-12 में टीएसपी के अनुपालन के तहत निधियों के मंत्रालय/विभागवार अनुबद्ध चिह्नन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2007-08 से 2012

के दौरान विभिन्न राज्यों को टीएसपी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह मंत्रालय तथा योजना आयोग टीएसपी के अक्षरश: कार्यान्वियन के लिए संबंधित राज्य सरकारों से लगातार अनुसरण कर रहा है। ऐसे व्यय के ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(च) योजना आयोग ने एससीएसपी तथा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देश की पुन: जांच तथा संशोधित करने के विचार से डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में जून, 2010 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने; तथा कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों के साथ परामर्श से प्रलाचनात्मक कठिनाइयों को समझने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने हेतु एक कार्यबल गठित किया था ताकि एससीएसपी और टीएसपी को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके। कार्यबल की रिपोर्ट ने (1) एससीएसपी/टीएसपी के तहत उनकी परिव्यय/व्यय योजना को चिह्नित करने के लिए उनकी बाध्यता के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालय/विभागवार लक्ष्यों, (3) एससीएसपी/टीएसपी के तहत योजना व्यय को श्रेणीबद्ध करने, (4) एससीएसपी के लिए अलग बजट शीर्ष "789" के तहत तथा टीएसपी के लिए "796" के तहत निधियों को चिह्नित करने, (5) एससीएसपी/टीएसपी की योजना तथा कार्यान्वयन के लिए प्रशासनात्मक प्रबंधों को सुदृढ़ करने तथा (6) अव्यपगत विशेषता के कार्यान्वयन पर बल दिया है।

विवरण-I

टीएसपी के तहत निधि के मंत्रालय/विभाग-वार अनुबद्ध चिह्न का ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	टीएसपी के तहत निधियों का चिह्न (प्रतिशत में)
1	2	3
1.	दूरसंचार विभाग	0.25
2.	वस्त्र मंत्रालय	1.20
3.	जल संसाधन मंत्रालय	1.30
4.	खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग	1.40
5.	संस्कृति मंत्रालय	2.00
6.	आयुष विभाग	2.00
7.	आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2.40
8.	पर्यटन मंत्रालय	2.50
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
10.	सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	3.50
11.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3.60
12.	खान मंत्रालय	4.00
13.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70

1	2	3
14.	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	7.50
15.	कृषि एवं सहकारी विभाग	8.00
16.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.20
17.	कोयला मंत्रालय	8.20
18.	युवा कार्य विभाग	8.20
19.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.20
20.	पंचायती राज मंत्रालय	8.20
21.	खेल विभाग	8.20
22.	महिला एव बाल विकास मंत्रालय	8.20
23.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.20
24.	भू-संसाधन विभाग	10.00
25.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00
26.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70
27.	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
28.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12)
के दौरान अनुसूचित जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) परिव्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य शेष	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का % (जनगणना 2001)	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10		वार्षिक योजना 2010-11		वार्षिक योजना 2011-2	
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	6.6	30500.00	2454.83	44000.00	3331.96	33496.75	2370.86	36800.00	2529.20	43000.00	2973.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	असम	12.4	3800.00	33.58	5011.51	38.51	6000.00	49.85	7645.00	53.53	9000.00	77.46
3.	बिहार	0.9	10200.00	93.94	13500.00	203.99	16000.00	163.38	20000.00	222.49	24000.00	300.21
4.	छत्तीसगढ़	31.8	7413.72	870.99	9600.00	2400.00	10947.76	3663.10	13230.00	4207.14	16710.00	5561.44
5.	गोवा	12.1	1430.00	92.51	1737.65	101.58	2240.00	136.99	2710.00	153.10	3320.00	235.91
6.	गुजरात	14.8	16000.00	2361.60	21000.00	NR	23500.00	3616.02	30000.00	4146.45	38000.00	5103.03
7.	हिमाचल प्रदेश	4.0	2100.00	189.00	2400.00	216.00	2700.00	243.00	3000.00	270.00	3300.00	297.00
8.	जम्मू और कश्मीर	10.9	4850.00	11.97	4500.00	NR	5500.00	559.97	6000.00	673.75	6600.00	743.45
9.	झारखंड	26.3	6676.00	3539.79	8015.00	4111.84	8200.00	4160.46	9240.00	4657.72	15300.00	6027.37
10.	कर्नाटक	6.6	17782.58	1160.82	26188.83	1263.90	29500.00	1947.00	31050.00	1517.94	38070.00	1866.95
11.	केरल	1.1	6950.00	139.00	7700.00	154.10	8920.00	180.86	10025.00	200.50	12010.00	284.19
12.	मध्य प्रदेश	20.3	12011.00	2511.46	14182.61	2957.54	16174.17	3740.26	19000.00	4244.10	23000.00	4964.90
13.	महाराष्ट्र	8.9	20200.00	1798.00	25000.00	1941.50	35958.94	2063.25	37916.00	3147.89	42000.00	3693.50
14.	मणिपुर	34.2	1374.31	592.61	1660.00	731.73	2000.00	741.14	2600.00	1017.50	3210.00	1071.85
15.	ओडिशा	22.1	7288.67	1759.78	7500.00	1792.58	9500.00	2171.48	11000.00	2463.08	15200.00	3603.43
16.	राजस्थान	12.6	11950.00	1453.05	14020.00	1691.86	17322.00	2115.35	24000.00	2857.41	27500.00	3568.18
17.	सिक्किम	20.6	691.14	135.16	852.00	83.62	1045.00	58.39	1175.00	92.74	1400.00	40.90
18.	तमिलनाडु	1.0	14000.00	139.92	16000.00	160.05	17500.00	175.04	20068.00	208.88	23535.00	253.92
19.	त्रिपुरा	31.1	1220.00	408.50	1450.00	501.34	1680.00	575.91	1860.00	630.27	1950.00	607.47
20.	उत्तर प्रदेश	0.1	25000.00	20.00	35000.00	27.00	39000.00	28.45	42000.00	31.00	47000.00	31.85
21.	उत्तराखंड	3.0	4378.63	134.00	4775.00	143.25	5800.81	194.85	6800.00	204.00	7800.00	234.00
22.	पश्चिम बंगाल	5.5	9150.00	721.07	11602.38	763.98	14150.00	963.55	17965.00	1127.28	22214.00	1470.29
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.3	672.62	86.34	604.83	66.72	833.18	68.95	924.97	80.73	1434.84	173.92
24.	दमन और दीव	8.8	71.67	6.31	150.00	2.54	154.34	13.66	%69.23	14.99	324.95	28.79
	अखिल भारतीय	8.2	215710.34	20714.23	276449.81	22685.59	308122.95	29991.77	355198.20	34751.69	425878.79	43213.14

स्रोत: राज्य सरकार के राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा टीएसपी दस्तावेज।

एनआर: सूचित नहीं किया गया

स्रोत: योजना आयोग

[हिन्दी] 283

यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

3284. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल के यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) इस शिखर सम्मेलन के दौरान गैर-व्यापार मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत द्वारा रखे गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त शिखर सम्मेलन में एकमत नहीं बन पाया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) 12 वां भारत-यूरोप संघ शिखर सम्मेलन 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रॉम्पी तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोसे मैनुएल बरोसो ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

भारत-यूरोप संघ शिखर सम्मेलन के दौरान पारस्परिक हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई है।

इन वार्ताओं के परिणामों का सार संयुक्त वक्तव्य में दिया गया है जिसे वार्ता के अंत में जारी किया गया था।

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन के अंत में निम्नलिखित दस्तावेज जारी/हस्ताक्षरित किए गए:

* ऊर्जा पर अधिकाधिक सहयोग संबंधी भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त घोषणा
* शोध एवं नवाचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा
* यूरोस्टैट तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

[अनुवाद] शांति बाली 284

जनजातीय लोगों द्वारा एम.एफ.पी. का दोहन

3285. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय लोग माननीय उच्चतम न्यायालय (एससी) के निर्णय, जिसमें उच्चतम न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना लघु वन उपज का लाभ लेने से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है, की तुलना में लघु वन उपज के दोहन के अपने अधिकार के संबंध में असमंजस में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें जनजातीय लोगों द्वारा एमएफपी के संग्रहण को प्रतिबंधित किया गया हो।

(घ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (ग) में दिए गए प्रावधान के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को लघु वन उत्पाद जिन्हें परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के अंदर या बाहर एकत्रित किया जाता रहा है, वे स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार है। 284-85

कार्बन कर का ईयू प्रवर्तन

3286. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यूरोपीय क्षेत्र में उतरने और इससे होकर जाने वाले सभी विमानों पर कार्बन कर के ईयू प्रवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए/ जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अतिरिक्त कर के रूप में विमानों द्वारा कितनी अनुमानित राशि अदा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारत में परिचालन करने वाली किसी एयरलाइन द्वारा ईयू को दिए गए आंकड़ों की कोई रिपोर्ट/घटना सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सरकार ने 01 जनवरी, 2012 से यूरोपीय संघ-उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू-ईटीएस) में यूरोपीय संघ (ईयू) के हवाईअड्डों के लिए/से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एकपक्षीय रूप से शामिल किए जाने का विरोध किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने 29-30 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में गैर-यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) परिषद सदस्यों तथा अन्य गैर-यूरोपीय संघ सदस्य देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें यूरोपीय संघ-उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का विरोध करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात्, भारत ने आगे बढ़ते हुए कार्यपत्र (डब्ल्यूपी) के रूप में इस संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात्, भारत ने आगे बढ़ते हुए कार्यपत्र (डब्ल्यूपी) के रूप में इस संयुक्त घोषणा को सह प्रस्तुत किया, जिसे इकाओ परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था। इस घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मास्को में 21-22 फरवरी, 2012 को एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोपीय संघ-ईटीएस के विरुद्ध मास्को घोषणा को स्वीकार किया गया। इन घोषणाओं, जिसमें अनेक जवाबी उपाय निहित हैं, के आधार पर 29 मार्च, 212 को दूसरी सीओएस बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिफारिश की गई कि भारतीय वाहकों को यूरोपीय संघ-ईटीएस में भाग नहीं लेना चाहिए। तदनुसार, भारतीय वाहकों को औपचारिक रूप से ईयू-ईटीएस में भाग लेने से मना कर दिया गया है।

(ख) यद्यपि विमान किरायों पर इसका संभावित प्रभाव ज्यादा होने की संभावना है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि किसी भारतीय वाहक ने सरकार द्वारा इस योजना का विरोध करने के दृष्टिगत उत्सजन पर इस वर्ष अपेक्षित ट्रायल उपलब्ध नहीं कराया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 285-86

जनजातीय परामर्शदात्री परिषद्

3287. श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूची पांच में दिए गए क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदों (टीएसपी) की बैठकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) टीएसी द्वारा लिए गए प्रमुख मुद्दों और कार्यसूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय लोगों के उत्थान में इन टीएसी द्वारा क्या भूमिका निभायी गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान 286-87

3288. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) द्वारा आयोजित कोर्सों की कुल संख्या कितनी है है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसमें प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियाों को संख्या कितनी है;

(ख) एनआईडब्ल्यूएस किन स्थानों पर इन कोर्सों को आयोजित करता है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जल क्रीड़ाओं में प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया जाता है;

(घ) क्या संस्थान द्वारा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जल क्रीड़ाओं में नए ऑफ कैम्पस कोर्स प्रारंभ किए गए हैं या प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) द्वारा संचालित कोर्सों की कुल संख्या और विगत तीन वर्षों में प्रत्यक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसमें प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या है:

क्र.सं.	वर्ष	संचालित कोर्सों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	2009-10	26	636
2.	2010-11	38	869
3.	2011-12	43	1026
4.	अप्रैल, 2012 से अब तक	19	330

(ख) एनआईडब्ल्यूएस ऑन-कैम्पस और ऑफ-कैम्पस दोनों में प्रशिक्षण कोर्स संचालित करता है। वर्ष 2009-10 से अब तक की अवधि के दौरान ऐसे कोर्स गोवा, महाराष्ट्र (लावास-पुणे, दूरशेट, आम्बी वैली-पुणे, तापोला), अंडमान एवं निकोबार, मध्य प्रदेश (भोपाल), जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू) उत्तरांचल (नैनीताल), दिल्ली, पुदुचेरी, दार्जिलिंग, कर्नाटक (कुशल नगर) और केरल (कालीस्ट एवं तिरुवनंतपुरम) में संचालित किए गए।

(ग) कोर्सों को संचालित करने के लिए किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

(घ) और (ङ)

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (रुपए)
1.	2009-10	523055
2.	2010-11	545457
3.	2011-12	731216
4.	अप्रैल, 2012 से	230075 (लगभग)

(घ) और (ङ) प्रयोजक एजेंसी से प्राप्त अनुरोध के आधार पर आउट-स्टेशन कोर्सों का निर्धारण किया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र में मई-जून 2012 के दौरान संस्थान ने तापोला (महाबलेश्वर) में प्राण रक्षा तकनीक और पावरबोट हैंडलिंग-टिल्लर प्रत्येक में 04 कोर्स संचालित किए। मानूसन के कम होने पर कुछ और कोर्स निर्धारित किए जा रहे हैं। मलवान क्षेत्र में कुछ कोर्स के अनुरोध को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी] 267-92

चिकित्सा महाविद्यालयों का वितरण

3289. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री प्रेमदास:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में चिकित्सा महाविद्यालयों के विषय वितरण पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो देशभर में चिकित्सा महाविद्यालयों के वितरण और स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान स्नातक पूर्व और स्नातकोतर मेडिकल सीटों की बढ़ी हुई संख्या का क्षेत्र्-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मेडिकल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में मानव संसाधन की उपलब्धता में भौगोलिक और ग्रामीण शहरी असंतुलन को दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में मेडिकल कालेजों की वृद्धि और चिकित्सीय विशेषज्ञों की उपलब्धता में असंतुलन है। मेडिकल कालेजों का क्षेत्रवार वितरण और अधिस्नातमक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की उपलब्धता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 55 नये मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसके क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण II, विवरण III और विवरण IV में दिये गये हैं।

(घ) और मेडिकल कालेज स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष छूट देने के साथ शिक्षक छात्र अनुपात, भूमि आवश्यकता, बिस्तर क्षमता, बिस्तर भरे होना, अधिकतम दाखिला क्षमता और अध्यापन संकाय की आयु में वृद्धि आदि के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों को युक्तिपरक बनाया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की एक योजना भी कार्य कर रही है।

विवरण I

आज की स्थिति के अनुसार मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस एवं स्नातकोत्तर सीटों का क्षेत्रवार वितरण

क्र.सं.	क्षेत्र	मेडिकल कालेजों की संख्या	एमबीबीएस सीटों की संख्या	पीजी सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	उत्तर	61	7094	4144
2.	दक्षिण	157	21337	9708

1	2	3	4	5
3.	पश्चिम	76	9775	5318
4.	केंद्र	15	1920	677
5.	पूर्व	36	4000	2138
6.	पूर्वोत्तर	10	1126	518
	कुल अंक	355	45252*	22503

*कुल दाखिला क्षमता 45252 एमबीबीएस सीट हैं, जिनमें से शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए 1300 सीटों के लिए अनुमति का मंजूर नवीकरण नहीं किया गया है। अतः उपलब्ध कुल एमबीबीएस सीटें 43952 हैं।

विवरण-II

मेडिकल कालेजों का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	पिछले तीन वर्ष के दौरान स्थापित मेडिकल कालेजों की संख्या		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	उत्तर	1	7	4
2.	दक्षिण	10	6	7
3.	पश्चिम	शून्य	3	5
4.	केंद्र	शून्य	1	शून्य
5.	पूर्व	1	4	3
6.	पूर्वोत्तर	2	शून्य	1
	कुल अंक	14	21	20

विवरण-III

बढ़ाई गई एमबीबीएस सीटों का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ाई गई एमबीबीएस सीटों की संख्या		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	उत्तर	I(170)	1212	550
2.	दक्षिण	1305	1600	1520
3.	पश्चिम	शून्य	1875	985
4.	केंद्र	शून्य	200	50
5.	पूर्व	100	655	390
6.	पूर्वोत्तर	250	शून्य	100
	कुल अंक	1825	4542	3595

विवरण-IV

बढ़ाई गई स्नातकोत्तर सीटों का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ाई गई स्नातकोत्तर सीटों की संख्या		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	उत्तर	550	264	189
2.	दक्षिण	1389	1357	858
3.	पश्चिम	1197	477	212
4.	केंद्र	20	124	46
5.	पूर्व	442	180	90
6.	पूर्वोत्तर	109	33	48
	कुल अंक	3707	2435	1443

[अनुवाद]

वृंदावन में रहने वाली विधवाएं

***3290. श्री संजय निरूपम: क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृंदावन में रहने वाली विधवाओं की व्यथा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि इन विधवाओं के कल्याण के लिए आबंटित निधियों का कुछ हिस्सा ही वास्तव में उन तक पहुंचता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) दिनांक 8 जनवरी, 2012 को 'हिन्दू दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार 'वृन्दावन की विधवाओं को मृत्यु के पश्चात् भी सम्मान नहीं मिलता का संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस विषय की जांच करें और जो संगठन आश्रय गृह चला रहे हैं, उनके प्रत्यय पत्रों का सत्यापन करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करने के पश्चात् सूचित किया कि जांच के दौरान इस प्रकार का कोई तथ्य ध्यान में नहीं आया है और ऐसा लगता है कि समाचार पत्र का लेख पक्षपातपूर्ण और निराधार है।

(ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जिला विधि सेवा प्राधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार द्वारा निधिक आश्रय गृहों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कमियों जैसे अस्वच्छ हालत, डॉक्टरों सुविधाओं की कमी, दु:खद जीवन दशा, अन्तिम संस्कार के उचित प्रबंध न होना इत्यादि कमियों की ओर ध्यान दिलाया।

(घ) उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3.8.2012 को निर्देश जारी किए कि संबंधित राज्य सरकारें आश्रय गृहों में उचित सफाई, डॉक्टरी सुविधाएं, उचित भोजन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। माननीय न्यायालय ने ये भी निर्देश दिए कि आश्रय गृहों में रहने वाली महिलाओं की मृत्यु होने पर उनका अन्तिम संस्कार राज्य सरकार के खर्चे पर उचित ढंग से किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को भी निर्देश दिए गए कि वृन्दावन में रहने वाली निरश्रित महिलाओं की दयनीय हालत में सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव दें।

(ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय आधारित दो स्कीमें जैसे स्ववाधार स्कीम और अल्पावास स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस समय वृन्दावन में 4 स्वाधार गृह और 1 अल्पावास गृह कार्य कर रहे हैं। इन आश्रय गृहों में लाभार्थियों को आवास, भोजन, डॉक्टरी देखभाल तथा परामर्श इत्यादि निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन आश्रय गृहों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वृन्दावन के आश्रय गृहों का निर्मुक्त राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	आश्रय गृह का पता	कार्यान्वित कर रही एजेंसी	गृह की क्षमता	2009-10 (राशि रुपये में)	2010-11 (राशि रुपये में)	2011-12 (राशि रुपये में)
1.	आश्रय सदन, चैतन्य विहार फेस-1 वृंदावन मथुरा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	250	37,40,000	–	29,61,725
2.	आश्रय सदन, चैतन्य विहार फेस-2 वृंदावन मथुरा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	320	–	40,32, 100 (19,62,500 निर्माण के लिए शामिल)	
3.	सीताराम सदन, गौरी नगर, वृंदावन, मथुरा उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	150	19,41,450	–	17.53.375
4.	मां धाम, वृंदावन मथुरा, उत्तर प्रदेश	गिल्ड फॉर सर्विस, नई दिल्ली	200	3.75.000 (निर्माण के लिए)	31,81,967	17,42,880
5.	अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस, नई दिल्ली	एआईडब्ल्यूसी ट्राश मंदिर काम्पलेक्स वृंदावन, उत्तर प्रदेश	30	70.974	3,78,196	4.09.095

[हिन्दी] 293-96

पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता

3291. श्री रमेश बैस: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई प्रधान मंत्री स्तर और अन्य उच्च स्तर की वार्ताओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त वार्ताओं के दौरान चर्चा की गई और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए क्या रूप-रेखा तैयार की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क और ख)

2009

- प्रधानमंत्री ने 16 जून, 2009 को येकतरिनबर्ग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-ब्राजील, रूस, भारत, चीन (एससीओ-ब्रिक) सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की।
- प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई, 2009 को शर्म-उल-शेख में गुट निरपेक्ष आन्दोलन (एनएएम) सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री ने 26 जून, 2009 को ट्रिस्टे (इटली) में जी-8 आउटरीच बैठक के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव ने सितम्बर, 2009 के अंतिम सप्ताह में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने पाकिस्तानी समकक्षियों से मुलाकात की।

2010

- प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2010 में थिम्पु में आयोजित दक्षेस सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
- विदेशी मंत्री ने 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की।

2011

- प्रधानमंत्री ने 30 मार्च, 2011 को मोहाली में भारत तथा पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप क्रिकेट सेमी फाइनल मैच के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री ने 27 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।
- पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने 26 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2011 तक वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री के नियंत्रण पर भारत की यात्रा की।
- प्रधानमंत्री ने 10 नवम्बर, 2011 को मालदीव में दक्षेस सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दक्षेस से संबंधित मुद्दों तथा भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के पूरे परिदृश्य पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया।

2012

- पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 8 अप्रैल, 2012 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मैत्रीपूर्ण तथा रचनात्मक विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू तथा साझे हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दे शामिल है।
- विदेश मंत्री ने 8 जुलाई, 2012 को टोक्यों में अफगानिस्तान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की।
- लोक सभा अध्यक्ष ने 21-25 फरवरी, 2012 को अपने पाकिस्तानी समकक्षी डॉ. फहमीदा मिर्जा के निमंत्रण पर पाकिस्तान की यात्रा की।
- वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री ने उच्चाधिकार प्राप्त व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल सहित 13-16 फरवरी, 2012 को पाकिस्तान की यात्रा की।
- पाकिस्तान के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने 25 जनवरी, 2012 को नई दिल्ली में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मुलाकात की।

(ग) 27 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों मंत्रियों ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण, सहयोगपूर्ण तथा अच्छे निकटवर्ती संबंध स्थापित करने के लिए तथा रचनात्मक एवं परिणामोन्मुखी आदान-प्रदान के माध्यम से शेष सभी मुद्दों का शन्तिपूर्ण समाधान करने के लिए वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के महत्त्व को स्वीकार किया। वे वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने तथा आतंकवाद रोध (मुम्बई मुकदमे पर प्रगति सहित) एवं स्वापक नियंत्रण, मानवीय मुद्दों, वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग, वूलर बैराज/तुलबुल नौवहन परियोजना, सर क्रीक (अपर सचिव एवं महासर्वेक्षक के स्तर पर), सियाचीन; सीबीएम सहित शांति एवं सुरक्षा; जम्मू एवं कश्मीर; तथा मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान संवर्धन पर कई सचिव स्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए सहमत थे। यह निर्णय भी लिया गया था कि विदेशी मंत्री वार्ता प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 2012 की प्रथम छमाही में इस्लामाबाद में पुनः मुलाकात करेंगे।

[अनुवाद]

डिजिटल पंचायत केन्द्रों की स्थापना

3292. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समस्त ग्रामीण भारत में डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि पारस्परिक और सहयोगी वेब पोर्टल के माध्यम से पंचायत स्तर पर निचले स्तर पर समुदायों का सशक्तीकरण और उनका विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री: (क) और (ख) पंचायत स्तर पर निचले स्तर पर समुदायों के सशक्तिकरण एवं उनका विकास करने हेतु ग्रामीण भारत में डिजिटल पंचायत केंद्र स्थापित करने का पंचायत राज मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि मंत्रालय ने पंचायतों की ई-गर्वेनेंस प्लान (एनईजीपी) के अंतर्गत एक परियोजना नामत: ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) तैयार की है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत 11 कोर कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों की परिकल्पना की गई है। ये एप्लिकेशन एक साथ पंचायत इंटरप्राइज स्यूट (पीईएस) का गठन करते हैं। इनमें से चार एप्लिकेशनों नामत: प्रिया सॉफ्ट, प्लान-प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा लोकल गवर्नेंस डायरेक्टरी को प्रसारित किया गया है तथा यह लोगों के लिए उपलब्ध है। इन पर क्रमश: http://Accountingonline.gov.in, http://Plaanningonline. gov.in, http://kPanchayat.gov.in तथा http://Panchayatdirectory. gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। 6 अन्य एप्लिकेशन नामत: एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, ऐसेट डायरेक्ट्री, एक्शन सॉफ्ट, सोशल ऑडि तथा ट्रेनिंग मैनेजमेंट को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को आरंभ किया गया एवं राज्यों द्वारा अपनाये जाने की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

प्रसाधनों में रसायन

3293. श्री तूफानी सरोज:
श्री हंसराज गं अहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय अध्ययनों के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है जिससे यह पता चलता है कि थैलेट सहित जिन कतिपय रसायनों का प्रसाधनों में और मेक-अप पैकिंग में सामान्यत: प्रयोग किया जाता है उनसे महिलाओं में मधुमेह का जोखिम बढ़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विपणन किए जाने वाले प्रसाधनों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है/अध्ययन में सहायता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रसाधनों और सौंदर्य उत्पादों में रसायनों की उपस्थिति के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उन्हें लागू करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) देश में प्रसाधनों और सौंदर्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा और किए गए उपायों/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में थैलेट्स के उपयोग के कारण महिलाओं में मधुमेह के बढ़े जोखिम के बारे में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) से (च) सरकार ने देश में बेची जा रही सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया/सहायता नहीं दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियामक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसाधन सामग्रियों की नमूने लेते हैं कि वे निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं। सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अन्तर्गत राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा जारी लाइसेंस के अन्तर्गत विनिर्मित किया जाना अपेक्षित है और इनके लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना अपेक्षित है। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों और साथ ही ऐसे कच्चे माल, जिनका सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, के मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए हैं। देश में सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के मानकों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

299

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम संबंधी निगरानी समिति

3294. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि बी.आर.जी.एफ के अंतर्गत हुए व्यय की निगरानी के लिए जन प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

299-301

चिकित्सा कॉलेजों के नए कैम्पस

3295. चौधरी लाल सिंह:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंद राव अडसुल:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री कादिर राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) का देश में उन राज्यों जहां चिकित्सा कॉलेजों की कमी है, में मौजूदा चिकित्सा कॉलेजों के नए 'केम्पस' खोले की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अवसंरचना के अभाव वाले राज्यों में और अधिक चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करने में सहायता करने के लिए मौजूदा चिकित्सा कॉलेजों में दूसरा कैम्पस खोलने के लिए की गई रियायतों/प्रस्तावित रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वर्ष 2012 तक चिकित्सा कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की उपलब्धता को दोगुना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सरकार के पूर्व अनुमोदन से 8 अल्पसेवित राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भूमि के दो टुकड़ों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अनुमति देने के लिए 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमन, 1999' में संशोधन किया है। इन 8 राज्यों के अलावा राज्यों के लिए सरकार ने ऐसे जिलों में जहां पर दो या दो अधिक मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, में जिला अस्पतालों का उपयोग करते हुए भूमि के दो टुकड़ों पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति देने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापना विनियम, 1999 में और संशोधन करने की अनुमति दी है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) भूमि, संकाय, स्टाफ, बिस्तर/बिस्तर संख्या और अन्य अवसंरचना के लिए आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंड में छूट।

(ii) एमबीबीएस स्तर पर 150 से 250 तक अधिकतम प्रवेश क्षमता में वृद्धि।

(iii) स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों में वृद्धि करने के लिए शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में छूट।

(iv) मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य के पदों के लिए प्रति नियुक्ति/विस्तार/पुनर्रोजगार के लिए आयु सीमा में 65 से 70 वर्ष तक वृद्धि।

(v) विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने या नये स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए 'राज्य सरकार मेडिकल कालेज का सुदृढ़ीकरण और

उन्नयन' योजना के अंतर्गत राज्य मेडिकल कॉलेज को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(vi) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स जैसे 8 संस्थानों (प्रथम चरण में 6 और द्वितय चरण में 2) की स्थापना।

(vii) 12वीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र में नये मेडिकल कॉलेजों को खोलने की भी सिफारिश की है।

आयुष कॉलेजों का आकलन

3296. श्री टी.आर. बालू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केंद्रीय भारतीय औषध परिषद (सीसीआईएम), केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद (सीसीएच) और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के द्वारा कॉलेजों के आकलन में एकरूपता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक सीसीआईएम और सीसीएच द्वारा कितनी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आयुष विभाग द्वारा उनमें से कितनी रिपोर्ट स्वीकार और अस्वीकार की गई; और

(घ) देश में भारतीय औषध और होम्योपैथिक में शिक्षा को विनियमित करने के लिए सीसीआईएम और सीसीएच और आयुष विभाग के बीच बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम), केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) और आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और (आयुष) विभाग द्वारा देश में कॉलेजों के मूल्यांकन में काफी हद तक एकरूपता बनाए रखी जाती है। परिषदों (सीसीआईएम और सीसीएच) तथा आयुष विभाग के बीच कुछेक मानदों की सीमाएं निर्धारित करने में थोड़े-बहुत अंतर हैं। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनिमय, 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में वर्ष 2003 से प्रभावी संशोधनों के बाद आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों को अनुमति का अनुमोदन देने या ना देने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (सीसीएच) संबंधित विनियमों के आधार पर अपनी सिफारिशें और निरीक्षण रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रही हैं और केंद्र सरकार शैक्षणिक सत्र विशेष के लिए अनुमोदित मानदंडों और सगत अधिनियम और सदृश विनियमों के अंतर्गत उपबंधों के आधार पर अनुमति देती है या नहीं देती है।

- आईएसमसीसी अधिनियम की धारा 13क नए कॉलेज खोलने, आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी कॉजेलों में प्रवेश संख्या बढ़ाने और नए या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरु करने के विनियमन से संबधित हैं और एचसीसी की धारा 12क होम्योपैथी के नए कॉलजे खोलने, प्रवेश संख्या में वृद्धि करने और होम्योपैथी कॉलेजों में नए या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरु करने के विनियमन से संबंधित है।

- वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों के संबंध में कार्रवाई आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के उपबंधों के तहत की जाती है।

(i) अध्यापक

(क) स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम हेतु: 90% पात्र अध्यापक, 50% उच्चतर संकाय (प्रोफेसर + रीडर) और प्रत्येक विभाग में कम से कम एक अध्यापक,

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) हेतु: स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के अलावा, संबंधित स्नातकोत्तर विभाग में 1 उच्चतर संकाय रु 1 लेक्चरर, अध्यापक-छात्र अनुपात की पूर्ति (प्रोफेसर हेतु 1:3, रीडर हेतु 1:2 और लेक्चरर हेतु 1:1)

(ii) अस्पताल में बिस्तर:

(क) 50 स्नातकपूर्व प्रवेश क्षमता वाले आयुर्वेद कॉलेजों के अस्पतालों में न्यूनतम 100 बिस्तर + 51-100 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु 1:2 छात्र-बिस्तर अनुपात, 50 प्रवेश क्षमता वाले यूनानी कॉलेजों के अस्पतालों में कम से कम 50 बिस्तर + 51 से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु 1:1 छात्र-बिस्तर अनुपात

(ख) आयुर्वेद के स्नातकोत्तर कॉलेजों और अनन्य स्नातकोत्तर संस्थानों हेतु न्यूनतम 100 बिस्तरों वाला अस्पताल/यूनानी के स्नातकोत्तर कॉलेजों तथा अकेले स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए 50 बिस्तरों वाला अस्पताल + स्नातकपूर्व छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए बिस्तरों की कुल अपेक्षा के अलावा प्रत्येक स्नातकोत्तर नैदानिक सीट के लिए 1:4 छात्र-बिस्तर अनुपात

(iii) गत वर्ष के दौरान अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन औसतन 100 रोगी,

(iv) गत वर्ष के दौरान अस्पताल के अंतरंग रोगी विभागों में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए 40% रोगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50% रोगी, और

(v) स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों के तहत कार्मिक अपेक्षा सहित उपबंधों की पूर्ति।

- वर्तमान होम्योपैथी कॉलेजों के संबंध में एचसीसी अधिनियम, 1973 की धारा 19 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
- विभाग ने सभी वर्तमान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 1983 के उपबंधों का पालन न किए जाने के संबंध में आम छूट दी थी।

(ग) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजः

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28.8.2012 तक) के दौरान स्नातकपूर्व और/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति के नवीकरण पर विचार करने के लिए सीसीआई द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों की मूल्यांकन रिपोर्टों की संख्या और इनमें से आयुष विभाग द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत रिपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अलावा, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28.8.2012 तक) के दौरान सीसीआईएम द्वारा नए प्रस्तावित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों, वर्तमान आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरु करने और प्रवेश क्षमता बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों की संख्या तथा आयुष विभाग द्वारा स्वीकृत रिपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

होम्योपैथी कॉलेजः

सीसीएच की सिफारिश सहित मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद आयुष विभाग इन रिपोर्टों की जांच करता है और धारा 12क के उपबंधों के अनुसार कॉलेजों को अनुमति देने/अनुमति न देने का अंतिम निर्णय लेता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) सीसीआईएम, सीसीएच और विभाग देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन के लिए नियमित रूप से परस्पर बात करते हैं और अब कभी आवश्यक हो तो बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।

विवरण-I

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कॉलेज

वर्तमान एएसयू कॉलेज

शैक्षणिक वर्ष	आयुर्वेद (रिपोर्टों की संख्या)			सिद्ध (रिपोर्टों की संख्या)			यूनानी (रिपोर्टों की संख्या)		
	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत
2009-10	244	228	16	9	9	0	41	38	3
2010-11	254	113	141	9	1	8	41	4	37
2011-12	248	193	55	9	6	3	41	21	20
2012-13*	252	219	33	9	6	3	41	36	5

*25.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

आईएमसीसी अधिनियम 1970 की धारा 13क के अंतर्गत एएसयू कॉलेजों के नए आवेदन

शैक्षणिक वर्ष	आयुर्वेद (रिपोर्टों की संख्या)			सिद्ध (रिपोर्टों की संख्या;			यूनानी (रिपोर्टों की संख्या)		
	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत
2009-10	86	49	37	04	03	01	00	00	00
2010-11	06	06	00	04	02	02	00	00	00
2011-12*	37	18	00	04	03	01	00	00	00
2012-13*	15	00	00	00	00	00	00	00	00

* 28.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण-III

होम्योपैथी कॉलेज

एचसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 12क के अंतर्गत होम्यापैथी कॉलेजों के नए आवेदन

शैक्षणिक वर्ष	होम्योपैथी (रिपोर्टों की संख्या)		
	प्रस्तुत	स्वीकृत	अस्वीकृत
2009-10	13	7	6
2010-11	8	8	0
2011-12	12	12	0
2012-13*	0	0	0

* 28.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार

बायोगैस का उत्पादन

3297. श्री शिव कुमार उदासी:
श्री बैजयंत पांडा:
श्री खगेन दास:
श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बायोगैस का राज्य-वार कुल उत्पादन कितना है;

(ख) देश में गैर-कार्यरत/बंद बायोगैस संयंत्रों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और उनके कार्य न करने/बंद होने के कारण क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस का खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत अतिरिक्त बायोगैस-क्षमता के सृजन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धियों का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) एनबीएमएमपी के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों में नई व्यवहार्य प्रौद्योगिकी की शुरूआत और बायोगैस उत्पादन में वृद्धि करने हेतु तथा इस संबंध में राज्य सरकारों तथा ग्राम पंचायतों के प्रयासों में सहायता करने हेत तथा केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बायोगैस संयंत्रों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु-परिवर्तन संरचना (यूएनएफसीसी) के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के अंतर्गत कार्बनगत रियायत मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा सौर और पवन ऊर्जा से सस्ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत तथा सौर एवं पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत कितनी है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कार्यान्वित मध्यम से बड़ी क्षमता के बायोगैस कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थापित घरेलू बायोगैस संयंत्रों से लगभग 45.74 लाख घनमीटर प्रतिदिन बायोगैस का अनुमानित उत्पादन है। बायोगैस उत्पादन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) एमएनआरई एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से नियमित आधार पर बायोगैस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन कराता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत संस्थापित बायोगैस संयंत्रों हेतु वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए अंतिम मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न लोगों में सर्वेक्षण किए गए लगभग 95.80 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र कार्यशील पाए गए थे। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। शेष बायोगैस संयंत्रों की अकार्यशीलता के मुख्य कारण पशु गोबर का उपलब्ध न होना, लाभार्थियों के आवास में परिवर्तन, दोषपूर्ण निर्माण, बायोगैस संयंत्रों की सही ढ़ग से फीडिंग और काम करने में लाभार्थियों की रूचि न होना है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत प्रतिदिन 14 लाख घनमीटर बायोगैस का उत्पादन करने के उद्देश्य के साथ 6.47 लाख घरेलू बायोगैस संयंत्र का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसकी तुलना में, प्रतिदिन लगभग 15.02 लाख घनमीटर बायोगैस उत्पादन के साथ 6.08 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं एनबीएमएमपी के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थापित अतिरिक्त बायोगैस संयंत्रों और बनाई गई बायोगैस उत्पादन क्षमता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) बायोगैस संयंत्रों के नए मॉडलों और अभिनव प्रौद्योगिकी के विकास और परीक्षण हेतु क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों (बीडीटीसी) की सहायता की गई है। विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने, प्रचार सामग्रियां विकसित करने और संयंत्रों के उचित रख-रखाव तथा बायोगैस के उत्पादन हेतु तकनीकी सहायता में राज्य सरकारों और राज्य नोडल एजेंसियों के प्रयासों की भी बीडीटीसी कमी पूरी करते हैं।

(ङ) तीन राज्यों नामत: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब में दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जलवायु-परिवर्तन संरचना (यूएनएफसीसी) के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र (सीडएम) कार्यकारी बोर्ड द्वारा सीडीएम के तहत छ: बायोगैस परियोजनाएं पंजीकृत की गई है।

(च) बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा सौर से सस्ती है लेकिन पवन ऊर्जा के बराबर है। बायोमास और पवन से उत्पादित बिजली की लागत सौर की 8.77 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में 3.25 रु. से 4.00 रुपए प्रति यूनिट तक है।

विवरण-I

दिनांक 31.3.2012 के अनुसार अनुमानित बायोगैस उत्पादन के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित बायोगैस उत्पादन (घनमीटर/दिन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	428773
2.	अरुणाचल प्रदेश	2626
3.	असम	76168
4.	बिहार	103620
5.	गोवा	3180
6.	गुजरात	420413

1	2	3
7.	हरियाणा	76824
8.	हिमाचल प्रदेश	37270
9.	जम्मू और कश्मीर	2192
10.	कर्नाटक	423943
11.	केरल	108120
12.	मध्य प्रदेश	288750
13.	महाराष्ट्र	835884
14.	मणिपुर	1702
15.	मेघालय	7460
16.	मिजोरम	3216
17.	नागालैंड	5320
18.	ओडिशा	202474
19.	पंजाब	195020
20.	राजस्थान	76096
21.	सिक्किम	6660
22.	तमिलनाडु	288824
23.	त्रिपुरा	2394
24.	उत्तर प्रदेश	607170
25.	पश्चिम बंगाल	284736
26.	दिल्ली	544
27.	पुदुचेरी	462
28.	छत्तीसगढ़	34928
29.	झारखंड	5276
30.	उत्तराखंड	43721
31.	चंडीगढ़	78
32.	दादरा और नगर हवेली	136
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	108
	कुल	45,74,078

विवरण-II

एनबीएमएमपी के तहत 10वीं योजना के दौरान संस्थापित बायोगैस संयंत्रों हेतु मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार बायोगैस संयंत्रों की कार्यशीलता

क्र.सं.	राज्य के नाम	संस्थापित संयंत्र	नमूना आकार (2.5%)	कार्यशीलता (%)
1.	असम : पूर्वोत्तर क्षेत्र का वर्णन करते हुए (इस क्षेत्र में 5% नमूना आकार लिया गया है।)	298	27	92.60%
2.	पश्चिम बंगाल : पूर्वी क्षेत्र का वर्णन करते हुए	62708	1582	92.29%
3.	गुजरात : पश्चिम क्षेत्र का वर्णन करते हुए	33796	879	97.61%
4.	पंजाब : पूर्वी क्षेत्र का वर्णन करते हुए	9907	251	100%
5.	केरल : दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करते हुए	12724	298	99.32%
6.	छत्तीसगढ़ : केन्द्रीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए	22138	540	99.44%
	कुल	141571	3577	95.80%

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य के नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	18000	10725	18000	10825	16500	13699	18000	16275	16000	15346	86500	66870
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	200	150	-250	200	162	200	175	100	150	800	937
3.	असम	2550	3700	3000	7500	10000	10450	5000	6732	4900	6885	25450	35267
4.	बिहार	100	182	200	200	300	200	300	350	1000	3285	1900	4217
5.	छत्तीसगढ़	1500	2100	3000	3118	5000	3433	3700	3832	4000	4779	17200	17262
6.	गोवा	75	21	50	34	50	31	50	38	50	65	275	169
7.	गुजरात	8000	8301	8000	5842	10000	10556	10000	6105	7000	2631	43000	33435
8.	हरियाणा	1000	1048	1500	1347	1500	1422	2000	1379	1700	1819	7700	7015
9.	हिमाचल प्रदेश	150	179	150	246	150	245	300	445	500	426	1250	1541
10.	जम्मू और कश्मीर	110	50	50	72	100	155	1000	114	200	136	1460	527
11.	झारखंड	200	536	500	824	500	1030	1000	913	500	750	2700	4053
12.	कर्नाटक	4000	3933	10000	7822	20000	10323	16000	14464	13000	12363	63000	48905
13.	केरल	4500	3044	3000	5151	6000	4085	3500	3941	2600	3483	19600	19704
14.	मध्य प्रदेश	15000	7642	16000	14077	16000	15114	16000	16742	14000	12415	77000	65990
15.	महाराष्ट्र	13000	18635	15000	15461	8000	11235	8000	21456	13000	22220	57000	89007
16.	मणिपुर	100	-	100	-	50	-	50	-	50	-	350	-
17.	मेघालय	200	525	300	725	400	825	600	1275	1000	1390	2500	4740
18.	मिजोरम	100	100	200	100	100	50	200	100	200	100	800	450
19.	नागालैंड	200	231	200	425	350	605	500	1171	1000	1325	2250	3757
20.	ओडिशा	4000	3895	4000	2332	5000	5296	7000	6050	7000	7186	27000	24759
21.	पंजाब	1500	4573	8000	9695	10000	7250	16000	23700	18000	14173	53500	59391
22.	राजस्थान	25	90	100	92	50	176	100	275	500	498	775	1131
23.	सिक्किम	200	372	200	447	200	555	240	358	200	635	1040	2367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	1500	1773	1500	1761	1500	1740	1500	1493	1000	1383	7000	8150
25.	त्रिपुरा	300	38	200	159	100	47	100	89	200	117	900	450
26.	उत्तर प्रदेश	4000	3946	3000	2019	4000	3252	4500	4603	5000	4759	20500	18579
27.	उत्तराखंड	400	825	500	1104	900	1225	900	2082	2000	2114	4700	7350
28.	पश्चिम बंगाल	8500	12175	11000	16300	15000	16748	15000	17000	16000	19986	65500	82209
29.	दिल्ली/नई दिल्ली	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4
30.	पुदुचेरी	100	-	100	-	50	5	50	-	100	-	400	5
31.	केवीआईसी	15000	#	16000	#	18000	#	19000	#	21000	#	89000	#
	कुल	104460	88840	124000	107929	150000	119914	150790	151138	151800	140420	681050	608241*

#केवीआईसी की उपलब्धियों को राज्यों के बीच बांटा गया है और संबंधित कॉलम में शामिल किया गया है।

*11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित 6.47 लाख बायोगैस संयंत्रों और प्रतिदिन 14 लाख घनमीटर बायोगैस उत्पादन की तुलना में।

**11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ी गई बायोगैस उत्पादन क्षमता-6.08 × 15.20 लाख घनमीटर प्रतिदिन।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य शहर

3298. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य शहर स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे शहरों की स्थापना करने में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों की सहायता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित करना

3299. **श्री वरूण गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए अनन्य अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियों का आवंटन किया गया है; और

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने का अनुमानित समय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष देशभर के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए अनन्य अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए

एक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम अर्थात् 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान' संचालित करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 26 राज्यों को अनुदान दिए गए हैं। सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा कार्यकलापों में अन्तरालों को पूरा करने के लिए जनजातीय जनसंख्या की महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

315-

एअर इंडिया मुख्यालय को स्थानांतरित करना

3300. **श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री संजय दिना पाटील:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एअर इंडिया मुख्यालय को मुंबई से नई दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुख्यालय को स्थानांतरित करने की स्थिति में अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

215-18

केन्द्रीय पूल से विद्युत

3301. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से प्रदान की जा रही विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल से अनेक राज्यों को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति में कटौती की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय पूल से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के कोटे में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) राज्य में विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति उनके स्वयं के उत्पादन तथा राज्य में निजी उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) में उनके हिस्से और विद्युत के आयात से की जाती है। राज्यों को सीजीएस से विद्युत के उनके आबंटन होने पर, विद्युत की आपूर्ति उनकी आवश्यकता के भाग के लिए की जाती है। देश में विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष (जुलाई, 2012 तक) केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित ऊर्जा की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत का आबंटन दो भागों, वास्तविक हिस्सा (85%) तथा अनाबंटित विद्युत (15%) में की जाती है वास्तविक हिस्से के एक बार आबंटन कर दिए जाने पर सामान्यत: तब तक परिवर्तन नहीं किया जाता है जब तक कि लाभग्रहियों द्वारा वापस न की जाए या वह सीपीएसयू को अपेक्षित बकायों का भुगतान करने में समर्थ न हों। केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से अनाबंटित विद्युत का आबंटन, केंद्र सरकार के निपटान व्यवस्था पर रखा जाता है जिसकी आपातिक एवं मौसमी प्रकृति की आवश्यकता, संबंधित विद्युत आपूर्ति स्थिति, उपलब्ध विद्युत संसाधनों के उपयोग, प्रचालन एवं कार्यनिष्पादन आदि को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया जाता है।

अनाबंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण और किसी भी समय इसके पूर्णत: आबंटित किए जाने के कारण, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में वृद्धि केवल तभी व्यवहार्य होती है जब समान मात्रा की कटौती अन्य राज्य (यों)/संघ राज्य (यों) के आबंटन से की जाए। इसलिए सीजीएस से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटन में उर्द्धमुखी के साथ-साथ अधोमुखी संशोधन किया जाता है। नई सीजीएस की स्थापना से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्यों के लाभ के लिए सीजीएस के अनाबंटित विद्युत क्षेत्रों का मात्रा बढ़ाई जाती है।

विवरण

केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित उर्जा की मात्रा का ब्यौरा

वर्ष राज्य/प्रणाली	2012-13 (अप्रैल-जुलाई, 2012) केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा कार्यक्रम (मिलियन यूनिट)
1	2
चंडीगढ़	366
दिल्ली	6318
हरियाणा	3702
हिमाचल प्रदेश	2115
जम्मू और कश्मीर	3065
पंजाब	4303
राजस्थान	4189
उत्तर प्रदेश	10080
उत्तराखंड	1353
छत्तीसगढ़	2190
गुजरात	7175
मध्य प्रदेश	6950
महाराष्ट्र	12054
दमन और दीव	680
दादरा और नगर हवेली	1412
गोवा	1039
आंध्र प्रदेश	6963
कर्नाटक	3920
केरल	3383
तमिलनाडु	6786
पुदुचेरी	927
बिहार	3747
झारखंड	1027
ओडिशा	2622
पश्चिम बंगाल	2410
सिक्किम	314
अरूणाचल प्रदेश	188
असम	1407
मणिपुर	190
मेघालय	272
मिजोरम	116
नागालैंड	125
त्रिपुरा	129

[अनुवाद] 318-19

विमानपत्तनों का निर्माण और हवाई सेवाओं में बढ़ोत्तरी

3302. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**
श्री बलीराम जाधव:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री एम. आनंदन:
श्रीमती चंद्रेश कुमारी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में नए विमानपत्तनों के निर्माण और हवाई सेवाओं और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हेतु व्यापक योजना/कार्यक्रम बनाई गई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजाब में भटिंडा, महाराष्ट्र में अहमदाबाद और शिर्डी, तमिलनाडु और राजस्थान सहित तत्तसंबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर स्थान-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को कब तक प्रारंभ/चालू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) हवाईअड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात संभाव्यता/मांग, विशिष्ट हवाईअड्डों के माध्यम से प्रचालन के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बढ़ते हुए यात्री यातायात की व्यवस्था के लिए टियर-II तथा टियर-III के शहरों में 40 गैर मैट्रो हवाईअड्डों को पहले ही विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि को देखते हुए तथा अधिमानत: हवाईअड्डा क्षेत्र में बेहतर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, सरकार ने अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति तैयार की। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार सहित प्रमोटर जो हवाईअड्डा विकसित करना चाहते हैं, को सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है जिस पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाता है। व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लियरेंस, विनियामक एजेंसियों से क्लियरेंस आदि प्राप्त करने की सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के आवेदन के लिए सैद्धांतिक प्रदान किए जाने हेतु संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है।

अब तक, भारत सरकार ने गोवा में मोपा; महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिन्धुदुर्ग तथा शिर्डी; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हसन तथा बीजापुर; केरल में कन्नुर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; सिक्किम में पेक्योंग; मध्य प्रदेश में दतिय/ग्वालियर (कार्गो); उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, पुदुचेरी में कराईकल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की स्थापना की सिद्धांत रूप में मंजूरी प्रदन कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पंजाब में लुधियाना क्षेत्र में मच्छीवाड़ा; गुजरात में धुलेरा; उत्तर प्रदेश में कुशीनगर; कर्नाटक में बेल्लारी; हरियाणा में रोहतक; गुजरात में धुलेरा; आंध्र प्रदेश में ओंगल, प्रकाशम जिला; केरल में अर्णामूला; अरुणाचल प्रदेश में ईंटानगर तथा झारखंड में जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'स्थल क्लियरेंस' भी प्रदान की है।

भूमि अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजन के वित्त पोषण आदि सहित परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा की जा रही है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्रचालकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेंसी की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि।

[हिन्दी] रवान्न 320.26

कंपनियों को खान ब्लॉकों का आवंटन

3303. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खनिज उत्पादन के संकट से निपटने के मद्देनजर राज्य सरकारों की खान कंपनियों को खान ब्लॉकों का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं/कंपनियों ने संसाधनों के अभाव की आड़ में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की है और खनिजों का उत्पादन करते हैं और इस प्रकार सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को खनन कार्यकलापों में अनियमितताओं की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) खनन कंपनियों के कार्यकलापों पर रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) राज्य सरकारें अपने संबंधित परिधि क्षेत्र में स्थित खनिजों की स्वामी होती है। राज्य सरकारें, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957, और इसके तहत बनाए गए, खनिज रियायत नियम (एमसीआर), 1960 के प्रावधानों के तहत, किसी राज्य की परिधि में स्थित सभी खनिजों के लिए खनिज रियायतें (टोही परमिट, पूर्वक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा) प्रदान करती हैं। तथापि, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' और 'ग' में विनिर्दिष्ट खनिजों में संबंध में खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। सरकार, किस सरकारी कंपनी अथवा निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण और खनन प्रचालन शुरू करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17 क के तहत क्षेत्रों को भी आरक्षित करती है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यम से संबंधित सूचना को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, मंत्रालय ने दिनांक 24.6.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि सरकारी कपंनी का कोई संयुक्त उद्‌यम, जिसे एमसीआर के नियम 37 के तहत अंतरण द्वारा बाद में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा तदंतर दिया जाना प्रस्तावित है, को किसी सरकारी कंपनी के लिए आरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात प्रचालन करने वाली कंपनी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में खनिज रियायत की स्वीकृति के लिए आवेदक का चुनाव, एमएमीआर अधिनियम की धारा 11(3) के निबंधनों के अनुसार होना चाहिए, सरकारी कंपनी के लिए आरक्षित क्षेत्रों के मामले में, यह आवश्यक है कि, यदि सरकारी कंपनी आरक्षित क्षेत्र में रियायत के दोहन के उद्‌देश्य से किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ कोई संयुक्त उद्‌यम में प्रवेश करना चाहती है ऐसे संयुक्त उद्‌यम साझेदार के चुनाव की प्रक्रिया को, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11(3) में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी सरकार कंपनी के पक्ष में पूर्व अनुमोदन संसूचित करते समय, मंत्रालय, जहां आवश्यक हो, खनिज विकास के हित में एमसीआर के तहत, समुचित विशिष्ट शर्तें भी निर्धारित निर्धारित कर सकता है।

(घ) से (च) जी, हां। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में शक्तियों के वर्णन के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय खान ब्यूरो के पास, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर) के माध्यम से खनन पट्‌टा क्षेत्र में प्रमुख खनिजों (ईंधन, कोयला और आणविक खनिजों को छोड़कर) के लिए खनन कार्यकलापों को विनियमित करने की शक्तियां हैं और संबंधित राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 23 ग के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के कार्यकालपों को नियंत्रित करने और अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों के संबंध में गौण खनिजों के खनन को विनियमित करने की भी शक्तियां हैं।

तदनुसार, शक्तियों के वर्णन और उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में एमसीडीआर के उल्लंघनों और आईबीएम द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है, और विगत तीन वर्षों में खनिजों के अवैध खनन के मामलों और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश में अवैध खनन को नियंत्रित करने और जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) की धारा 23ग के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्यों ने नियम बनाए हैं)।

(ii) अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2005 से राज्य और जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। (अब तक 21 राज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए हैं)

(iii) राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों को समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई है। (13 राज्यों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं)

(iv) सभी राज्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है।

(v) खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से समीक्षा के लिए अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 और 21.9. 2010 को पांच बैठकें कीं। इस आवधिक समीक्षा पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में सहमति दी गई है।

(vi) सचिव (खान) की अध्यक्षता में दिनांक 4.3.2009 को गठित केंद्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22. 12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3. 2012 और 28.6.2012 को नौ बैठकें की हैं ताकि अवैध खनन नियंत्रित करने के लिए कार्यकलापों के समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

(vii) रेलवे ने बाई लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरू की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्य सरकार द्वारा सत्यापित परमिटों पर लौह अयस्य के परिवहन की अनुमति होगी।

(viii) सीमा-शुल्क विभाग ने अपने सभी फील्ड यूनिटों को अयस्य निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं।

(ix) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्तनों को निदेश जारी किए हैं कि सड़क और रेल द्वारा पत्तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को दुरूस्त बनाए।

(x) सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें सभी खनिजों, व्यापारियों, स्टाकिस्टों, निर्यातकों और अंत्य-उपयोगकर्त्ताओं के लिए भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के सर्वांगीण उचित लेखांकन के लिए खनिजों के लेन-देन के बारे में मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार देश में 9409 खनन पट्टों में से 8027 खनन पट्टे आईबीएम में ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं। आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 खानें निलंबित की हैं और 4 मामलों में अभियोग की कार्रवाई शुरू की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने की राज्य सरकार को सिफारिश की है। आईबीएम ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि गैर-पंजीकृत आपरेटरों को खनिजों के लाने-ले जाने के लिए ट्रांजिस्ट पास जारी न किए जाएं।

(xi) भारतीय खान ब्यूरो ने सेटेलाइट चित्रों के जरिए स्थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है विशेष टास्क फोर्स ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में कुल 454 खानों में निरीक्षण किए हैं और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13 (2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनों के कारण 155 खानों को निलंबित किया है। इसके अतिरिक्त आईबीएम ने 8 खनन पट्टों को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।

(xii) खनन योजना के ऑनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पब्लिक डोमेन में रखने के संबंध में उल्लेखनीय है कि मंत्रालय "खनन टेनामेंट प्रणाली" (एमटीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया स्वाचालित हों, जिसमें उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी हो।

(xiii) केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजट अधिसूचना के तहत लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन के लिए श्री जस्टिस एम.बी.शाह जांच आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट 14.07.2011 को प्रस्तुत की जिसे लोक सभा में कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा जांच आयोग का कार्यकाल 16 जुलाई, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। जांच आयोग ने अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों का दौरा किया।

विवरण-I

एमसीडी.आर के उल्लंघनों तथा आई.बी.एम.द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा

वर्ष	लक्ष्य	निरीक्षित खानों की संख्या	ऐसी खानों की संख्या जिसमें उल्लंघन का उल्लेख किया गया	उल्लंघनों की संख्या	सुधारे गए उल्लंघन की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात सुधारे गए उल्लंघनों की संख्या	शुरू की गए अभियोजना मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां खनन प्रचालन निलंबित किए गए
2008-09	2500	2645	1031	1963	818	276	270	56	0
2009-10	2500	2371	797	1896	790	404	276	42	74
2010-11	2000	2177	685	1245	356	168	219	18	89
2011-12	2500	2563	1722	4013	1273	856	651	10	415
2012-13 (जुलाई तक)	2500	696	255	715	313	106	119	4	142

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	अवैध खनन के मामलों का राज्यवार ब्यौरा				मार्च, 2012 तक की गई कार्रवाई			
		2009	2010	2011	2012 (मार्च तक)	जब्त वाहन	दर्ज एफआईआर	दायर कोर्ट मामले	जुर्माना वसूली (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	11591	17882	13949	5964	844	18	519	12361.08
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	3	0	0	0	0.05
3.	छत्तीसगढ़	1078	2017	1841	1105	3363	0	8502	1336.539
4.	गोवा	9	13	1	0	459	0	0	18.628
5.	गुजरात	5416	2184	2389	1096	2780	247	20	11707.89
6.	हरियाणा	1372	3446	2022	0	103	467	21	907.767
7.	हिमाचल प्रदेश	1114	1213	1289	0	0	700	1306	1684.55
8.	झारखंड	15	411	594	216	136	285	30	48.843
9.	कर्नाटक	1687	4949	4870	1821	77553	949	630	8397.407
10.	केरल	1321	2028	1948	1227	0	0	0	1142.201
11.	मध्य प्रदेश	3868	4245	5299	1848	0	2741	25610	6558.837
12.	महाराष्ट्र	8270	26563	28829	11813	91331	13	1	10465.37
13.	मिजोरम	0	0	1	1	0	0	0	0
14.	ओडिशा	758	420	309	0	1823	39	36	5720.71
15.	पंजाब	73	754	194	120	61	67	0	386.266
16.	राजस्थान	4711	1833	821	380	224	1250	48	1455.736
17.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	215	277	99	24	36814	1421	617	11603.37
19.	उत्तराखंड	0	0	0	0	683	0	0	38.5
20.	उत्तर प्रदेश	0	4641	4708	0	0	0	0	1674.83
21.	पश्चिम बंगाल	80	239	174	25713	3911	1479	430	0
	कुल	41578	73115	69337	25713	220085	9676	37770	75508.56

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार

327-32

फ्लाइंग स्कूल/ग्लाइडिंग क्लब

3304. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत फ्लाइंग स्कूल/ग्लाइडिंग क्लबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वे किस तिथि से कार्यरत हैं और उनके पास कितने विमान हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनको प्रदान की गई राजसहायता का वर्ष-वार, स्कूल-वार और क्लब-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक क्लब को प्रदान किए गए वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन फ्लाइंग स्कूलों/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थानों एवं फ्लाइंग क्लबों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थानों के गठन के लिए अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और फ्लाइंग क्लबों का कोई वर्गीकरण नहीं करता है।

(ङ) फ्लाइंग क्लब/संस्थाएं, पायलटों को प्रशिक्षण देते हैं, जिन्हें देश/विदेश के विमानन उद्योग में आमेलित कर लिया गया है।

विवरण

डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थानों की सूची-राज्यवार

राज्य	क्र.सं.	फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग क्लब तथा गलाइडिंग क्लबों के नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी ओल्ड एयरपोर्ट, हैदराबाद-500011
	2.	फ्लाइटैक एविएशन एकेडमी, नादिरगुल, हैदराबाद
	3.	विंग्स एविएशन प्राईवेट लिमिटेड, #7-8-277 एसबी प्लाजा, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, गौथमनगर, बावनपैली, सिंकदराबाद-500 011
बिहार	4.	बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्, पटना एयरपोर्ट, पटना-800014, बिहार
	5.	बिहार ग्लाइडिंग क्लब, पटना रिनेम्ड एस झारखण्ड ग्लाइडिंग क्लब
छत्तीसगढ़	6.	साई फ्लाइटेक एविएशन प्राईवेट लिमिटेड, चकरभाता एयरपोर्ट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-492101
दिल्ली	7.	दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, दिल्ली
गुजरात	8.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोड्रोम, हरनी रोड़ वड़ोदरा-390 022 (गुजरात)
	9.	अहमदाबाद ग्लाइडिंग क्लब, अहमदाबाद
	10.	अहमदाबाद एविएशन एवं एयरोनोटिक्स लिमिटेड, हेंगर, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद-380003 गुजरात
	11.	रेनबो फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमटेड नियर एटीसी टावर, हेंगर नं. 1, सूरत एयरपोर्ट, सूरत, गुजरात

1	2	3
हरियाणा	12.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एयरोड्रोम, करनाल, हरियाणा
	13.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एयरोड्रोम, पिन्जोर (हरियाणा)
	14.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एयरोड्रोम, हिसार-125001 (हरियाणा)
	15.	पिंजोर ग्लाइडिंग क्लब, पिंजोर
	16.	हिसार, ग्लाइडिंग क्लब, हिसार
झारखण्ड	17.	ऑलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सोनारी एयरोड्रोम, जमशेदपुर, झारखण्ड
कर्नाटक	18.	सरकारी एविएशन प्रशिक्षण स्कूल, जकुर, बैंगलोर
	19.	एचएएल रोटरी विंग एकेडमी (हेलीकॉप्टर), प्रोटोटाइप हेंगर, एचएएल गेट नं. 30, विमनपुरा, बैंगलोर-560017
केरल	20.	राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी, टी.सी.36/1200(1 एण्ड 2) बाल्काडव पीओ एनचाक्कल तिरुवनंतपुरम, केरल
मध्य प्रदेश	21.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, भोपाल बेस
	22.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, देवी अहल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट, सिविल एयरोड्रोम, बिजासन रोड, इंदोर-452005 (एमपी)
	23.	चाइम्स एविएशन-सागर(एमपी)
	24.	पायलट ट्रेनिंग कॉलेज, सरकारी एयरट्रिप, पी.ओ.-सिनखेड़ा, खारगोन-451001, एमपी
	25.	शा-शिब फ्लाइंग एकेडमी, गुना एयरपोर्ट, गुना, एमपी-473001
	26.	यश एयर, दातना एयर ट्रिप, देवास रोड, उज्जैन, एमपी
महाराष्ट्र	27.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, डॉ; बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, सोनेगांव एयरोड्रोम, नागपुर, महाराष्ट्र
	28.	बोम्बे फ्लाइंग क्लब, जुहू एयरोड्रोम, मुंबई-400049
	29.	राष्ट्रीय फ्लाइंग प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, केयर ऑफ एयरपोर्ट प्राधिकरण, बिरसी एयरपोर्ट, पी.ओ. पारसवाड़ा गोंदिया-441614, महाराष्ट्र
	30.	कारवर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट पी-50, एमआईडीसी एयरपोर्ट, बारामती-413133, पुणे, महाराष्ट्र
	31.	एसवीकेएम एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी एकेडमी ऑफ एविएशन, कैम्पस-बाबुलद, ताप्ती नदी, मुंबई-आगरा रोड, शिसपुर, जिला-धूले-425 405
	32.	देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक
	33.	ग्लाइडिंग सेंटर, पुणे

1	2	3
ओडिशा	34.	सरकारी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, बिजु पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर
पंजाब	35.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पी.ओ. राजासांसी, अमृतसर-143101, पीबी
	36.	लुधियाना एविएशन क्लब, सिविल एयरोड्रोम, पी.ओ. साहनेवाल, लुधियाना-141120
	37.	पटियाला एविएशन क्ल्ब, सिविल एयरोड्रोम, संगरूर रोड, पटियाला, पंजाब
	38.	बिरमी फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, पटियाला, पंजाब
	39.	लुधियाना ग्लाइडिंग क्लब, लुधियाना
	40.	उत्तरी भारत फ्लाइंग क्लब, केम्पट एट पटियाला
राजस्थान	41.	राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, जयपुर
	42.	बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एवं फ्लाइंग क्लब, बनस्थली यूनिवर्सिटी, बनस्थली, जिलाटोंक राजस्थान-3040 22
	43.	राजस्थान, ग्लाइडिंग क्लब, जयपुर
तमिलनाडु	44.	मद्रास फ्लाइट क्लब लिमिटेड, गेट नं. ओल्ड एयरपोर्ट, मीनाम्बकम, चेन्नै-600027
	45.	आरिएंट फ्लाइट स्कूल,-पुडुचेरी, 40, जी.एस.टी. रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नै-600 016-तमिलनाडु
	46.	दक्षिणी पायलट ट्रेनिंग एकेडमी साइट-बी, सलेम एयरपोर्ट, ओमालूर, तमिलनाडु
	47.	अंतरराष्ट्रीय एविएशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, सलेम एयरपोर्ट, पीओ-कमलापुरम सलेम, तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश	48.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, फुरसतगंज, जिला-रायबरेली, उ.प्र.-229302
	49.	एमबिशंस फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड, एमएस-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, एलीगढ़-202001 उ.प्र.
	50.	चेतक एविएशन एकेडमी, एमएम-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202001 उ.प्र.
	51.	गर्ग एविएशन लिमिटेड, हेंगर नं. 3, सिविल एयरोड्रोम, कैन्ट, कानपुर-208004, यूपी
	52.	पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, एमएस-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, एलीगढ़-202001 उ.प्र.
	53.	सरस्वती एविएशन एकेडमी, अमहट एयरफील्ड, एनएच-56, सुल्तानपुर-288001 यू.पी.
	54.	आईआईटी, कानपुर
उत्तराखंड	55.	अंबर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सिविल एयरोड्रोम, पंत नगर, उत्तरांखड

[अनुवाद]

333-34

लीबिया को श्रमशक्ति सहायता

3305. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लीबिया सरकार ने हल ही में भारत सरकार से श्रमशक्ति की सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने लीबिया के लिए उत्प्रवासन पर से प्रतिबंध हटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लीबिया के लिए उत्प्रवास करने हेतु जिन पेशेवरों को अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय मूल के लीबिया में रह रहे/कार्यरत व्यक्तियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) भारतीय मिशन के माध्यम से लीबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय से, भारत से डॉक्टर और पैरामेडिकोज प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार किया गया और सहमति दे दी गई।

(ग) और (घ) लीबिया में, रोजगार के लिए कामगारों (ईसीआर पासपोर्ट धारकों) को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदन करने पर रोक अभी भी लागू है।

(ङ) उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं पासपोर्ट धारक पेशेवरों और जो कम के लिए उत्प्रवास कर रहे हैं, के ब्यौरे नहीं रखे जाते। केवल ईसीआर पासपोर्ट धारक भारतीय कामगरों को, ईसीआर अधिसूचित देशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने हेतु, उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों को एप्रोच करने की आवश्यकता होती है।

(च) लीबिया में रोजगार चाहने वाले भारतीय कामगरों के लिए, भारतीय मिशन द्वारा रोजगार संबंधी दस्तावेजों का पूर्व-सत्यापन करान अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कामगारों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय कामगारों से शोषण, दुर्व्यवहार, देयों का भुगतान न करने, आदि का आरोप लगाते हुए, शिकायत प्राप्त हेने पर, मामले को नियोक्ता और संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाने के लिए, और जहां नहीं लागू हो, वहां भर्ती एजेंसियों के साथ भी उठाने के लिए, भारतीय मिशन के साथ उठाया जाता है।

विपद्ग्रस्त भारतीय कामगारें की राहत के लिए एक भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना भी की गई है।

जे.एन.एन.एस.एम. में शास्ति का प्रावधान 334-38

3306. **श्री जयंत चौधरी:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के प्रथम चरण के अंतर्गत सौर परियोजना से सफलापूर्वक जोड़े गए ग्रिडों की संख्या और क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मिशन के चरण-एक के अंतर्गत सभी लघु सूचीयन की गई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकर ने परियोजना को चालू करने में विलंब करने की स्थिति में कोई शास्ति प्रावधान किए हैं अथवा चूक करने की स्थिति में परियोजना विकासकर्त्ता को दंडित करने के लिए कोई अन्य प्रावधान किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त मिशन के बैच-एक, चरण-एक के अंतर्गत संग्रहित की गई शस्ति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के चरण-के तहत 1054 मेगावाट क्षमता की कुल 81 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

(ख) और (ग) जेएनएनएसएम के चरण-1 के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण निम्नांकित है:-

(1) माइग्रेशन स्कीम : कुल 49 मेवा. की 11 सौर पीवी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(2) बैच-1 : 130 मेवा. की कुल क्षमता की 26 सौर पीवी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(3) माइग्रेशन स्कीम के तहत 30 मेगावाट और बैच-1 के तहत 470 मेवा. हेतु सौर तापीय परियोजनाएं क्रमश: फरवरी, 2013 और मई, 2013 में शुरु करने की योजना है।

(4) फरवरी, 2013 तक बैच-2 के तहत 340 मेगावाट हेतु सौर पीवी परियोजनाएं शुरू करने की योजना है।

(घ) से (च) जी हां। जेएनएनएसएम के चरण-1 के बैच-1 के तहत परियोजनावार कमीशनिंग और परियोजनाओं के शुरू करने में देरी हेतु एकत्रित पैनल्टी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जेएनएनएसएम के बैच-1 के तहत परियोजना-वार कमीशनिंग विवरण और सौर पीवी परियोजनाओं की कमीशनिंग में देरी हेतु पैनल्टी

क्र.सं.	बोलीकर्त्ता का नाम	राज्य	पीपीए हस्ताक्षर की तिथि	कार्य क्रमवार कमीशनिंग तिथि	कमीशनिंग तिथि	बीजी इनकेश किया गया (लाख रुपये में)		
						20%	40%	40%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजूरे पावर (राजस्थान) प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2013	09.01.2012	01.01.2012			
2.	एसईआई सोलर एनर्जी प्रा.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	01.01.2012			
3.	महिन्द्रा सोलर वन प्रा.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	03.01.2012			
4.	विराज रिन्यूएबल एर्जी प्रा.लि.	राजस्थान	09.01.2011	08.01.2012	05.01.2012			
5.	पुंजलियेड सोलर पावर लि.	राजस्थान	10.01.20911	09.01.2012	08.01.2012			
6.	महाराष्ट्र सीमलेस लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	07.01.2012			
7.	नॉर्थ वेस्ट एर्जी प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	07.01.2012			
8.	खाया सोलर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	28.01.2012	245.13		
9.	वसावी सोलर पावर प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	02.02.2012	237.63		
10.	न्यूटन सोलर प्रा.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	09.02.2012	235.13	470.26*	
11.	साईधाम ओवरसियज प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	30.01.2012	232.63		
12.	ओसवाल वूलन मिल्स लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	10.01.2012	182.63		
13.	डीडीई रिन्यूएबल एर्जी लि.	राजस्थान	10.01.2013	09.01.2012	14.02.2012	242.63	485.260*	
14.	इलेक्ट्रॉमैक मैरिटेक प्रा.लि.	राजस्थान	10.03.2011	09.01.2012	01.02.2012	240.13		
15.	फाइन होप एलाइड इंजीनियरिंग प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	07.02.2012	237.63		
16.	इंडियन ऑयल को. लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	02.02.2012	193.13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	अमृत एर्जी प्र.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	02.02.2012	182.63		
18.	ग्रीनटेक पावर प्रा.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	08.02.2012	235.13	470.26*	
19.	प्रेसीजन टेक्नीक प्रा.लि.	राजस्थान	10.01.2011	09.01.2012	22.03.2012	182.13	364.25*	364.26*
20.	एलेक्स स्पेक्ट्रम रेडिएशन प्रा.लि.	राजस्थान	08.01.2011	07.01.2012	21.02.2012	195.63	391.26	
21.	आफताब सोलर प्रा. लि.	ओडिशा	08.01.2011	07.01.2012	07.02.2012	184.13		
22.	वेल्सपन सोलर एपी प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	10.01.2011	09.01.2012	01.01.2012			
23.	साईसुधरी एर्जी लि.	आंध्र प्रदेश	09.01.2011	08.01.2012	05.01.2012			
24.	ईएमसी लि.	उत्तर प्रदेश	10.01.2011	09.01.2012	04.03.2012	195.63	391.26	
25.	सीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	तमिलनाडु	10.01.2011	09.01.2012	29.03.2012	185.13	370.26	370.26
26.	फायरस्टोन ट्रेडिंग प्रा.लि.	महाराष्ट्र	10.01.2011	09.01.2012		272.63	545.26	545.26
27.	कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि.	कर्नाटक	07.01.2011	06.01.2012	25.06.2012	235.63	471.26	471.26
28.	रितवीक प्रोजक्ट प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	10.01.2011	09.01.2012		221.63	443.26*	443.26*

नोट: (i) शेष बीजी के इनकैशमेंट से संबंधित मामला विचाराधीन है।

(ii) क्रम सं. 26 और 28 पर इंगित परियोजनाएं कमीशन नहीं की गई है।

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

3307. श्री वैजयंत पांडा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दशक में (अर्थात् 2001 से 2011 तक) इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक पैटर्न में परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्यवार अनुपात नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	कुल जनसंख्या 2001	एसटी जनसंख्या 2001	2001 में कुल राज्य जनसंख्या में राज्य में अ.ज.जा. का %
1	2	3	4	5
	भारत	1,028,610,328	84,326,240	8.2
1.	अरुणलच प्रदेश	1,097,968	705,158	64.2

1	2	3	4	5
2.	असम	26,655,528	3,308,570	12.4
3.	मणिपुर	2,166,788	741,141	34.2
4.	मेघालय	2,318,822	1,992,862	85.9
5.	मिजोरम	888,573	839,310	94.5
6.	नागालैंड	1,990,036	1,774,026	89.1
7.	सिक्किम	540,851	111,405	20.6
8.	त्रिपुरा	3,199,203	993,426	31.1

(ख) और (ग) आरजीआई ने बताया है कि 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकड़े को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 2004-05 के लिए एनएसएस की 61वीं राउंड रिपोर्ट सं. 516 में इनके आर्थिक कार्यकलापों के अनुसार घर का ब्यौरा (प्रति 1000) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

घरेलू सामाजिक समूहों का ब्यौरा

ग्रामीण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घरेलू सामाजिक समूह: अनुसूचित जनजाति							
	स्व-रोजगार में:			ग्रामीण श्रमिक				सभी
	कृषि	गैर-कृषि	सभी	कृषि श्रमिक	अन्य श्रमिक	सभी	अन्य	(एम.आर.सहित)
अरुणाचल प्रदेश	761	87	849	9	10	20	131	1000
असम	656	108	765	90	69	159	77	1000
मणिपुर	769	97	866	1	4	5	127	1000
मेघालय	646	113	758	107	48	156	86	1000
मिजोरम	762	106	868	3	3	7	125	1000
नागालैंड	618	105	722	5	3	9	269	1000
सिक्किम	452	68	520	43	172	215	265	1000
त्रिपुरा	410	93	503	102	324	426	71	1000
अखिल भारतीय	393	64	457	340	113	453	89	1000

शहरी	घरेलू सामाजिक समूह: अनुसूचित जनजाति				
राज्य/संघ राज्य संघ क्षेत्र	स्वरोजगार	मजदूर/वेतन	आकस्मिक श्रमिक	अन्य	सभी (एन.आर. सहित)
अरुणाचल प्रदेश	216	458	29	298	1000
असम	278	609	23	89	1000
मणिपुर	270	517	15	198	1000
मेघालय	128	552	123	197	1000
मिजोरम	385	466	63	85	1000
नागालैंड	365	527	18	90	1000
सिक्किम	56	809	91	44	1000
त्रिपुरा	9	614	47	330	1000
अखिल भारतीय	263	418	173	145	1000

स्रोत: एनएसएस की 61वीं रिपोर्ट सं. 516

सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट

3308. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके संबंधित कार्यालयों के माध्यम से पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) चूंकि, पासपोर्ट जारी करना एक केन्द्रीय विषय है और इसे कार्य संचालन नियमावली के तहत विदेश मंत्रालय को आबंटित किया गया है, अत: भारत में पासपोर्ट पूर्णत: विदेश विदेश मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकरणों जो विदेश मंत्रालय मुख्यालय (सीपीवी प्रभाग), 37 पासपोर्ट कार्यालय, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन तथा विदेश स्थित मिशन/केन्द्र हैं, द्वारा जारी किए जाते हैं। अत: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पासपोर्ट इन अभिनिर्धारित पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाएंगे।

विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग

3309. **श्री पी. कुमार:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल इंडिया लिमिटेड, आई. सी.आर.ए. लिमिटेड और सी.ए.आर.ए. ने कतिपय विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग घटा दी है और जिसके कारण इन कंपनियों के संचालकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र के अधिकारी विद्युत क्षेत्र की दुर्दशा कोयले की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी नीतिगत सुधारों के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों को दोषी ठहराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय के पास क्रिसिल इंडिया लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और सीएआरई द्वारा कुछ विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग घटाये जाने संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

तथापि विद्युत वित्त निगम (पीएफसी; द्वारा इन रेटिंग एजेंसियों (क्रिसिल, सीएआरई और आइसीआरए) से विशिष्ट उपकरण/सुविधा, जोकि संबंधित डिस्काम की संपूर्ण रेटिंग को नहीं दर्शाते हैं, के संबंध में प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) नहीं, तथापि पवार यूटिलिटी और सीपीएसयू ने कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ कोयले की कीमतों, विद्युत परियोजनाओं के लिए समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने पर चिंता व्यक्त की है।

विवरण

1. क्रिसिल

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रेटिंग जहां से नीचे की गई	रेटिंग जहां तक नीचे की गई	रेटिंग की तारीख
1.	नॉदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि.	क्रिसिल बीबीसी+/ऋणात्मक /क्रिसिल ए2	क्रिसिल बीबी+/स्टेबल/क्रिसिल डी (एमटी ऋण के लिए) क्रिसिल ए4 (एलसी सुविधा के लिए)	5-जुलाई-12
2.	नॉदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि.	क्रिसिल बीबीसी+/ऋणात्मक /क्रिसिल ए2	क्रिसिल बीबी+/स्टेबल/क्रिसिल डी	5-जुलाई-12
3.	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लि.	क्रिसिल ए+/ऋणात्मक /क्रिसिल ए2+	क्रिसिल बीबी+/स्टेबल/क्रिसिल ए4	5-जुलाई-12
4.	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.	क्रिसिल बीबीसी+/ऋणात्मक /क्रिसिल ए3	क्रिसिल बीबी+/ऋणात्मक/क्रिसिल ए4+	30-अप्रैल-12

2. केयर

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	कंपनी का नाम	रेटिंग जहां से नीचे की गई	रेटिंग जहां तक नीचे की गई	रेटिंग की तारीख
1.	बैंक सुविधाएं	अजमेर विद्युत विवरण निगम लि.	केयर बीबीबी-	केयर बीबी+	21-नवं-11
2.	जारी करने वाले की रेटिंग	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	केयर बीबी+ (आईएस)	केयर बीबी- (आईएस)	5-मार्च-12
3.	बैंक सुविधाएं	जोधपुर विद्युत विवरण निगम लि.	केयर बीबीबी-	केयर बीबी+	21-नवं-11
4.	जारी करने वाले की रेटिंग	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	केयर बीबी+ (आईएस)	केयर बीबी- (आईएस)	5-मार्च-12

3. आईसीआरए

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रेटिंग जहां से नीचे की गई	रेटिंग जहां तक नीचे की गई	रेटिंग की तारीख
1.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	[आईसीआरए]बीबी+/ [आईसीआर]ए (एसओ)	[आईसीआरए]डी/ [आईसीआर]ए-(एसओ)	वित्तीय वर्ष 2012 या वित्तीय वर्ष 2013 का प्रथम तिमाही
2.	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन लि.	[आईसीआरए]ए (एसओ)	[आईसीआरए]ए-(एसओ)	वित्तीय वर्ष 2012 या वित्तीय वर्ष 2013 का प्रथम तिमाही
3.	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.	[आईसीआरए]ए-आईआर	[आईसीआरए]बीबीबी+/ बीबीबी+/आईआरबीबीबी+	वित्तीय वर्ष 2012 या वित्तीय वर्ष 2013 का प्रथम तिमाही

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आबंटन

3310. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय को कितना बजटीय आवंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त आवंटन में से मंत्रालय द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या मंत्रालय ने पूरी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि के उपयोग से वांछित परिणाम प्राप्त किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को किए गए योजना बजट आबंटन एवं उसके उपयोग का विवरण निम्नोक्त है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटन	उपयोग
2009-10	1794.00	1376.83
2010-11	2400.00	2272.04
2011-12	2700.00	2020.04 (अनंतिम)
2012-13	2835.00	1023.97 (31 जुलाई 2012 तक की स्थिति के अनुसार)

(ग) जी, नहीं।

(घ) मांग आधारित योजना में मांग की कमी नई योजनाओं के अनुमोदन में विलंब, पीपीपी पद्धति के तहत योजना के लिए जीवनक्षम प्रस्तावों के प्राप्त न होने, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव जमा करने में विलंब इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों के चलते निधियों का पूर्णतया उपयोग नहीं हो सका।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रयुक्त राशि ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान 11.48 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर पर एमएसएमई क्षेत्र को विकास करने में समर्थ बनाया है। इसी अवधि के दौरान नियत निवेश में भी समान दर से वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

3311. योगी आदित्यनाथ:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में किन मुख्य सुधारों का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) पुनर्गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम सी आई) के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) एम.सी.आई. के पुनर्गठन और उसमें की गई नई नियुक्तियों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान नव गठित एम सी आई के कतिपय सदस्यों के हितों के टकराव और आचार संबंधी शिकायतों की ओर दिलाया गया है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एम सी आई के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके जीन थेरेपी संबंधी अनैतिक चिकित्सा परीक्षणों कथित संलिप्तता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मौजूदा ढांचे में सुधार करने और स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञानों में कुशल कार्मिकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने एक समग्र विनियामक निकाय के तौर पर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग करने का निर्णय लिया है। एनसीएचआरएच विधेयक को पहले ही राज्य सभा में पेश किया जा चुका है जिसे जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है। एनसीएचआरएच स्थापित होते ही आईएसमसी, 1956 निरसित हो जायेगा।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का पुनर्गठन नहीं हुआ था बल्कि उसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अतिक्रमित किया गया था तथा परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने परिषद के कार्यों को निष्पादित करने के लिए बोर्ड ऑफ गर्वनरर्स के गठन की अधिसूचना दी थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) के वर्तमान बोर्ड ऑफ गवर्नरों की संरचना उनकी शैक्षिक पृष्टभूमि और विशेषज्ञता का क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

(ग)

क्र.सं.	नाम और शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
1	2	3
(i)	प्रो. के.के. तलवार, एमबीबीएस, एमडी (मेडिसीन), डी एम	कार्डियोलॉजी
(ii)	प्रो. के.एस. शर्मा, एमबीबीएस, एमडी	एनेस्थिसिलॉजी
(iii)	डॉ. (प्रो.) एच.एस. रिसम, एमडी, डीएम, एफआईसीए, एफसीसीपी, एफआईएसई, एफआईएमएसए, एफआईसीसी, एफसीएसआई, एफआईसीएन, एफआरएसएम, एमआरएसएच	कार्डियोलॉजी

1	2	3
(iv)	डॉ. आर.सी. यारवदेकर एमबीबीएस, एमडी	प्रसूति स्त्री रोग विज्ञान व परिवार कल्याण
(v)	डा. पुरुषोत्तम लाल एमडी, एबी (यूएसए), एफआईसीसी, एफएसीसी (यूएसए), एफएससीएआई(यूएसए)	कार्डियोलॉजी
(vi)	डॉ. अशोक कुमार गुप्ता, एमएस (सर्जरी), एमसीएच (प्लास्टिक सर्जरी), एमएनए एमएसएफ, एफआरसीएस (ईडी. ऑनर्स), डी. एससी (आनर्स)	प्लास्टिक सर्जरी
(vii)	प्रो. के. मोहनदास, एमबीबीएस, डीए, एमडी, एफआरसीए (आनर्स)	एनेसथिजियोलॉजी

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त में (घ) और (ङ) के मदेनजर प्रश्न नहीं उठता।

3119-50

महिला कर्मचारियों की ओर संवेदनशील दृष्टिकोण

3312. श्री भूदेव चौधरी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और महिला कर्मचारियों के प्रति अपनी नीतियों को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितनी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और इस योजना से कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस संबंध में क्या नीति अपनाई गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद-16 में राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी है। इसके साथ ही राज्य के अंतर्गत किसी रोजगार के संबंध में अथवा कार्यालय में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश जाति, लिंग, पीढ़ी, जन्म स्थान आवास अथवा ऐसे किसी कारण के आधार पर आयोग्य नहीं ठहराया जाएगा अथवा उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

महिलाओं में रोजगार योग्यता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तंत्र के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रही है। 11 राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो केवल महिलाओं को ही प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं जिनमें उन्हें अच्छे वेतन की नौकरी मिल सके अथवा उनमें स्व रोजगार की दक्षता आए। इसके साथ ही आईटीआई संस्थानों में केवल महिला विंग भी हैं जो संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी ने प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया है जिसके अनुसार बिना किसी भेदभाव के समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक की अदायगी की जाती है और समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य पर भर्ती करते समय अथवा भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों में जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण अथवा स्थानान्तरण में महिला कर्मचारियों से किए जाने वाले भेदभाव को रोका जाता है। सरकार ने महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और विभिन्न श्रम कानूनों में बहुत से सुरक्षात्मक प्रावधान किए हैं। इनमें जहाँ निश्चित संख्या में महिलाएं नियुक्त हैं वहां क्रेच का प्रावधान, प्रसूति लाभ और कार्यस्थलों की यौन अपराधों से सुरक्षा प्रबंध इत्यादि शामिल हैं इन प्रयासों से अधिक से अधिक महिलाएं रोजगार लेने के लिए उत्साहित होंगी। तथापि इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी उनकी संख्या बताना कठिन है।

[अनुवाद]

351-72

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

3313. श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री आर.के. सिंह पटेलः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में एनटीपीसी की कतिपय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित देश में नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 25 अगस्त, 2012 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों की 16,809 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 22 विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी की कुछ परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हैं। परियोजनाओं की राज्यवार मूल अनुसूची विलंब के कारणों सहित सलंग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं–

(1) एनटीपीसी विस्तृत विक्रेता आधार बनाने के लिए सिविल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में पूर्व-अर्हता प्राप्त संविदाकारों का आंकड़ा आधार तैयार कर रहा है। मुख्य संयंत्र सिविल पैकेज, स्थल समतलीकरण एवं अवसंरचना विकास, स्टार्टअप राख कुंड तथा राख कुंड उठाने के लिए सिविल एजेंसियों की सूची बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(2) भेल आपूर्तिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एनटीपीसी, भेल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

(3) एनटीपीसी परियोजना की स्थापना तथा उन्हें समय पर चालू करना सुनिश्चित करने के लिए, जब कभी आवश्यकता होती है, एक परियोजना के उपकरणों को दूसरी परियोजना में अंतरित करने सहित, सामग्री की आपूर्ति में तेजी लाने के प्रयत्न कर रहा है।

(4) एनटीपीसी ने दैनिक आधार पर प्रगति की मानीटरिंग करने के लिए निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए आई. टी. आधारित परियोजना प्रबोधन प्रणालियां विकसित की हैं।

(5) परियोजना के निष्पादन समय को कम करने के लिए एनटीपीसी ईपीसी (अभियांत्रिकी प्रापण एवं निर्माण) संकल्पना एवं अन्य परियोजनाओं के लिए पैकेजों की संख्या कम करने पर भी विचार कर रहा है।

(6) विक्रेताओं के साथ इंटरफेस में कमी करने के लिए विन्यास का सरलीकरण।

(7) एनटीपीसी ने भूमि अधिग्रहण तथा वन मंजूरी के लिए एनटीपीसी तथा साथ-ही-साथ बाहर के विशेषज्ञों वाले विशेष प्रकोष्ठ बनाये हैं।

(8) क्रिटिकल मदों की सुपुर्दगी में तेजी लाने के लिए विक्रेता की कार्य-शालाओं में दलों को लगाना।

(9) बहुआयामी पारेषण (ओडीसी) मदों का वैश्विक स्थानिक प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से प्रबोधन।

(10) संविदात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्रवाई की गई है जैसे कि (क) सिविल कार्यों के लिए संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में संशोधन किया गया है, (ख) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्य परिवर्तन सीमा संशोधित की गई है, (ग) परियोजनाओं द्वारा औजारों एवं संयंत्रों (टीएंडपी) को किराए पर लेने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है।

(ङ) और (च) भारत सरकार विद्युत परियोजनाएं स्थापित नहीं करती है। तथापि, सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) देश के विभिन्न भागों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाएं राज्य तथा निजी क्षेत्र में भी स्थापित की जाती हैं। 12वीं योजना के लिए विद्युत कार्यसमूह की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं योजना के दौरान संभावित लाभ देने वाली परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

25.8.2012 की स्थितिनुसार एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	क्षमता (मे.गा.)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान और निकोबार सोलर पीवी परियोजना	5
2.	असम	बोंगाईगांव	750 (3×250)
3.	बिहार	बाढ़-I	1980 (3×660)
4.	बिहार	बाढ़-II	1320 (2×660)
5.	बिहार	नबीनगर टीपीपी-रेलेव के साथ संयुक्त उद्यम	1000(4×250)
6.	बिहार	मुजफ्फरपुर विस्तर-बीएसईबी के साथ संयुक्त उद्यम	390 (2×195)
7.	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी, झज्जर आईपीजीसीएल और एचपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम	500 (1×500) (3 यूनिट से, यू# 1&2 पहले ही चालू किए गए)
8.	हिमाचल प्रदेश	कोड डेम एचईपी	800 (4×200)
9.	कर्नाटक	कुडगी-I	2400 (3×800)
10.	मध्य प्रदेश	विंध्याचल-IV	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#11, ने जून 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)
11.	मध्य प्रदेश	विंध्याचल-V	500 (1×500)
12.	महाराष्ट्र	मौदा-I	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#1 ने अप्रैल 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)
13.	महाराष्ट्र	मौदा-II	1320 (2×660)
14.	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	1320 (2×660)
15.	तमिलनाडु	वेल्लुर-I टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#1 ने मार्च 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)
16.	तमिलनाडु	वेल्लुर-चरण-I फेस-II टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	500 (1×500)
17.	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	520 (4×130)

1	2	3	4
18.	उत्तराखंड	लतातपोवन एचईपीपी (एनटीपीसी की सहायक एनएचएल)	171 (3×57)
19.	उत्तराखंड	रिहंद-III	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#5 ने मई 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)
20.	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	8 (2×4)
21.	उत्तर प्रदेश	दादरी सोलर पीवी परियोजना	5
22.	उत्तर प्रदेश	एमयूएनएल (मेजिया) यूपीआरवीयूएनएल के साथ संयुक्त उद्यम	1320 (2×680)
	कुल		16809

विवरण-II

समय से पीछे चल रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने की निर्धारित तिथि	विलंब का कारण/मुद्दे यदि कोई हों तो
1	2	3	4	5
असम				
1.	बोंगाईगांव	750(3×250)	यू#1 : 01/11 यू#2 : 05/11 यू#3 : 09/11	• बार-बार होने वाले बंद, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा भारी वर्षा कार्य प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं। कोकराझार जिले में स्थानीय अशांति तथा उसके पश्चात् कर्फ्यू लगने के कारण स्थल पर कार्य एकदम रूक गया है। • सिविल कार्यों की प्रगति
बिहार				
2.	बाढ़-I	1980 (3×660)	यूU#1 : 09/13 यू#2 : 04/14 यू#3 : 10/14	• मै. टीपीई तथा मै. पावर मशीन द्वारा आपूर्ति में विलंब और संविदात्मक विवाद।
3.	बाढ़-II	1320 (2×660)	यूU#4 : 12/12 यूU#5 : 10/13	• मै. भेल द्वारा आपूर्तियों में विलंब।
4.	मुजफ्फरनगर विस्तार-बीएसईबी के साथ जेवी	390 (2×195)	यू#3 : 10/12 यू#4 : 01/13	• मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों तथा अन्य पैकेजों के अवार्ड में विलंब। • मै. भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब।

1	2	3	4	5
5.	नबीनगर टीपीपी-रेलवे के साथ जेवी	1000 (4×250)	यू#1 : 12/10 यू#2 : 06/11 यू#3 : 12/11 यू#4 : 06/12	• भूमि अधिग्रहण में विलंब। ग्रामीण ने बढ़े हुए मुंआवजे के लिए आंदोलन किया तथा कार्य रोक दिया। • मै. भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब।
हरियाणा				
6.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी, झज्जर एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल के साथ जेवी	500 (1×500) (3 यूनिट में से, यू#1&2 पहले ही चालू किए गए	यू#3 : 12/11	• सिविल निर्माण कार्य निष्पादन एजेंसी द्वारा खराब मोबिलाइजेशन। • मै. द्वारा आपूर्ति में विलंब।
हिमाचल प्रदेश				
7.	कोल डेम एचईपी	800(4×200)	यू#1 : 11/08 यू#2 : 01/09 यू#3 : 02/09 यू#4 : 04/09	• अप्रत्याशित भौगोलिक दुर्घटनाओं के कारण जैसे कि मुख्य बंध क्षेत्र में दाएं किनारे पर स्खलन, बांध कोर में रिसाव। • मुख्य बांध एजेंसी, मै. आईटीडी (इटैलियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कं. लि.) की आंतरिक समस्याएं।
महाराष्ट्र				
8.	मौदा-I	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#11, अप्रैल 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)	यू#2 : 10/12	• टीजी एंड ऑक्स के उत्पादन के लिए सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
तमिलनाडु				
9.	वेल्लू-I टीएनईबी के साथ जेवी	500 (1×500) (2 यूनिट में से यू#1, मार्च 2012 में पूर्ण भार प्राप्त कर लिया)	यू#2 : 10/12	• मै. भेल द्वारा जेनरेटर स्टेट्स की आपूर्ति में विलंब।

1	2	3	4	5
10.	वेल्लू-चरण-I फेस-II टीएनईबी के साथ जेवी	500 (1×500)	यू#2 : 10/12	• बायलर उत्थापन एजेंसी का खराब मोबिलाइजेशन मै. भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब। • मै. गैमन द्वारा टीजी फ्रंट सौंपने में विलंब।
उत्तराखंड				
11.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	520 (4×130)	यू#2 : 09/12 यू#2 : 11/12 यू#3 : 01/13 यू#3 : 03/13	• मुख्य सुरंग तथा साथ ही साथ विद्युत गृह में प्रतिकूल भौगोलिक घटनाएं। • बैराज पैकेज (एसएसजेवी) की एजेंसी द्वारा निष्पादन न करना। • हाल ही की बाढ़ों और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप कॉफर बांध तथा संपर्क मार्ग में दरार जिससे कार्य प्रगति में बाधा आई।

विवरण-III

12वीं योजना के लिए विद्युत कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं योजना में संभावित लाभ देने वाली परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	क्षेत्र	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	लोअर जुराला एचईपी	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	हाइड्रो	240
2.	पुलिचिंताला एचईपी	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	हाइड्रो	120
3.	काकतेय टीपीपी एसटी-II यू-1	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	हाइड्रो	600
4.	श्री दामोदरम संजीवेया टीपीपी (कृष्णापटनम टीपीपी) यू-1, 2	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	राज्य	हाइड्रो	1600
5.	थामिनापटनम टीपीपी यू-3, 4	आंध्र प्रदेश	मीनाक्षी इनर्जी प्रा.लि.	निजी	कोयला	600
6.	पेनापुरम टीपीपी यू-1, 2	आंध्र प्रदेश	थर्मल पावरटेक कार लि.	निजी	कोयला	1320
7.	सिम्हपुरी टीपीपी फेस-II यू-3, 4	आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी इनर्जी प्रा.लि. मधुकेन प्रोजेक्ट	निजी	कोयला	300
	उप-जोड़ (आंध्र प्रदेश)					4780
8.	पारे एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	केन्द्रीय	हाइड्रो	110

1	2	3	4	5	6	7
9.	कार्मेग एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	केन्द्रीय	हाइड्रो	600
10.	सुबानसिरी लोअर एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	2000
	उप जोड़ (अरुणचल प्रदेश)					2710
11.	बोंगाइगांव टीपीपी यू-3	असम	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	250
12.	भामरूप सीसीजीटी	असम	एपीजीसीएल	राज्य	गैस	100
	उप-जोड़ (अरुणाचल प्रदेश)					350
13.	मुजफ्फरपुर विस्तार (कटनी टीपीपी) यू-1, 2	बिहार	एनटीपीपीसी जेवी	केन्द्रीय	कोयला	390
14.	बाढ़ एसटीपीपीपी-I यू-1, 3	बिहार	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1980
15.	बाढ़ एसटीपीपीपी-II यू-1, 4	बिहार	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1320
16.	नबीनगर टीपीपी यू-1-4	बिहार	एनटीपीपीसी जेवी	केन्द्रीय	कोयला	1000
	उप-जोड़ (बिहार)					4690
17.	सिपत-I यू-3	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	660
18.	कोरबा वेस्ट चरण-III यू-5	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	राज्य	कोयला	500
19.	मारवाह टीपीपी यू-1, 2	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	राज्य	कोयला	1000
20.	अवंथाभंडार टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	निजी	कोयला	600
21.	मॉरती क्लीन कोल एंड पावर लि. यू-1	छत्तीसगढ़	मॉरती क्लीन कोल एंड पावर लि.	निजी	कोयला	300
22.	लैनको अमरकंटक यू-3, 4	छत्तीसगढ़	लैनको अमरकंटक प्रा.लि.	निजी	कोयला	1320
23.	उचवांडा टीपीपी यू-2	छत्तीसगढ़	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	निजी	कोयला	1080
24.	वंदना विद्युत टीपीपी यू-2	छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत	निजी	कोयला	135
25.	दरमपुरा टीपीपी यू-1, 3	छत्तीसगढ़	एसकेएस ईस्पात एंड पावर लि.	निजी	कोयला	900
26.	अकलतरा (नारियल) टीपीपी यू-4	छत्तीसगढ़	केएसके महानदी पावर कं. लि.	निजी	कोयला	600
27.	अकलतरा (नारियल) टीपीपी यू-1, 3	छत्तीसगढ़	केएसके महानदी पावर कं. लि.	निजी	कोयला	1800
	उप-जोड़ (छत्तीसगढ़)					8895

1	2	3	4	5	6	7
28.	सिक्का टीपीपी विस्तार, यू-3, 4	गुजरात	जीएसईसीएल	राज्य	कोयला	500
29.	मुंद्रा टीपीपी फेस-III यू-2, 3	गुजरात	अदानी पावर	निजी	कोयला	1320
30.	मुंद्रा यूएमपीपी, यू-2-5	गुजरात	दी टाटा पावर कं. लि.	निजी	कोयला	3200
31.	केएपीपी यू-3 और 4	गुजरात	एनपीसी	केन्द्रीय	न्यूक्लीयर	1400
	उप-जोड़ (गुजरात)					6420
32.	पार्बती-III एचईपी	हिमाचल प्रदेश		केन्द्रीय	हाइड्रो	800
33.	रामपुर एचईपी	हिमाचल प्रदेश		केन्द्रीय	हाइड्रो	412
34.	कोल डेम एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एनटीपीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	800
35.	केशांग-I एचईपी	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.	राज्य	हाइड्रो	65
36.	उहल-III एचईपी	हिमाचल प्रदेश	बीवीपीसी	राज्य	हाइड्रो	100
37.	सवारा कुड्डु एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	राज्य	हाइड्रो	111
38.	केशांग-II और III एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	राज्य	हाइड्रो	130
39.	सैंज एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	राज्य	हाइड्रो	100
40.	टिडांग-I एचईपी	हिमाचल प्रदेश	एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि.	निजी	हाइड्रो	100
41.	सोरंग एचईपी	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल सोरंग पावर प्रा.लि.	निजी	हाइड्रो	100
42.	तंगुन रोमाई-I एचईपी	हिमाचल प्रदेश	तंगुनुरोमई पावर जेनेरेशन लि.	निजी	हाइड्रो	44
	उप-जोड़ (हिमाचल प्रदेश)					2762
43.	महात्मी गांधी झज्जर एसटीपीपी यू-2	हरियाणा	चाइना लाइट पावर	निजी	कोयला	660
	उप-जोड़ (हरियाणा)					660
44.	किशन गंगा एचईपी	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	330
45.	बग्लिहार-II एचईपी	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	राज्य	हाइड्रो	450
	उप-जोड़ (जम्मू और कश्मीर)					780

1	2	3	4	5	6	7
46.	बोकारो टीपीपी ए विस्तार यू-1	झारखंड	डीवीसी	केन्द्रीय	कोयला	500
47.	मत्रिशी ऊषा टीपीपी फेस-I यू-1, 2	झारखंड	कारपोरेट पावर लि.	निजी	कोयला	540
48.	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सिज लि. टीपीपी यू-1, 2	झारखंड	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सिज लि.	निजी	कोयला	540
	उप-जोड़ (झारखंड)					1580
49.	थोटियार एचईपी	केरल	केएसईबी	राज्य	हाइड्रो	40
50.	पालिवासल एचईपी	केरल	केएसईबी	राज्य	हाइड्रो	60
	उप-जोड़ (केरल)					100
51.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-4 यू-11, 12	मध्य प्रदेश	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1000
52.	सतपुरा टीपीपी विस्तार यू-10, 11	मध्य प्रदेश	एमपीजेनको	राज्य	कोयला	500
53.	श्री सिंगाजी टीपीपी-I (मालवा) यू-1, 2	मध्य प्रदेश	एमपीजेनको	राज्य	कोयला	1200
54.	अन्नुपुर टीपीपी फेस-I यू-1, 2	मध्य प्रदेश	एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लि.	निजी	कोयला	1200
55.	बीना टीपीपी यू-2	मध्य प्रदेश	बीना पावर सप्लाई कं.लि. जेपी ग्रुप	निजी	कोयला	250
56.	ससन यूएमपीपी, यू-1-4	मध्य प्रदेश	रिलायंस पावर लि.	निजी	कोयला	2640
57.	निग्री टीपीप यू-1	मध्य प्रदेश	जेपी ग्रुप	निजी	कोयला	660
58.	महान टीपीपी यू-1, 2	मध्य प्रदेश	एसार पावर	निजी	कोयला	1200
	उप-जोड़ (मध्य प्रदेश)					8650
59.	मौदा टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	500
60.	मौदा टीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	500
61.	इंडिया बूल्स-अमरावती टीपीपी फेस-I, यू-1-5	महाराष्ट्र	इंडिया बूल्स रियलटेक लि.	निजी	कोयला	1350
62.	इंडिया बूल्स-अमरावती टीपीपी फेस-II, यू-1-5	महाराष्ट्र	इंडिया बूल्स रियलटेक लि.	निजी	कोयला	1350
63.	इंडिया बूल्स-नासिक टीपीपी फेस-I, यू-1-5	महाराष्ट्र	इंडिया बूल्स रियलटेक लि.	निजी	कोयला	1350

1	2	3	4	5	6	7
64.	इंडिया बूल्स-नासिक टीपीपी फेस-II, यू-1-5	महारष्ट्र	इंडिया बूल्स रियलटेक लि.	निजी	कोयला	1350
65.	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लि. टीपीपी यू-1, 2	महारष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लि.	निजी	कोयला	600
66.	ईएमसीओ वारोरा फेस-I	महारष्ट्र	जीएमआर	निजी	कोयला	300
67.	ईएमसीओ वारोरा फेस-II	महारष्ट्र	जीएमआर	निजी	कोयला	300
68.	बुटीबोरी टीपीपी फेस-II यू-1	महारष्ट्र	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लि.	निजी	कोयला	300
69.	लैनको महानदी, विदर्भ टीपीपी यू-1, 2	महारष्ट्र	लैनको महानदी	निजी	कोयला	1320
70.	तिरोवा टीपीपी फेस-I यू-2	महारष्ट्र	अदानी पावर	निजी	कोयला	660
71.	तिरोवा टीपीपी फेस-II यू-2	महारष्ट्र	अदानी पावर	निजी	कोयला	660
72.	चंद्रपुर विस्तार यू-8, 9	महारष्ट्र	महाजेनका	राज्य	कोयला	1000
73.	केराडी टीपीपी विस्तार यू-8-10	महारष्ट्र	महाजेनका	राज्य	कोयला	1980
74.	पारली यूनिट-8	महारष्ट्र	महाजेनका	राज्य	कोयला	250
	उप-जोड़ (महाराष्ट्र)					13770
75.	न्यू उम्ट्रू एचईपी	मेघालय	मेघालय ईसीएल	राज्य	हाइड्रो	40
	उप-जोड़ (मेघालय)					40
76.	तूरियल एचईपी	मिजोरम	नीपको	केन्द्रीय	हाइड्रो	60
	उप-जोड़ (मिजोरम)					60
77.	देरांग टीपीपी यू-1, 2	ओडिशा	जिंदल इंडिय थर्मल पावर लि.	निजी	कोयला	1200
78.	इंदबराथ इनर्जी प्रा.लि. टीपीपी यू-1, 2	ओडिशा	इंडिया बराथ पावर (उत्कल) लि.	निजी	कोयला	700
79.	लैनको बाबंध-धेनकेनाल यू-1	ओडिशा	लैनको बबंध	निजी	कोयला	600
80.	केवीके निलाचल टीपीपी यू-1, 2	ओडिशा	केवीके निलाचल पावर प्रा.लि.	निजी	कोयला	1050
81.	कामालंगा टीपीपी यू-1-3	ओडिशा	जीएमआर इनजी।	निजी	कोयला	1050
	उप-जोड़ (ओडिशा)					4600

1	2	3	4	5	6	7
82.	तलवंडी साबो टीपीपी यू-1, 2	पंजाब	वेदांता	निजी	कोयला	1320
83.	गोइंदवाल साहिब टीपीपी यू-1	पंजाब	जीवीके इंडस्ट्रीज	निजी	कोयला	270
	उप-जोड़ (पंजाब)					1590
84.	कालिसिंध टीपीएस यू-1, 2	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	राज्य	कोयला	1200
85.	छाबरा टीपीएस विस्तार यू-3, 4	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	राज्य	कोयला	500
86.	रामगढ़	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	राज्य	कोयला	160
87.	आरएपीपीयू-7 और 8	राजस्थान	एनपीसी	केन्द्रीय	न्यूक्लीयर	1400
	उप-जोड़ (राजस्थान)					3260
88.	भासमे एचईपी	सिक्किम	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	निजी	हाइड्रो	51
89.	जोरथंग लूप एचईपी	सिक्किम	मै. डैंस प्रा.लि.	निजी	हाइड्रो	96
90.	रंगित-IV एचईपी	सिक्किम	जल पावर कारपेरेशन लि.	निजी	हाइड्रो	120
91.	तीस्तार-VI एचईपी	सिक्किम	मै. लैनका इनर्जी प्रा.लि.	निजी	हाइड्रो	500
92.	तीस्ता-III एचईपी	सिक्किम	तीस्त ऊर्जा	निजी	हाइड्रो	600
	उप-जोड़ (सिक्किम)					1367
93.	वेल्लूर टीपीपी यू-3	तमिलनाडु	एनटीपीसी/टीएनईबी जेवी	केन्द्रीय	कोयला	500
94.	तूतिकोरीन टीपीपी जेवी यू-1, 2	तमिलनाडु	एनपीटीएल (एनएलसी जेवी)	केन्द्रीय	कोयला	1000
95.	मुतियारा टीपीपी, तूतिकोरनी, मेलामारूथुर यू-1, 2	तमिलनाडु	कोस्टल इनर्जेन प्रा.लि.	निजी	कोयला	1200
	उप-जोड़ (तमिलनाडु)					2700
96.	त्रिपुरा गैस	त्रिपुरा	ओएनजीसी	केन्द्रीय	गैस	726
97.	मानार्चक गैस	त्रिपुरा	नीपको	केन्द्रीय	गैस	100
	उप-जोड़ (त्रिपुरा)					826
98.	रिहंद एसटीपीपी-III यू-5, 6	उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी	केन्द्रीय	कोयला	1000
99.	अनपरा-डी टीपीपी यू-1, 2	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य	कोयला	1000
100.	बारा टीपीपी यू-1, 2	उत्तर प्रदेश	जेपी ग्रुप	निजी	कोयला	1320

1	2	3	4	5	6	7
101.	रोसा टीपीपी फेस-II यू-3, 4	उत्तर प्रदेश	रिलायंस पावर	निजी	कोयला	600
	उप जोड़ (उत्तर प्रदेश)					3920
102.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	उत्तराखंड	एनटीपीसी	केन्द्रीय	हाइड्रो	520
103.	सिंगोलीभटवारी एचईपी	उत्तर प्रदेश	एलएंडटी	निजी	हाइड्रो	99
104.	फटाब्यांग एचईपी	उत्तर प्रदेश	लैनको इनर्जी प्रा.लि.	निजी	हाइड्रो	76
105.	श्रीनगर एचईपी	उत्तर प्रदेश	एएचपी कं.लि.	निजी	हाइड्रो	330
	उप-जोड़ (उत्तराखंड)					1025
106.	डीपीएल टीपीपी यू-8	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	राज्य	कोयला	250
	उप-जोड़ (पश्चिम बंगाल)					250
	कुल					75785

2012-13 (15.08.2012) में क्षमता वृद्धि का लक्ष्य

(मेगावाट में)

	थर्मल		हाइड्रो		न्यूक्लियर		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	4023.3	2160	645	231	2000	0	6668.3	2391
राज्य	3951	750	87	0	0	0	4038	750
निजी	7180	3555	70	70	0	0	7250	3625
कुल	15154.3	6465	802	301	2000	0	17956.3	6766

एअर इंडिया में कर्मचारियों को भाड़े पर लेना

3314. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया इसकी अनुषंगियों अथवा संयुक्त उद्यम द्वारा संविदात्मक अथवा स्थायी आधार पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कंपनी-वार कितने कर्मचारियों को भाड़े पर लिया गया;

(ख) हाल में विज्ञापित उन रिक्त पदों की कंपनी-वार संख्या कितनी है जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान पूरे भारत से आउटसोर्सिंग मैनपावर एजेंसियों से स्थान-वार महीने-वर कितने कर्मचारी भाड़े पर लिए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विमान किरायों के संबंध में डीजीसीए

3315. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री एम.बी. राजेशः
श्री एम.आई. शानवासः
श्रीमती रमा देवीः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) प्रति यात्री लागत आदि का निर्धारण करने हेतु एयरलाइंस टिकट संबंधी आंकड़े का मिलान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली कब तक शुरु होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने अनुचित व्यापार पद्धतियों/प्रतिस्पर्धा-रोधी मूल्य निर्धारण नीतियों में सम्मिलित कुछ निजी एयरलाइनों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पद्धतियों को रोकने तथा विमान किरायों को विनियमित करने हेतु कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयरलाइनों द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्य-निर्धारण पद्धतियों की निगरानी करने और उन्हें विनिर्धारित करने हेतु मौजूदा तंत्र क्या है और किराए के उच्च स्तर पर उल्लंघन करने वाली एयरलाइन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संबंध में और प्रभावी तंत्र स्थापित करने तथा मूल्य-निर्धारण की समस्या से निपटने हेतु वर्तमान नीति संरचना में परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) से (च) मार्च, 2012 में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को जानकारी मिली कि कुछ एयरलाइन टिकटें अपारदर्शी/तोल-मोल किराए के अधीन बेची जा रही थीं, जिनमें एयरलाइन की पहचान और उड़ान के विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया था।

डीजीसीए ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें एयरलाइनों को ऐसी योजनाओं से सहभागिता तत्काल वापस लेने का निदेश दिया गया था। वर्तमान में, कोई अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें अपारदर्शी/तोल-मोल किरायों में भागीदारी नहीं कर रही है।

डीजीसीए ने कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस) वैश्विक विवरण प्रणाली (जीडीएस) पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) अनुभाग 3, शृंखला ङ, भाग III जारी की है, जिसमें प्रावधान है कि सब्सक्राइबर सीआरएस/जीडीएस पर फर्जी आरक्षण नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की अनुचित टिकटिंग प्रक्रिया का सहारा नहीं लेगा।

घरेलू यात्रियों पर लागू होने वाला विमान किरायों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा।

टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता कायम रखने की दृष्टि से, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

– अनुसूचित घरेलू लाइनों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी-अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर नियत मार्ग-वार टैरिफ और श्रेणी-वार किराया प्रदर्शित करें और यदि कोई महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय परिवर्तन हो तो उसके प्रभावी होने के 24 घंटे के भीतर डीजीसीए को भी अधिसूचित करे।

– आवधिक अंतरालों पर टैरिफ को नियमित आधार पर मॉनीटर करने के लिए डीजीसीए में टैरिफ विश्लेषण एकक की स्थापना की गई है।

डीजीसीए ने एयरलाइनों द्वारा संप्रेषित फ्रेयर बैंड से बाहर/परे किरायों में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं पाई है।

3316. श्री जोस के. मणिः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री एस. अलागिरीः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री राम सिंह कस्वांः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय कामगारों/महिलाओं के शोषण/दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के मामलों में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के ध्यान में आए हैं/जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का राजनयिक चर्चाओं के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कार्य-योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) शोषण से पीड़ितों को विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विदेशों में भारतीय श्रमिकों को गिरफ्तार किए जाने की घटनाएं गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आई है;

(छ) यदि हां, तो देश-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय कामगारों के शोषण/दुर्व्यव्हार और उत्पीड़न के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि दिखाई नहीं देती है।

(ग) और (घ) जब कभी शोषण दुर्व्यवहार, वेतन/देयो, आदि का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें संबंधित भारतीय मिशन के साथ उठाया जाता है और मिशन मामले को शिकायतों का निवारण करने के लिए संबंधित विदेशी नियोक्ता या प्राधिकरणों के साथ उठाता है। सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण के संरक्षण के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

भारत ने जार्डन और कतर के साथ श्रम करार पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयूज उत्प्रवास के प्रबंधन और श्रमिकों के कल्याण की सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं। इन एमओयूज के अधीन संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है, जो द्विपक्षीय श्रम मामलों को हल करने के उद्देश्य से नियमित रूप से मिलते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने विपतिग्रस्त भारतीय कामगारों को यथास्थान सहायता व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) स्थापित किए हैं।

भारतीय कामगारों की आपतकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए, दुबई में भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी) भी कार्य कर रहा है।

(ङ) विपत्तिग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, चाहे कान्सूलेट हो या वित्तीय, जैसे मृत शरीर को ले जाना, निस्सहाय को हवाई टिकट, यात्रा इन्सीडेन्टल्स, भोजन, कानूनी सहायता, अनुग्रही, अदायगी, आदि सभी संभव सहायता प्रदान की जाती है।

(च) से (छ) भारतीय मिशन द्वारा स्थानीय मंत्रालय से भारतीय नागरिकों के बारे में विभिन्न अपराधों, जिसमें श्रमिक कानूनों का उल्लंघन, जिसमें अवैध निवासी और बीजा का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है और बंदी बनाया जाता है, भी शामिल है, की सूचना प्राप्त करने पर, एक ग्रेटिस आधार पर जेल में कैद लोगों को आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, ताकि जिनके पास यात्रा दस्तावेज नहीं है, वे जैसी ही अपनी जेल की सजा पूरी करते हैं, भारत वापस आ सकें।

(ज) जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें संबंधित भारतीय मिशन के साथ उठाया जाता है और मिशन समस्या के निवारण के लिए इन मामलों को संबंधित विदेशी नियोक्ता या प्राधिकरणों के साथ उठाते हैं। ऐसे मामलों को हल करने के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठकों में भी मामलों का निवारण किया जाता है।

विवरण

प्राप्त शिकायतों की संख्या

देश का नाम	वर्ष			
	2009	2010	2011	2012 (जुलाई तक)
1	2	3	4	5
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)	2316	1036	1588	393
बहरीन	1427	1386	1158	470

1	2	3	4	5
ओमान	5322	2372	2922	1494
कुवैत	3560	4373	2854	2253
मलेशिया	105	131	152	65
कतर	2165	3034	3186	2194
सऊदी अरब	3826	3139	2330	1889 (अगस्त तक)

डॉक्टरों द्वारा अपठनीय दवा नुस्खे

3317. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉक्टरों द्वारा अपठनीय नुस्खों के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और कई मामलों में मृत्यु भी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डॉक्टरों/मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपने नुस्खे बड़े अक्षरों 'कैपिटल लेटर्स' में लिखने का निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, इक्विटी एवं नीतिपरक) विनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषदें और राज्य चिकित्सा परिषद किसी चिकित्सक की व्यावसायिक आचरण की जांच करने के लिए सशक्त हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार परिषद को किसी चिकित्सक द्वारा अपठनीय नुस्खे संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और परिषद के पास भी बड़े अक्षरों में उनके नुस्खे लिखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सकों/चिकित्सा व्यावसायियों के लिए कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

[हिन्दी]

मैन्युअल आधार पर दवाइयां और अन्य सुविधाएं

3318. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बार-बार कंप्यूटर सर्वर की समस्या के कारण सीजीएचएस औषधालयों/अस्पतालों में रोगियों को दवाइयां और अन्य सुविधाएं मिलने में विलंब के कारण उक्त सुविधाएं मैन्युअल आधार पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सी.जी.एच.एस. ने एक स्थायी निर्देश जारी किया है कि कंप्यूटर सर्वर की समस्या के दौरान सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्र आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध दवाइयों को मैनुअल तरीके से जारी कर सकता है। कंप्यूटर सर्वर कार्य के पुनःस्थापन पर जारी दवाईयां रिकार्ड में रखी जाती हैं।

[अनुवाद]

अस्त्र-शस्त्र व्यापार संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

3319. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अस्त्र-शस्त्र व्यापार संधि सम्मेलन हाल ही में न्यूयार्क में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ङ) उक्त सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उन पर भाग लेने वाले राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या पूर्वोक्त सम्मेलन में कोई सहमति बन सकी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (छ) भारत ने न्यूयॉर्क में 02-27 जुलाई, 2012 तक शस्त्र व्यापार संधि (एटीटी) पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र राजनयिक सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुला था। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि शस्त्र व्यापार संधि में आयात तथा निर्यात करने वाले देशों के दायित्वों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, परम्परागत हथियारों की अवैध तस्करी तथा इन हथियारों के आतंकवादियों एवं राष्ट्रविहीन कर्ताओं तक पहुंचने पर रोक लगाना चाहिए और सभी स्टेकहोल्डरों को इस प्रकार साथ लाया जाना चाहिए जो इस संधि की संभावनाओं को बढ़ावा दे और जो सार्वभौमिक अनुपालन के साथ-साथ व्यावहारिक एवं लागू करने योग्य हो। आपसी सहमति न होने के कारण इस सम्मेलन में किसी सम्मत पाठ को अपनाया नहीं जा सका।

379 - 84

परिवार नियोजन योजनाओं का कार्य-निष्पादन

3320. श्री धनंजय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विभिन्न परिवार नियोजन कल्याण योजनाएं अपना वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर परिवार नियोजन कल्याण योजनाएं प्रभाव छोड़ने अथवा पर्याप्त जागरुकता उत्पन्न करने में विफल रही हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) भारत सरकार 2005 में शुरु किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में यथा परिकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिगत ढांचे अर्थात् प्रजनन संबंधी एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक पैकेज की आउटरीच एवं कवरेज बढ़ाकर बाल उत्तरजीविता, मातृ-स्वास्थ्य एवं प्रजनन सवंबंधी विषयों पर एक साथ ध्यान देने की आवश्यकता के अनुरूप दृढ़तापूर्वक करती रही है।

एनआरएचएम का उद्देश्य वर्ष 2012 तक 2.1 कुल जनन क्षमता दर (टीएफआर) के शुरु प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करना है। भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, 2005 और 2010 के बीच कुल जनन क्षमता दर में 0.4 अंकों की कमी दर्ज की गई है (2005 में 2.9 था जो घटकर 2010 में 2.58 हो गयी)। एनआरएचएम शुरु किए जाने के समय से कुल जनन क्षमता दर में कमी ज्यादातर उन राज्यों में हुई है जहां कुल जनन क्षमता दर अधिक है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) परिवार नियोजन के लिए विद्यमान उपायों में कुछ एन उपाय भी शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. देश भर में ऐसे 264 ज्यादा ध्यान दिए जाने वाले जिलों, जिनमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य संकेतक अत्यन्त कमजोर है, को विशेष रूप से ध्यान देने और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए अभिज्ञात किया गया है।

2. लाभार्थियों को घर पर गर्भ निरोधक वितरित करने के लिए आशा की सेवाओं का उपयोग करने हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को 17 राज्यों के 233 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। घर पर गर्भ निरोधक वितरित करने के अपने प्रयास के लिए लाभार्थियों से आशा द्वारा नाममात्र की धनराशि ली जाती है अर्थात् 3 कंडोम के 1 पैक के लिए 1 रुपये, ओसीपी के एक चक्र के लिए 1 रुपया और ईसीपी की एक गोली के लिए 2 रुपये।

3. शादी के बाद पहला बच्चा होने और पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतराल सुनिश्चित करने हेतु नव दंपत्तियों को परामर्श के लिए आशा की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शादी के बाद 2 वर्ष तक संतान न हो और जिन दंपत्तियों को एक बच्चा है, वे पहले और दूसरे बच्चे के बीच 3 वर्ष का अन्तराल रखें। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में संचालित है।

4. भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक आईयूसीडी (5 वर्ष की प्रभाविता), सीयूआईयूसीडी 375 शुरू की है।

5. जिला अस्पतालों में समर्पित परिवार नियोजन परामर्शदाताओं को नियुक्त करके और कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवसीा करके प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना।

विवरण

प्रमुख राज्यों के लिए 2007 के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे प्रदर्शित होता है कि मोटे तौर पर इन राज्यों में भी सुधार हो रहा है:

क्र.सं.	राज्य	2005	2010	परिवर्तन (अंक) 2005-2010
1	2	3	4	5
	संपूर्ण भारत	2.9	2.5	-0.4
1.	बिहार	4.3	3.7	-0.6
2.	छत्तीसगढ़	3.4	2.8	-0.6
3.	झारखंड	3.5	3.0	-0.5
4.	मध्य प्रदेश	3.6	3.2	-0.4
5.	ओडिशा	2.6	2.3	0.3
6.	राजस्थान	3.7	3.1	-0.6
7.	उत्तर प्रदेश	4.2	3.5	-0.7
8.	उत्तराखंड*	2.6	2.3	-0.3
9.	असम	2.9	2.5	-0.4
10.	आंध्र प्रदेश	2.0	1.8	-0.2
11.	गुजरात	2.8	2.5	-0.3
12.	हरियाणा	2.8	2.3	-0.5
13.	हिमाचल प्रदेश	2.2	1.8	-0.4
14.	जम्मू और कश्मीर	2.4	2.0	-0.4
15.	कर्नाटक	2.2	2.0	-0.2
16.	केरल	1.7	1.8	.0.1
17.	महाराष्ट्र	2.2	1.9	-0.3
18.	पंजाब	2.1	1.8	-0.3

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	1.7	1.7	0.0
20.	पश्चिम बंगाल	2.1	1.8	-0.3
21.	दिल्ली	2.2	1.9	-0.3

नोट:

*-उत्तराखंड के लिए टीएफआर डेटा एसआरएस के तहत उपलब्ध नहीं है इसलिए डेटा एनएफएचएस-3 से 2005 के लिए है और आशा 2010, 2010 के लिए केरल के लिए टीएफआर में बहुत ही ममालू 0.1 से 1.8 अंक की वृद्धि हुई है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है क्योंकि यह पहले से ही प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता 2.1 से बहुत कम है।

2. छोटे राज्य जिनके लिए नवीनतम डेटा 2007 के लिए उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि कुल मिलाकर इन राज्यों में भी सुधार हो रहा है:

एसआई सं.	राज्य	2007
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.7
2.	मणिपुर	1.6
3.	मेघालय	3.1
4.	मिजोरम	2.0
5.	नागालैंड	2.0
6.	सिक्किम	2.0
7.	त्रिपुरा	1.7
8.	गोवा	1.6
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.5
10.	चंडीगढ़	1.8
11.	दादरा और नगर हवेली	3.3
12.	दमन और द्वीव	1.9
13.	लक्षद्वीप	2.1
14.	पुदुचेरी	1.6

जोखिम गारंटी कोष 383-84

3321. डॉ. संजय जायसवाल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े बाजार जोखिम को कम करने हेतु जोखिम गारंटी कोष (आरजीएफ) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ग्रिड से जुड़ी और उससे अलग दोनों परियोजनाओं में सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को सम्मिलित करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दोहन आरजीएफ कोष की मात्रा क्या है और व्यतिक्रम के आधार पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं, यद्यपि सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु एक भुगतान सुरक्षा स्कीम (पीएसएस) की स्थापना की गई है।

(ख) से (घ) राज्य यूटिलिटीज/डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में विफल होने की स्थिति में एक भुगतान जोखिम निवारण नीति के रूप में सौर भुगतान सुरक्षा खाते के सृजन को सुगम बनाने हेतु पीएसएस के लिए अधिकतम 486.08 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता दी जाती है।

(ङ) वर्ष 2011-12 और 2012-13 हेतु पीएसएस का आकार क्रमश: 2.0 करोड़ रुपये और 56.32 करोड़ रुपये है।

384-85

विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार

3322. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं हेतु प्रभारों में वृद्धि की गई है/वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) जब पहले से ही किराए अधिक हैं और विमानन क्षेत्र में मंदी है तो उक्त प्रभारों में वृद्धि का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या प्रभारों में वृद्धि की घोषणा करने से पूर्व एयरलाइनों से परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रवेश) विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं जिसका उद्देश्य सुरक्षित एवं निश्चित यात्रा सहित यात्रियों को हवाईअड्डे पर विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना है। बड़े हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग (जीएस) प्रभारों का विनियमन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा किया जाता है। फिलहाल, गैर महत्त्वपूर्ण हवाईअड्डे पर सुविधाओं के उपयोग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रॉयल्टी अदा करती हैं। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा प्रभारित टैरिफ का निर्धारण बाजार प्रक्रिया के आधार पर एयरलाइनों और एजेंसियों के बीच खुद किया जाता है। सरकार या एएआई की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

3323. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों के अनेक पद लंबे समय से रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनजाति आयोग में वरिष्ठ स्तर के रिक्त पदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	एनसीएसटी में रिक्त पद	से रिक्त
1.	उपाध्यक्ष	25.04.2012
2.	सदस्य	17.04.2012
3.	सचिव	01.04.2012
4.	निदेशक (तीन पद) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का) संयुक्त संवर्ग	(क) 02.09.2008 (ख) 01.09.2010 (ग) 27.07.2011
5.	उप सचिव (सीएसएस)	30.09.2011

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति से संबंधित मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचाराधीन है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एनसीएसटी में निदेशक के पदों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उप सचिव के पद का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। एनसीएसटी ने संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के साथ भी इसे उठाया है।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं की चोरी

3324. **श्रीमती मीना सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न सरकारी अस्पतालों से नवजात शिशुओं को चुराने की घटनाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त घटनाओं में लिप्त/दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एलएचएमसी एवं इसके संबद्ध अस्पतालों और सफदरजंग अस्पताल का संबंध है, सफदरजंग अस्पताल में 10 अक्टूबर, 2009 को बच्चे के गुम होने का केवल का मामला सूचित हुआ है। इस रोगी के बारे में एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई थी। जांच के बाद पता चला था कि बच्चे को स्वैच्छिक रूप से रूपयों एवं कपड़ों के रूप में खुश होने के बदले दे दिया गया था। इस बारे में किए गए उपायों में निगरानी इत्यादि के लिए सुरक्षा गार्ड द्वारा निगरानी रखना, सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करना शामिल है।

अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास

3325. श्री एम. आनंदन: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक स्कोटिश एजेंसी द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन ने रामेश्वरम और कन्याकुमारी के दक्षिण सहित भारत के विभिन्न की पवन ऊर्जा की वृहत् क्षमता का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऊर्जा का दोहन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (ग) अब तक समुद्र में मास्ट संस्थापित कर अपतटीय पवन गति का मापन नहीं किया गया है। तथापि, सैटेलाइट डाटा सहित तट के निकट की उपलब्ध पवन गति डाटा के प्राथमिक विश्लेषण से पता चलता है कि कन्याकुमारी के निकट और/अथवा रामेश्वरम् के उत्तर अपतटीय पवन फार्म का विकास करने हेतु संभाव्यता हो सकती है। सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में एक निर्धारित और केन्द्रित तरीके से देश में अपतटीय पवन विद्युत के विद्युत हेतु सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा संचालन समिति का गठन किया है।

पोलियो उन्मूलन

3326. श्री राम सुन्दर दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां देश में पोलियो के उन्मूलन हेतु कोई भूमिका निभा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (युनिसेफ) भारत सरकार को देश में पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम हेतु नीतिगत संचार और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों का उपचार

3327. श्री रूद्रमाधव राय:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुविधाजनक तथा बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं देने तथा शीघ्र एवं निशुल्क उपचार हेतु सरकारी/सीजीएचएस डॉक्टरों द्वारा रेफर कराए बिना सरकार के पैनल वाले अस्पतालों में डॉक्टरों/विशेषज्ञों से परामर्श लेने की अनुमति देने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सुगम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने वरिष्ठ नागरिक/पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु सीजीएचएस के पैनल में आने वाले निजी अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के चिकित्सा उपचार, औषधालयों में उनके लिए अलग पंक्ति बनाने का प्रावधान, योग तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औषधों की सुविधाएं, दिल्ली में जरारोग निदान केन्द्र की स्थापना जैसे विभिन्न उपाए किए हैं। लाभार्थियों को सीजीएचएस पैनल में आने वाले निजी अस्पताल में चिकित्सा उपचार कराने में समर्थ बनाने के लिए सीजीएचएस द्वारा अपनायी

गई रेफरल प्रणाली को लाभार्थियों के हित में आवश्यक माना गया है। वित्तीय औचित्य तथा सरकारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी यह नियंत्रण एवं संतुलन उपाय के रूप में आवश्यक है।

389-90

कुंभीग्राम (सिल्चर) विमानपत्तन

3328. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुंभीग्राम (सिल्चर) विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों, यदि कोई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त विमानपत्तन पर यात्री विमानों को रात्रि में उतरने की सुविधा कब तक दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) असम में सिल्चर एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) केवल सिविल उड़ान प्रचालनों की हैंडलिंग के लिए सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता है। चूंकि एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना का है, अत: रात में उड़ानों के प्रचालन की अनुमति भारतीय वायु सेना द्वारा दी जानी होती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस एयरपोर्ट पर निम्नलिखित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं:

1. रनवे 06 के लिए इंस्टुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस)
2. हाई इंटेसिटी रनवे लाइटिंग सिस्टम
3. प्रीसीशन एप्रोच पाथ इंडीकेटर
4. टैक्सीवे लाइट्स
5. रनवे 24 के लिए सिंपल एप्रोच लाइटिंग सिस्टम और
6. रनवे 6 के लिए एब्रिज्ड सिंपल एप्रोच लाइटिंग सिस्टम और
7. एप्रेन लाइट्स

(ग) से (ङ) इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय को कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2011 में असम राज्य सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसे रक्षा मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कर दिया गया है कि सिल्चर में सिविल उड़ानों के रात्रि प्रचालन की जांच करें।

[हिन्दी] 390-92

अस्पतालों के उन्नयन हेतु विदेशी वित्तीय सहायता

3329. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से विदेशी वित्तीय सहायता की मदद से अस्पतालों के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों को उन्नयन करने के लिए सहायता भी शामिल है। विश्व बैंक भी राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ऋण के रूप में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

परियोजनाओं का नाम	निधि का स्रोत	राज्य	आरंभ/समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4
स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए सेक्टर-वाइड दृष्टिकोण (स्वास्थ)	डी एफ आई डी	बिहार	1-9-2010/29-2-2016

1	2	3	4
म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	डी एफ आई डी	मध्य प्रदेश	22-11-2007/31-3-2015
ओडिशा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	डी एफ आई डी	ओडिशा	12-2-2007/31-3-2015
कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	विश्व बैंक	कर्नाटक	22-8-2006/30-9-2012
तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली	विश्व बैंक	तमिलनाडु	16-12-2004/30-9-2013
उत्तर प्रदेश स्वास्थ प्रणाली	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश	20-12-2011/31-3-2017

कैलाश मानसरोवर यात्रा

3330. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बड़ी संख्या में जा रहे तीर्थयात्रियों को हाल ही में चीन द्वारा नेपाल-तिब्बत सीमा पर कथित रूप से रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई इस वर्ष मई से सितंबर तक की कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों को लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पार करने में किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा। तथापि, प्राइवेट टूर आपरेटरों द्वारा आयोजित की गई नेपाल के रास्ते कैलाश तथा मानसरोवर की यात्रा के भारतीय तीर्थयात्रियों के समूहों को टूर आपरेटरों द्वारा वीजा औपचारिकताओं को उपयुक्त तरीके से पूरा नहीं किए जाने के कारण नेपाल-तिब्बत सीमा पर हो रहे विलम्ब के संबंध में समाचार में रिपोर्टें आई हैं। जब सरकार से संपर्क किया गया तो सरकार ने ऐसे मुद्दों को सुलझाने में पूर्ण सहयोग दिया।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के डेवलपरों के लिए दिशा-निर्देश

3331. श्री संजय दिना पाटील:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, नामत: मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी सहित) और गैर-मेगा पावर परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के आयातित उपकरणों पर समान रूप से सीमा शुल्क, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय की मेगा पावर नीति संबंधी मार्गदर्शी रूप रेखाएं 19.7.2012 से नई विद्युत परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संबद्ध नीति की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में, विद्युत मंत्रालय ने, 19 जनवरी, 2005 को दीर्घकालिक

(7 वर्षों और इससे अधिक की अवधि के लिए) और मध्यम कालिक (एक वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और इनमें समय-समय पर संशोधन भी किए। 15 मई, 2012 को, विद्युत मंत्रालय ने अल्पावधि (एक वर्ष के समान अथवा इससे कम अवधि के लिए) के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विवरण

फा.सं. एफयू 9/2009-आईपीसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संशोधन नीति।

मुझे 12वीं योजनावधि की परियोजनाओं की शेल्फ के बारे में कोयला मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 23011/27/2008-सीपीडी दिनांक 26.12.2008 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि कोयले की कमी को देखते हुए, 12वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित अनेक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, जो संयोजन की प्रतीक्षा में, मंत्रालय ने यह निर्णय लिया गया है कि 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन का आबंटन करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाए-

क. क्षेत्रवार प्राथमिकता:

कोयला संयोजन के आबंटन के लिए प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार हैं-

(i) केंद्रीय क्षेत्र के सीपीएसयू, राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं और ये परियोजनाएं, जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बिडिंग पर राज्यों द्वारा निविदा दी जाती है (मामला-II)।

(ii) आईपीपी परियोजनाएं।

(iii) कैप्टिव विद्युत परियोजनाएं।

ख. कोयला संयोजन की परियोजनाओं की पूर्व अर्हताएं-

(i) परियोजना की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जल आबंटन उपलब्ध होना चाहिए और इस आशय का राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जान चाहिए।

(ii) प्रस्तावित परियोजनाओं के विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए अपेक्षित स्थान और क्षेत्र की स्पष्ट रूप से पहचान करनी होगी।

(iii) परियोजना के प्रयोजनों के लिए भूमि की उपलब्धता के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट भूमि प्रापण के लिए प्रक्रिया को शुरू करने के साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) परियोजना के विकासकर्ता को परियोजना के लिए निर्धारित पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ शर्तों का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) परियोजना विकासकर्ता टैरिफ प्रतिस्पर्धी बिडिंग (मामला-I) के माध्यम से विद्युत प्रापण के लिए मानक बिड प्रलेख में यथा परिभाषित वित्तीय पूर्व अर्हताओं को पूरा करता हो।

बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परियोजना के प्रमुख प्रोमोटर (से) द्वारा पहस्ताक्षरित समर्थक शपथ पत्र सहित वित्तीय प्रलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करन होंगी। प्रोमोटर इन प्रलेखों की यथार्थता के लिए जिम्मेदार रहेगा।

ग. प्राथमिकता के लिए महत्त्व

कोयला मंत्रालय 12वी योजना के लिए कोयले की उपलब्धता को दर्शाएगा। उपलब्ध कोयले का 60% केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित रखा जाएगा, जिसमें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बिडिंग (मामला-I) पर आधारित परियोजनाएं सम्मिलित हैं। राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कोयले का आबंटन राज्य की दर्शायी गई मांग आपूर्ति के अंतर के आधार पर किया जाएगा।

उपलब्ध कोयले का 35% आईपीपी के लिए सुनिश्चित किया जाएगा और 5% कोयला सीपीपी के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक श्रेणी नामत: केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं, जिनमें राज्य सरकारों और आईपीपी द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बिडिंग (मामला-II) पर निविदा दी जाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं, के लिए प्राथमिकता लागू होगी। प्राथमिकता, आबंटन किए जाने वाले प्लाइंट्स पर आधारित होगी निजका विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	मापदंड	शर्तों को पूरा वाली परियोजनाओं को आबंटित प्वाइंट्स	अन्य परियोजनाएं जो शर्तें पूरी नहीं करतीं
1	अतिसंवेदनशील प्रौद्योगिकी यूनिटों की स्थापना पर विचार रखने वाली परियोजनाएं	20	0
2	शीर्ष परियोजना अथवा राज्य जिनमें 11वीं/ 12वीं शेल्फ में किसी प्रमुख विद्युत परियोजना का विचार नहीं है।	20	0
3	स्वच्छ जल के स्थार पर जल का इस्तेमाल करने वाली परियोजनाएं	10	0
4	भूमि अधिग्रहण की प्रगति**	50	
	(i) >25% <50% अधिग्रही भूमि	20	0
	(ii) >50% <75% अधिग्रही भूमि	30	0
	(iii) >75% <100% अधिग्रही भूमि	40	0
	(iv) 100% अधिग्रही भूमि	50	0
	कुल	100	

*निकटतम पत्तन के 150 कि.मी. के भीतर स्थित केवल आईपीपी परियोजनाओं को अपनी कोयला आवश्यकताओं का कम से कम 30% आयात से पूरा करना होगा। यह एसपीएसयू और सीपीएसयू पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनके लिए कोयला आयात के लिए सरकार पहले से ही अलग लक्ष्य निर्धारित कर रही है।

**भूमि अधिग्रहण की प्रगति के महत्त्व के लिए, विकासकर्ता को, जिला कलेक्टर अथवा रज्ञ्य राजस्व प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार की प्राधिकृत एजेंसी जैसे औद्योगिक विकास निगम से लेकर एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र की सत्यता का दायित्व विकासकर्ता का होगा क्योंकि भूमि के रिकॉर्डों की जांच करना सीईए के लिए संभव नहीं होगा।

घ. कैप्टिव पावर परियोजनाएं

सीपीपी के लिए उन यूनिटों के लिए संयोजन की सिफारिश की जाएगी जिनका यूनिट सार 10 मेगावाट से अधिक है। कैप्टिव प्रयोग के लिए निम्नलिखित उद्योगों को तरजीह दी जा सकती है–

(i) इस्पात उद्योग

(ii) एल्युमिनियम उद्योग

(iii) प्रसंस्करण उद्योग जैसे सीमेंट, कपड़ा, शर्करा आदि।

2. सीपीपी/आईपीपी, जिनकी यूनिट का आकार 200 मेगावाट से कम है, के लिए संयोजन के मामलों पर तभी विचार किया जाएगा जब उपकरण विख्यात स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त किए गए हों। तथापि, यदि उपकरण के लिए 24.07.2008 से पहले दूसरों को आर्डर दिया गया हो तो संयोजन पर विचार किया जा सकता है।

3. 12वीं योजना में आयातित कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ कोई स्वदेशी संयोजन नहीं होगा।

4. वॉशरी रिजेक्ट्स के लिए, कोयला और रिजेक्ट्स का अनुपात जिस पर विचार किया जाना है, 22:78 है जो कोयले के ग्रेड पर निर्भर है। जैव भार के साथ, कोयले को 15% तक सहायक ईंधन के रूप में विचार किया जा सकता है।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सचिव,
कोयला मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

प्रति–अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को 12वीं योजना की परियोजनाएं जो उन परियोजनाओं के प्रति समुचित पार्किंग के साथ कोयला संयोजन की प्रतीक्षा में हैं, की एक शेल्फ तैयार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

फा.सं. एफयू-9/2009-आईपीसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति पर स्पष्टीकरण

मुझे, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश हुआ है–

पैरा-1 घ

उन सीपीपी के लिए संयोजन सिफारिश की जाएगी जिनकी यूनिट का आकार 10 मेगावाट से अधिक है।

(एस. नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

कोयला मंत्रालय
(जी, श्रीनिवासन, अवर सचिव)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि–

(i) अध्यक्ष के.वि.प्रा., नई दिल्ली।

(ii) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए

फा.सं. एफयू-9/2009-आईपीसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति पर स्पष्टीकरण

मुझे, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश हुआ है–

पैरा-1 ख (iv)

परियोजना के विकासकर्ता को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(एस. नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

कोयला मंत्रालय
(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि–

(i) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली।

(ii) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

फा.सं. एफयू-9/2009-आईपीसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति में संशोधन

मुझे, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के विद्युत मंत्रालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वीं योजना में परियोजनाओं, निजकी यूनिट का आकार 200 मेगावाट से कम है, के लिए कोयला संयोजन नीति में निम्नानुसार संशोधन किया गया है–

(i)	आईपीपी, केंद्रीय और राज्य पीएसयू की विद्युत परियोजनाएं	कोयला संयोजन 200 मेगावाट* से कम आकार की यूनिट वाली किसी परियोजना के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
(ii)	प्राथमिक ईंधन के रूप में जैव भार वाले संयंत्र	कोयले को 15% तक सहायक ईंधन के रूप में उन परियोजनाओं के लिए विचार किया जा सकता है जिनका यूनिट आकार 10 मेगावाट और इससे अधिक है।
(iii)	वॉशरी रिजेक्ट्स पर आधारित संयंत्र	एफ श्रेणी कोयले के आयात और रिजेक्ट्स के 22:78 के अनुपात पर उन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा जो 50 मेगावाट और उससे अधिक के आकार की हैं।
(iv)	को-जेनरेशन आधारित संयंत्र	10 मेगावाट भार और उससे अधिक यूनिट साइज के लिए कोयला संयोजन का विचार किया जाएगा।

---

*यह सीपीपी पर लागू नहीं है।

2. तदनुसार, दिनांक 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी की गई कोयला संयोजन नीति के पैरा 2 और 4 को रद्द किया जाएगा।

3. यह विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(एस. नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

कोयला मंत्रालय
(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि–

(i) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली।

(ii) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

फा.सं. एफयू-9/2009-आईपीसी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना की परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन नीति में संशोधन

मुझे, विद्युत मंत्रालय के 21 अक्तूबर, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला संयोजन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड जोड़ा गया है–

"कोयले की वास्तविक निकासी बिजली के 85% की शर्त के अधीन होगी। जिले कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बिडिंग (उन पीएसयू परियोजनाओं के अलावा जहां 05.01.2011 को पीपीए हस्ताक्षरित किए गए।"

2. इसे विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एस. नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

कोयला मंत्रालय
(जी. श्रीनिवासन, अवर सचिव)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि–

(i) अध्यक्ष, के.वि.प्रा. नई दिल्ली।

(ii) एनआईसी को, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

[हिन्दी]

विदेश में छात्रों को सहायता

3332. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने आस्ट्रेलिया में अध्ययनरत भारतीय छात्रों को सहायता प्रदान करने हेतु 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में छात्रों सहित भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी हां। आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग तथा कोंसलावास में 24 घंटे चलने वाले आपातकालीन संपर्क नंबर है। मिशन की वेबसाइट के माध्यम से इन नंबरों का व्यापक प्रचार किया गया है। ये आपातकालीन नंबर इस प्रकार हैं–

एसीटी, क्वींस लैंड

नाम एवं पदनाम	श्री मुकेश कुमार, प्रथम सचिव (चांसरी/कोंसुलर प्रमुख)
पता	भारतीय उच्चायोग, 3 मुनाह प्लेस, यारालुमला एसीटी-2600
दूरभाष	0432585493 मोबाइल

न्यू साउथ वेल्स एवं साउथ आस्ट्रेलिया

नाम एवं पदनाम	श्री शशिकांत मेशराम, उप कोंसुल (कोंसुलर)
पता	भारत का प्रधान कोंसलावास, लेवल 10,190 जार्ज स्ट्रीट, सिडनी
दूरभाष	0420277261 मोबाइल

विक्टोरिया एवं तसमानिया

नाम एवं पदनाम	श्री रावेन्श वी.कावरा, कोंसुल (एससीडब्ल्यूओ)
पता	भारत का प्रधान कोंसलावास
दूरभाष	0430020828 मोबाइल

पश्चिमी आस्ट्रेलिया एवं उत्तरी क्षेत्र

नाम एवं पदनाम	श्री हीरा लाल रायचंदानी, कोंसुल/चांसरी प्रमुख)
पता	भारत का प्रधान कोंसलावास
दूरभाष	0423715575 मोबाइल

ब्रिस्बेन

नाम एवं पदनाम	श्रीमती अर्चना सिंह, ऑनरेरी कोंसुल
पता	भारत का ऑनरेरी कोंसुल, 175 ए, स्वान रोड, तरिंगा, क्यूएलडी-4068
दूरभाष	0422309952 मोबाइल

(ग) भारत सरकार विदेशों में विद्यार्थियों सहित भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं बचाव के बारे में चिन्तित है। जब भी भारत सरकार को विदशों में विद्यार्थियों सहित भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली घटना की जानकारी मिलती है तो वह ऐसे मामले को संबंधित सरकारों के साथ मंत्री एवं सरकारी स्तर सहित सभी स्तरों पर सशक्त रूप से उठाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन इन देशों में विद्यार्थियों सहित भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने तथा विचार-विमर्श करने के लिए अपने प्रत्यायन देशों की सरकारों के नियमित संपर्क में रहते हैं।

[अनुवाद]

3333. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशों में "पारंपरिक उद्योगों के पुन:सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पारंपरिक व्यवसायों को शुरू करने हेतु ग्रामीण/शहरी युवाओं को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के अंतर्गत योजनाओं का नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारंपरिक उद्योगों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण तथा इनमें संलग्न कर्मकारों की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केयर बोर्ड वर्ष 2005-06 से परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना नामक एक क्लस्टर आधारित योजना कार्यान्वित करते रहे हैं जिसके तहत 29 खादी, 47 ग्रामोद्योगों और 21 केयर क्लस्टरों को बेहतर उपस्कर, सामान्य सुविधा केंद्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन व विपणन सहयोग, आदि प्रदान करते हुए क्रियाशील किया गया है। स्फूर्ति के तहत क्रियाशील किए गए क्लस्टरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) स्फूर्ति के अलावा, केवीआईसी गैर-कृषि में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पूर्व-सैनिकों, शारीरिक विकलांगों, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत जारी और उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी सब्सिडी की राज्य वार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है। पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार की राज्य-वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) केवीआईसी और केयर बोर्ड पारंपरिक उद्योगों को मजबूत बनाने और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें "मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना का सशक्तीकरण और विपणन अवसरंचना तंत्र हेतु सहायता", "खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना", "बाजार विकास सहयाता", "खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना" और "केयर उद्योग का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन", की योजना शामिल हैं।

विवरण-I

स्फूर्ति क्लस्टरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्फूर्ति क्लस्टरों की संख्या (कार्यशील)			
		खादी	ग्रामोद्योग	केंयर	योग
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2	3	0	5
2.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1
3.	पंजाब	1	3	0	4
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0
5.	उत्तराखंड	1	1	0	2
6.	हरियाणा	1	2	0	3
7.	दिल्ली	0	0	0	0
8.	राजस्थान	2	1	0	3
9.	उत्तर प्रदेश	4	3	0	7
10.	बिहार	1	2	0	3
11.	सिक्किम	0	1	0	1
12.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1
13.	नागालैंड	1	1	0	2
14.	मणिपुर	0	2	0	2
15.	मिजोरम	0	1	0	1
16.	त्रिपुरा	0	2	1	3
17.	मेघालय	0	1	0	1
18.	असम	1	2	1	4
19.	पश्चिम बंगाल	2	2	1	5
20.	झारखंड	1	1	0	2
21.	ओडिशा	0	2	0	2
22.	छत्तीसगढ़	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6
23.	मध्य प्रदेश	0	2	0	2
24.	गुजरात**	1	1	0	2
25.	महाराष्ट्र***	1	3	0	4
26.	आंध्र प्रदेश	2	3	2	7
27.	कर्नाटक	2	1	4	7
28.	गोवा	0	0	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
30.	केरल	2	2	5	9
31.	तमिलनाडु	3	2	6	11
32.	पुदुचेरी	1	0	1	2
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
	कुल	29	47	21	97

**दमन व दीव सहित

***दादरा व नगर हवेली सहित

विवरण-II

पीएमईजीपी के तहत जारी और उपयोग में लाई गई राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13$	
		जारी	प्रयुक्त#	जारी	प्रयुक्त#	जारी	प्रयुक्त#	जारी	प्रयुक्त#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	1820.00	1803.94	2544.81 •	2941.26	2780.57	2983.42	1057.00	0
2.	हिमाचल प्रदेश	567.79	615.2	1374.78	1339.70	1141.28	1152.59	724.71	1.40
3.	पंजाब	1290.13	2104.37	1833.28	1773.04	1695.61	1756.94	845.70	0
4.	चंडीगढ़	0.00	40.63	63.98	28.96	0.00	65.71	0.00	0
5.	उत्तराखंड	332.94	1017.49	1120.18	1189.89	1 123.74	1059.62	989.59	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	1066.22	1344.2	1887.82	1889.64	1396.25	1381.53	949.02	0
7.	दिल्ली	-150.00@	60.00	173.83	103.71	213.02	201.5	368.98	0
8.	राजस्थान	1125.77	2867.86	4401.64	3904.93	3684.10	3518.29	3368.62	0
9.	उत्तर प्रदेश	9739.75	13520.33	13848.08	13245.69	18851.45	18563.77	7394.75	1608.51
10.	बिहार	900.00	1123.56	3504.32	3207.20	7417.30	9873.73	7234.44	135.53
11.	सिक्किम	270.00	120.81	173.77	153.86	0.00	113.88	0.00	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	351.43	97.02	248.00	249.40	349.25	461.73	0.00	0
13.	नागालैंड	350.00	33.95	466.00	548.41	695.46	1156.03	525.10	0
14.	मणिपुर	300.00	181.15	0.00	304.55	630.42	876.43	528.66	0
15.	मिजोरम	327.40	266.07	306.00	578.67	508.00	661.81	362.26	0
16.	त्रिपुरा	350.00	417.25	811.25	969.78	2868.06	2613.88	362.62	0
17.	मेघालय	606.01	640.89	515.00	571.50	833.42	1255.24	597.44	47.02
18.	असम	1635.00	1895.36	5538.00	4808.10	4035.14	5545.02	3307.01	0
19.	पश्चिम बंगाल	7200.00	9055.94	6719.17	6719.06	5581.67	5581.67	3663.22	0
20.	झारखंड	300.00	779.36	1562.68	2306.05	3620.64	3486.33	3396.37	0
21.	ओडिशा	3422.13	3881.64	4949.26	4925.75	4220.87	4202.67	3968.80	0
22.	छत्तीसगढ़	1952.54	1582.05	2983.58	3643.69	3182.97	3306.12	2228.37	0
23.	मध्य प्रदेश	709.91	3295.87	5440.13	5195.12	5172.54	5419.41	4915.87	0
24.	गुजरात**	234.52	1866.06	3042.54	4157.65	6101.97	6147.35	2656.00	0
25.	महाराष्ट्र***	3150.15	4769.3	4793.82	6193.48	4730.07	4533.68	3437.43	149.14
26.	आंध्र प्रदेश	6159.93	8956.36	7443.94	7750.26	5568.30	5497.37	359543	4.17
27.	कनार्टक	1979.34	3000.87	3696.02	3725.38	3863.96	3872.13	1859.20	0
28.	गोवा	136.59	168.90	391.71	294.78	215.22	295.27	0.00	0
29.	लक्षद्वीप	0.00	6.48	77.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0
30.	केरल	1245.20	3007.44	3164.19	3141.21	2910.66	2928.85	1632.70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	तमिलनाडु	3930.61	5677.29	4389.80	4476.99	7383.44	7164.15	3028.00	2139.42
32.	पुदुचेरी	6.57	28.34	85.64	103.24	164.32	79.22	17.00	0
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.76	50.42	171.83	78.22	83.22	96.11	0.00	0
	कुल योग	51343.69	74276.40	87722.05	90541.01	101022.92	105851.45	63014.29	4085.19

#पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधि सहित

**दमन दीव सहित

***दादरा और नगर हवेली सहित

@धीमी उपयोगिता के कारण यह राशि वर्ष 2008-09 के अव्ययित शेष से वापस लेकर अन्य राज्यों में वितरित कर दी गई।

$31.07.2012 तक

विवरण-III

पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित रोजगार की राज्यवार अनुमानित संख्या

क्र..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	17820	15986	17290	0
2.	हिमाचल प्रदेश	1963	4781	4248	5
3.	पंजाब	8764	8239	4647	0
4.	चंडीगढ़	500	302	190	0
5.	उत्तराखंड	8345	8766	6942	0
6.	हरियाणा	4283	10508	9053	0
7.	दिल्ली	348	605	2177	0
8.	राजस्थान	13299	24085	14973	0
9.	उत्तर प्रदेश	41536	45685	53546	5050
10.	बिहार	5112	8316	35193	481
11.	सिक्किम	226	284	253	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	1380	2320	3880	0

1	2	3	4	5	6
13.	नागालैंड	286	1396	5344	0
14.	मणिपुर	1166	1626	3142	0
15.	मिजोरम	1705	3658	4410	0
16.	त्रिपुरा	1710	2290	7901	0
17.	मेघालय	2167	1609	3038	50
18.	असम	15280	38473	44359	0
19.	पश्चिम बंगाल	69203	56794	47795	0
20.	झारखंड	3250	15450	6999	0
21.	ओडिशा	17812	25842	22510	0
22.	छत्तीसगढ़	7410	18213	11673	0
23.	मध्य प्रदेश	12294	17467	16186	0
24.	गुजरात**	7892	21232	18681	0
25.	महाराष्ट्र***	21961	33285	16656	337
26.	आंध्र प्रदेश	73417	53808	37336	13
27.	कर्नाटक	17198	14000	17965	0
28.	गोवा	1409	2456	2461	0
29.	लक्षद्वीप	120	200	0	0
30.	केरल	15970	11375	9195	0
31.	तमिलनाडु	45511	31895	43473	14976
32.	पुदुचेरी	396	757	361	0
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	264	321	437	0
	योग	419997	482024	4723144	20892

*31.07.2012 तक

**दमन और दीव सहित

***दादरा और नगर हवेली सहित

415

पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार करने का तरीका

3334. **श्री आनंदराव अडसुल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार करने के तरीके के संबंध में निजी विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विक्रेता उक्त समझौते के अनुसार पासपोर्ट के आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सेवा प्रदाता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक करार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन, वॉक-इन जैसे विभिन्न तरीकों से तथा जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार करने का विचार है।

(ग) और (घ) पासपोर्ट आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों से प्राप्त किए जा रहे हैं।

415 · 23

चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन

3335. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप:**
श्री रामसिंह राठवा:
श्रीमती राजकुमारी चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़ तथा बड़ोदरा चिकित्सा महाविद्यालय सहित कतिपय चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु अनेक प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रस्ताव-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनको जारी धनराशि को दर्शाते हुए इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या इनमें से कई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तृतीयक परिचर्या सुविधा केन्द्रों में सुधार करने हेतु मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन और साथ ही केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में उन्नयन के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या केन्द्रीय प्रायोजित योजना दोनों में से किसी में भी वडोदरा मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त 15 प्रस्तावों में से वर्ष 2009-10 में प्राप्त श्री कृष्णा सरकारी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (बिहार), कोजीकोड़ मेडिकल कॉलेज (केरल) और विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी (कर्नाटक) के उन्नयन के 3 प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की तीसरे चरण में कार्य किया जाएगा। इसके लिए योजना आयोग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे और तीसरे चरण में 19 मेडिकल कालेजों का उन्नयन प्रारंभ किया है जिनमें महाराष्ट्र में ग्रान्ट्स मेडिकल कालेज, मुंबई और सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर; पंजाब में सरकारी मेडिकल कालेज, अमृतसर; केरल में तिरूवनन्तपुरम मेडिकल कालेज शामिल हैं। ओडिशा में, सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स सरीखा एक संस्थान भवुनेश्वर में स्थापित कर रही है। इसे देखते हुए, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और ओडिशा राज्य सरकारों से प्राप्त उनके राज्यों के अन्य मेडिकल कॉलेजों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अपग्रेड करने के प्रस्तावों पर इस समय विचार नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चरण-I और II में उन्नयन परियोजनाओं के लिए जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए वित्तपोषित मेडिकल कालेजों के ब्यौरे, उन्हें जारी निधियों सहित, संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

नए स्नातकोत्तर पाक्ष्यक्रमों/सीटों के प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाने के लिए पीएमएसएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कालेजों के उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या				नये पीजी विषयों और पीजी सीटों में बढ़ोत्तरी के लिए मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश					7
2.	बिहार	1				6
3.	ओडिशा	-	-	-	2	3
4.	असम	-	-	-	-	3
5.	चंडीगढ़	-	-	-	-	1
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	2
7.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	5
8.	पंजाब		1	-		2
9.	राजस्थान	-	-	-	-	6
10.	उत्तराखंड	-	-	-	-	1
11.	केरल	1	-	1	-	2
12	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	9
13.	गोवा	-	-	-	-	1
14.	गुजरात	-	-	-	-	-1
15.	त्रिपुरा	-	-	-	1	1
16.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	2
17.	महाराष्ट्र	-	7	-		13

1	2	3	4	5	6	7
18.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	10
19.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	2
20	झारखंड	–	–	–	–	1
21.	तमिलनाडु	–	–	–	–	1
22.	हरियाणा	–	–	–	–	1
23.	दिल्ली	–	–	–	–	1
24.	कर्नाटक	1				10
	कुल	3	8	1	3	93

विवरण-II

पीएएसएसवाई के चरण-I और II के अंतर्गत परियोजना के उन्नयन के जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	जारी निधियां (करोड़ रुपए)				
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम चरण							
1.	आंध प्रदेश	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	36.00	8.09			44.09
		श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज, तिरुपति	13.51	.0.20	1.91		15.62
2.	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	11.46	18.25	5.82		35.53
3.	जम्मू और कश्मीर	मेडकल कॉलेज, जम्मू	35.56	25.27	13.69	8.6	83.12
		सरकार मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	28.65	5.65	18.83	21.50	74.63
4.	झारखंड	राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज, रांची	38.08	12.20	14.92		65.20
5.	कर्नाटक	सरकार, मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	42.08	4.96	3.64		50.68
6.	केरल	सरकार, मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम	14.43	0.11	2.23		16.77

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	तमिलनाडु	सरकार, मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सेलम	39.84	4.27	5.61		49.72
8.	उत्तर प्रदेश	चिकित्सा विज्ञान, लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान	19.96				19.96
		चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	32.27	12.30	25.85		70.42
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	16.64	12.42			29.06
10.	महाराष्ट्र	अनुदान मेडिकल कॉलजे, मुंबई	21.76	13.95	1.91		37.62
दूसरा चरण						0.00	
1.	महाराष्ट्र	सरकार मेडिकल कॉलेज, नागपुर	40.00				40.00
2.	पंजाब	मेडिकल कॉलेज		42.83	2.72	8.50	54.05
3.	हिमाचल प्रदेश	आरपी सरकार मेडिकल कॉलेज, टांडा			21.96		21.96
4.	उत्तर प्रदेश	जेएनएमसी, अलीगढ़			6.80	15.00	21.80
5.	हरियाणा	पीजीआईएमएस, रोहतक			17.75		17.75
		वर्ष वार योग	390.24	160.50	143.64	53.60	747.98

विवरण-III

केन्द्रीय तौर पर प्रायोजिक योजनाओं के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ बनाने/उन्नयन करने के लिए वित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा वित्त पोषित कॉलेजों की संख्या	पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	7	19.25
2.	बिहार	6	27.72
3.	ओडिशा	3	5.54
4.	असम	3	17.71
5	चंडीगढ़	1	17.09
6.	हिमाचल प्रदेश	1	5.44
7.	मध्य प्रदेश	4	26.91
8.	पंजाब	2	8.09
9.	राजस्थान	6	51.91
10.	उत्तराखंड	1	2.65
11.	केरल	2	21.455
12	पश्चिम बंगाल	8	37.81
13.	गोवा	1	3.83

1	2	3	4
14.	गुजरात	1	6.25
15.	त्रिपुरा	1	7.29
16.	छत्तीसगढ़	1	12.275
17.	महाराष्ट्र	11	129.57
18.	आंध्र प्रदेश	10	69.64
19.	जम्मू और कश्मीर	1	14.08
20	झारखंड	2	16.49
21.	तमिलनाडु	-	-
22.	हरियाणा	-	-
23.	दिल्ली	-	-
24.	कर्नाटक	-	-
	कुल	72	501.00

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध

3336. डॉ. भोला सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने बलात्कार के बढ़ते मामलों के संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में एनसीडब्ल्यू को उत्तर नहीं दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट मत राज्य सरकारों से नहीं मांगा गया। तथापि, राष्ट्रीय आयोग मीडिया रिपोर्टों सहित विभिन्न माध्यमों से आयोग को रिपोर्ट किए गए बलात्कार के अभिकथित मामलों को राज्य सरकारों सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाता है।

(ङ) सरकार महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों के निवारण को सर्वाधिक महत्ता देती है। तथापि, संविधान के तहत पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराधों सहित अपराधों का निवारण, उनका पता लगाना, उन्हें दर्ज करना, उनकी छानबीन करना और अभियोजन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है। भारत सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें समय-समय पर कहती रहती है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 04 सितम्बर, 2009 को एक व्यापक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की समस्या के निवारण के लिए तंत्र की कारगरता की व्यापक समीक्षा करने और कानून एवं व्यवस्था तंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त उपाय करने के लिए सलाह दी गई।

आतंकवाद में पाकिस्तान का शामिल होना

3337. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में की गयी आतंकवादी हरकतों में पाकिस्तान के शामिल होने के ठोस सबूत सरकार के पास हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन भू-भाग से संचालित आतंकवाद हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। स्पष्ट रूप से इस कारण से भारत ने पाकिस्तान से ठोस एवं बाध्यकारी वचनबद्धता मांगी है कि वह भारत के विरूद्ध लक्षित आतंकवादी गतिविधियों में सहायता करने तथा उकसाने के लिए तथा आतंकवादी गुटों को सुरक्षित ठिकाने प्रदान करने के लिए अपने भू-भाग तथा अपने नियंत्रणाधीन किसी भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। भारत ने अपने वार्ताकारों के समक्ष सदैव इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से भारत के विरूद्ध

आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रणाधीन भू-भाग के उपयोग की अनुमति न देने से संबंधित अपनी वचनबद्धता को पूरा करने की आवश्यकता है।

कार्यशील हवाई अड्डे

3338. **श्री अशोक कुमार रावतः** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि तक कार्यशील हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस इन सभी हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त हवाई अड्डों से उड़ानें प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारत के 101 प्रचालनिक हवाईअड्डे में जिनमें इंटरनेशनल सिविल एन्क्लेव, कस्टम हवाईअड्डे/ सिविल एन्क्लेव एवं ऐसे हवाईअड्डे शामिल है, जिनका प्रबंधन संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा निजी कंपनियों द्वारा किया है।

(ख) से (घ) इस समय 77 हवा हवाईड्डों के लिए/अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इन हवाईअड्डों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार विमान संपर्कता

क्र.सं.	राज्य	विमान संपर्कता वाले शहरों के नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, राजामुदरी, त्रिरूपति, विजयवाड़ा, विज़ाग
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	डिबरूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, तेजपुर
4.	बिहार	पटना, गया
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	गोवा
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वड़ोदरा
9.	हरियाणा	-
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू, शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोसी
12.	झारखण्ड	रांची
13.	कर्नाटक	बंगलौर, हुबली, मंगलौर
14.	केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम

1	2	3
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराओ
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पुणे
17.	मणिपुर	इम्फाल
18.	मेघालय	शिलांग
19.	मिजोरम	आइजोल
20.	नागालैण्ड	दीमापुर
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	चैन्ने, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, तुतीकोरिन
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
28.	उत्तरांचल	देहरादून
29.	पश्चिमी बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर
2.	लक्षद्वीप	अगाती
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
4.	दादरा और नगर हवेली	-
5.	दमन और दीव	दीव
6.	पुदुचेरी	-

विमानपत्तन 427. 36

हवाई अड्डों और हवाई सेवाओं का आधुनिकीकरण

3339. श्री गोपाल सिंह शेखावतः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशभर में हवाईअड्डों और हवाई सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सभी परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में तथा उक्त परियोजनाओं पर कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में हवाईअड्डों के लिए आरंभ की गई आधुनिकीकरण योजना के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) समर्पित परियोजना दल द्वारा निर्माण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। एक स्वतंत्र परियोजना मॉनीटरिंग और गुणता आश्वासन (पीएमक्यूए) विभाग की स्थापना की गई है, जो आवधिक स्थल निरीक्षणों के माध्यम से स्थल पर नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करता है और परियोजना के निष्पादन तथा इन्हें पूरा करने के लिए शीघ्र निपटाने में बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय बैठक में समीक्षा करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (रु. लाख में)	स्थिति	परियोजना के पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	**अमृतसर**			
	श्री गुरु रामदास जी, अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अमृतसर पर टैक्सी वे एफ से शुरू 34 रनवे तक सामानांतर टैक्सी-ट्रैक (पीटीटी) का निर्माण	149.94	कार्य प्रगति पर है	जून-13
2.	**बीकानेर**			
	टर्मिनल भवन एप्रन और कार पार्क का निर्माण	473.46	कार्य प्रगति पर है	अक्टूबर-12
3.	**भटिंडा**			
	भटिंडा में सिविल एन्क्लेव में एप्रेन और लिंक टैक्सी वे का निर्माण	637.82	पूर्ण (मार्च-12)	
	टर्मिनल भवन का निर्माण	237.07	कार्य प्रगति पर है	अगस्त-12
4.	**चंडीगढ़**			
	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (मोहाली की ओर) एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण	2973.00	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-12
	चंडीगढ़ हवाई अड्डा (मोहाली की ओर नए) नए अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का विकास (क) टर्मिनल	42227.00	कार्य प्रगति पर है	मार्च-15
5.	**जम्मू**			
	एप्रन का विस्तार और लिंक टैक्सी ट्रैक निर्माण	875.15	कार्य प्रगति पर है	सितंबर-12

1	2	3	4	5
6.	**जयपुर** जयपुर हवाईअड्डे पर कैट–I लाइटिंग सिस्टम के प्रावधान सहित बड़े आकार के जेट विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	7647.00	कार्य प्रगति पर है	अक्तूबर-13
7.	**जैसलमेर** टर्मिनल भवन सहित नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण	8100	कार्य प्रगति पर है	अक्तूबर-12
8.	**खजुराहो** नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (जोखिम और लागत)	5781	कार्य प्रगति पर है।	मार्च-13
पूर्वी क्षेत्र				
1.	**भुवनेश्वर** नए टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य	14554	कार्यप्रगति पर है	दिसंबर-12
2.	**पटना** पटना में जे.पी.एन.आई; हवाईअड्डा पर रनवे टैक्सी वे और एप्रन की रिकार्पेटिंग और सहायक कार्य	2308.34	पूर्ण (अगस्त-2011)	
3.	**पोर्टब्लेयर** वीएसआई हवाईअड्डा पोर्टब्लेयर पर इलैक्ट्रिकल कार्य तथा आंतरिक और बाह्य ईएल फायर फाइटिंग और फायर डिक्टेशन का निर्माण और कोस्ट गार्ड हेतु जीएलएफ कार्य सहित हेंगर एनेक्स भवन, एप्रन, लिंक टैक्सीवे और जीएसई क्षेत्र का निर्माण	525.10	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-12
4.	**रांची** रांची हवाईअड्डे पर तकनीकी ब्लॉक सहनियंत्रण टावर का निर्माण	1893.00	कार्य प्रगति पर है	अप्रैल-14
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
1.	**अगरतला**			
	नए एटीसी टावर का निर्माण	444.78	पूर्ण (मार्च-2009)	
	नियंत्रण टावर का निर्माण	967	पूर्ण (मई-2012)	
2.	**बागडोगरा**			
	टर्मिनल भवन का सिटी साइड विस्तार अन्य संबद्ध कार्य	320.00 (मार्च-2011)	पूर्ण	

1	2	3	4	5
3.	**गुवाहाटी**			
	एलीजीबीआई हवाईअड्डा गुवाहाटी पर हेंगरों का निर्माण	2316.27	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-13
4.	**शिलांग**			
	बारापानी हवाईअड्डा शिलांग पर नई अर्जित भूमि पर दीवार और चारदीवारी प्रदान करना	593.15	कार्य प्रगति पर है	मार्च-13
5.	**तेजू**			
	चारदीवारी का निर्माण	484.29	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-12
	रनवे और एप्रन का निर्माण	2865.92	कार्य प्रगति पर है	जून-13
	टर्मिनल भवन का निर्माण	4549.79	कार्य प्रगति पर हैं	मार्च-14
पश्चिम क्षेत्र				
1.	**गोवा**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	33000	कार्य प्रगति पर है	मार्च-13
2.	**गोंदिया**			
	रनवे सामानांतर टैक्सी ट्रैक, बांउड्री वॉल का विस्तार और सहायक कार्य	3448.86	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-12
	यात्री लाऊज के दूसरे मॉड्यूल का निर्माण	1240.90	पूर्ण (फरवरी-2012)	
3.	**जलगांव**			
	जलगांव हवाईअड्डे का विकास	6100.00	पूर्ण (दिसंबर-2011)	
4.	**पुणे**			
	पुणे हवाईअड्डा, पूणे पर हेंगरों तथा सीआईपी लाऊज सह प्रशासन ब्लॉक का निर्माण	2440	कार्य प्रगति पर है	जुलाई-13
	पुणे हवाईअड्डा, पुणे पर हेंगरों तथा सीआईपी लाऊज सह प्रशासन ब्लॉक का निर्माण	2440.00	कार्य प्रगति पर है	जुलाई-13
5.	**सूरत**			
	सूरत हवाईअड्डे पर टैक्सी ट्रैक से संयोजित आइसोलेशन बे का निर्माण	511	कार्य प्रगति पर है	अक्तूबर-12

1	2	3	4	5
6.	**वड़ोदरा**			
	वड़ोदरा हवाईअड्डे पर नए एक्सपेंडेबल मॉड्यूल एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	11597.00	कार्य प्रगति पर है	अक्तूबर-13
दक्षिणी क्षेत्र				
1.	**कुडप्पा**			
	कुडप्पा हवाईअड्डे पर नए प्री फेब्रिकेटेड टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन, नियंत्रण टावर का निर्माण और सहायक कार्य	1280.44	कार्य प्रगति पर है	दिसंबर-12
2.	**मंगलोर**			
	मंगलोर हवाईअड्डे पर एटीसी टावर तथा तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	1890	कार्य प्रगति पर है	मई-13
3.	**पुदुचेरी**			
	पांडिचेरी हवाईअड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन सब स्टेशन का निर्माण	1843.01	कार्य प्रगति पर है	अक्तूबर-12
4.	**तिरुपति**			
	तिरुपति हवाईअड्डे पर लिंक टैक्सी वे का निर्माण और संबद्ध कार्य	1279.81	पूर्ण (जून-2012)	
	तिरुपति हवाईअड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	14820.19	कार्य प्रगति पर है	मार्च-13

[अनुवाद] 3॥ हिन्दी 435-37

जनजातियों का निष्कासन

3340. श्री एल. राजगोपाल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने नोटिस किया है कि आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में 42वें बाघ संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के कारण 43 जनजातीय बसावटें विस्थापित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय के साथ कोई परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन जनजातीय बसावटों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ङ) जैसा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 2012 में वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत केवल बाघ रिजर्व, जिला आदिलाबाद को अधिसूचित किया है। कोर/महत्त्वपूर्ण बाघ आवास से गांव का पुनर्स्थापन 10 लाख रु. प्रति परिवार के बढ़े हुए पैकेज के साथ वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की निबंधन एवं शर्तों के तहत स्वेच्छा

के आधार पर किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसे राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

437-38

भेषज कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को प्रोत्साहन

3341. **श्री मनीष तिवारी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उन दवा कंपनियों की ओर आकृष्ट कराया गया है जो अपने उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न मौद्धिक एवं अमौद्धिक प्रोत्साहन डॉक्टरों को प्रदान करती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या दवा निर्माता कंपनियों की ऐसी प्रोत्साहक योजनाओं के कारण डॉक्टर रोगियों को बेजरूरत भी महंगी दवाओं का औषध निर्देश (प्रेसक्राइव) करने की ओर प्रवृत्त होते हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति से दवा कंपनियों की ऐसी हरकतों के विरुद्ध प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दवा कंपनियों के लिए अपनी वेबसाइटों पर यह जानकारी देना अनिवावर्य बनाने का है कि वे अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों पर कि कितना व्यय करते हैं जैसा कि अमरीका ने मरीज संरक्षण एवं वहनीय परिचर्या अधिनियम (पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट) बनाकर हाल में किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार ऐसी अनैतिक हरकतों के विरुद्ध निर्माता कंपनियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए एक निकाय के गठन करने का है या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत फार्मासुटिकल विभाग जो कि औषधि उत्पादन उद्योग के विकास और संवर्धन से संबंधित मामलों से संबंधित है, ने सूचित किया है कि हाल ही के समय में कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रोत्साहक व्ययों के बारे में अखबारों में कुछ रिपोर्टे आई थीं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में आए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने उपभोक्ताओं/रोगियों के हित में मामले को उठाने की आवश्यकता को महसूस किया क्योंकि ऐसे प्रोत्साहक खर्चों को डॉक्टरों पर व्ययों कर देने से औषधियों की कीमतों और उसकी वहनीयता पर सीधा असर पड़ता है। फार्मा एसोसिएशन/उद्योग से मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् फार्मासुटिकल विभाग ने एक फार्मासुटिकल विपणन प्रक्रिया का एक यूनिफार्म कोड स्वैच्छिक रूप से शुरूआत में ही अपनाया जाने के लिए तैयार किया है। यूसीपीएमपी को सभी स्टेकहोल्हरों से उनकी टिप्पणियों के लिए उनकी वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर डाला गया है। प्राप्त की गई टिप्पणियों की विभाग द्वारा जांच की गया है और यूसीपीएमपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 58 रिपोर्ट में सिफारिश की है कि फार्मासिटीकल विभाग को यूनिफार्म कोड बनाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भारी भरकम प्रोत्साहक खर्चों और दवाइयों की कीमतों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों के परिणामी प्रभाव पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

438-42

जल विद्युत परियोजनाएं

3342. **डॉ. मिर्जा महबूब बेग:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा चलायी जा रही विद्युत परियोजनाओं, पूरी की गयी परियोजनाओं तथा राज्यों को वापस सौंपी गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां एनएचपीसी ने परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद भी राज्य को नहीं सौंपा है;

(ग) क्या जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां परियोजनाओं की पूर्णता के बाद भी एनएचपीसी सहमत हुई समय-सीमा के बाद भी डटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उस राज्य को एनएचपीसी से अपनी विद्युत परियोजनाएं वापस प्राप्त करने में मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) अभी तक एनएचपीसी ने 5526 मे.वा. की कुल

स्थापित क्षमता (संयुक्त उद्यम परियोजनाओं सहित) की 15 जल विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, कुल 4271 मे.वा. क्षमता की नौ जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने भारत में डिपॉजिट आधार पर तीन परियोजनाएं पूरी की हैं जिनके नाम हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग (5.25 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश में सिप्पी (4 मे.वा.) और कामबांग (6 मेगावाट)।

एनएचपीसी द्वारा चालू की गई 15 जल विद्युत परियोजनाओं में से किसी को भी उसके पूरे होने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर सहित किसी भी राज्य को वापस सौंपा नहीं गया है क्योंकि, ये जल विद्युत परियोजनाएं एनएचपीसी को स्थापित करने, प्रचालित करने एवं इसके बाद अनुरक्षण करने हेतु दी गई हैं।

विवरण-I

प्रचालनाधीन एनएचपीसी विद्युत स्टेशन

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	बैरा सिऊल	हिमाचल प्रदेश	180
2.	लोकतक	मणिपुर	105
3.	सलाल	जम्मू और कश्मीर	690
4.	टनकपुर	उत्तराखंड	120
5.	चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	540
6.	उड़ी-I	जम्मू और कश्मीर	480
7.	रंगित	सिक्किम	60
8.	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	300
9.	धौलीगंगा-I	उत्तराखंड	280
10.	दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर	390
11.	तीस्ता-5	सिक्किम	510
12.	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	120
13.	चमेरा-III (हि.प्र.)	हिमाचल प्रदेश	231
संयुक्त उद्यम			
14.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी-जेवी)	मध्य प्रदेश	1000
15.	ओंकारेश्वर (एनएचडीसी-सेवी)	मध्य प्रदेश	520
		कुल	5526

विवरण-II

निर्माणाधीन एनएचपीसी परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
हिमाचल प्रदेश			
1.	पार्बती-II	800	निर्माणाधीन
2.	पार्बती-III	520	निर्माणाधीन
जम्मू और कश्मीर			
3.	निम्मू बाजगो	45	निर्माणाधीन
4.	चुटक*	44	निर्माणाधीन
5.	उड़ी-II	240	निर्माणाधीन
6.	किशनगंगा	330	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल			
7.	तीस्ता एलडीपी-4	160	निर्माणाधीन
8.	तीस्ता एलडीपी-III	132	निर्माणाधीन
अरुणाचल प्रदेश			
9.	सुबानसिरी लोअर	2000	निर्माणाधीन
	कुल	4271	

*आज की तारीख तक चुटक की कुल 4 यूनिटों में से 11 मेगावाट की 3 यूनिटों को सिंक्रोनाइज्ड किया जा चुका है।

बन्ध्यता के मामले

3343. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा कराए गए अध्ययन में पता चला है कि सन् 1981 से 2001 तक भारत में शिशुविहीन दंपत्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय चिकित्सा संघ ने सरकार से परिवार नियोजन नीतियों में बंध्यता को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे शामिल किए जाने से शिशुविहीन दंपत्ति को क्या लाभ हैं; और

(ङ) बंध्यता मामले में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जन स्वास्थ्य तथा मृत्यु दर अध्ययन विभाग, आईआईपीएस, मुंबई लेवल, पैटर्न एंड डिफ्रेन्शियल्स द्वारा "चाईल्डनेस एंड ईट्स कोसीक्वेंसिस इन इंडिया" नामक शीर्षक जोकि जनसंख्या विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन से पूर्णतया अवगत है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1981 में 15-49 आयु वर्ग की 13 प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिला शिशुविहीन है, जिसमें 2001 में लगभग 16 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य (एनईआरआरएच) अनुसंधान संस्थान मुंबई में आईसीएमआर संस्थान ने "प्रीवेंशन एंड मैनजमैंट ऑफ इनर्फर्टिलिटी इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम" नामक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें न सिर्फ शिशुविहन दंपत्तियों का प्रबंधन अपितु प्रजनन बढ़ाने तथा बांझपन को रोकने के लिए शामिल प्रयासों को भी शामिल किया गया है। दिशा-निर्देशों में बांझपन प्रबंधन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में बांझपन के नियंत्रण तथा प्रबंधन भी शामिल है। दिशा-निर्देशों को उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी स्वास्थ्य चौकियों तथा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए भी उपयोगी होने की आशा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की मरम्मत

3344. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में हवाई पट्टियों की मरम्मत/रख-रखाव के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मरम्मत कार्य किए जाने के बावजूद ये हवाई पट्टियां अभी भी बेहद खराब हालत में हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इन हवाई पट्टियों को निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किन नियमों के अंतर्गत पट्टे पर दिया गया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी/जानी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण I और II के अनुसार दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित हवाई पट्टियों को "कार्य मैनुअल" में विधिवत रूप से लिखित अनुरक्षण समय-सारणी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार नियमित मरम्मत की जाती हैं और प्रचालन हेतु सदैव फिट रखा जाता है।

(घ) इस मंत्रालय के पास ऐसा विवरण नहीं है कि क्या राज्य सरकारों ने अपने स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों को निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निजी कंपनी को कोई हवाईपट्टी पट्टे पर या अन्यथा नहीं दी है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए कोई टिप्पणी नहीं।

विवरण I

रनवे के मरम्मत/अनुरक्षण हेतु गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई निधि (संपूर्ण कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (लाख रूपये में)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	लखनऊ	
	वर्तमान एप्रन और टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण	1205
2.	लुधियाना	
	वर्तमान रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का पुन: सतहीकरण	980

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
1.	रांची	
	रनवे का पुनः सतहीकरण	1507
2	पटना	
	जे.पी.एन.आई हवाईअड्डा पटना पर रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का पुनः सतहीकरण और संबद्ध कार्य	2308.34
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1	अगरतला	
	एप्रन के सुदृढ़ीकरण सहित वर्तमान रनवे का सुदृढ़ीकरण	5566
2	डिब्रुगढ़	
	एप्रन के सुदृढ़ीकरण सहित वर्तमान रनवे, टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण	3953
पश्चिमी क्षेत्र		
1	गोंदिया	
	रनवे और समानांतर टैक्सी ट्रैक सुदृढ़ीकरण	3448.86
2	इंदौर	
	रनवे का सुदृढ़ीकरण	7900
दक्षिणी क्षेत्र		
1	अगाती	
	अगाती स्थित रनवे का सुदृढ़ीकरण	1126
2	कालीकट	
	रनवे का सुदृढ़ीकरण और संबद्ध कार्य	2700
3	तिरूपति	
	रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेसन बे, आदि का पुनः सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण	1730

विवरण-II

चालू वर्ष के दौरान रनवे मरम्मत/अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई निधि

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (लाख रू. में)	चालू वर्ष का व्यय
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	दिल्ली		
	एसएपी स्थिति रनवे का पुन: सतहीकरण	400	50
2.	जयपुर		
	जयपुर हवाईअड्डे पर कैट-II प्रकाश व्यवस्था के ई श्रेणी आई/सी प्रावधान के चौड़े आकार के जेट विमान के प्रचालन हेतु रनवे का विस्तारण और सुदृढ़ीकरण	7647	1000
	वर्तमान एप्रन/टैक्सीवे बी एण्ड सी का सुदृढ़ीकरण	750	50
3	कानपुर		
	सीए स्थित रनवे का पुन: सतहीकरण	650	10
4	खजुराहो		
	ए-310/बी-767 के अधिकतम टेक ऑफ भार हेतु 7500 फुट के वर्तमान रनवे का सुदृढ़ीकरण	1400	10
5	लखनऊ		
	रनवे का पुन: सतहीकरण	1000	1
पूर्वी क्षेत्र			
1	गया		
	वर्तमान रनवे का पुन: सतहीकरण	1500	1
2	झारसुगुड़ा		
	रनवे का पुन: सतहीकरण	1000	10
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र			
1	दीमापुर		
	रनवे का पुन: सतहीकरण प्रोफाइल सुधार	2900	50
2	सिल्चर		
	एबी 231 प्रचालन हेतु रनवे का सुदृढ़ीकरण	1600	10

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र			
1	अहमदाबाद		
	रनवे, टैक्सीवे और एप्रन को एबी-380 के अनुकूल बनाने के लिए रनवे का विस्तारण, पुन: सतहीकरण और संबद्ध कार्य	5000	1
दक्षिणी क्षेत्र			
1	राजामुंदरी		
	रनवे की मरम्मत और पुन: सतहीकरण	450	200
2	हैदराबाद		
	वर्तमान रनवे का सुदृढ़ीकरण और रनवे का विस्तार और नाले के ऊपर पुल का निर्माण	4900	5

[अनुवाद] ४४९-५०

अतुल्य भारत अभियानों में निगरानी तंत्र

3345. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अतुल्य भारत अभियानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए किसी निगरानी तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभियानों के अंतर्गत राशि के दुरुपयोग के पाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उक्त अभियानों पर उपर्युक्त राशि व्यय करने के बाद वांछित परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर चलाए जाने वाले क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 'इन्क्रेडिबल इंडिया' ब्रांड लाइन के अधीन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाता है। निविदा की अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए चयनित की गई निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से इन अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चलाया जाता है। क्रियाकलापों को पूरा करने और जारी किए गए प्रिंट विज्ञापन की टीयर शीट्स, टेलीविजन चैनलों से टेलीकास्ट प्रमाण पत्र, वेबसाइटों/पोर्टल से सर्वर प्रमाण पत्र आदि सजैसे क्रियाकलापों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ अभियान का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों से बीजकों की प्राप्ति पर ही अभियानों के लिए भुगतान किए जाते हैं। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा जारी कार्य आदेशों के अनुसार अभियानों में अपेक्षित क्रियाकलापों की जांच एवं प्रमाणन के पश्चात् ही निधियां जारी की जाती हैं।

घरेलू बाजार में सरकारी एजेंसियों, यथा, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) एवं भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के माध्यम से अभियान जारी किए जाते हैं और क्रियाकलापों के पूरा हो जाने पर एनएफडीसी तथा आईटीडीसी को भुगतान जारी कर दिया जाता है जबकि, डीएवीपी को भुगतान प्राधिकार पत्र (एलओए) द्वारा किया जाता है।

(ग) पूर्वोक्त अभियानों के संबंध में निधियों के दुरूपयोग का कोई भी मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

(घ) वर्ष 2002, जब इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन शुरू की गई थी, से वर्ष 2011 तक देश में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 2.38 मिलियन से बढ़कर 6.29 मिलियन (अनंतिम) हो गया है। इसी अवधि के दौरान विदेश मुद्रा आय (एफईई) 15064 करोड़ रुपये से बढ़कर 77591 करोड़ रुपए (अग्रिम आंकड़े) हो गई है। इसी अवधि के दौरान घरेलू यात्राएं 269.60 मिलियन से बढ़कर 850.86 मिलियन (अनंतिम) हो गई है।

[हिन्दी]

नेत्र-ऑपरेशनों हेतु सहायता-अनुदान

3346. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 30 मार्च, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित संस्थानों को प्रति ऑपरेशन प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की गई और इस संबंध में किए गए ऑपरेशनों की संख्या कितनी है तथा उक्त ऑपरेशन किस अवधि के दौरान किए गए थे;

(ख) क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशनों हेतु शिविरों की संख्या में काफी अंतर हैं चूंकि कुछ स्थानों पर बहुत से शिविर लगे और कुछ स्थानों पर इनकी संख्या प्राय: शून्य रही;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निधियों के संवितरण में प्रतीत होने वाली विसंगतियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सहायता-अनुदान के भुगतान में अनियमितताओं की जांच करके उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन अधिकार

3347. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को दिए गए विज्ञापन अधिकारों के माध्यम से विमानपत्तन-वार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) एएआई को बकाए के भुगतान के चूककर्ता एजेंसियों तथा ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चूककर्ता एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या इन एजेंसियों को विज्ञापन अधिकार देने में एएआई के अधिकारियों की संलिप्तता सरकार के नोटिस में आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बकाया राशि की नियमित आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है। विलंब होने पर बकाया राशि के बदले समायोजन हेतु जमानत राशि को भुनाने के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज वसूला जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। विज्ञापन संविदाएं खुली निविदाएं आमंत्रित कर दी जाती हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु हवाईअड्डा वार विज्ञापन अधिकारों से अर्जित राजस्व

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एयरपोर्ट के नाम	विज्ञापन अधिकारों से अर्जित वर्षवार राजस्व			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (तक 31.7.12)
1	2	3	4	5	6
1.	अमृतसर	346.36	379.76	402.10	105.33

1	2	3	4	5	6
2.	चंडीगढ़	119.40	128.30	242.40	80.27
3.	जयपुर	381.22	331.39	365.11	16.49
4.	जम्मू	459.33	512.97	547.42	241.82
5.	लखनऊ	364.28	404.07	580.93	199.42
6.	श्रीनगर	157.32	162.26	171.64	46.62
7.	उदयपुर	4.10	6.13	6.74	0.00
8.	वाराणसी	3.55	0.08	0.00	0.00
	उ.क्षे.	1835.56	1924.96	2316.34	689.95
9.	भुवनेश्वर	247.38	274.38	30933	131.56
10.	गया	0.00	0.38	0.00	0.00
11.	पटना	163.38	179.79	201.42	70.72
12.	पोर्टब्लेयर	8.78	10.23	9.06	2.81
13.	रांची	119.84	154.58	118.20	30.17
14.	रायपुर	135.89	216.48	235.87	76.56
	पु. क्षेत्र	675.27	835.84	873.88	311.82
15.	अहमदाबाद	737.42	858.35	944.10	492.41
16.	औरंगाबाद	13.62	9.52	4.81	3.58
17.	भावनगर	0.55	0.60	0.66	0.19
18.	बेलगांव	0.76	0.00	0.00	0.00
19.	भोपाल	35.98	83.12	97.09	0.00
20.	भुज	2.23	333	3.38	0.91
21.	गोवा	545.38	552.77	610.49	273.62
22.	इंदौर	54.58	46.65	44.13	0.00
23.	जामनगर	2.09	2.28	2.51	2.73
24.	जुहू	147.29	163.12	201.31	77.72
25.	मुंबई	63.07	27.69	24.87	9.35

1	2	3	4	5	6
26.	नागपुर		7.22	0.00	0.00
27.	पोरबंदर	0.39	0.36	0.00	0.00
28.	पुणे	717.21	781.98	1551.41	657.11
29.	राजकोट	9.84	9.61	3.52	1.51
30.	सूरत	1.77	4.89	1:73	0.00
31.	वाडोदरा	128.22	145.47	15.47	64.71
	प. क्षेत्र	2460.40	2696.96	3641.42	1583.84
32.	हुबली	9.461	10.49	7.68	2.30
33.	तिरूपति	59.54	77.45	75.76	28.66
34.	विजयवाड़ा	2.81	2.80	1.20	0.80
35.	कालीकट	87.46	96.21	105.83	46.48
36.	कोयम्बटूर	53.75	124.31	68.20	33.60
37.	मदुरै	57.87	37.84	58.34	25.85
38.	मंगलौर	49.28	34.95	57.491	25.95
39.	त्रिची	10.05	41.701	12.32	9.19
40.	त्रिवेन्द्रम	80.56	88.62	97.481	41.66
41.	विज़ाग	82.25	91.22	101.43	44.99
	द. क्षेत्र	493.03	606.01	585.73	259.48
42.	अगरतला	39.39	51.24	49.06	2.26
43.	बागडोगरा	42.26	15.37	40.19	5.54
44.	दीमापुर	5.19	12.30	13.03	3.49
45.	गुवाहाटी	71.25	104.82	208.99	18.48
46.	डिब्रूगढ़	7.43	6.68	9.54	5.31
47.	इम्फाल	14.62	5.31	6.41	1.91
48.	जोरहाट	2.79	0.94	3.23	1.03

1	2	3	4	5	6
49.	सिल्चर	4.16	7.89	15.97	0.73
50.	तेजपुर	0.00	0.00	0.56	0.00
	पूर्वोत्तर	177.09	204.55	346.98	38.75
51.	चेन्नै एयरपोर्ट	1957.67	2146.23	2017.70	678.01
52.	कोलकाता एयरपोर्ट	1743.33	1967.62	2145.13	768.38
	कुल	9342.35	10382.17	11927.18	4330.23

विवरण-II

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बकाया राशि के भुगतान में चूककर्ता एजेंसियों का विवरण और ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि, दिनांक 31.07.2012 को एजेंसीवार

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एजेंसियों के नाम	कुल
1.	त्रिमूर्ति पब्लिसिटी	10.25
2.	ओम प्रमोशन एंड एडवरटाइजिंग एजेंसी	9.44
3.	एबसोलूट 3डी विज़न	10.88
4.	साई एडटइजिर्स	60.52
5.	साइन साइट्स पब्लिसिटीज	17.10
6.	वाईडनर एड्स (इंडिया) लि.	7.38
7.	टीडीआई इंटरनेशनल इंडिया लि.	8333.62
8.	अशोक शर्मा एंड एसोसिएट्स	34.16
9.	छवि एडवटाइजिंग	153.19
10.	मीना एडवर्टाइजर्स	252.94
11.	ग्राफीसैड्स	232.93
12.	इन एंड आउट पब्लिसिटी	16.72
13.	संयज निट	67.49
14.	सिंधु होल्डिंग्स	18.79
15.	प्रियारोशिनी एड्स एंड ट्रांस	12.19
16.	विन एड्स एडवटाइजिंग	11.60
		9249.20

४५९

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन में बोली प्रक्रिया

3348. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के पहले चरण के लिए बोली प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो मिशन के पहले चरण के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरी तरह अव्यवहार्य बोली दरों के कारण कई परियोजनाएं जोखिमपूर्ण हो गई है तथा निधियन मुद्दों में उलझी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपायों की पहल की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के चरण-I हेतु 620 मेगावाट और 350 मेगावाट के दो बैंचों में बोली लगाई गई थी। बैच-I के तहत 130 मेगावाट क्षमता का उत्पादन शुरू किया गया है। बैच-I के तहत 470 मेगावाट क्षमता और बैच-II के तहत 350 मेगावाट की संपूण क्षमता पूरी करने हेतु क्रमश: मई, 2013 और फरवरी, 2013 तक का समय है। पात्रता की शर्तों का अनुपालन न होने के कारण बैच-I के तहत 10 मेगावाट क्षमता रद्द कर दी गई और शेष 10 मेगावाट निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की गई।

(ग) मंत्रालय को इस प्रकार के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

४५९-६४

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी दवा के संबंध में अनुसंधान

3349. श्री शरीफुद्दीन शारिक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय यूनानी दवा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य, उन पर किए गए व्यय तथा इसके परिणामस्वरूप हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यूनानी दवाओं में उपर्युक्त अनुसंधान गतिविधि करने के लिए सीसीआरयूएम की वैज्ञानिक परामर्श समिति (एसएसी) का कार्यकाल, संरचना तथा भूमिका क्या है;

(ग) क्या एसएसी के बगैर सीसीआरयूएम में जारी अनुसंधान कार्य की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित/सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	योजना	योजनेत्तर	कुल
2009-10	34.44	39.65	74.09
2010-11	39.30	35.20	74.51
2011-12	35.80	36.26	72.06
2012-13 (26.8.2012 तक)	26.79*	14.09	40.88

*इसमें सीआरआईयूएम, लखनऊ, हैदराबाद तथा आरआरआईयूएम, पटना के भवनों से पूंजीगत कार्य हेतु जारी 16.58 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(ख) वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) का कार्यकाल तीन वर्ष है। इसमें अन्य संबद्ध विषयों अर्थात् वनस्पति विज्ञान, रासायन विज्ञान, भेषजगुण और आधुनिक चिकित्सा में विशेषज्ञों के अलावा, यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ होते हैं। एसएसी संस्तुतकर्ता निकाय है। इसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ परिषद के कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करना, नई स्कीमों/परियोजनाओं पर विचार करना शामिल है।

(ग) से (ङ) एसएसी का पुनर्गठन किया गया है और इसे अधिसूचित कर दिया गया है। एसएसी विद्यमान न होने के दौरान परिषद को तकनीकी विशेषज्ञों/महानिदेशक द्वारा गठित समितियों ने तकनीकी मार्गदर्शन दिया।

विवरण

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद

किए गए अनुसंधान कार्य और प्राप्त उपलब्धियां

(गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान समेकित उपलब्धियां)

नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रम:

पूर्व-नैदानिक सुरक्षा मूल्यांकन अध्ययन:

- 18 औषधों पर जीर्ण और उप-जीर्ण अध्ययन पूरे किए गए।
- वर्ष 2012-13 हेतु आबंटित 8 औषधों पर जीर्ण विषाक्तता अध्ययन और 6 औषधों पर उप-जीर्ण विषाक्तता अध्ययन प्रगति पर हैं।

नैदानिक अध्ययन [अंतर्वर्ती अनुसंधान (आईएमआर)]

- 43 औषध योगों/उपचारों के साथ 22 रोगों पर नैदानिक अध्ययन किए गए।
- 7 रोग दशाओं में 15 औषधों (श्वेत दाग में 4, एक्जिमा/सोरायासिस में 2, साइनुसाइटिस में 3, गठिया में 3, संक्रामक हेपेटाइटिस में 2 और श्वसनी दमा में 1) पर अध्ययन पूरे किए गए।
- अनुसंधान अध्ययनों के आधार पर विकसित 13 औषधों को जनता की मांग के कारण परिषद के बाह्यरोगी विभाग में रोगियों को उपलब्ध कराया गया है, जब तक इन औषधों का पेटेंट प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और औषधों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग शुरू नहीं कर लिया जाता है।
- अनंतिम रूप से दायर किए गए पेटेंट: 12
- प्रदत्त पेटेंटों की संख्या: 08 (जीकल नफस (श्वसनी दमा), नजफुद्दम (रक्तस्राव-नकसीर), नजला (कटरा), हुम्मा (ज्वर), कब्ज (कब्ज) और वजा-उल-मफसिल (गठिया) [2], दीदान (कृमिरोग) सहित रोगों में)

विभिन्न रोग दशाओं में भेषज संहितागत/उत्कृष्ट औषधों का विधि मान्यकरण

- परिषद के 18 नैदानिक केंद्रों में वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न रोग दशाओं में 25 उत्कृष्ट औषधों की प्रभावकारिता का विधिमान्यकरण किया गया।

सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन

- विभिन्न रोग दशाओं में आधुनिक अस्पतालों के साथ मिलकर 6 सहयोगात्मक अध्ययन किये गए जैसे (i) वल्लभाई पटेल चेस्ट संस्थान दिल्ली में श्वसनी दमा, (ii) डेक्कन मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में ड्यूडेनल अल्सर, (iii) डेक्कन मेडिकल कॅलेज, हैदराबाद में वायरल हैपेटाइटिस, (iv) जामिया हममर्द, नई दिल्ली में गठिया, (v) जामिया हममर्द, नई दिल्ली में फुफ्फुसीय क्षयरोग में एटीटी के मुकबले सहायक चिकित्सा के रूप में यूननी औषध और (vi) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में सोरयासिस।
- उपरोक्त रोग दशाओं में कुल 8 औषधों के अध्ययन किए गए।

मौलिक अनुसंधान:

- रोगियों के मिजाज के संबंध में रोग अर्जित करने की संभाव्यता पर चरण-II अध्ययन जारी रहे। यूनानी मौलिक सिद्धांतों पर आधारित मिजाज के आकलन हेतु एक मानक प्रपत्र विकसित करने के उद्देश्य के साथ मौलिक अनुसंधान पर विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया।

यूनानी चिकित्सा की रेजिमेंटल थिरेपी का विधिमान्यकरण:

- विभिन्न मांसपेशी-कंकालीय विकारों में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, नई दिल्ली और श्रीनगर में रेजिमेंटल थिरेपी नामत: हजामत (कपिंग) का विधिमान्यकरण किया गया।

औषध मानकीकरण अनुसंधान कार्यक्रम:

- यूनानी औषध योग के विनिर्माण की विधि के साथ-साथ इनके भेषजसंहिता मानकों का विकास: 174 औषधों और 50 एकल यूनानी औषधों का मानकीकरण।
- यूनानी औषध योगों का गुणवत्ता नियंत्रण : 89
- भारतीय यूनानी भेषजसंहिता को प्रकाशित किया गया : 03 खंड
- राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा औषध संग्रह प्रकाशित किया गया: 01 खंड

औषधीय पादपों का सर्वेक्षण एवं कृषि कार्यक्रम:

- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर में वन क्षेत्रों के 28 मानव-वानस्पतिक सर्वेक्षण संचालित करते हुए 10423 से अधिक पादप नमूने और 1083 औषधीय लोक चिकित्सा दावे एकत्रित किए गए।

- विभिन्न केंद्रों में 9681 वानस्पतिक पत्रकों, 1322 औषध नमूनों और 1059 सूची पत्रों का अनुरक्षण किया गया।

- संस्थानों के जड़ी-बूटीय उद्यानों में 13 औषधीय पादपों/औषधों की प्रायोगिक कृषि की गई।

- औषधीय पादपों की कृषि और विपणन पर जागरूकता प्रशिक्षण के लिए 13 कृषक बैठकें आयोजित की गई।

- विभिन्न वन प्रभागों के औषधीय पादपों पर 3 मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए।

साहित्यिक अनुसंधान कार्यक्रम:

- 6 यूनानी उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों का उर्दू अनुवाद प्रकाशित किय गया और 42 अनुपलब्ध पुस्तकों का पुन: मुद्रण किया गया।

- 4028 संदर्भों वाला "नामक यूनानी चिकित्सा शब्दावली" नामक एक दस्तावेज संकलित करके मुद्रित किया गया (विश्व स्वास्थ्य संगठन वित्त पोषित परियोजना, 2011 के तहत)।

- भारतीय यूनानी भेषजसंहिता भाग-1, खंड-1 प्रकाशित किया गया।

- भारत में महत्त्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकालयों में यूनानी पांडुलिपियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण आयोजित किए गए और इन पांडुलिपियों का सूचीकरण किया गया।

- 24 महत्त्वपूर्ण यूनानी पांडुलिपियों का अंकीकरण पूरा किया गया।

- 48 रोगों के लिए यूनानी चिकित्सा के मानक उपचार दिशा-निर्देश संकलित किए गए।

- यूनानी भेजषजसंहिता और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा औषध संग्रह की ई-पुस्तिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अनुसंधान प्रकाशन:

- वैज्ञानिक पत्रिका 'हिप्पोक्रेटिक जर्नल ऑफ यूनानी मेडीसिन' में 171 शोध लेख और उर्दू पत्रिका 'जहान-ए-तिब्ब'' में 106 साहित्यिक लेख प्रकाशित किए गए।

- मोनोग्राफ, रिपोर्टों, प्रोफाइल, पत्रिकाओं आदि सहित 99 दस्तावेज प्रकाशित किये गए।

[हिन्दी]

नए सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा

3350. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नए सरकारी कर्मचारियों को सीजीएचएस स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं नहीं प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपने नए कर्मचारियों को स्वास्थ्यचर्या सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस समय नए सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इस योजना को उन नए कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है जो योजना के शुरू होने के बाद सरकारी सेवा में आए हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में अवैध प्रव्रजन

3351. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेशियों एवं अनिवासियों, गैर-जनजातीय के अवैध प्रव्रजन तथा जनजातियों के भूमि हस्तांतरण के कारण असम भूमि और राजस्व विनियम, 1886 के समय-समय पर यथासंशोधित

उपबंधों के अंतर्गत सृजित बेल्टों एवं ब्लॉक की शर्त एवं अस्तित्व खतरे में पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त भूमि को जनजातियों को पुनर्बहाल करने के लिए कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से असम में जनजातीय भूमि का हस्तांतरण विलगाव रोकने के लिए प्रभावी एवं कड़े कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) जैसा भू-संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया है, इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, बड़ी जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों ने जनजातीय भूमियों के अन्य हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि की पुनर्बहाली को बढ़ावा देने वाले भूमि सुरक्षा कानून अधिनियमित किए हैं। इसके अलावा, जनाजातीय भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित जनजातीय भूमि की पुनर्बहाली के लिए वैधापनिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय

3352. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उड्डयन विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए चिह्नित स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नागर विमानन संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

कैंसर मरीजों को दवाएं

3353. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कैंसर मरीजों को पिछले छह माह से अधिक समय से दवाएं नहीं दी जा रही हैं तथा उन्हें इसे बाजार से खरीदना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अस्पतालों में मरीजों को वितरित करने के लिए इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल ने सूचित किया है कि कैंसर के सभी रोगियों को सभी दवाइयों निःशुल्क सुलभ कराई जा रही हैं। दवाइयों की तात्कालिक अनुपलब्धता की स्थिति में रोगियों के लिए स्थानीय तौर पर मांग पत्र और उनकी स्थानीय खरीद होती है जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं।

[अनुवाद]

कोयला खदानों पर विमानपत्तनों के निर्माण

3354. श्री अधीर चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प. बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोयला खदान क्षेत्रों में विमानपत्तनों के निर्माण किए हैं/सरकार का ऐसा विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे स्थलों पर विमानपत्तनों के निर्माण के फलस्वरूप जान-माल को संभावित खतरे/जोखिम क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा वैकल्पिक स्थलों के चयन सहित उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का केवल आसनसोल एक ऐसा हवाई अड्डा है जो कि कोयला खदान बेल्ट में आता है। रनवे के नीचे कोयला खनन कार्यकलाप होने के कारण यह हवाईअड्डा 1970 से परित्यक्त पड़ा है।

तथापि, बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड (बीएपीएल), नामक एक निजी कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले में अंडाल, जो कि आसनमोल से 24 किमी. की दूरी पर है, पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण किया जा रहा है। यह स्थल दामोदर घाटी में स्थित है, जिसे कोयला भंडार के लिए जाना जाता है।

इस परियोजना की सिद्धांत रूप में मंजूरी दिनांक 03.012.2008 को इस शर्त पर ही दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड की आशंकाओं का समाधान करे।

पावर शेयरिंग

467-69

3355. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार को राज्यों के लिए विद्युत हिस्सेदारी संबंधी गाडगिल फार्मूले के अनुसार बिजली आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस फार्मूला का ब्यौरा क्या है तथा किन कारणों से बिहार को अन्य राज्यों के बराबर बिजली आवंटित नहीं की जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार सहित विद्युत संकट से जूझ रहे राज्यों को विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने क है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) वर्तमान में बिहार को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से 1835 मे.वा. तक का आबंटन किया गया है जोकि, पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने बाढ़ एसटीपीएस-II (1320 मे.वा.) से 50% विद्युत का आबंटन किया है।

लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का आबंटन, विद्युत के आबंटन के लिए बनाए गए फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे अप्रैल, 2000 से दिशानिर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात् 85% का वास्तविक आबंटन एवं अत्यावश्यक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटन हेतु 15% अनाबंटित विद्युत। वास्तविक आबंटन में, प्रभावित राज्यों के लिए 12% नि:शुल्क विद्युत तथा हाइड्रो पावर स्टेशनों के मामले में, स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% और थर्मल और न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशनों के मामले में, गृह राज्यों को 10% (नि:शुल्क नहीं) विद्युत शामिल हैं। शेष 72%/75% विद्युत का वितरण, केन्द्रीय आयोजना सहायता पद्धति और पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत दोनों कारकों को समान महत्त्व देते हुए, के अनुसार क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में वितरित किया जाता है। केन्द्रीय आयोजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें, राज्यों की जनसंख्या पर भी विचार किया जाता है। संयुक्त उद्यम के मामले में, समान अंशदान करने वाले राज्य अपने समान अंशदान के अनुरूप वास्तविक आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश उन उत्पादन स्टेशनों पर लागू होंगे, जिसके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात् वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली द्वारा किया जाएगा। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2011 में 50% विद्युत 'गृह' राज्य के लिए 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के स्तर पर निपटान हेतु तथा 35% उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्रीय आयोजना सहायता और ऊर्जा खपत के लिए समान महत्त्व देते हुए विद्युत के आबंटन पर वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर, आबंटन को अनुमोदित किया है। सरकार द्वारा इसी प्रकार के संवितरण जनवरी, 2011 में न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन की नई परियोजनाओं के संबंध में भी उपलब्ध करवाए गए थे।

(ग) और (घ) राज्य में विद्युत की मांग/आवश्यकता की पूर्ति उनके स्वयं के उत्पादन, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) में उनके हिस्से तथा विद्युत के आयात से की जाती है। इसलिए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों को उनके आबंटन के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति से उनकी आवश्यकता के एक हिस्से की पूर्ति होती है। सामान्यत: बिहार राज्य में उपलब्ध विद्युत के लगभग 95% की आपूर्ति सीजीएस द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा बिहार सहित देश

में समग्र विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में, उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर तथा गैस आधारित स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण में समन्वय स्थापित करना, देश में उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतरराज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्कों को सुदृढ़ करना और घरेलू कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करना, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण घरों तक विद्युत पहुंचाना शामिल है। केन्द्रीय क्षेत्र की कुल 3690 मे.वा. की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनसे 12वीं योजना के दौरान बिहार के हिस्से सहित 1447 मे.वा. का लाभ मिलने की संभावना है।

पर्यटन संबंधी समिति

3356. श्री शिवराम गौडा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास के संबंध में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ङ) देश में पर्यटन के विकास के साथ ही उद्योग संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों में शामिल अंतर-मंत्रालयीय मुद्दों के प्रस्ताव का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

इस समिति की पहली बैठक 19 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई। बैठक में विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा, आगमन पर पर्यटक वीजा, आतिथ्य शिक्षा को व्यापक बनाना इत्यादि मामलों के सुगमीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। पहली बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए दिनांक 13.08.2012 को इस समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, राज्यों और आतिथ्य क्षेत्र में उद्योग संघों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बिजली का अनाबंटित कोटा

3357. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने गुजरात के लिए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से बिजली का आबंटित कोटा कम किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कब तक मूल कोटा पुनर्बहाल किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की विद्युत में से गुजरात को दिया जाने वाला आबंटन जनवरी, 2011 से 31 मे.वा. से घटाकर "शून्य" कर दिया गया क्योंकि गुजरात राज्य विद्युत आपूर्ति की स्थिति के संबंध में अपेक्षाकृत बेहतर था और विद्युत निर्यात कर रहा था।

(ग) गुजरात सरकार से वर्ष 2012-13 के दौरान अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

एमएसएमई की परिभाषा

3358. श्री खगेन दास:
श्री पी. कुमार:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्यमों के लिए निर्धारित 5 करोड़ रुपए की कारबार सीमा को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित हैं। इस अधिनियम में संशोधन के लिए विभिन्न संघों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्लांट लोड फैक्टर 471-74

3359. श्री जी.एस. बासवराजः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मानसून में कम बारिश और कोयले की कमी को देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों प्रकार की प्रणालियों वाली सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनियों से प्लांट लोड फैक्टर को इष्टतम क्षमता तक सुधारने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन और लाभ दोनों में गिरावट देखी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके निष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ख) उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता का उपयोग विद्युत स्टेशन (अर्थात् ता/जल/न्यूक्लीयर) के प्रकार से जुड़ा होता है। यद्यपि, ताप और न्यूक्लीयर यूनिटों को निरंतर आधार भार यूनिटों के रूप में उपयोग किया जाना होता है, तथापि जल यूनिटों को जल की उपलब्धता/जलाशय स्तर पर निर्भर करते हुए उपयोग किया जाना होता है। इस प्रकार, संस्थापित क्षमता का उपयोग ताप (न्यूक्लियर सहित) उत्पादन यूनिटों पर प्रभावी रूप से लागू होता है और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के रूप में व्यक्त किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादन कंपनियों से उत्पादन सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादन की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके बाद समय-समय पर ताप विद्युत स्टेशनों के संयंत्र-भार घटक में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ मिश्रित कोयले की गुणवत्ता तथा विद्युत स्टेशनों को सुधारने, कोयले के उत्पादन को बढ़ाने, पिटहैड स्टाक को परिसमाप्त (लिक्वीडेट) करने और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की ई-नीलामी में कमी लाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसरण में कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में अन्तर्मंत्रालयी समूह द्वारा ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी और बातों के साथ-साथ कोयले की मांग और घरेलू स्रोतों से उसकी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयले के आयात पर बल दिया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के विद्युत संयंत्रों से होने वाले बिजली के उत्पादन में वर्ष 2009-10 में 14,720 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2010-11 में 16,380 मिलियन यूनिट तथा 2011-12 में बढ़कर 19,374 मिलियन यूनिट हो गई है।

गत तीन वर्षों के लिए डीवीसी के संबंध में विद्युत संबंधी प्रचालन लाभों और/कर के पश्चात् लाभ/हानि के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

	2008-09	2009-10	2010-11
विद्युत संबंधी प्रचालन लाभ	1957.72	1188.21	777.3
कर के पश्चात् लाभ/हानि	886.95	299.88	(120.23)

नोटः वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखा अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

यद्यपि डीवीसी ने डीवीसी अधिनियम, 1948 के अधिदेश के अनुसार वहन किए गए विभिन्न सामाजिक व्ययों पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त दर्शाया गया प्रचालन लाभ अर्जित किया है। तथापि, निवल वित्तीय परिणामों ने निम्नलिखित कारणों से कर/हानि के पश्चात् लाभ में कमी दर्शायी है।

(1) सहभागी सरकारों द्वारा पूंजीगत अंशदान पर ब्याज।

(2) जेएसईबी द्वारा देय लगभग 5000 करोड़ रुपए की भारी बकाया राशि के कारण लघु अवधि ऋण की मांग के कारण निवल परिणामों पर प्रभाव पड़ा है। जेएसईबी की बकाया राशियों के कारण लघु अवधि ऋण पर ब्याज के भुगतान में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(3) 10.6.2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभाव में आने के पश्चात् उत्पादन और अन्तराज्यीय पारेषण हेतु डीवीसी का टैरिफ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। सीईआरसी ने 1.4.2006 से 31.3.2009 तक टैरिफ के निर्धारण हेतु कुछ सामग्रियों पर व्यय की अनुमति नहीं दी थी। डीवीसी ने टैरिफ के संशोधन हेतु एपीटीईएल के आदेश के विरुद्ध 18.6.2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

(4) उच्च दर पर अनिर्धारित अंतर्परिवर्तन (यूआई) तंत्र के माध्यम से विद्युत के आयात के अनुबंधित दायित्वों को पूरा करना।

(5) सामाजिक समेकन कार्यक्रम (एसआईपी) पर व्यय

(6) डीवीसी के नए ताप विद्युत स्टेशनों की समस्याएं।

(7) कोयले की कमी; और

(8) बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई कार्यों से संबंधित हानि।

(ङ) अपने निष्पादन को सुधारने के लिए डीवीसी द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं–

(i) डीवीसी ने कुछ विवादित टैरिफ मामलों पर निर्णय के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल और माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने भारत सरकार की प्रतिभूतिकरण स्कीम के त्रिपक्षीय करार (टीपीए) के संबंध में झारखंड राज्य से केन्द्रीय योजना अंतरण के माध्यम से 1728 करोड़ रुपए (जनवरी, 2011 तक समाधान) की वसूली के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में कानूनी सलाह लेने के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है। यह मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है और इस मामले में उनकी राय की प्रतीक्षा है।

(iii) भारत सरकार ने डीवीसी द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान बॉन्ड्स जारी करने के लिए डीवीसी को 4,400 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है। डीवीसी द्वारा बांड्स जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान डीवीसी की 2,600 करोड़ रुपए की गारंटी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहमति दी है।

(iv) डीवीसी ने संयंत्र के निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित पहलें भी शुरू की हैं–

- ओ.एंड.एम. मामलों को समग्र रूप से निपटाने के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एंड.एम.) पहलों जैसे अंतर विश्लेषण/तकनीकी लेखा परीक्षा, ईष्टतम ओ व एम पद्धतियों का कार्यान्वयन और रोलिंग प्लान का कार्यान्वयन।
- बोकारो ताप विद्युत स्टेशन 'बी' (बीटीपीएस 'बी') (3×210 मेगावाट) और दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन (डीटीपीएस) यूनिट #3 एवं 4 के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को माध्यम से व्यापक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम), जीवन विस्तार (एलई) कार्यक्रम/ऊर्जा दक्षता।
- कोयले की कमी पर काबू पाने के लिए कोयले की खानों का विकास तथा कोयले का आयात।

[हिन्दी] ५७५-७८

अस्पताल/औषधालयों का निर्माण

3360. **श्री मकन सिंह सोलंकी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में दवाओं की खरीद, अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण और दवाओं की खरीद हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से अस्पतालों के निर्माण व औषधों के अधिप्रापण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रस्ताव और उन पर मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 में औषधों के अधिप्रापण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित व अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित कुल धनराशि	कुल अनुमोदित धनराशि
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	335	187
आंध्र प्रदेश	8579	3658
अरूणाचल प्रदेश	502	284
असम	25384	11618
बिहार	8684	8409
चंडीगढ़	206	109
छत्तीसगढ़	3658	893
दादरा और नगर हवेली	74	67
दमण और दीव	19	15
दिल्ली	2093	1739
गोवा	260	197
गुजरात	2367	2317
हरियाणा	2458	2265
हिमाचल प्रदेश	1471	489
जम्मू और कश्मीर	1770	968
झारखंड	4533	3548
कर्नाटक	7682	5657
केरल	1128	3122
लक्षद्वीप	19	3
मध्य प्रदेश	28070	8040
महाराष्ट्र	26677	19241
मणिपुर	721	409
मेघालय	1282	826
मिजोरम	555	523
नागालैंड	1187	793
ओडिशा	9415	5482
पुदुचेरी	419	252
पंजाब	7268	4788
राजस्थान	9258	5067
सिक्किम	178	225
तमिलनाडु	6315	7504
त्रिपुरा	819	633
उत्तर प्रदेश	13521	14148
उत्तराखंड	2124	665
पश्चिम बंगाल	28548	15888
कुल	207578	130026

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान अस्पतालों/औषधालयों के निर्माण के लिए प्रस्तावित व अनुमोदित राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित धनराशि	अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	674	272
2.	आंध्र प्रदेश	39858	31764
3.	अरूणाचल प्रदेश	1046	977
4.	असम	96962	35997
5.	बिहार	9556	9505
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	22459	13564
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दमण और दीव	4	4
10.	दिल्ली	10483	2991
11.	गोवा	674	570
12.	गुजरात	21376	14657
13.	हरियाणा	4682	4683
14.	हिमाचल प्रदेश	2331	810
15.	जम्मू और कश्मीर	9053	388
16.	झारखंड	5734	2473
17.	कर्नाटक	14809	13709
18.	केरल	10667	6767
19.	लक्षद्वीप	20	0
20.	मध्य प्रदेश	16652	10837
21.	महाराष्ट्र	54459	49504
22.	मणिपुर	2073	2067
23.	मेघालय	2465	2245
24.	मिजोरम	519	519
25.	नागालैंड	2330	78
26.	ओडिशा	28798	22169
27.	पुदुचेरी	63	53
28.	पंजाब	6168	3682
29.	राजस्थान	68048	24397
30.	सिक्किम	908	800
31.	तमिलनाडु	23438	22469
32.	त्रिपुरा	5378	3511
33.	उत्तर प्रदेश	124312	108012
34.	उत्तराखंड	1413	1443
35.	पश्चिम बंगाल	27413	18750
	कुल	614825	409666

[अनुवाद] 478 - 79

राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी)

3361. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में अवैध खनन रोकने हेतु राज्य समन्वय सह-अधिकारिता प्राप्त-समिति (एससीईसी) का गठन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन राज्यों ने ऐसी समितियां अभी तक गठित नहीं हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों कोई इस बात के लिए प्रेरित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि वे ऐसी समितियां शीघ्र गठित करें?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने अवैध खनन को नियंत्रित करने के उपायों सहित खनिज विकास एवं विनियमन से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच राज्य स्तर पर प्रयासों को समन्वित करने के लिए दिनांक 17.11.2011 के अ.शा. पत्र 7/69/2001-एम-IV के तहत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकार को संसूचित अपनी सिफारिशों को दोहराया है। अभी तक, सभी खनिज समृद्ध राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्य सरकारों ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों का गठन कर लिया है।

(घ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय समन्वय सह अधिकार प्राप्त समिति की नियमित रूप से होने वाली बैठकों में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों के गठन और उनके प्रकार्यों से संबंधित स्थिति की समीक्षा कर रही है।

[हिन्दी]

दवाओं की बिक्री

3362. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के निमित विनिर्दिष्ट दवाओं की बिक्री खुले बाजार में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दवाओं की बिक्री करने हेतु कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और ऐसी सरकारी दवाएं खरीदने वाली दवा की दुकानों तथा इन्हें बेचने वाले अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जहां तक दिल्ली स्थित तीन सरकारी अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय का संबंध है तो ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

सीजीएचएस के मामले में दिल्ली पुलिस ने, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, खुले बाजार में सीजीएचएस के मामले में दिल्ली पुलिस ने, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, खुले बाजार में सीजीएचएस की चुराई गई दवाओं को बेचने के आरोप में कुछ सीजीएचएस कर्मियों को गिरफ्तार किया है।

2009-सीजीएचएस औषधालयों के दो कर्मचारी श्री रेवती प्रसाद शर्मा, भेषजज्ञ/भंडारपाल और श्री मिथुन त्यागी, कंप्यूटर ऑपरेटर।

2010-शून्य

2011-सीजीएचएस के विभिन्न औषधालयों के पांच कर्मचारी: श्री अत्तर सिंह मस्तवाल, भेषजज्ञ/भंडारपाल, रवीन्द्र कुमार, भेषजज्ञ, कृष्ण कुमार, भेजषज्ञ, सुनील कुमार, भेषजज्ञ और बच्चा सिंह, ड्रेसर।

श्री मिथुन त्यागी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। श्री रेवती प्रसाद शर्मा के विरूद्ध विभागीय पूछताछ भी पूरी हो चुकी है और जुर्माना लगाया गया है। शेष पांच कर्मचारियों के मामले में नियमानुसार विभागीय जांच का गठन हो चुका है।

सीजीएचएस औषधालयों से दवाओं की चोरी को रोकने हेतु सभी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विस्तृत अनुदेश परिपत्र दिनांक 10.8.2011 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

एआईई का मुख्यालय स्थानांतरित किया जाना

3363. श्री चार्ल्स डिएस:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय एर्णाकुलम से मुंबई स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों का समय निर्धारण करने और किराया घटाने हेतु भविष्य में बेहतर योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया एक्सप्रेस सीधी, स्थल से स्थल आधार पर कुछ और प्रचालित करने के लिए शीतकालीन अनुसूची में परिवर्तन कर रही है। जहां पर भी संभव हो विमानों को रोजाना और बिना रुके उड़ाया जा रहा है। नए डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ानों की दुबारा समय-सारणी बनाई जा रही है। क्रू का इष्टतम उपयोग किए जाने के लिए कुछ विमानों को दिन के समय प्रचालित किया जा रहा है।

किरायों में कमी के संदर्भ में, एयर इंडिया एक्सप्रेस कम कीमत वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। कम लागत मॉडल को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस गत्यात्मक कीमत निर्धारण प्रणाली का अनुसरण करती हैं। किरायों के कई स्तर हैं, जो उड़ान विशेष पर बुकिंग की स्थिति, प्रस्थान करने की दिनांक के समय, मौसमी अनुकूलता आदि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। औसतन, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो किराए तय करती है, वह पूर्ण सेवा वाहकों के बाजार किरायों से 15-20 प्रतिशत कम होते हैं।

[हिन्दी] ५८१-

जाली पासपोर्ट और वीजा

3364. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रकाश में आए जाली पासपोर्ट और वीजा के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में संलिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों सहित कम्पनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा पासपोर्ट और वीजा से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय पासपोर्ट अथवा वीजा को डील नहीं कर रहा है। तथापि, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] ५८२-९८

ऑफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाएं

3365. श्री प्रेम दास राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ऑफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना ऑफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से सतत् ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थापित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऑफ-ग्रिड स्रोतों द्वारा विद्युत प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से घ) **विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत स्कीम**

सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत 11वीं योजनावधि के दौरान विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के लिए 540 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। डीडीजी उन गांवों जहां ग्रिड संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है या मूल्य प्रभावी नहीं है, के लिए बॉयोमास, बायो ईंधन, बायोगैस, लघु जल, सौर आदि जैसे परंपरागत या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। डीडीजी परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त होंगी। परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां या तो राज्य नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाले राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों (एसआरईजीए)/विभागों या राज्य यूटिलिटियों या चिह्नित सीपीएसयू होंगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को डीडीजी स्कीम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसी को सब्सिडी के रूप में कुल परियोजना लागत का 90% भाग प्रदान किया जाता है। शेष 10% भाग की व्यवस्था कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं की जा सकती है या किसी वित्तीय संस्थान या आरईसी से ऋण के रूप में लेकर की जा सकती है। अब तक, डीडीजी स्कीम के अंतर्गत 280.56 करोड़ रुपए की राशि के लिए 233 गांवों और 446 आवास स्थलों को शामिल करते हुए 283 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। मंजूरी की गई डीडीजी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत स्कीम

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास स्थानीय रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऑफ ग्रिड/विकेंद्रित विद्युत उत्पादन प्रणालियों के प्रयोग तथा व्यापक स्तर पर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही अनेक स्कीमें/कार्यक्रम हैं। इनमें सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां/संयंत्र, माइक्रो-जल संयंत्र, बॉयोमास, गैसीफायर, वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र वायु उत्पादक/हाइब्रिड प्रणालियां आदि शामिल हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत प्रणाली के प्रकार, प्रयोगकर्ता श्रेणी और क्षेत्र पर निर्भर करते हुए नवीकरणीय विद्युत उत्पादन प्रणालियों/संयंत्रों के उपयोग की लागत के लगभग 30% से 100% तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/सब्सिडियां प्रदान की जा रही हैं। प्रदान किए जा रहे सीएफए के स्तरों सहित इन स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया जाता है।

- एमएनआरई के आरवीई कार्यक्रम में उन गांवों जहां राज्य सरकारों द्वारा ग्रिड विस्तर को व्यवहार्य नहीं पाया गया है। उन दूरदराज के गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या वाले गांवों तथा विद्युतीकृत जनसंख्या वाले गांवों के गैर-विद्युतीकृत आवासों की प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत विद्युतीकरण शामिल है और इसलिए ये आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं थे। इन गांवों को विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था/विद्युत हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों में राज्य अधिसूचित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम को 31.3.2012 को पूरा किया गया। 11वीं योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6033 गांवों और आवासों को मंजूरी प्रदान की गई थी।

- एमएनआरई चालू भूसी, कॉर्न काब/स्टॉक, सूती स्टॉक, अरहर स्टॉक, छोटे लकड़ी के चिप आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि अवशिष्टों पर उपयोग करके बॉयोमास गैसीफायर प्रणालियों को प्रोत्साहित कर रहा है। अब तक, बिहार में लगभग 200 गांवों/आवास स्थलों/तोलों में स्थानीय वितरण नेटवर्क के माध्यम से विद्युत की पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए चावल की भूसी तथा अन्य कृषि उत्पादों का प्रयोग करते हुए 100% उत्पादक गैस इंजनों के साथ 32 कि.वा.घ. की 60 गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना की गई है।

- जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन (जेएनएनएसएम) (1.4.2010-31.3.2013) के प्रथम चरण के अंतर्गत ऑफ ग्रिड और पीवी प्रयोग के बराबर 200 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरे चरण (1.4.2013-31.3.2017) में ऑफ ग्रिड और फोटोवोल्टिक प्रयोगों के बराबर एक अन्य 800 मेगावाट पर विचार किया जा रहा है।

- देश में 31.3.2012 तक प्रयोग में लाई गई मुख्य प्रणालियां निम्नवत् हैं–

  - प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों अधिकतर सौर पीवी के साथ 9160 से अधिक गांवों/आवास स्थलों की व्यवस्था की गई है।

  - 70.39 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के बराबर 19 लाख से अधिक सौर व्यवस्था प्रणालियों और 7771 सौर पंपों तथा 19.82 मेगावाट की कुल क्षमता के स्टैंड एलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों की व्यवस्था की गई है।

  - बॉयोमास/सह-उत्पादन (गैर बैगासे) 382.50 मेगावाट ईक्यू

  - बॉयोमास गैसीफायर

  - ग्रामीण विद्युतीकरण: 16.12 मेगावाट ईक्यू

  - औद्योगिक प्रयोग: 134.08 मेगावाट ईक्यू

  - ऊर्जा संयंत्रों की अपशिष्ट सामग्री: 101.75 मेगावाट

  - वायु जेनरेटर/हाइब्रिड 1.64 मेगावाट

  - माइक्रो हाइडल सेट (100 कि.वा. तक) 3425 कि.वा.

  - वाटरमिल्स (1-5 कि.वा., औसत 2 मे.वा.)-2. 001/3394 कि.वा.

- 31.3.2012 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न ऑफ ग्रिड विद्युत प्रणालियों के माध्यम से स्थापित संचयी ऑफ ग्रिड विद्युत उत्पाद क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

डीडीजी-परियोजना-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	परियोजना का प्रकार	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि राशि (लाख रु. में)	वास्तविक स्वीकृति की तारीख	परियोजना क्रियान्वयन अवधि	शामिल गांव/डैम लेट	बीबीएल परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उत्तराखंड	उत्तराखंड रिन्यूबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी	माइक्रो हाइड में	1	टिहरी गढ़वाल में गंगी माइक्रो हाइडल परियोजना	274.35	27.07. 2010	24 माह	7	225
2	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीजीईडीसीएल)	हाइब्रिड (बायो डीजल + एसपीवी)	9	गोसाबा (डीपीआर-1)	699.29	30.12. 2010	14 माह	1	2613
			हाइब्रिड (बायो डीजल + एसपीवी)		गोसाबा (डीपीआर-2)	672	30.12. 2010		2	1405
			बायोमास ब्रिकेटेश फायर्ड बॉयलर टीजी सेट		गोसाबा (डीपीआर-3)	2172.52	24.12. 2010		7	4728
			बायोमास ब्रिकेटेश फायर्ड बॉयलर टीजी सेट		गोसाबा (डीपीआर-4)	2165.88	30.12. 2010		8	4271
			हाइब्रिड (बॉयोमास गैसीफायर + एसपीवी)		पाथरप्रतिमा (डीपीआर-5)	1695.26	24.12. 2010		5	2903
			हाइब्रिड (बॉयोमास गैसीफायर + एसपीवी)		पाथरप्रतिमा (डीपीआर-6)	1365.57	24.12. 2010		7	2360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			हाइब्रिड (बॉयोमास गैसीफायर + एसपीवी)		पाथरप्रतिमा (डीपीआर-7)	679.92	24.12. 2010		2	1057
			हाइब्रिड (बॉयोमास गैसीफायर + एसपीवी)		पाथरप्रतिमा (डीपीआर-8)	951.96	24.12. 2010		3	1864
			हाइब्रिड (बायो डीजल+ एसपीवी)		नमखाना (डीपीआर-9)	594.89	24.12. 2010		4	2075
	उप जोड़ (पं. बंगाल)			9		10997.29			39	23276
3.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रिन्यूबल एनर्जी	एसपीवी (09 परियोजनाएं)	9	कोरबा	294.34	31.03.11	6 उक्दजौ	18	346
		डेवलपमेंट एजेंसी	एसपीवी (10 परियोजनाएं)	10	सरगुजा	758.33	31.03.11	6 माह	32	1094
	उप जोड़ (छत्तीसगढ़)		19			1052.67			50	1440
4.	आंध्र प्रदेश	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एसपीवी (57 परियोजनाएं)	57	विशाखापट्टनम	1694.196	03.08. 2011	18 माह	57	2225
5.	उत्तर प्रदेश	दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	एसपीवी (7 परियोजनाएं)	7	हमीरपुर ललितपुर	323.72	22.12. 2011	15 माह	7	351
		मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	एसपीवी (14 परियोजनाएं)	14	बहराइच, लखीमपुर खीरी	3733.93			55	3060
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	एसपीवी (41 परियोजनाएं)	41	सोनभद्र	2351.97			41	1420
	उप जोड़ (उत्तर प्रदेश)		62			6409.61			103	4821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश उर्जा विद्युत निगम लिमिटेड	एसपीवी (48 परियोजनाएं)	48	सीधी, उमरिया, शहडोल एवं बालाघाट	2882.92	31.03. 2012	8 माह	170	3367
	आंध्र प्रदेश	नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनी लिमिटेड	एसपीवी (19 परियोजनाएं)	19	अदिलाबाद	413.27	31.03. 2012	18 माह	38	510
6.	बिहार	बिहार स्टेट हाइड्रेइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	41 परियोजनाएं बॉयोमास की हाइब्रिफ गैसीफायर है + एसपीवी और 7 परियोजनाएं केवल एसपीवी आधारित है।	48	गोपालगंज एवं कमूर	3784.64	31.03.2012	9 माह	175	10143
7.	आंध्र प्रदेश	नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एसपीवी (20 परियोजनाएं)	20	खम्मम	547.42	24.04. 2012	18 माह	40	765
			283 परियोजनाएं	283	अब तक कुल	28056.37			679	46772

*मॉनीटरिंग कमेटी ने 30.3.2012 को एकीकृत क्रियान्वयन एजेंसी को स्वीकृति पत्र 24.4.2012 को जारी किया गया था।

विवरण-II

विभिन्न ऑफ ग्रिड/विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदत्त केंद्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी

क्र.सं.	ऑफग्रिड/विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां	केंद्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडियां
1	2	3
1.	दूरदराज के गांवों का विद्युतीकरण दूरदराज के गैर- विद्युतीकृत जनसंख्या वाले गांवों/आवासों में घरों के लिए विद्युत उत्पादन/प्रकाश व्यवस्था हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां	विद्युत उत्पादन प्रणालियों को 90% प्रत्येक तकनीक के लिए पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि तथा 18000 प्रति घर की समुची सीमा के अधीन है। बीपीएल घरों के लिए एक ही सौर पीवी गृह प्रकाश व्यवस्था प्रणाली की 100% लागत।
2.	बॉयोमास गैसीफायर	ग्रामीण आवेदनों के लिए: 100% उत्पादक गैस-इंजन के साथ ग्रामीण स्तर के विद्युत उत्पादन के लिए 15 लाख रुपये/100 कि.वा. विशेष श्रेणी वाले राज्यों/द्वीप समूहों के लिए 20% अधिक सब्सिडी।

1	2	3
		औद्योगिक प्रयोग हेतु: ताप प्रयोगों के लिए 2 लाख रुपये/300 कि.वा. द्वि-ईंधन के साथ 215 लाख रुपये/100 कि.वा. 100% उत्पादक गैस ईंधन के साथ लाख रुपये/100 कि.वा. संस्थागत प्रयोगों हेतु 100% उत्पादक गैस इंजन के साथ 15 लाख रुपये/100 कि.वा.
3.	उद्योग में कैप्टिव प्रयोग हेतु गैर बैगासे सह-उत्पादन	अधिकतम 1 करोड़ रुपये/परियोजना के अधीन 20 लाख रुपये/मेगावाट (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% से अधिक)
4.	ऊर्जा हेतु शहरी अपशिष्ट	तकनीक स्तर पर निर्भर 20 लाख रुपये में 1 करोड़ रुपये/मेगावाट (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% अधिक)
5.	ऊर्जा संयंत्रों का औद्योगिक अपशिष्ट	तकनीक पर निर्भर 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये/मेगावाट (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% अधिक)
6.	सौर ऊर्जा प्रणालियां (फोटो वोल्टिक थर्मल)	0.81 लाख रुपये/कि.वा.घं. तथा 6% ब्याजधारक ऋणों तक सीमित 30% परियोजना लागत। विशेष श्रेणी के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वीप समूह तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिलों में सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संस्थापित संयंत्रों के लिए 2.43 लाख रुपये/कि.वा.घं. तक सीमित परियोजना लागत का 90% है।
7.	स्माल एयरो-जेनरेटर्स और हाइब्रिड प्रणालियां	व्यावसायिक लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 1 लाख रुपये/कि.वा.घं. तथा गैर-व्यावसायिक लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 1.5 लाख रुपये/कि.वा.घं.। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर में परियोजनाओं के लिए 2.25 लाभ रुपये प्रति कि.वा.
8.	माइक्रो जल संयंत्र/वॉटर मिल्स	मशीनी प्रयोग के लिए 0.35 लाख रुपये प्रति वाटरगिल्स वैद्युत प्रयोग के लिए 1.1 लाख रुपये प्रति वाटर मिल।

विवरण-III

ऑफ ग्रिड/विकेंद्रीकृत एसपीवी सिस्टमों की राज्यवार संचयी स्थापना (31.3.2012)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	फोटोवोल्टिक सिस्टम				
		लालटेन	गृह प्रकाश	गैसी प्रकाश	पम्प	विद्युत संयंत्र
		संख्या				कि.वा.घं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6296	405	358	5	167

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	38544	2055	4186	613	731.1
3.	अरुणाचल प्रदेश	14433	10349	1071	18	17.1
4.	असम	1211	0	98	45	210
5.	बिहार	50117	6528	955	139	775.6
6.	चंडीगढ़	1675	275	898	12	0
7.	छत्तीसगढ़	3311	7254	2042	230	4576.72
8.	दिल्ली	4807	0	301	90	82
9.	गोवा	1065	362	707	15	1.72
10.	गुजरात	31603	9231	2004	85	374.6
11.	हरियाणा	93853	50239	22018	469	676.05
12.	हिमाचल प्रदेश	23909	22586	7430	6	201.5
13.	जम्मू और कश्मीर	43822	42133	5806	39	308.85
14.	झारखंड	16374	7312	620	0	235.9
15.	कर्नाटक	7334	42355	2694	551	254.41
16.	केरल	54367	32326	1735	810	57.7
17.	लक्षद्वीप	5289	0	1725	0	100
18.	मध्य प्रदेश	9444	3304	7158	87	57.5
19.	महाराष्ट्र	68683	3440	8420	239	913.7
20.	मणिपुर	4787	3865	928	40	148
21.	मेघालय	24875	7840	1273	19	50.5
22.	मिजोरम	8331	5395	431	37	109
23.	नागालैंड	6317	868	271	3	144
24.	ओडिशा	9882	5156	5834	56	84.515
25.	पुदुचेरी	1637	25	417	21	0
26.	पंजाब	17495	8620	5354	1857	181

1	2	3	4	5	6	7
27.	राजस्थान	4716	117662	6852	656	3530.8
28.	सिक्किम	5840	9030	474	0	29.7
29.	तमिलनाडु	16818	7575	6350	829	150
30.	त्रिपुरा	64282	32723	1199	151	35
31.	उत्तर प्रदेश	61905	174022	100406	575	2983.72
32.	उत्तराखंड	64023	91307	8568	26	180.03
33.	पश्चिम बंगाल	17662	133365	8726	48	811
34.	अन्य	125797	24047	9150	0	1124
	कुल	910504	861654	226459	7771	19820.215
	वैटेज	9105040	32098388	16757966	12433600	19820215
			70394994			

31.3.2012 के अनुसार ऑफ ग्रिड/रिन्यूबल एनर्जी सिस्टमों/उपकरणों की राज्यवार संचयी स्थापना

क्र.सं.	राज्य/यूटी	बॉयोमास गैसीफायर		बायोमास (नॉन बीगैश)	कचरे से ऊर्जा	वायु से हाइब्रिड सिस्टिम	वाटरमिल्स से		माइक्रो हाइडेल	दूरस्थ गांव विद्युतीकरण	
		औद्योगिक (कि.वा.)	ग्रामीण (कि.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(कि.वा.)	संख्या	कि.वा.	(कि.वा.)	गांव (संख्या)	हेमलेट (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	20514		45.10	8.71	16.00					
2.	अरुणाचल प्रदेश		750			6.80			2500	297	13
3.	असम	1883				6.00				1856	
4.	बिहार	5434	3826	3.20							
5.	छत्तीसगढ़	1210		2.50	0.33					568	
6.	गोवा					163.80					
7.	गुजरात	19780	1450		14.43	10.00				38	
8.	हरियाणा	1963		20.95	4.00	10.00					286
9.	हिमाचल प्रदेश		7.20						21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू और कश्मीर	200				15.80	50	100		160	
11.	झारखंड	500		1.20						493	
12.	कर्नाटक	6297	1150	7.15	4.40	39.20	528	528		16	14
13.	केरल			0.72		8.00					607
14.	मध्य प्रदेश	8147	761	12.35	0.11	24.00				381	
15.	महाराष्ट्र	7150		8.40	13.83	1033.90				338	
16.	मणिपुर					110.00			25	237	3
17.	मेघालय	250		13.80		15.00				149	
18.	मिजोरम		250							20	
19.	नागालैंड		2100				246	492		11	
20.	ओडिशा	270		2.47	0.02					602	
21.	पंजाब			70.74	1.81	50.00					
22.	राजस्थान	2431	33	2.00	3.00	14.00				292	
23.	सिक्किम					15.50					13
24.	तमिलनाडु	9590	2172	13.15	10.04	24.50	80	80			101
25.	त्रिपुरा		1050			2.00				60	715
26.	उत्तर प्रदेश	22650	880	137.80	37.06					98	86
27.	उत्तराखंड	1100		19.50	4.02	4.00	1097	2194	900	472	34
28.	पश्चिम बंगाल	24718	1450	14.27		74.00				1177	2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह										
30.	चंडीगढ़										
31.	दादरा और नगर हवेली										
32.	दमन और दीव										
33.	दिल्ली										
34.	लक्षद्वीप		250								
35.	पुदुचेरी					5.00					
36.	अन्य										
	कुल	134087	16122	382.50	101.76	1647.50	2001	3394	3425	7286	1874

मे.गा. = मेगावाट, के.डब्ल्यू = किलोवाट, एनओएस = संख्या

विमान 499-500

खाड़ी देशों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें

3366. **श्री पी.टी. थामस:**
श्री पी. करूणाकरन:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इसकी अनुषंगी विमान कंपनियों ने खाड़ी क्षेत्र से केरल के लिए यात्री उड़ानों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र से केरल के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है तथा उन निजी विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें खाड़ी देशों में उड़ान की अनुमति प्राप्त है; और

(ङ) विशेषकर त्यौहार/छुट्टियों के समय खाड़ी-केरल क्षेत्र हेतु और अधिक उड़ानें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): अपने पायलटों के एक वर्ग के विरोध प्रदर्शन की वजह से, एयर इंडिया केरल-खाड़ी मार्ग पर 07.05.2012 से अपनी सेवाओं में कटौती करके 45 उड़ानें प्रति सप्ताह से 42 उड़ानें सप्ताह करने पर बाध्य हुई। इसी प्रकार एयर इंडिया एक्सप्रैस भी केरल-खाड़ी मार्ग पर अपनी कुछ सेवाओं में कटौती करने पर बाध्य थी। ग्रीष्म 2012 अनुसूची के अनुसार, केरल-खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया एक्सप्रैस की प्रति सप्ताह 77 उड़ानें थीं, जिनमें 20% की कमी की गई। तथापि, रद्द/पुनर्सरंचित उड़ानों के यात्रियों को, उनकी इच्छानुसार, एयर इंडिया/एयर इंडिया एक्सप्रैस की अन्य उड़ानों में समायोजित किया गया अथवा उन्हें पूर्ण धन वापसी कर दी गई।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदनों को एयर इंडिया के विचारार्थ भेजा गया। अपने पायलटों द्वारा हड़ताल वापस ले लिए जाने के बाद, एयर इंडिया फिलहाल अपने नेटवर्क की उन उड़ानों/मार्गों की पुन: बहाली करने की प्रक्रिया में है, जिनमें पायलटों की हड़ताल की वजह से कटौती की गई/पुनर्संरचना की गई।

(ङ) वर्तमान में, एयर इंडिया के पास खाड़ी-केरल मार्ग पर त्यौहार/अवकाश के सीजन के दौरान अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित करने लायक संसाधन नहीं हैं। व्यस्तम सीजन को देखते हुए, एयर इंडिया एक्सप्रैस सर्वाधिक मांग वाले दिनों में प्रति सप्ताह 77 उड़ानें प्रचालित कर रही है। दिनांक 17.09.2012 से, एयर इंडिया संपूर्ण ग्रीष्म अनुसूची को पुन: बहाल कर देगी और अतिरिक्त उड़ानें भी जोड़ेगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रैस के अतिरिक्त, केरल-खाड़ी मार्ग पर इंडिगो प्रति सप्ताह 7 उड़ानें और जेट एयरवेज प्रति सप्ताह 35 उड़ानें प्रचालित कर रही हैं।

500-02

फास्ट फूड में नमक और चीनी घटक

3367. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उन कतिपय रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें यह बताया गया है कि जंक फूड, जिसमें नमक और चीनी घटक की मात्र अधिक होती है, भारतीयों में हाईपरटेंशन और मोटापा बढ़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में वयस्कों द्वारा प्रतिदिन औसत कितनी मात्रा में नमक और चीनी का उपभोग किया जाता है और इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नमक और चीनी के उपभोग को कम करने और इस मुद्दे को खाद्य उद्योग के समक्ष उठाने हेतु प्रभावी नीतियां बनाने का है ताकि देश में फास्ट फूड में नमक और चीनी के प्रयोग को विनियमित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) मोटापे व अधिक भार का मूल कारण उपयोग की गई केलोरियों और खर्च की गई केलोरियों में ऊर्जा का असंतुलन है। अधिक भार और मोटापे में वैश्विक वृद्धि के कई घटक उत्तरदायी हैं जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- ऊर्जा सघन खाद्य पदार्थों जिनमें वसा और चीनी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन, खनिज व अन्य सूक्ष्म पोषक कम मात्रा में होते हैं, के खाने में हुई वृद्धि के लिए आहार में वैश्विक परिवर्तन, और
- कई रूपों के कार्य में बैठे रहने की बढ़ती हुई प्रकृति के कारण शारीरिक कार्यकरण कम होने की प्रवृत्ति, परिवहन के बदलते हुए तरीके और बढ़ता हुआ शहरीकरण।

भारत सरकार ने गैर-संचारी रोगों के बढ़ते हुए रुझान का सामना करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 21 राज्यों में 100 चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग व अभिघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है।

(ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपेक्षित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय पौषणिक मानीटरिंग ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण व आदिवासी जनसंख्या 6-7 ग्रा./प्रतिदिन/वयस्क व्यक्ति की दर से नमक का उपयोग कर रही थी जबकि चीनी का उपयोग 15 ग्राम प्रतिदिन/व्यस्क की दर से था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वस्थ आहार और शारीरिक कार्यकलापों के बारे में दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्ति को नमक खाने की मात्रा को 5 ग्राम/प्रतिदिन तक सीमित करना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की भारतीयों के लिए आहारीय दिशानिर्देशों के अनुसार नमक खाने की मात्रा को 6 ग्राम/प्रतिदिन तक सीमित किया जाना चाहिए और चीनी खाने की मात्रा 30 ग्राम/प्रतिदिन से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1230.90 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से एक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और अभिघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। यह कार्यक्रम अन्य बातों के साथ-साथ स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को दिए गए प्रमुख संदेश इस प्रकार है:–

- स्वस्थ खाद्य पदार्थों (अधिक सब्जियों, फलों, मिश्रित कार्बोहाइड्रेट्स और नमक, चीनी, वसा कम) के खाने की मात्रा बढ़ाना।
- खेलों, व्यायाम इत्यादि के माध्यम से शारीरिक कार्यकलाप बढ़ाना।
- तंबाकू और शराब का सेवन न करना।
- तनाव नियंत्रण/उपचार
- कैंसर के चेतावनी संकेत आदि।

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डील किए जाने वाले खाद्य विनियमों के भाग के रूप में पहले से ही डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर पोषण का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

कारीगर कल्याण निधि न्यास

3368. श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री यशवंत लागुरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कारीगर कल्याण निधि न्यास (एडब्ल्यूएफटी) द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एडब्ल्यूएफटी के अंतर्गत कितने कारीगर शामिल किए गए हैं तथा देश में कारीगरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा सभी कारीगरों को एडब्ल्यूएफटी के अंतर्गत शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को एडब्ल्यूएफटी के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) कारीगर कल्याण निधियां (एडब्ल्यूएफ) कारीगरों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है और उनका प्रबंधन कारीगर कल्याण निधि न्यास (एडब्ल्यूएफटी)

के माध्यम से किया जाता है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केचीआईसी) और राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) में पंजीकृत खादी संस्थानों को कारीगरों की मजदूरी के 12 प्रतिशत का योगदान एडब्ल्यूएफ में करना अपेक्षित होता है। किसी कारीगर की मृत्यु की स्थिति में, उनके नामे जमा पूरी राशि का भुगतान उनके कानूनों वारिस या नामिति को किया जाता है। कम से कम एक वर्ष तक निधि में योगदान करने वाला कारीगर विभिन्न प्रकार के खर्चों जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सकीय उपचार, घर खरीदने, उपस्कर खरीदने, बच्चे के जन्म, उत्सवों पर खादी खरीदने, मृत्यु संस्कारों, आदि के लिए अपने नाम पर जमा पूरी राशि निकाल सकता है।

(ख) एडब्ल्यूएफटी और उसमें शामिल किए गए कारीगरों की राज्य वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी "ए+", "ए", "बी" और "सी" श्रेणी के खादी व पोलिवस्त्र उत्पादक संस्थानों के लिए एडब्ल्यूएफटी की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई है।

(घ) और (ङ) एडब्ल्यूएफटी के संचालन के संबंध में मंत्रालय को किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केवीआईसी में प्राप्त शिकायतों को निपटारा केवीआईसी द्वारा सतत् आधार पर सामान्य क्रम में किया जाता है।

विवरण

एडब्ल्यूएफटी की राज्यवार संख्या और शामिल किए गए कारीगर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एडब्ल्यूएफटी की संख्या	एडब्ल्यूएफटी द्वारा शामिल किए गए कारीगरों की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	1	7025
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1496
3.	पंजाब	1	7512
4.	चंडीगढ़		पंजाब के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
5.	उत्तराखंड	1	9737
6.	हरियाणा	1	27188
7.	दिल्ली		मेरठ क्षेत्र (उ.प्र.) के एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
8.	राजस्थान	1	15477
9.	उत्तर प्रदेश	2	120234
10.	बिहार	1	5882
11.	सिक्किम		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
12.	अरुणालच प्रदेश		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
13.	नागालैंड		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
14.	मणिपुर		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए

1	2	3	4
15.	मिजोरम		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
16.	त्रिपुरा		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
17.	मेघालय		असम के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
18.	असम	1	3439
19.	पश्चिम बंगाल	1	17487
20.	झारखंड	1	1894
21.	ओडिशा	1	2217
22.	छत्तीसगढ़	1	3472
23.	मध्य प्रदेश	1	576
24.	गुजरात*	1	9422
25.	महाराष्ट्र**	1	978
26.	आंध्र प्रदेश	1	7130
27.	कर्नाटक	1	13634
28.	गोवा	-	-
29.	लक्षद्वीप	-	-
30.	केरल	1	9445
31.	तमिलनाडु	1	10031
32.	पुदुचेरी		तमिलनाडु के लिए एडब्ल्यूएफटी के तहत शामिल किए गए
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
	कुल	21	274276

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

[हिन्दी] 505-07

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद्

3369. **श्री हरीश चौधरी:**
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् (एन.टी.ए.सी) का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों के सहित तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी संरचना क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित हुई इसकी बैठकों के ब्यौरों सहित बैठक आयोजित करने के नियमों का ब्यौरा क्या है और इनमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(ङ) इस परिषद् द्वारा देश में पर्यटन के विकास में किस तरह सहायता प्रदान करने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) पर्यटन संबंधी विभिन्न मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए पर्यटन प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में नवम्बर, 2002 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एन.टी.ए.सी.) का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद फरवरी 2005, मार्च 2008 और जनवरी, 2011 में पुनः गठित की गई थी। इस परिषद में मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी, उद्योग और व्यापार संघों के अध्यक्ष तथा यात्रा और पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति शामिल होते हैं।

(ग) से (ङ) एन.टी.ए.सी. बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है। जनवरी, 2010 से तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, अंतिम दिनांक 19.06.2012 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में एन.टी.ए.सी. ने संवर्धन एवं प्रचार, पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा, वीजा जारी करने में देरी, पर्यटन क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास सहित देश में आवधिक अंतराल पर बुलाई गई इन बैठकों में सदस्यों ने अपने सुझाव दिए जिन पर मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

एन.टी.ए.सी. की बैठकों में हुए विचार-विमर्शों ने देश में पर्यटन के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को परिमार्जित करने में पर्यटन मंत्रालय की सहायता की। 507-08

ताप विद्युत परियोजनाएं

3370. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु अध्ययन कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड में स्थापित की जाने वाली उन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार के विचाराधीन हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी.वेणुगोपाल): (क) से (ग) ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन विकासकर्त्ताओं द्वारा किये जाते हैं। तथापि, अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के संबंध में, राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा परियोजना स्थल की पहचान की जाती है। विकासकर्त्ता का चयन के लिए अध्ययन/अन्वेषण तथ टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया परियोजना विशेष एसपीवी कंपनी द्वारा किया जाता है।

झारखंड में तिलैया स्थित, एक अल्ट्रामेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड किया गया है जिसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड सरकार ने झारखंड के देवघर जिले में दूसरी अल्ट्रामेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) का प्रस्ताव किया है। झारखंड में दूसरी अल्ट्रामेगा पावर परियोजना(यूएमपीपी) स्थल की पहचान व अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। झारखंड में दूसरी यूएमपीपी के लिए विकासकर्ता का चयन अध्ययनों/अन्वेषणों के पूरा होने के बाद टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर किया जाएगा।

[अनुवाद] 508-09

औषधीय पौधों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3371. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने का है ताकि किसानों को ऐसे पौधों की व्यापक पैमाने पर खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने खुले बाजार में औषधीय पौधों का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में गवर्नमेंट्स मेडिसिनल प्लांट फॉर्म्स और हर्बल मेडीसिन कॉपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से औषधीय पौधों की खरीद करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और कौन-से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के

प्रावधान के अनुसार, 'लघु वन उत्पाद' में बांस, झांड़-झंखाड़, ठूंठ, बेंत, टसर, कोया, शहद, गोंद, लाख, तेंदू या तेंदू पत्ते चिकित्सीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, केंदमूल इत्यादि जैसे मूल पौधे के सभी गैर-इमारती लड़की के वन उत्पाद शामिल हैं। तथापि, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), मूल्य संवर्धन तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन वे पहलुओं को देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. टी.हक. समिति ने लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के आधार पर एमएफपी के लिए एमएसपी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की जानी है। इन सिफारिशों के आधार पर और एमएफपी संग्रहकर्ताओं को लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए एमएफपी के लिए एमएसपी की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना भी तैयार की गई है, ऐसी योजना के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) यहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है राज्य सरकारों से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है।

509-61

आयुष औषधियों हेतु केन्द्रीय औषधि नियंत्रक

3372. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुष औषधियों हेतु एक केन्द्रीय औषधि नियंत्रक स्थापित करने का है ताकि इन दवाओं की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित किए जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रस्तावित/आबंटित की गयी है तथा आयुष हेतु केन्द्रीय औषधि नियंत्रक के कार्यालय के संचालन हेतु कितने नियमित, ठेके के और आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं/प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी नई पेटेंटकृत हर्बल औषधियों के लिए उन्हें बाजार में लाए जाने से पूर्व मानव परीक्षण किया जाना बाध्यकारी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आयुष औषधियों की गुणवत्ता और मानकीकरण हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ताकि विदेशों में इन औषधियों की स्वीकार्यता और इनके निर्यात का बढ़ावा दिया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। आयुष विभाग ने भारत के अपर औषध महा-नियंत्रक (आयुष) की अध्यक्षता में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषध नियंत्रक का कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने प्रस्तावित केंद्रीय औषध नियंत्रक (आयुष) के कार्यकाल में 25 नियमित और 15 अनुबंधित/बाह्य संसाधनकृत पदों सहित 40 पदों के सृजन तथा राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं में 330 वैज्ञानिक सहायक कार्मिकों की नियुक्ति हेतु 4 अक्तूबर, 2010 को प्रस्ताव अनुमोदित किया था। अपेक्षित पदों के सृजन के मामले की व्यय विभाग के परामर्श से जांच की जा रही है तथा इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 2012-13 में 80.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) देश में प्रथम बार प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित किसी नए औषध, चाहे उसकी उत्पत्ति कहीं भी हुई हो, कि सुरक्षा और प्रभावकारिता के संबंध में यह अपेक्षित होता है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो, मानव नैदानिक परीक्षणों सहित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबंधों के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जाए।

(ङ) सरकार ने इन औषधों की स्वीकार्यता और निर्यात को संवर्धित करने हेतु इन औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयू एंड एच) भेषज संहिताएं प्रकाशित की गई हैं। इन भेषज संहिताओं में आयुर्वेद के 600 एकल औषधी एवं 152 सम्मिश्रित औषधयोगों, सिद्ध के 139 एकल औषधों, यूनानी के 298 एकल औषधों एवं 100 सम्मिश्रित औषधयोगों और 1016 होम्योपैथक औषधों के गुणवत्ता मानक दिए गए हैं।

(ii) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथक औषधों के लाइसेंस हेतु उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) का अनुपालन वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।

(iii) भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग की स्थापना की गई है, ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधियों की गुणवत्ता संबंधी शंकाओं के समाधान के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों को विकसित किया जा सके।

(iv) विभाग ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् के सहयोग से एएसयू औषधों के स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रमाणन की स्कीम शुरु की है।

(v) विभिन्न किस्म की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों की उपयोग अवधि तथा इन औषधों के विनिर्माण में परीक्षकों, संयोजकों आदि का इस्तेमाल अधिसूचित किया गया है।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधों के गुणवत्ता परीक्षण और उत्पादन के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और राज्य फार्मेसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के उपबंधों के अनुसार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधों के परीक्षण के लिए 44 औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं अनुमोदित हैं।

(vii) एएसयू औषधों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में लेबलिंग और पैकिंग उपबंधों में छूट दी गई है।

5/1-14

पर्यटन को बढ़ावा देना

3373. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त रूप से कोई योजना विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु देश में हवाई पट्टियों की संख्या बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2012 को एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारत का बेहतर पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोशन और मार्केटिंग की जा सके और 'अतुल्य भारत' के रूप में विश्वभर में जाने वाले 'ब्रांड' के रूप में स्थापित किया जा सके। समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'अतुल्य भारत' की ब्राडिंग के लिए विभिन्न हवाईअड्डों पर नाममात्र की लागत पर स्थान मुहैया कराएगा।

(ii) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विदेशी/भारतीय विमान वाहकों को अनुदेश जारी किए जाएंगे कि वे अपनी आने वाली इनबाउंड और जाने वाली आउटबाउंड उड़ानों पर टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले 'अतुल्य भारत' की प्रमोशन फिल्में प्रदर्शित करें।

(iii) पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक-दूसरे द्वारा आयोजित रोड शो तथा इवेंटों में भाग लेगें।

(iv) दोनों मंत्रालय दूरस्थ और नए गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से एयरलाइन प्रचालकों को सम्पर्कता मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवसंरचना के विकास में हवाई पट्टियां, हेलीपेड और हेलीपोर्ट शामिल होंगे।

(ग) से (ङ) हवाई अड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो वाणिज्यिक व्यवहार्यता, कार्यनीतिक महत्त्व, यातायात सम्भाव्यता/मांगों, विनिर्दिष्ट हवाईअड्डों से होकर प्रचालन करने की एयरलाइनों की प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 13 गैर-प्रचालनिक हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है। इन हवाई अड्डों की सूची अनुबंध पर हैं।

विवरण

एएआई के विकसित किए जाने वाले 13 गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों की सूची

क्र.सं.	हवाईअड्डा	स्थिति
1.	**मैसूर (कर्नाटक)**	मई 2010 में एटीआर-72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए प्रचालनीकृत किया गया।
2.	**अकोला (महाराष्ट्र)**	एटीआर 42 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए प्रचालनीकृत किया गया।
3.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)	एटीआर श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण प्रगति पर।
4.	कड़प्पा (आंध्र प्रदेश)	एटीआर श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण प्रगति पर। पेवमेंट संबंधी कार्य जैसे रनवे, टैक्सी वे, एप्रनआदि 21 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए जा चुके हैं। नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
5.	पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	भारतीय वायुसेना को विकसित करना है। एएआई सिविल एंक्लेव का प्रबंधन करेगा।
6.	रूपसी (असम)	एयरोड्रोम विकास के लिए भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित किया जाना है। एएआई सिविल एंक्लेव का प्रबंधन करेगा।
7.	**शोलापुर (महाराष्ट्र)**	प्रचालनिक हवाईअड्डा। तथापि, चहुँमुखी शहरीरण को देखते हुए मौजूदा हवाईअड्डे का स्तरोन्नयन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की इसके समीप बोरामनी में नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण व विकास की योजनाएं हैं। मौजूदा शोलापुर हवाईअड्डे के स्वामित्व के मुद्दे का निर्णय भी अभी किया जाना है।
8.	कमलपुर (त्रिपुरा)	एएआई ने एटीआर प्रचालनों के लिए भूमि की आवश्यकता प्रक्षेपित कर दी थी। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्रतीक्षित है।
9.	चाकुलिया (झारखंड)	जांच की जा रही है।
10.	झारसुगुदा (ओडिशा)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही, मास्टर प्लान के मुताबिक, वारंगल, मालदा झासगुदा और वेल्लोर के संबंध में राज्य सरकारों को इन हवाईअड्डों को चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाने के लिए अतिरिक्त भूमि का अनुरोध प्रक्षेपित कर चुका है। राज्य सरकारों की सहमति प्रतीक्षित है।
11.	मालदा (पश्चिम बंगाल)	
12.	वेल्लौर (तमिलनाडु)	
13.	वारंगल (आंध्र प्रदेश)	

नोट: 1. मैसूर, अकोला और शोलापुर हवाई अड्डे प्रचालनीकृत किए जा चुके हैं।

515

जेएनएनएसएम में घोटाला

3374. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री दुष्यंत सिंह:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) में पता लगाए गए 13000 करोड़ रु. के घोटाले पर ध्यान दिया है और इसकी जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा कथित में क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (ङ) राष्ट्रीय सौर मिशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) द्वारा अपनी पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' के माध्यम से लगाए गए आरोपों की जांच करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी गठित की गई थी। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक

515-16

3375. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री एम. आनंदन:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री नीरज शेखर:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक स्वास्थ्य गुणवत्ता विनियामक स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त विनियामक को स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में उपचार के मानकों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा ताकि उचित लागत पर गुणवतापूर्ण चिकित्सा सेवा सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बड़े अस्पतालों को और अधिक स्वायत्तता देने तथा ऐसे अस्पतालों में व्यावसायिक (प्रोफेशनल) और प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गयी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षु डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिहाज से पूरे देश में 100 जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेजों के रूप में स्तरोन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) संसद में नैदानिक संस्थापन (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 को, अधिनियमित किया है जिसका दिनांक 19.8.2010 को नैदानिक संस्थापनों के पंजीकरण व विनियमन तथा इससे संबंधित अथवा इसके प्रासांगिक मामलों के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह अधिनियम दिनांक 1. 3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया है। अन्य राज्य भी इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 की धरा (1) के अंतर्गत अपना सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड राज्यों ने इस अधिनियम को अपना लिया है। अन्य राज्य सरकारों से इस अधिनियम को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.5.2012 को अधिसूचित नैदानिक संस्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम 2012, के अनुसार नैदानिक संस्थापनों को राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के भीतर प्रत्येक प्रकार की क्रियाविधि और सेवा के लिए दरें लेने का अधिदेश दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय केन्द्रीय सरकार की देशभर में जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन करने की कोई योजना नहीं है।

517-18

कैंसर के मरीजों हेतु 'ऑनकोनेट इंडिया' परियोजना

3376. **श्रीमती प्रिया दत्तः**
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंसर के मरीजों के डायग्नोसिस, उपचार और प्रबंधन सुविधाओं से युक्त अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा और अधिक ऐसे अस्पताल खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (आरसीसी) के साथ जोड़ने तथा देश में कैंसर मरीजों की शीघ्र पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार पूरे देश में 'ऑनकोनेट इंडिया' परियोजना कार्यान्वित कर रही है/उसकी मदद कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित आवंटित की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) कैंसर का उपचार शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी, किमोथेरेपी और सहायक परिचर्या द्वारा होता है। शल्य क्रिया, किमोथेरेपी और सहायक परिचर्या प्रमुख शीर्षस्थ संस्थानों जैसे, एम्स, नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ आदि के अलावा जिला अस्पतालों, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में उपलब्ध है। तथापि रेडियोथेरेपी सुविधाएं देश के करीब 300 संस्थानों में ही उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका निवारण और नियंत्रण का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया है। यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वित होना है।

कार्यक्रम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और देश भर के तत्कालीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का तृतीयक कैंसर केन्द्र के रूप में सुदृढ़ करने की व्यवस्था है ताकि व्यापक तौर पर कैंसर परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है और उसके बाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को टीसीसी के तौर पर सुदृढ़ किया जाएगा ताकि व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं, संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर, उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) राज्यों से 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश में अपेक्षाओं जैसे श्रमशक्ति, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्वीकृति, राज्य सरकार की सिफारिशें/राज्य अंश के रूप में 20% रिलीज करने की प्रतिबद्धता, पूर्व में जारी अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र आदि की कमियां थीं। इन 49 प्रस्तावों में से 8 प्रस्ताव सभी दृष्टि से दिशा निर्देशानुसार पूर्ण थे और इनके लिए कोष स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कैंसर उपचार में टेली-मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराने, अनुवर्ती परामर्श लेने, कैंसर की पूर्व पहचान और कैंसर सजगता सभी पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और भारत के परिधीय केन्द्रों के बीच कंप्यूटर के माध्यम से करने हेतु "आनकोनेट" परियोजना कार्यान्वित है।

सरकार द्वारा सी-डीएसी, तिरूवनन्तपुरम के महानिदेशक को आनको नेट इंडिया परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु 13.63 लाख रुपए तथा नेशनल इन्फोरमेटिक केन्द सेवा इंक को 1.43 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

518-20

नई उड़ानों को शुरू करना

3377. **श्री एस. सेम्मलई:**
श्री यशवंत लागुरी:
डॉ. संजय सिंह:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री कादिर राणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न स्थानों से नई उड़ानें शुरू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रयोजन हेतु पहचाने गए नए मार्गों, यदि कोई हो, का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू सेक्टर में उड़ानों के प्रचालनों को अविनियमित करने से देश के पिछड़े क्षेत्रों में अल्प विकास हुआ है/हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का टू-टीयर और थ्री-टीयर शहरों को वायु सेवा से जोड़ने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व राजस्थान सहित इस सेवा के अंतर्गत कवर करने के लिए देश में प्रस्तावित शहरों/जिलों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को अविनियमित किया जा चुका है और उड़ानों का प्रचलन संबंधित एयरलाइनों द्वारा संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का उद्देश्य हासिल करने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय ने एक क्षेत्र के भीतर हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने, श्रेणी II और श्रेणी III के शहरों के लिए और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के बीच हवाई यातायात सेवाओं का विस्तार करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं।

इस समय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अनुसूचित हवाई सेवाओं द्वारा जुड़े हुए स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:

तमिलनाडु: चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, तूतीकोरिन।

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ वाराणसी।

राजस्थान:जोधपुर, उदयपुर।

[हिन्दी]

विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

3378. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित मौजूदा भारतीय पर्यटन कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) संपूर्ण विश्व में पर्यटन मंत्रालय के विदेश स्थित कुल 14 भारत पर्यटन कार्यालय हैं। समय की जरूरत को देखते हुए इन कार्यालयों को मजबूती प्रदान करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विदेश स्थित कार्यालयों में तैनात अधिकारियों को उनके कार्य में अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उनके कार्यभार संभालने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के इनपुट्स प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

520-23

विमानपत्तनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण

3379.. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की योजना वर्ष 2020 तक कम से कम 225 विमानपत्तनों को पुन: शुरू करने, उनका उन्नयन व आधुनिकीकरण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों को चिह्नित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित, सेना हवाईअड्डों पर 26 सिविल एन्कलेव सहित देश में 125 हवाईअड्डे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 58 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों और कोलकाता व चेन्नई स्थित 2 मेट्रो हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण शुरू किया गया है। इन 58 हवाईअड्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों के प्रचालन का संबंध है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने 33 छोटे गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों के विकास और प्रचालन की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए मेसर्स राइट्स द्वारा एक अध्ययन करवाया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि 33 हवाईअड्डों में से केवल 13 हवाई अड्डों का विकास व्यवहार्य है। ये हवाईअड्डे शोलापुर, अकोला, वेल्लोर, मैसूर, वारंगल, कुडप्पा, चाकुलिया, मालदा, झारसुगुडा, तेजु, पासीघाट, रूपसी और कमलपुर है। इनमें से कर्नाटक में मैसूर हवाईअड्डे का पहले ही विकास हो चुका है और एटीआर-72 प्रकार के विमान प्रचालनों हेतु मई, 2010 में प्रचालनिक बना दिया गया है। महाराष्ट्र में जलगांव हवाईअड्डे को भी एटीआर प्रचालनों हेतु प्रचालनिक कर दिया गया है।

विवरण

58 गैर मैट्रो हवाईअड्डों के विकास/आधुनिकीकरण का स्थान/राज्य

क्र.सं.	हवाईअड्डा	राज्य
1	2	3
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	अगरतला	त्रिपुरा
3.	अहमदाबाद	गुजरात
4.	अमृतसर	पंजाब
5.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
6.	भोपाल	मध्य प्रदेश
7.	भुवनेश्वर	ओडिशा
8.	कालीकट	केरल
9.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
10.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
11.	देहरादून	उत्तराखंड
12.	डिब्रूगढ़	असम
13.	गोवा	गोवा
14.	गुवाहाटी	असम
15.	इंदौर	मध्य प्रदेश
16.	इंफाल	मणिपुर
17.	जयपुर	राजस्थान
18.	खजुराहो	मध्य प्रदेश
19.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
20.	मदुरै	तमिलनाडु
21.	मैंगलोर	कर्नाटक
22.	मैसूर	कर्नाटक
23.	नागपुर	महाराष्ट्र
24.	पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
25.	पुणे	महाराष्ट्र
26.	रायपुर	छत्तीसगढ़
27.	रांची	झारखंड
28.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
29.	सूरत	गुजरात
30.	त्रिवेन्द्रम	केरल
31.	त्रिची	तमिलनाडु
32.	उदयपुर	राजस्थान
33.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
34.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
35.	वडौदरा	गुजरात
36.	आगाती	लक्षद्वीप
37.	अकोला	महाराष्ट्र
38.	बेलगांव	कर्नाटक
39.	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल

1	2	3
40.	दीमापुर	नागालैंड
41.	गोंडिया	महाराष्ट्र
42.	हुबली	महाराष्ट्र
43.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
44.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
45.	पटना	बिहार
46.	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश
47.	राजकोट	गुजरात
48.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
49.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
50.	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
51.	पुदुचेरी	संघ शासित प्रदेश
52.	बागडोगरा	पश्चिम बंगाल
53.	जैसलमेर	राजस्थान
54.	सिलचर	असम
55.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश
56.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
57.	पंतनगर	उत्तराखंड
58.	लेह	जम्मू और कश्मीर

बीआरपीएसई आन एयर इंडिया 523-26

3380. श्री जगदम्बिका पालः
श्री पी. कुमारः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री राजेन्द्र अग्रवालः
श्री सुरेश अंगड़ीः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने एयर इंडिया से अपना मामला उसे सौंपने के लिए कहा था ताकि ऋण तले दबी इस विमान कंपनी को पुनरुद्धार के रास्ते पर लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयर इंडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) एयर इंडिया को बार-बार बेल आउट पैकेज दिए जाने के कारण और औचित्य क्या है;

(घ) क्या ऐसे बेल आउट पैकेज समान स्थितियों में कंपनियों हेतु वैश्विक रूप से अपनाई गई परिपाटियों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एयर इंडिया में आमूलचूल परिवर्तन करने और उसके वित्तीय पुनर्गठन की योजना हेतु क्या कार्रवाई की गयी है और इसमें कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया ने बीआरपीएसई को सूचित किया था कि चूंकि जुलाई-अगस्त 2009 में उसकी वित्तीय स्थिति, सचिवों की समिति को, विचारार्थ भेजी गई थी तथा उसके पश्चात् मंत्रियों के समूह को गया था बीआरपीएसई को इसे संदर्भित नहीं किया गया था।

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के 2007 में विलय होते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कठिन दौर से गुजरी। एटीएफ लागतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइन उद्योग को काफी घाटा हुआ। एयर इंडिया को भी घाटा उठाना पड़ा है। प्रतिकूल इक्विटी और संसाधनों की भारी तंगी के संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर इक्विटी के रूप में निधियां प्रदान की गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अनेक एयरलाइनों को, समय-समय पर, उनकी सरकारों से वित्तीय सहायता मिली है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार द्वारा दिनांक 12.4.2012 को एयर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) और कायाकल्प योजना (टीएपी) अनुमोदित की गई है।

विवरण

संघ सरकारों से राष्ट्रीय वाहकों को मिली सहायता

कुछ राष्ट्रीय एयरलाइनों को उनकी सरकारों से मिली सहायता का हम यहां उल्लेख करना चाहेंगे:

- फ्रांस की सरकार द्वारा फ्रांस एयरलाइंस को 51 मिलियन अमेरिकी डालर क्षतिपूर्ति पैकेज दिया गया जिसका लाभ सैद्धांतिक तौर पर एयर फ्रांस को मिला क्योंकि अमेरिकी वायुक्षेत्र को पुनः खोल दिए जाने और उड़ानें बहाल कर दिए जाने के बावजूद भी राजसहायता लागत के रूप में धनराशि दी गयी थी।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी एयरलाइनों को लगभग 58 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया गया।

- सितंबर, 2001 में 5 दिनों के लिए यूएस वायु क्षेत्र बन्द किए जाने के लिए पे-आउट के शेयर के रूप में वर्जिन अटलांटिक को सरकार से 9.7 मिलियन युकेपी की सहायता मिली।

- जर्मन सरकार द्वारा, यूएस वायु क्षेत्र बंद किए जाने से प्रभावित, अपनी एयरलाइनों को मुआवजे के लिए प्रस्तावित 70 मिलियन अमेरिकी डालर के भुगतान के लिए ईयू को प्राधिकृत किया गया।

- ग्रीस ओलंपकि एयरलाइनों के राज्य के स्वामित्व वाले बैंक से 19.5 मिलियन अमेरिकी डालर की नकद सहायता।

- सबेना की उत्तराधिकारी एसएन ब्रुसेल्स एयरलाइंस के लिए राज्य नियंत्रित सत्ता से 125 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण।

- ईसी ने आलिटालिया के लिए 1.38 बिलियन अमेरिकी डालर के पुनःपूंजीकरण कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। (हालांकि घाटा करने वाली एयरलाइनों के लिए राज सहायता पर ब्रूसेल्स के औपचारिक प्रतिबंध ने बेल्जियम के सबेना को दिवालियापन से बाहर निकलने में मदद की है)।

- ईसी द्वारा टीएपी के लिए अनुमोदन दिया गया एयर पुर्तगाल ने जीई से 100 मिलियन यूरो ऋण मांग की। चूंकि इसमें राज्य सहायता शामिल नहीं थी, बल्कि केवल विमान का रीमार्टगेजिंग शामिल था।

- हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी नए विमान की खरीद के लिए सरकार से इक्विटी सहायता प्राप्त की है।

- आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के अनुक्रम में हाल ही में एयर चाइना को सरकार से इक्विटी सहायता मिली है।

- जापान एयरलाइन्स ने भी सरकार से 100 बिलियन येन ऋण तथा नकद राशि प्राप्ति की है।

कुष्ठरोग के मामले

526-32

3381. **श्री पी. बलराम नायक:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 में देश को कुष्ठरोग मुक्त घोषित करने के पश्चात् कुष्ठ रोग के नए मामले पुनः सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन (आईएलयू) के अनुसार 2010 में विश्व में पाए गए 2,28,474 नये मामलों में से भारत में 1,26,800 मामले पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कुष्ठ रोग से लड़ने हेतु राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित और आवंटित की गयी है; और

(ङ) क्या भारत में आईएलयू कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य कुष्ठ का उन्मूलन करना है जिसका अर्थ इसकी व्याप्तता दर को प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम रोगी पर लाना है। इस लक्ष्य को दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीयस्तर पर प्राप्त किया गया। तथापि, यह दावा नहीं किया गया है कि देश कुष्ठ से मुक्त हो गया है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, 2011 के अनुसार वर्ष 2010 में विश्व में पता लगाए गए 2,28,474 नए रोगियों में से भारत के आंकड़े 126800 पर ठहरते हैं।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान देश में सूचित किए गए नए कुष्ठ रोगियों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी की वर्तमान कार्यनीति में उपचारात्मक उपाय है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

- सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत समेकित कुष्ठ सेवाएं।
- नए कुष्ठ रोगियों का शुरू में ही पता लगाना और उनका पूरा उपचार।
- मल्टीबेसिल्लरी व बाल रोगियों का पता लगाने में परिवार सम्पर्क सर्वेक्षण चलाना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुष्ठ कार्य हेतु कुष्ठ रोगियों का पता लगाने और उनका पूरा उपचार करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शामिल करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वयं सूचित करने के लिए रोगियों की संख्या को बढ़ाने के लिए समुदाय में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण संबंधी कार्यकलाप।
- विश्लेषण के एक एकक के रूप में खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से गहन मानीटरिंग व पर्यवेक्षण।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुष्ठ का सामना करने के लिए जारी किए गए राज्य/संघ क्षेत्र वार धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सरकार को इस संबंध में आई.एल.यू. से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 में सूचित नए कुष्ठ रोगियों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7448
2.	अरुणाचल प्रदेश	32
3.	असम	1252
4.	बिहार	20547
5.	छत्तीसगढ़	7383
6.	गोवा	70
7.	गुजरात	7309
8.	हरियाणा	321
9.	हिमाचल प्रदेश	214
10.	जम्मू और कश्मीर	211
11.	झारखंड	4448
12.	कर्नाटक	3891
13.	केरल	931
14.	मध्य प्रदेश	5708
15.	महाराष्ट्र	15498
16.	मणिपुर	26
17.	मेघालय	61
18.	मिजोरम	19
19.	नागालैंड	67
20.	ओडिशा	6742
21.	पंजाब	819
22.	राजस्थान	1024
23.	सिक्किम	16
24.	तमिलनाडु	4617
25.	त्रिपुरा	29
26.	उत्तर प्रदेश	25509
27.	उत्तराखंड	532
28.	पश्चिम बांगल	10321

1	2	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26
30.	चंडीगढ़	43
31.	दादरा और नगर हवेली	205
32.	दमन और दीव	2
33.	दिल्ली	1408
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	71
	कुल	126800

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुष्ठ का सामना करने के लिए जारी किया गया राज्य/संघ क्षेत्र-वार धन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	193.54	198.91	153.56	209.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.95	58.91	48.45	66.85
3.	असम	72.00	80.32	47.31	149.10
4.	बिहार	0.00	0.00	565.55	731.77
5.	छत्तीसगढ़	62.91	136.29	98.78	167.91
6.	गोवा	7.67	10.96	11.37	12.14
7.	गुजरात	162.16	133.28	155.85	239.50
8.	हरियाणा	64.50	0.00	40.18	142.93
9.	हिमाचल प्रदेश	17.75	23.94	48.05	58.91
10.	जम्मू और कश्मीर	32.00	47.36	147.88	220.27
11.	झारखंड	0.00	97.76	9.12	102.14
12.	कर्नाटक	126.62	134.62	117.95	175.24
13.	केरल	0.00	56.59	30.08	87.01
14.	मध्य प्रदेश	59.50	156.55	130.75	319.10

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	256.13	195.42	278.67	413.19
16.	मणिपुर	46.20	23.73	34.88	45.55
17.	मेघालय	30.70	20.55	24.90	54.62
18.	मिजोरम	40.67	31.00	30.54	53.23
19.	नागालैंड	51.70	51.47	55.16	57.31
20.	ओडिशा	97.00	91.53	81.50	321.16
21.	पंजाब	66.00	74.67	68.53	174.87
22.	राजस्थान	142.33	108.40	136.61	138.85
23.	सिक्किम	24.72	17.47	45.36	35.97
24.	तमिलनाडु	93.58	114.54	149.98	228.26
25.	त्रिपुरा	30.05	0.00	15.53	21.48
26.	उत्तर प्रदेश	522.68	380.72	393.59	605.70
27.	उत्तराखंड	47.00	20.70	39.12	53.83
28.	पश्चिम बंगाल	133.00	168.59	80.37	292.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	8.17	1.94	12.47
30.	चंडीगढ़	13.00	11.75	18.10	18.51
31.	दादरा और नगर हवेली	12.32	11.82	7.18	26.12
32.	दमन और दीव	1.50	7.85	6.81	15.37
33.	दिल्ली	10.00	50.55	49.35	91.27
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	12.81
35.	पुदुचेरी	13.55	9.80	10.16	17.57
	कुल	2504.73	2534.22	3133.16	5372.66

*आबंटन

शिशुओं की मृत्यु

5 33-34

3382. **डॉ. पी. वेणुगोपालः**
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों में अनेक नवजात बच्चों/शिशुओं की अस्पतालों में मृत्यु का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में बड़ी संख्या में शिशुओं की मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा असम में शिशु एवं नवजात की मौत की रिपोर्ट मीडिया में आई थीं। विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

राज्य	अस्पताल	मीडिया में सूचित मौतें	अवधि	कारण
पश्चिम बंगाल	बहरमपुर सदर अस्पताल, मुर्शिदाबाद	12	जुलाई, 2011	इसका कारण पड़ोसी जिलों तथा अस्पताल से गंभीर रूप से बीमार बच्चों को रेफर करने से संबंधित था। इन अधिकांश मौतों में चिकित्सीय कारण जन्म के समय कम वजन, समयपूर्व जन्म, श्वासावरोध, सेप्टीसीमिया तथा निमोनिया थे।
	डॉ. बी.सी. राय इंस्टीट्यूट, कोलकाता	12	अक्तूबर, 2011	
	बर्दवान मेडिकल कॉलेज	12	अक्तूबर, 2011	
	माल्दा मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल	15	जनवरी, 2012	
असम	सिविल अस्पताल, करीमगंज	41	दिसंबर, 2011-जनवरी, 2012*	
जम्मू और कश्मीर	जी.बी. पंत अस्पताल, श्रीनगर	62	मई, 2012	

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों ने इन रिपोर्टों की जांच-पड़ताल की तथा निष्कर्ष निकाला कि मौतें गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं तथा बच्चों को पड़ोसी जिलों तथा अस्पतालों से रेफर करने के कारण हुई हैं। जांच में अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही प्रकट नहीं हुई। राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) इन अस्पतालों में विशेष नवजात परिचर्या एककों, नवजात स्थिरीकरण एककों तथा नवजात परिचर्या कार्नरों की प्राथमिकता के आधार पर स्थापना के जरिए नवजात सेवाओं को सुदृढ़ करना।

(2) नवजात शिशु के सुविधा आधारित उपचार के क्षेत्र में डॉक्टरों तथा नर्सों के प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करना।

534-38

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

3383. **श्री पी.आर. नटराजनः**
श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातियों के लिए कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं जहां प्लेसमेंट की भी सुविधा है और राज्य-वार ऐसे कितने और केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम इन केन्द्रों के छात्रों को स्वरोजगार हेतु लघु-वित्त अनुदान/ऋण प्रदान करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य वार प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में कितने कमजोर जनजातीय समूहों के लड़के और लड़कियां प्रशिक्षण ले रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महोदव सिंह खंडेला): "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए राज्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और एलजीओ को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विरण में दी गई है जिन्हें इस योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है। ये योजना आवश्यकता और मांग आधारित है और इस योजना के तहत कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक वर्ष के लिए है। वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार/एनजीओ को निर्मुक्त करने के लिए 3.00 करोड़ रु. का आबंटन किया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) कुछ पीएसयू बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा संबंधित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मनोनीत केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वेनेलाइजिंग अभिकरणों (एससीए) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) के माध्यम से विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता नहीं देता है। तथापि, वीटीसी के पात्र विद्यार्थी अपने संबंधित एससीए के माध्यम स्व-रोजगार हेतु एनएसटीएफडीसी के प्रशिक्षण अनुदान/माइक्रो क्रेडिट अथवा अन्य ऋणों का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

विवरण

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

		वीटीसी की संख्या और प्रशिक्षुओं की सं. जिनके लिए राज्य सरकार को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है।						पीटीसी की संख्या और प्रशिक्षुकों की सं. जिनके लिए एनजीओ को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया है।					
		2009-10		2010-11		2011-12		2009-10		2010-11		2011-12	
		केन्द्र	प्रशिक्षु	केन्द्र	प्रशिक्षु	केन्द्र	प्रशिक्षु	केन्द्र	प्रशिक्षु	केन्द्र	प्रशिक्षु	केन्द्र	प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	8	800	-	-	-	-	-	-
2.	असम	-	-	10	500	-	-	2	180	1	100	2	200
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	11	477	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	-	-	13	1300	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	1	100	1	80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	मध्य प्रदेश	-	-	10	1000	10	1000	-	-	1	100	-	-
7.	मेघालय	-	-	-	-	9	700	1	100	-	-	-	-
8.	मिजोरम	-	-	5	500	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	2	200	1	60	1	60
10.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0	0
	कुल	-	-	38	3300	38	2977	6	580	5	440	3	260

डायलेसिस मशीनों की उपलब्धता

3384. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 10 में से एक व्यक्ति गुर्दे की पुरानी बीमारी से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लोगों में गुर्दे की बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और सरकारी अस्पतालों में अधिक संख्या में डायलेसिस मशीन उपलब्ध कराने और देश में गरीब मरीजों के लिए अधिक संख्या में डायलेसिस केन्द्र खोलने हेतु क्या कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आबादी में गुर्दे के चिरकारी रोग के सही बोझ का अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, कुछेक लघु जनसंख्या आधारित अध्ययनों में यह पाया गया था कि यह भार उत्तर भारत में 0.79 प्रतिशत और दक्षिण भारत में 0.16 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए "स्वस्थ भारत कार्यक्रम" शुरू किया जिसे गैर-संचारी रोगों और गुर्दे के चिरकारी रोग सहित भारत में अन्य रोगों के बारे में सप्ताह मे 5 दिन क्रमश: दूरदर्शन के 30 क्षेत्रीय केन्द्रों और आकाशवाणी के 28 क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में केरल सरकार को इसकी कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना में इस राज्य द्वारा यथा प्रस्तावित 14 जिला अस्पतालों में डायलेसिस एकक स्थापित करने के लिए 210.00 लाख रुपए के अनुदान के लिए प्रशासनिक अनुमोदन लिया गया है।

भारत सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन तथा अस्पतालों की स्थापना के लिए सहायता भी दे रही है जिसमें गुर्दे के चिरकारी रोग सहित गैर-संचारी रोगों की सेवाएं भी शामिल हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग को गुर्दे के चिरकारी रोगों के नियंत्रण व उपचार का एक प्रस्ताव भेजा गया है।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

3385. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. मिर्जा महबूब बेग:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए विमानपत्तन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और पहले से घोषित विमानपत्तनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में उक्त अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन राज्य-वार कब तक बनाए जाने की संभावना है और सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में प्रचालनरत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर में इनसे विमानपत्तन-वार रोजाना कितनी उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं;

(ङ) क्या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित नहीं की जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) विमान यात्रियों में व्यापक वृद्धि को देखते हुए तथा अधिमानत: हवाईअड्डा क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, सरकार ने अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति तैयार की। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार सहित प्रमोटर जो हवाईअड्डा विकसित करना चाहते हैं, को सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है जिस पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाता है। व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लियरेंस, विनियामक एजेंसियों से क्लियरेंस आदि प्राप्त करने की सभी आवश्यक औचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के आवेदन के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है।

अब तक, भारत सरकार ने गोवा में मोपा; महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिन्धुदुर्ग तथा शिर्डी; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा, हसन तथा बीजापुर; केरल में कन्नुर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; सिक्किम में पेक्योंग; मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर (कार्गो); उत्तर प्रदेश में कुशीनगर; पुदुचेरी में कराईकल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की स्थापना के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) भूमि अधिग्रहण, हवाईअड्डा परियोजना के वित्त पोषण आदि सहित परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटरों द्वारा की जा रही है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्रचालकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेंसों की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि।

(घ) इस समय, देश में 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं, जिनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का प्रबंधन संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा, 3 अंतर्राष्ट्रीय सिविल इन्कलेवों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तथा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा का प्रबंधन एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

इन हवाईअड्डों से प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) श्रीनगर हवाईअड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालन हेतु कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों की सूची

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम
1	2
एएआई हवाईअड्डे	
1.	अहमदाबाद (एसवीबीपीआई)
2.	अमृतसर
3.	कालीकट
4.	चेन्नई
5.	गुवाहाटी (एलजीबीआई)
6.	जयपुर
7.	कोलकाता (एनएससीआई)
8.	तिरूवनंतपुरम
संयुक्त उद्यम	
1.	बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएएल)
2.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (आईजीआई) (डायल)
3.	हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एचआईएल)
4.	मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एमआईएल)
5.	नागपुर हवाईअड्डा (एमआईपीएल)

1	2
सिविल एन्कलेव	
1.	गोवा (नेवी)
2.	पोर्टब्लेयर (नेवी)
3.	श्रीनगर (आईएएफ)

1	2
निजी हवाईअड्डे	
1.	कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीआईएएल)
	कुल 17

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों-वार विमानों के संचालन की व्यवस्था

क्र.सं.	हवाईअड्डा	विमान संचलन *(संख्या में)		
		अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	कुल
1.	अहमदाबाद	5595	34911	40506
2.	अमृतसर	3548	5660	9208
3.	बैंगलोर (बीआईएएल)	17628	100803	118431
4.	कालीकट	13450	2700	16150
5.	चेन्नई	33535	86592	120127
6.	कोचीन (सीआईएएल)	18304	21877	40181
7.	दिल्ली (डायल)	76937	218554	295491
8.	गोवा	3870	23560	27430
9.	गुवाहाटी	452	27636	28088
10.	हैदराबाद (जीएचआईएएल)	14121	84892	99013
11.	जयपुर	1870	16733	18603
12.	कोलकाता	15527	84316	99843
13.	मुंबई (एमआईएएल)	72187	179305	251492
14.	नागपुर (एमआईपीएल)	488	14834	15322
15.	पोर्टब्लेयर	8	7751	7759
16.	श्रीनगर	0	12187	12187
17.	त्रिवेन्द्रम	15531	11708	27239
	कुल	293051	934019	1227070

नोट: विमान संचलन अवतरण तथा उड़ान सहित।

543-46

उड़ानों का रद्द/उनका पुनः निर्धारण किया जाना

3386. डॉ. एम. तम्बिदुरईः
श्री रमेश बैसः
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री देवजी एम. पटेलः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत एक वर्ष में माह-वार और सेक्टर-वार, एयरलाइन-वार एयर इंडिया सहित विभिन्न सरकारी तथा निजी एयरलाइनों द्वारा कितनी उड़ानें रद्द की गईं/उनमें विलंब हुआ तथा इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी मामलों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने ऐसी एयरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में यात्रियों को विधिवत क्षतिपूर्ति की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मामला-वार इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) उड़ानों में विलंब/इन्हें रद्द किए जाने का एयरलाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुसूचित एयरलाइनें सामान्यतः यथा अनुमोदित उड़ानें प्रचालित करती हैं। तथापि, कभी-कभी उड़ानें वाच आवर प्रतिबंधों, मौसम, तकनीकी कारणों आदि की वजह से, जो एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर हैं, उड़ानें रद्द हो जाती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा ऐसा कोई भी विनियम जारी नहीं किया गया है, जिसके अधीन उड़ानों के रद्द/विलंब होने के कारणों की जांच की जा सकती है।

(ङ) और (च) डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) अनुभाग-3 श्रृंखला ङ-भाग IV जारी किया गया है, जिसमें विमान में सवार होने से मना करने, उड़ानों के रद्द होने, और उड़ानों में विलंब होने के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं दी गई हैं। सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों उक्त नागर विमानन अपेक्षा के उपबंधों का अनुपालन कर रही है।

विवरण

विलंबित/रद्द उड़ानों का राज्य-वार ब्यौरा

	जुलाई 11		अगस्त 11		सितम्बर 11		अक्तूबर 11		नवंबर 11		दिसंबर 11	
	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी
एयर इंडिया	8281	204	8182	250	8124	175	8868	262	9274	271	9505	361
जेट एयरवेज	11039	57	10834	63	10516	133	11725	101	12243	61	12745	190
जेट लाइट	3490	34	3535	40	3445	62	3576	58	3439	31	3507	85
किंग फिशर	10891	209	10439	149	9709	282	9242	256	7983	208	7488	139
स्पाइस जेट	5855	36	5660	44	5699	32	7166	30	7290	32	7831	50
गो एयर	2327	01	2237	07	2060	08	2477	4	2460	7	2478	48
इंडिगो	7814	69	7692	10	7700	33	7956	17	7721	4	8236	61

	जनवरी 12		फरवरी 12		मार्च 12		अप्रैल 12		मई 12		जून 12	
	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी	एफओ	सी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एयर इंडिया	9459	442	8745	359	9164	320	8956	462	9096	316	8680	182
जेट एयरवेज	12351	163	11896	85	12166	114	12252	75	13067	97	12258	75

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जेट लाइट	3817	69	3537	13	3506	77	3292	18	3357	56	3173	42
किंग फिशर	7261	123	5509ण	221	4122	262	3227	107	3629	115	3110	115
स्पाइस जेट	7972	105	7531	94	7906	106	7695	29	8410	68	8203	113
गो एयर	2375	70	2331	17	2648	13	2680	4	2992	14	2688	34
इंडिगो	8446	61	8347	14	9027	15	9577	5	10134	8	9921	6

टिप्पणी: एफओ-प्रचालित होने वाली उड़ान, सी-रद्द की गई उड़ान

उड़ानों के रद्द होने के कारण: आमतौर पर प्रस्थान तथा गंतव्य हवाईअड्डों पर खराब मौसम के कारण रद्द होने के अलावा तकनीकी, प्रचालनिक तथा वाणिज्यिक, विविध कारणों से उड़ानें रद्द की जाती हैं।

[हिन्दी]

निर्धनों का इलाज

3387. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
डॉ भोला सिंह:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री एस. एस. रामासुब्बु:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में निर्धन और मध्यम वर्ग के मरीज दवाओं तथा इलाज के बगैर रह जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निर्धन मरीजों को दवा उपलब्ध कराने और अस्पतालों में उनके लिए निःशुल्क/वहनीय जांच केन्द्र/जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में विभिन्न राज्यों से शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबद्ध है, सभी रोगियों, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को जीवन रक्षक उपस्करों के इस्तेमाल सहित मुफ्त उपचार प्रदान किया जाता है। सभी जीवन रक्षक एवं अनिवार्य दवाएं अंतरंग रोगियों को निःशुल्क दी जाती हैं। यदि कुछ कारणों से भंडार में कुछ दवाएं उपलब्ध न हो तो, रोगी परिचर्या में दवा की अनिवार्यता के बारे में विभाग के औचित्य के बाद स्थानीय केमिस्ट से दवाओं का प्रापण करने के लिए उपबंध किए गए हैं। अस्पताल फार्मूलरी के अनुसार ओपीडी रोगी को सभी अनिवार्य दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

सभी नेमी जांचें भी किसी भी आधार पर भेदभाव के बगैर सभी रोगियों के लिए निःशुल्क दी जाती हैं। तथापि, इन अस्पतालों में कुछ विशेष जांचों/परीक्षणों के लिए नाममात्र का शुल्क भी लिया जा रहा है तथा निर्धनता रेखा से नीचे निर्धन रोगियों और सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ये भी निःशुल्क हैं।

[अनुवाद]

तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ठेका कर्मचारी

3388. **श्री के. सुगुमार:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अनुमानित रूप से कितने ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उच्च स्वास्थ्य जोखिम जोन में काम करने के बदले इन्हें प्रदत्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम कर्मचारी संघ के सदस्यों ने इन ठेका कर्मचारियों की समस्याओं को उठाया है और यह चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार तत्काल इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राज्यों/जिला स्वास्थ्य सोसाइटियों के तहत क्षय रोग निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यों में लगे ठेका कर्मियों की अनुमानित संख्या 17,000 है।

(ख) ठेका कर्मियों को पारिश्रमिक और अन्य लाभ ठेका कर्मियों तथा संबंधित राज्यों/जिला स्वास्थ्य सोसाइटियों के बीच हस्तक्षरित परस्पर सहमत अनुबंध के अनुसार दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) उठाये गये विभिन्न मुद्दे नियमित स्टाफ के समतुल्य पारिश्रमिक, ठेके के नवीकरण और अवकाश जैसे अन्य लाभ की व्यवस्था करने से संबंधित हैं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ग) और (घ) में कहा गया है; संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ठेका कर्मियों को वित्तीय और अन्य लाभ ठेका कर्मियों और संबंधित राज्य/जिला स्वास्थ्य सोसाइटियों के बीच परस्पर सहमत हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार होते हैं।

डॉक्टरों और निजी डायग्नोस्टिक केन्द्रों के बीच सांठ-गांठ

3389. **श्रीमती रमा देवी:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पताल बीपीएल तथा अन्य वर्गों के मरीजों को बाहर किसी विशेष लैब में जांच कराने के लिए कहते हैं जबकि उन अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशालाओं में मालिकों तथा अस्पतालों के डॉक्टरों के बीच सांठ-गांठ पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) डॉक्टरों द्वारा लिखी जांच/प्रक्रिया के मामले में उक्त अस्पतालों में जांच/प्रक्रिया-वार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं/प्रचालन में नहीं है;

(घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अभी तक ये सुविधाएं स्थापित नहीं किए जाने के कारण हैं; और

(ङ) उक्त कारणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एलएचएमसी अस्पताल का संबंध है, इस तरह के मामले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इन अस्पतालों में रोगियों के लिये बगैर किसी भेदभाव के सभी उपलब्ध परीक्षण/प्रक्रियाएं की जाती हैं। चूंकि सुविधाओं में उन्नयन और नयी सुविधाओं का सृजन एक सतत् प्रक्रिया होती है इसलिये इन पर जरूरत और कोष की उपलब्धता के अनुसार कदम उठाया जाता है।

विशिष्ट उद्यमी केन्द्र

3390. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट उद्यमी केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों में क्या-क्या कार्यकलाप शुरू किये जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

549

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

3392. श्री रतन सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मामला टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत चार परियोजनाओं अर्थात 3 X 110 मेगावाट विस्तार की धौलपुर कंबाइन्ड साइक्ल पावर प्रोजेक्ट 3 X 110 मेगावाट कोटा कंबाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट, 3 X 110 मेगावाट छाबड़ा कंबाइन्ड साइक्ल पावर प्रोजेक्ट और 1000 मेगावाट किशोरीपट्टनम कंबाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में गैस के आबंटन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में राजस्थान सरकार से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार केजीडी-6 बेसिन से गैस की उपलब्धता में कमी के बाद, विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/(सीईए) ने घरेलू गैस की उपलब्धता में अनिश्चित के कारण वर्ष 2015-16 तक घरेलू गैस पर आधारित किसी भी संयंत्र की योजना न बनाने के लिए एक परामर्शिका जारी की है। इस संबंध में सभी राज्यों को भी अलग से सूचित कर दिया गया है।

549-50

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

3393. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने, उनके प्रोन्नयन और विकास के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों की स्थापना हेतु मूल-भूत सुविधाओं का अभाव इसका मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या मूलभूत सुविधाएं सृजित करने और इनके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी नहीं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की 2006-07 की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई की संख्या 1,84,851 थी और एमएसएमई इकाईयों की सर्वाधिक संख्या वाले विशेष श्रेणी के राज्यों में हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

550

आईजीआईए पर साफ्टवेयर प्रणाली की खराबी

3394. श्री उदय सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआईए) पर साफ्टवेयर प्रणाली बार-बार खराब होने की वजह से महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए) ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो डीजीसीए द्वारा इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली के बार-बार खराब रहने के मद्देनजर सरकार का आईजीआईए पर साफ्टवेयर प्रणाली उपलब्ध कराने वाली फर्म पर जिम्मेदारी नियत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसेक क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर साफ्टवेयर सिस्टम के बार-बार फेल होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

550-51

जनजातीय क्षेत्रों का आर्थिक और औद्योगिक विकास

3395. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना बनाई है/बनाने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के माध्यम से "जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने कृषीय, सेवाओं, परिवहन या औद्योगिक क्षेत्रों में लघु ऋण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों या समूहों के आर्थिक विकास हेतु कुछ रियायती योजनाएं निरुपित की हैं। ये योजनाएं जनजातीय क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं; ये महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

एयर इंडिया के कर्मचारी

3396. श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रैस लि. और अलायंस एयरलाइंस के कर्मी दल को दिए जा रहे वेतन और भत्तों की संरचना क्या है और उक्त तीनों एयरलाइनों में नियमित आधार पर तथा ठेके पर अलग-अलग कितने कामिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन एयरलाइनों का वेतन और भत्ता संरचना अलग-अलग है जबकि ये सभी सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन कंपनियां हैं;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या एयर इंडिया कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसकी क्या प्रतिक्रिया रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड तथा एलाइंस एयर के कर्मी दल सदस्यों को दिए जा रहे वेतन एवं भत्तों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में नियमित तथा सांवधि संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

संगठन	नियमित	संविदा पर
एयर इंडिया (31/12/2012 की स्थिति के अनुसार)	26481	60
एयर इंडिया चार्टर्स (30/06/2012 की स्थिति के अनुसार)	240	1258
एलाइंस एयर सर्विस (07/07/2012 की स्थिति के अनुसार)	शून्य	907

(ख) और (ग) एयर इंडिया के कर्मीदल सदस्यों का वेतन ढांचा संबंधित यूनियनों/गिल्डों के साथ किए गए वेतन करारों के अनुसार होता है और उन्हें स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और एलाइंस एयर, जो कि निम्न लागत मॉडल पर प्रचालन करते हैं, सावधि ठेके पर कर्मचारियों को लेते हैं। एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और एलाइंस एयर के केबिन कर्मीदल का वेतन ढांचा कमोवेश समान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौर तापीय विद्युत संयंत्र

3397. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तौर पर सुसज्जित ऐसे सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है जिसमें विद्युत उत्पादन के अलावा जल शुद्धिकरण करने की भी क्षमता हो;

(घ) यदि हां, तो उक्त सौर तापीय संयंत्र लगाने हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) उक्त संयंत्रों की प्रतिदिन जल शुद्धिकरण की कितनी क्षमता होगी?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली (बिडिंग) के माध्यम से 470 मेगावाट क्षमता के ग्रिड सम्बद्ध सौर तापीय विद्युत संयंत्रों और माइग्रेशन योजना के माध्यम से 30 मेगावाट क्षमता का चयन किया गया जिन्हें बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर संस्थापित किया जाना है। इन संयंत्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) इन प्रस्तावित संयंत्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जेएनएनएसएम चरण-I के अंतर्गत चुने गए सौर तापीय विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना विकासकर्त्ता	क्षमता (मेगावाट)
	माइग्रेशन योजना		
1.	राजस्थान	एक्मे टेली पावर लिमिटेड, गुड़गांव	10
2.	राजस्थान	डालमिया सोलर पावर लि., नई दिल्ली	10
3.	राजस्थान	एंटिग्रा लिमिटेड, अंसल भवन, नई दिल्ली	10
	जेएनएनएसएम चरण-I		
4.	आंध्र प्रदेश	मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	50
5.	गुजरात	ऑरम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	20
6.	राजस्थान	कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड	50
7.	राजस्थान	गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड	50
8.	राजस्थान	के.वी के एनर्जी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	100
9.	राजस्थान	लान्को इन्फ्राटेक लिमिटेड	100
10.	राजस्थान	राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	100

[अनुवाद] 553-55

दहेज उत्पीड़न के पीड़ितों को सहायता

3398. श्री नृपेन्द्र नाथ राय: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दहेज उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के प्रदत्त उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भी उक्त पीड़ितों को सहायता देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) दहेज उत्पीड़न के पीड़ितों को वित्तीय सहायता या अन्य कोई सहायता प्रदान करने की मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, दहेज उत्पीड़न की पीड़ित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों का सहारा लेने के अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की राहत ले सकती है।

तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में अपराधों के पीड़ितों को, जिन्हें कोई नुकसान अथवा क्षति हुई हो, न्यायालय द्वारा उपयुक्त मुआवजा देने का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के समन्वय से प्रत्येक राज्य सरकार अपराधों के पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए राशि का प्रावधान करने हेतु स्कीम बनाएं। जब कभी न्यायालय द्वारा मुआवजे की सिफारिश की जाए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि की मात्रा तय करेंगे।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

555-56

नागर विमानन के विस्तार हेतु मोड्यूल्स

3390. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन के विस्तार हेतु नम्य कारोबारी (फ्लेक्सिबल बिजनेस) मोड्यूल्स अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) नागर विमानन एक गतिशील क्षेत्र है; जिसमें वैश्विक और घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर तालमेल रखना पड़ता है। सरकार बदलते हुए परिदृश्य तथा क्षेत्र विशिष्ट उपाय करने पर हमेशा प्रतिक्रिया व्यक्त करती रही है ताकि इस क्षेत्र को सुविधा प्रदान की जा सके और इसका विकास किया जा सके।

होटल और खान-पान प्रबंधन संस्थान की स्थापना

3400. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जशपुर जिले में जशपुर नगर में होटल और खान-पान प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के संबंध में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रयोजनार्थ बिलासपुर विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) पर्यटन मंत्रालय को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से जशपुर जिले के जशपुर नगर में होटल प्रबंध एवं खान-पान तकनालॉजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान की स्थापना करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

551-57

खान क्षेत्र पर एकमुश्त लाभ (विंडफाल) कर

3401. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र पर एकमुश्त लाभ (विंडफाल) कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व में अन्यत्र ऐसा कर लगाने और खनन क्षेत्र पर इसके प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें केन्द्र तथा राज्यों का प्रस्तावित हिस्सा कितना होना;

(च) क्या सरकार एकमुश्त लभ (विंडफाल) कर लगाने की बजाय खनिजों के विभिन्न मूल्य स्लैबों पर रायल्टी की दर में स्वतः बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपुर्यक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार धातु मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा खनन कंपनियों की लाभप्रदता को महसूस करते हुए आस्ट्रेलिया की सरकार ने 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी खनिज संसाधन रेंट कर (एमआरआरटी) लगाने का निर्णय लिया है जो खनन कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए 75 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर से अधिक के लाभ पर कर लगाने की अनुमति देता है। संसाधनों की वैश्विक उपलब्धता, विशेषकर भारतीय कंपनियों पर प्रभाव को वर्तमान पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(च) और (छ) वर्तमान में, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीयस अनुसूची के अनुसार 9 खनिजों जिनके लिए टनेज आधार पर रायल्टी वसूली जाती है, को छोड़कर सभी मुख्य खनिजों के लिए रायल्टी यथामूल्य आधार पर वसूली जाती है। रायल्टी गणना की यथामूल्य पद्धति में खनिजों के विभिन्न मूल्य स्लैबों एवं मूल्यों के चढ़ाव-उतार को ध्यान में रखते हुए रायल्टी की वसूली की अनुमति देती है। एमएमडीआर, 1957 की धारा 9 के अनुसार तीन वर्षों में केवल एक बार खनिजों की रायल्टी दरों में वृद्धि हेतु संशोधित किया जा सकता है। तदनुसार, मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट एवं भराई वाले बालू को छोड़कर) के संबंध में रायल्टी दरों को अंतिम बार दिनांक 13. 8.2009 को संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने रायल्टी की दरों में समीक्षा के लिए दिनांक 13.9.2011 को मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट एवं भराई हेतु बालू को छोड़कर) हेतु रायल्टी दरों एवं डेड रेंट में संशोधन के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया हैं सरकार, मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भराई हेतु बालू को छोड़कर) हेतु रायल्टी दरों एवं डेड रेंट के संशोधन पर अध्ययन समूह की अंतिम रिपोर्ट पर विचारोपरांत रायल्टी की दर में किसी प्रकार के संशोधन पर विचार करेगी।

जल विद्युत परियोजनाएं

3402. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेष रूप से गुजरात में कतिपय जल विद्युत परियोजनाएं विहित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रख्यात कार्यकर्ताओ, बुद्धिजीवियों और पर्यावरणविदों ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को उनद परियोजनाओं का वित्त पोषण रोकने के लिए लिखा है जो परिस्थितिकीय प्रभावों की पूर्णतया अनदेखी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) वर्तमान में, देश में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायाता से चार जल-विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता) का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और इनमें से कोई भी गुजरात में स्थित नहीं हैं इस संबंध में, हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल), राज्य सरकार उपक्रम, ने सूचित किया है कि लोगों के एक समूह ने एडीबी को असत्यापित प्रत्ययपत्रों सहित निराधार आरोपों पर आधारित वित्त पोषण को रोके जाने के लिए लिखा था। एचपीपीसीएल ने बताया था कि इन आरोपों की प्रारंभिक जांच से से यह पता चला है कि रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं थी और अभिप्रेरित और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है।

यकृत प्रत्यारोपण सुविधाएं

3403. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीब मरीजों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में अभी भी यकृत प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार का विचार सभी सरकारी तथा धर्मार्थ अस्पतालों में यकृत प्रत्यारोपण सुविधा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। राज्य सरकारों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य

परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तथापि, दिल्ली में लीवर प्रत्यारोपण के लिये मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओए), 1994 के तहत पंजीकृत सरकारी अस्पताल निम्नलिखित हैं:–

1. जी.बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली
2. इंस्टीच्यूट ऑफ लीवर व बिलियरी साइंसेज, वसंत कुंज, नई दिल्ली
3. आर्मी अस्पताल (आरएंडआर), दिल्ली कैंट
4. एम्स, नई दिल्ली

विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन और नई सुविधाओं का सृजन एक सतत् प्रक्रिया है और कोष की उपलब्धता और अन्य जरूरतों के अनुसार इन पर कदम उठाये जाते हैं। वर्तमान समय में तीनों सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एलएचएमसी और इसके संबद्ध अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

55-9

जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेजों के रूप में उन्नयन

3404. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जिला अस्पतालों का उन्नयन मेडिकल कॉलेजों के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पहचान किए गए जिला अस्पतालों का ब्यौरा क्या है और क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि नियत/आबंटित की गई हैं; और

(घ) देश में कब तक सभी जिला अस्पतालों का उन्नयन मेडिकल कॉलेजों के रूप में किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) वर्तमान समय में, देश के जिला अस्पतालों को उन्नत कर चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) ने अपनी रिपोर्ट में अल्पसेवित जिलों में विशेष रूप से नये चिकित्सा महाविद्यालयों को जिला अस्पतालों से जोड़ कर नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की है। जिला अस्पतालों से सम्बद्ध नये चिकित्सा महाविद्यालयों का खुलना योजना आबंटन और प्राथमिकता निर्धारण पर निर्भर है।

560-64

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं

3405. श्री समीर भुजबल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठ फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से देश में कितनी विद्युत परियोजनाओं ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा और नाम क्या हैं तथा उनके सक्षम कार्यकरण से संबंधित पहलुओं का ब्यौरा क्या है एवं इन कंपनियों द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा और प्रशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सराकरों ने उक्त कंपनियों से बिजली खरीदना शुरू कर दिया है या बिजली खरीद समझौते में खामी के कारण राज्य बिजली कंपनियों को दंड का भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी के लिए विचार की गई आठ फास्ट ट्रेक आईपीपी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। निम्नलिखित चार आईपीपी शुरू की गई हैं–

(i) दाभोल विद्युत परियोजना (आरजीपीपीएल) महाराष्ट्र।

(ii) जेगरूपाडु सीसीजीटी (मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड) आंध्र प्रदेश।

(iii) गोदावरी सीसीजीटी (मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड) आंध्र प्रदेश।

(iv) नैवली टीपीएम-शून्य यूनिट (मैसर्स एसटीसीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी) तमिलनाडु।

टैरिफ तथा इन चार शुरू किए गए आईपीपी द्वारा उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) पहले से ही शुरू की जा चुकी चार फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित समग्र विद्युत का क्रय संबंधित पीपीए के अंतर्गत लाभग्राहियों द्वारा किया जाता है और अभी तक इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी के लिए विचार की गई 8 फास्ट विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक/ राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	2	3	4
1.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज) आंध्र प्रदेश	236	परियोजना शुरू कर दी गई है।
2.	दाभोल सीसीजीटी (मैसर्स एनजैन यूएसए की मैसर्स दाभोल पावर कंपनी)-एनटीपीसी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और भारतीय वित्तीय संस्थानों से इक्विटी भागदारी वाली कंपनी के संयुक्त उपक्रम आरजीपीपीएल द्वारा शुरू किया गया।	वास्तविक क्षमता फेज-I 740 फेज-II-1444 संशोधित क्षमता 1967* *सीईआरसी आदेश दिनांक 18.8.2010 के अनुसार	यह परियोजना 1967 मेगावाट के साथ पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक है।
3.	गोदावरी सीसीजीटी (मैसर्स स्पैक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड) आंध्र प्रदेश	208	परियोजना शुरू कर दी गई है।
4.	भद्रावती टीपीएस (मैसर्स सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी लिमिटेड। निप्पन जेनरो इस्पात लिमिटेड द्वारा प्रमोटेड)	2×536	परियोजना को दिनांक 29.12.1994 के सीईए के पत्र के माध्यम से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है।
5.	मंगलौर टीपीएस (मैसर्स मंगलोर पावर कंपनी कांजेंट्रिक्स एनर्जी इंक की सहायक कंपनी यूएसए एंड जनरल इलेक्ट्रिक कैपीटेल कारपोरेशन) कर्नाटक	4×253.3	परियोजना को दिनांक 10.7.1996 के सीईए के पत्र के माध्यम से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है।
6.	विशाखापत्तनम टीपीपी (मैसर्स हिंदुजा नेश्कानल पावर कार्पो लि.) आध्र प्रदेश	2×520=1040	परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना 2013-14 में शुरू की जानी निर्धारित है।
7.	नेवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मैसर्स एसटीसीएमएस इलेक्ट्रि कंपनी) तमिलनाडु	1×250	परियोजना शुरू की गई है।
8.	आईबी वैली टीपीएस यूनिट 5 एंड 6 (मैसर्स एईएस आईबी वैली कार्पो) ओडिशा	2×250	परियोजना को दिनांक 26.2.1999 के सीईए के पत्र के माध्यम से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

विवरण-II

चालू हो चुकी चार फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत के टैरिफ का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टैरिफ
1.	जेगुरूपाडु सीसीजीटी (मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज) आंध्र प्रदेश	2009-10 में 86.85% पीएलएफ पर रु. 1.92 कि.वा.घं. 2010-11 में 74.20% पीएलएफ पर रु. 2.83 कि.वा.घं. 2011-12 में 74.53% पीएलएफ पर रु. 2.71 कि.वा.घं.
2.	दाभोल सीसीजीटी (आरजीपीपीएल) महाराष्ट्र	2010-11 में रु. 4.00 कि.वा.घं.
3.	गोदावरी सीसीजीटी (मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जेनेरेशन लि.) आंध्र प्रदेश	2009-10 में 85.92% पीएलएफ पर रु. 2.06 कि.वा.घं. 2010-11 में 79.83% पीएलएफ पर रु. 2.42 कि.वा.घं. 2011-12 में 68.36% पीएलएफ पर रु. 3.00 कि.वा.घं.
4.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मैसर्स एसटीसीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी) तमिलनाडु	रु. 3.83/कि.वा.घं. (2010-11) रु. 4.03/कि.वा.घं. (2011-12)

विवरण-III

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2012-13 (जुलाई 12 तक) फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के वास्तविक विद्युत उत्पादन

राज्य	क्षेत्र	केंद्र का नाम	31.07.2012 को क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) 2012-13 (जुलाई 12 तक)*	2011-12	2010-11	2009-10
महाराष्ट्र	केंद्रीय	रत्नागिरी सीसीपीपी	740	401.36	2950.5	4148.41	2504.97
महाराष्ट्र	केंद्रीय	रत्नागिरी सीसीपीपी	740	1178.54	4846.46	3135.84	3340.21
महाराष्ट्र	केंद्रीय	रत्नागिरी सीसीपीपी	740	1262.56	3822.12	4592.6	2445.37
आंध्र प्रदेश	निजी	जेगुरूपाडु सीसीपीपी	455.4	818.65	2833.49	3094.23	3348.39
आंध्र प्रदेश	निजी	गोदावरी सीसीपीपी	208	384.01	1282.46	1464.36	1553.13
तमिलनाडु	निजी	नैवेली टीपीएस (जेड)	250	649.21	1835.17	1796.99	1793.4

*अनंतिम

सानदान

3406. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल 33 प्रतिशत शिशुओं को पहले छह महीने में स्तनपान कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्तनपान के विभिन्न लाभों के बारे में लोगों में और अधिक जागरुकता पैदा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश के सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों को नव प्रसूताओं को स्तनपान के महत्त्व के बारे में परामर्श देने के लिए कहने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण, 2009 के अनुसार, 6-9 महीने की आयु वर्ग के 37 प्रतिशत बच्चों को उनके जीवन के पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान करवाया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों की वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए कार्यकलाप चलाने हेतु धन आबंटित किया जाता है। इन कार्यकलापों में स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त) के दौरान स्तनपान जागरुकता अभियान, सामुदायिक कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा का विकास और उपयोग तथा स्तनपान के बारे में परामर्शी सामग्री शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आशाएं जन्म के पहले 6 सप्ताहों के दौरान नवजातों के घर पर दौरा करती है और माता तथा परिवार को केवल स्तनपान और इसके लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए इस अवसर का उपयोग करती हैं।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शुरू में ही स्तनपान (जन्म के एक घंटे के भीतर) शुरू करने के लिए प्रसव के स्थानों पर डॉक्टरों, नर्सों और सहायक नर्सधात्रियों सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों तथा प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवधि के दह्लैरान माताओं को शिक्षित करने के लिए सुग्रहित कर रहा है।

शिशु व छोटे बच्चे को खिलाने-पिलाने संबंधी पद्धतियों, जिसमें एक महत्त्वपूर्ण संघटक के रूप में केवल स्तनपान शामिल है, को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खनिज रियायत

3408. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कंपनियों को खनिज रियायत देने हेतु उचित प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने खनिज बहुल क्षेत्रों को केन्द्र के पीएसयू के लिए आरक्षित करने का जोरदार समर्थन किया है और कहा है कि सरकारी कंपनियों की देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुख्य खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क हेतु सरकारी वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र के पीएसयू के लिए खान आरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जैसा कि कोयले के मामले में किया जा रहा है।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) केंद्र सरकार ने लोकहित में खानों के विनियमन तथा खनिज विकास को अपने नियंत्रण में रखा है, तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर अधिनियम) तैयार किया और एमएमडी आर अधिनियम की धारा 17 क (1क) तथा (2) के अनुसार लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम सहित प्रमुख खनिजों हेतु पूर्वेक्षण या खनन प्रचालनों को शुरू करने के लिए केंद्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पक्ष में क्षेत्रों के आरक्षण की स्वीकृति दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पक्ष में निर्णय करने से पहले अलग-अलग मामलों की गुण-दोष आधार पर सभी प्रस्तावों की जांच की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण लाभ

3409. श्री यशंवत लागुरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ संपन्न जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण लाभ को हथिया लेने के संबंध में कोई समीक्षा/ मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन अधिकार समिति

3410. श्री भक्त चरण दास: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 राज्य सरकारों द्वारा वन अधिकार संबंधी समिति के गठन करने का अधिदेश देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की प्रदत्त शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश में सभी राज्यों द्वारा वन अधिकार संबंधी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या है जहां यह समिति अभी गठित की जानी बाकी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 राज्य सरकारों द्वारा वन अधिकार समिति के गठन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गये, तथापि, इसके कार्यों में इसकी सहायता करने के लिए ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति के गठन हेतु–

(1) विशिष्ट प्रपत्रों में दावों तथा ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्यों की प्राप्ति, पावती तथा इन्हें सुरक्षित रखना;

(2) नक्शों सहित दावों तथा साक्ष्य के रिकॉर्ड तैयार करना;

(3) वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तैयार करना;

(4) नियमों में यथा प्रदत्त दावों को सत्यापित करना;

(5) इसके विचार के लिए ग्राम सभा के समक्ष दावों की प्रकृति तथा सीमा पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना;

(6) लिखित रूप में प्रत्येक प्राप्त दावे की पावती;

(7) निर्धारित प्रपत्र में सामुदायिक वन अधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे तैयार करने, का प्रावधान करते हैं।

नियम यह प्रावधान भी करते हैं कि वन अधिकार समिति संबंधित दावेदारों तथा वन विभाग को देय सूचना के पश्चात्–

(क) स्थल का दौरा करेगी तथा स्थल पर दावे एवं साक्ष्य की प्रकृति एवं सीमा को वास्तविक रूप से सत्यापित करेगी;

(ख) दावेदार तथा गवाहों से किसी अन्य साक्ष्य या रिपोर्ट को प्राप्त करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए चरवाहों तथा घुमन्तु जनजातियों से दावा जो व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम से हो सकता है, को उस समय सत्यापित किया जाता है जब ऐसे व्यक्तियों, समुदायों या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि आवास के लिए उनके अधिकारों के निर्धारण हेतु आदिम जनजाति समूह या पूर्व कृषीय समुदाय के सदस्य से दावा जो उनके समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम से हो सकता है, को उस समय सत्यापित किया जाता है जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों;

(ङ) मान्यता योग्य लैंडमार्कों को दर्शाते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र का सीमांकन नक्शा तैयार करेगी; तथा

(च) दावे पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करेगी तथा इन्हें ग्राम सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने वन अधिकार समिति गठित कर ली है तथा जिन्हें अभी ऐसी समितियां गठित की जानी हैं, के नामों का ब्यौरा

(301.7.2012 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने वन अधिकार समितियां गठित कर ली हैं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें वन अधिकार समितियां गठित की जानी हैं
आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
असम	मणिपुर
बिहार	मेघालय
छत्तीसगढ़	नागालैंड
गोवा	सिक्किम
गुजरात	दमन और दीव
हिमाचल प्रदेश	दादरा और नगर हवेली
कर्नाटक	
केरल	
मध्य प्रदेश	
महाराष्ट्र	
मिजोरम	
ओडिशा	
राजस्थान	
तमिलनाडु	
त्रिपुरा	
उत्तर प्रदेश	
उत्तराखंड	
पश्चिम बंगाल	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	

नोट:

(i) अरुणाचल प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि भारतीय संघ के अन्य राज्यों जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अल्पसंख्या में हैं तथा सामाजिक आर्थिक रूप से प्रबल गैर-जनजातीय जनसंख्या द्वारा हाशिये पर ला दिये गये हैं, के विपरीत अरुणाचल प्रदेश राज्य पूर्ण रूप से विभिन्न मानवजातीय जनजातीय समूहों द्वारा आबाद है जिनकी भूमि तथा वन विशिष्ट रूप से पहाड़ियों, शृंखलाओं, नदियों तथा सरिताओं की प्राकृतिक

सीमाओं के साथ विशिष्ट रूप से चिह्नित हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों, आरक्षित वनों के तहत भूमि की कुछ पॉकेटों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में अधिकतर भूमि सामुदायिक भूमि है। एक समुदाय या जनजाति से संबंधित भूमि तथा वन की क्षेत्रीय सीमाएं जनजातियों में वन भूमि या जन्म निकायों के कब्जे पर किसी निकाय के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए अन्य से भी इसी रेखा पर चिह्नित की जाती है। अत:, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सही अर्थों में अरुणाचल प्रदेश राज्य में अधिक संगत नहीं है।

(ii) मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि मणिपुर में जनजातीय समुदाय तथा जनजातीय मुखिया पहले ही गैर-आरक्षित वन क्षेत्रों में अपनी पैतृक भूमि के रूप में वन भूमि पर कब्जा किये हुए हैं। अत:, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन मणिपुर में कम से कम माना जाता है।

(iii) मेघालय सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में भूमि का 96% वंशों/समुदायों/व्यक्तियों द्वारा उनके स्वामित्व में है। अत: अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सीमित कार्य क्षेत्र हैं।

(iv) नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि नागा लोगों की भूधारण प्रणाली तथा ग्राम प्रणाली इस प्रकार से विशिष्ट है कि लोग भूमि के स्वामी हैं। अत:, अधिनियम स्वभावत: नागालैंड राज्य में लागू नहीं हो सकता है। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(क) के प्रावधान के अनुसार नागालैंड में अधिनियम की प्रयोजनीयता की जांच करने के लिए समिति गठित की गई है।

(v) सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि सिक्किम में सही अर्थों में कोई वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं हैं। सिक्किम की अधिकतर जनजातियां अपने नाम पर राजस्व भूमि को धारण किये हैं तथा वे अपनी आजीविका के लिए केवल वनों पर निर्भर नहीं हैं।

(vi) दमन और दीव सरकार ने सूचित किया है कि मुख्य वन संरक्षक दमन और दीव ने सूचित किया है कि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई वन ग्राम नहीं है, तथापि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत, दमन और दीव तथा समाहर्ता दमन और दीव जिला दोनों से अधिनियम के प्रावधान का प्रचार करने का अनुरोध किया गया है।

(vii) दादरा और नगर हवेली सरकार ने सूचित किया है कि अग्रिम तौर पर नोटिस भेजने और प्रचार के बावजूद ऐसी ग्राम सभाओं के सभी सदस्यों के 2/3 के कोरम की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना कठिन हैं। सभी ग्राम सभाओं में वन अधिकार समितियों के गठन के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

खाद्य कानून 571-76

3411. श्री रामसिंह राठवा:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विनिर्मित और बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में कितने खाद्य विश्लेषक नियुक्त हैं;

(ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित खाद्य सुरक्षा के वर्तमान मानक लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों के समान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विद्यमान खाद्य कानूनों के अनुसार पैकेज युक्त नेचुरल मिनरल वाटर और पेयजल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रमाणपत्र बगैर अप्राधिकृत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में खाद्य विश्लेषक का कोई पद नहीं है। रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं (पूर्व में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के नाम से ज्ञात) में संबंधित प्रयोगशाला निदेशक द्वारा विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है। राज्य सरकार की खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 45 के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया जाता है।

(ख) और (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उनके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक, चाहे बड़ा हो या छोटा, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथ खाद्य योजक) विनियम, 2011 के उपबंधों का अनुपालन करना होता है।

(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उनके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार, पैकेज्ड पेयजल/मिनजरल वाटर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए बी.आई.एस. प्रमाणन अपेक्षित होता है।

(ङ) पैकेज्ड पेयजल/मिनरल वाटर से संबधित मामलों के लिए कोई अलग आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जतो हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के दर्ज/चालान किए गए मामलों की संख्या तथा दोष-सिद्धि के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज, चालान तथा दोषसिद्ध किए गए मामलों की संख्या के संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009		2010		2011-2012	
		दर्ज, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या	दर्ज, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या	दर्ज, चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	415	32	382	37	342	56
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	1	16	7	-	-
4.	असम	105	11	103	10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	बिहार	237	0	293		251	शून्य
6.	चंडीगढ़	153	7	121	118	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	छत्तीसगढ़	0	0			अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	शून्य	शून्य
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	दिल्ली	225	99	0	127	70	शून्य
11.	गोवा	9	0	2	0	13	-
12.	गुजरात	619	44	683	99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13.	हरियाणा	496	71	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	हिमाचल प्रदेश	143	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	जम्मू और कश्मीर	2661	1230	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	126	12
16.	झारखंड	0	0	26	0	53	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	कर्नाटक	56	0	91	2	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	केरल	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध	छ.।
20.	मध्य प्रदेश	533	23	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	मणिपुर	445	68	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	677	74
22.	मणिपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	मेघालय	0	0	0	0	-	-
24.	मिजोरम	0	0	0	0	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	0	2	3	3	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26.	ओडिशा	82	3	29	6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28.	पंजाब	310	34	516	30	-	-
29.	राजस्थान	1022	3	806	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30.	सिक्किम	3	1	3	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31.	तमिलनाडु	0		127	110	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	उत्तर प्रदेश	3492	287	3789	540	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	उत्तराखंड	17	8	52	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	पश्चिम बंगाल	22	0	22	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल	11061	1942	7064	1133	1532	142

संकेत : शून्य = 0

[हिन्दी] 575-82

आंगनवाड़ी केन्द्र

3412. **श्री भरत राम मेघवाल:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री राजू शेट्टी:
श्री पी. बलराम नाईक:
श्री नरहरि महतो:
श्री जयराम पांगी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में देश में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का चलाने के लिए संस्वीकृत राशि, जारी की गई राशि तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान परिदृश्य में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को चलाने के लिए आवंटित राशि पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए निधि पुनः आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, भारत सरकार ने कुल 7076 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैं, जिनमें 20,000 मांग पर आंगनवाड़ी शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रक्षेपित मांग के आधार पर परियोजनाएं एवं आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए जाते हैं और आज की तारीख तक कुल 7076 परियोजनाएं एवं 13.70 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत, निर्मुक्त एवं उपयोग की गई निधि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) आवंटित राशि वर्तमान स्थिति में समेकित बाल विकास सेवा के वर्तमान योजनागत और वित्तीय मानदंडों के संबंध में पर्याप्त हैं। कम पड़ने पर पूरक मांग अनुदान/पुनःविनियोजन द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) से (च) उपरोक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आईसीडीएम स्कीम के अंतर्गत वर्ष (2009-10, 2010-11, 2011-12, और 2012-13 दिनांक 30.06.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त् और व्यय की गई निधि दर्शाते हुए राज्य-वार स्थिति

(रूपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		निर्मुक्त निधि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त निधि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त निधि	राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय	निर्मुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	67592.46	92324.12	52642.99	106831.51	92895.37	148891.95	22752.31
2.	बिहार	70459.67	124974.02	73521.14	86703.17	81909.11	91761.96	25569.35
3.	छत्तीसगढ़	21855.59	35705.82	26276.60	42171.18	38502.25	41730.36	11573.45
4.	गोवा	1214.95	1746.62	1220.97	1580.89	1257.49	1524.47	875.14
5.	गुजरात	24683.74	45772.30	30918.18	64296.33	80665.68	81552.01	15227.01
6.	हरियाणा	15060.57	25589.88	16029.44	22680.64	22752.56	29254.75	6964.01
7.	हिमाचल प्रदेश	10027.87	14276.21	11193.59	13680.11	14723.44	18809.82	3956.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	जम्मू और कश्मीर	10000.17	8383.48	16701.40	10596.73	16958.11	22312.06	5919.74
9.	झारखण्ड	29785.46	67668.21	41356.78	51301.96	32638.51	46678.41	11985.01
10.	कर्नाटक	47361.74	79483.01	42973.88	80997.30	76766.99	97352.15	17645.95
11.	केरल	21832.85	30015.50	20823.09	31316.64	37075.31	32853.82	7298.86
12.	मध्य प्रदेश	42857.74	86337.27	70090.32	127947.83	92877.29	152153.72	25513.33
13.	महाराष्ट्र	52588.50	96092.87	62853.48	121168.51	142969.35	2055054.62	34011.67
14.	ओडिशा	36472.30	52977.57	41167.69	72423.36	68328.66	86839.56	17551.71
15.	पंजाब	11008.99	19408.69	16235.22	19693.47	26258.52	30647.97	7321.21
16.	राजस्थान	33564.26	50931.70	37463.41	69639.04	59253.76	89404.72	15803.83
17.	तमिलनाडु	31235.07	50292.47	38715.60	60292.20	54283.32.	48389.61	13878.76
18.	उत्तराखण्ड	4458.2	6769.53	5161.39	277202.14	11815.29	13093.60	2578.60
19.	उत्तर प्रदेश	138321	234759.86	186898.4	65761.38	221764.68	334662.08	68328.38
20.	पश्चिम बंगाल	50593.50	92463.49	65991.03	107997.06	116162.04	132895.08	29323.79
21.	दिल्ली	7381.34	9893.53	7648.51	12486.21	6935.94	16432.00	3311.36
22.	पुदुचेरी	388.91	766.03	751.49	993.96	1728.79	787.55	362.01
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	436.43	803.90	432.25	755.57	720.73	1087.03	408.17
24.	चंडीगढ़	448.28	468.60	374.33	524.34	627.50	860.51	656.82
25.	दादरा और नगर हवेली	221.42	181.87	200.43	214.29	198.43	134.82	175.45
26.	दमन और दीव	106.92	236.28	91.76	124.79	114.85	263.61	242.70
27.	लक्षद्वीप	163.9	75.87	57.18	175.56	199.52	171.87	146.44
28.	अरूणाचल प्रदेश	4035.04	4477.47	9439.42	8568.17	9776.70	6948.58	2282.64
29.	असम	41510.33	36601.54	57982.42	48660.31	68745.78	83671.03	21860.87
30.	मणिपुर	4865.11	4887.13	8157.31	9033.56	8172.36	5393.12	2927.64
31.	मेघालय	7403.15	9532.79	8133.31	8856.04	9489.85	10267.18	2416.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	मिजोरम	4110.02	4190.20	4557.61	4858.35	4581.50	5058.57	2412
33.	नागालैण्ड	7684.2	5834.88	7046.38	9860.71	10785.86	8700.78	2140.04
34.	सिक्किम	1477.92	1270.19	865.73	1562.85	1335.71	1955.71	1204.87
35.	त्रिपुरा	10249.88	6946.96	11596.61	8395.49	13235.36	13137.55	2180.44
36.	एकेबीवाई (एलआईसी)*	691.80		742.00		663.72		
	कुल	812149.30	1302139.86	976311.34	1549351.65	1427170.33	1861183.63	386806.44

*आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना।

[अनुवाद]

581-82

ग्राम सभा की बैठक और कार्यवाहियों की वीडियों रिकार्डिंग

3413. श्री के.पी. धनपालन: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें करने और ग्राम सभा की चर्चाओं की विडियों रिर्काडिंग करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश/सलाह जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कदम के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है;

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उक्त अनुदेशों के क्रियान्वयन/अनुपालन के संबंध में की गई प्रगति और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को उन राज्यों में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिन्होंने उक्त अनुदेशों का पालन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को ग्राम पंचायत बैठकों का एक वार्षिक तैयार करने का परामर्श दिया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें अग्रिम और व्यापक रूप से प्रचारित सूचना के माध्यम से हो रही हैं। मंत्रालय ने ग्राम सभा की सभी बैठकों का पूर्ण विडियोग्राफिक रिकार्ड तैयार करने का भी परामर्श दिया है। सरकार का उद्देश्य पंचायती राज प्रणाली में आधारभूत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एवं उनमें सुधार लाना है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय एक वर्ष में आयोजित बैठकों की संख्या संबंधी आंकड़े तथा बैठकों की प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी अनुरक्षण नहीं कर रहा है।

582-84

पंचगव्य का औषधीय उपयोग

3414. श्री पी. करूणाकरन:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंचगव्य (गाय से मिलने वाले पांच उत्पाद) विशेषकर गौमूत्र के चिकित्सकीय उपयोग को मान्यता देती है जिसका प्रयोग आयुर्वेद में होता है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ख) पंचगव्य थैरेपी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले संस्थानों/भेषज इकाइयों की संख्या क्या है तथा इन उत्पादों के देश में प्रमाणन एवं विपणन के लिए निर्धारित मानकों और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न बिमारियों में पंचगव्य के असर को पहचानने के लिए कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है/उसमें सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस प्रयोजन के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। आयुर्वेद में औषधि तैयार करने की प्रक्रिया में कई जड़ी-बूटीय औषधों (जैसे 'कुपिलू' तथा 'गुंजा' आदि) धातुओं और खनिजों के शुद्धीकरण के लिए पंचगव्य इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गौमूत्र शामिल होता है। ऐसी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनमें गौमूत्र भी मिलाकर इन्हें सुदृढ़ किया जाता है।

(ख) पंचगव्य चिकित्सा उपचार उत्पादों सहित आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करने वाले संस्थानों/फार्मास्युटिकल यूनिटों की संख्या के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं। आयुष विभाग द्वारा पंचगव्य घृत के गुणवत्ता मानक भारतयीय आयुर्वेदिक भेजषसंहिता, भाग-II खंड-I में प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) आयुष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परषिद (सीसीआरएएस) द्वारा 'पंचगव्य घृत की रोग प्रतिरक्षा किया तथा सुरक्षा/विषाक्तता का मूल्यांकन' नामक अध्ययन किया गया है यह पाया गया कि पंचगव्य घृत सुरक्षित, विषाक्तता-रहित तथा प्रभावी रोग प्रतिरक्षक है। सीसीआरएएस ने इस प्रयोजनार्थ 7.5 लाख रुपये की राशि आबंटित की जिसमें से वर्ष 2010-11 के दौरान 3,96,626/- रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

इसके अलावा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) ने गौमूत्र पर कुछ मूल अनुसंधान किया है। इसने निम्नलिखित पेटेंटों के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार प्राप्त किया है;

(i) संक्रमण रोधी और कैंसर रोधी एजेंटों के बायोएनहैंसर के रूप में काऊ यूरिन डिस्टिलेट (गौमूत्र) का इस्तेमाल।

उपर्युक्त विषयक पेटेंटों को सीएसआईआर-सीआईएमएपी, लखनऊ तथा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर के नाम से संयुक्त रूप से दायर किया गया।

(ii) एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काऊ यूरिन डिस्टिलेट वाला भेषजीय संघटन

उपर्युक्त विषय पर पटेंटों को सीएसआईआर-एनईईआरआई, नागपुर के नाम से दायर किया गया। यह पेटेंट पुन: आसवित गौमूत्र डिस्टिलेट (आरसीयूडी) पर आधारित है।

584 - 90

पंजीकृत चिकित्सक और नर्सें

3415. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल पंजीकृत चिकित्सों और नर्सों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश के लगभग 27 प्रतिशत पंजीकृत चिकित्सक और लगभग 63 प्रतिशत नर्सें अब सक्रिय नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस विषय में कराए गए सर्वेक्षण/आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकों और नर्सों द्वारा अपना व्यवसाय छोड़ने वाला अथवा परिवर्तन कराने के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है और परिस्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा भारतीय उपचर्या परिषद उनके संबद्ध व्यवसायियों के नाम वाले रजिस्टर रखती है। चूंकि ये अद्यतन रजिस्टर नहीं होते हैं, इसलिए उनके व्यवसायों में सक्रिय प्रैक्टिशनरों की प्रतिशतता का सही रूप से आकलन करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) डॉक्टरों तथा नर्सों द्वारा उनके व्यवसाय को छोड़ने या बदलने के लिए जिम्मेवार कारकों में उच्चतर अध्ययन जारी रखना तथा रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। सरकारी क्षेत्र

में इस रूझान को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद वेतन एवं भत्तों में अत्यधिक वृद्धि की गई है।

(ii) चिकित्सा संस्थाओं के संकाय की अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की दी गई है।

(iii) केंद्र सरकार की संस्थाओं के संकाय के लिए सुनिश्चित पदोन्नति योजना को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया है।

(iv) संकाय के लिए उपलब्ध विभिन्न भत्तों जैसे कि प्रैक्टिसबंदी भत्ते, वाहन भत्ते, अध्ययन संसाधन भत्ते इत्यादि में अत्यधिक वृद्धि की गई है।

विवरण

32 जुलाई, 2012 को पंजीकृत डॉक्टरों का ब्यौरा

क्र.सं.	परिषद का नाम	पंजीकृत डॉक्टरों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश चिकित्सा परिषद	66429
2.	अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद	426
3.	असम चिकित्सा परिषद	19991
4.	बिहार चिकित्सा परिषद	37368
5.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद	4500
6.	दिल्ली चिकित्सा परिषद	8231
7.	गोवा चिकित्सा परिषद	2947
8.	गुजरात चिकित्सा परिषद	49379
9.	हरियाणा दंत व चिकित्सा परिषद	5717
10.	हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद	1223
11.	जम्मू और कश्मीर	12239
12.	झारखंड चिकित्सा परिषद	3800
13.	कर्नाटक चिकित्सा परिषद	94620
14.	मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद	27790
15.	महाराष्ट चिकित्सा परिषद	141460
16.	भारतीय चिकित्सा परिषद	42101
17.	ओडिशा कॉन्सिल ऑफ मेडीकल रजिस्ट्रेशन	16786

1	2	3
18.	पंजाब चिकित्सा परिषद	40258
19.	राजस्थान चिकित्सा परिषद	29942
20.	सिक्किम चिकित्सा परिषद	736
21.	तमिलनाडु चिकित्सा परिषद	87913
22.	त्रावनकोर चिकित्सा परिषद कोचीन	40361
23.	उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद	60593
24.	उत्तरांचल चिकित्सा परिषद	3701
25.	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद	60286
	कुल	858797

उपचर्या कार्मिकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	31.12.2011 को भारत में पंजीकृत उपचर्या कार्मिकों की कुल सं.		
		एएनएम	जीएनएम	एलएचवी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	121159	168947	2480
2.	असम	22495	16371	170
3.	बिहार*	7501	8883	511
4.	छत्तीसगढ़*	2278	3691	1352
5.	दिल्ली*	2575	32340	NA
6.	गुजरात*	36874	89460	NA
7.	हरियाणा*	15837	20015	694
8.	हिमाचल प्रदेश	10798	9939	499
9.	झारखंड*	3405	1998	137
10.	कर्नाटक*	49546	163695	6840
11.	केरल*	28556	109393	8012

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश*	28291	98277	1542
13.	महाराष्ट्र*	33158	93032	566
14.	मेघालय	867	2365	112
15.	मणिपुर*	461	1481	एनए
16.	मिजोरम	1774	2350	एनए
17.	ओडिशा*	59225	72461	238
18.	पंजाब*	18152	45801	2584
19.	राजस्थान*	24175	45762	850
20.	तमिलनाडु	54635	202949	11112
21.	त्रिपुरा*	1036	1266	148
22.	उत्तर प्रदेश	30767	25748	2763
23.	उत्तरांचल*	1111	387	11
24.	पश्चिम बंगाल*	56782	50409	12363
	कुल	611458	1267020	52984

टिप्पणी:

भारत में पंजीकृत नर्सों के लिए विगत वर्ष के आंकड़े

एएनए: सहायक नर्स छात्री

जीएनएम: सामान्य उपचर्या एवं छात्री

महिला स्वास्थ्य परिदर्शक

असम = असम + अरुणाचल प्रदेश + नागालैंड

महाराष्ट्र = महाराष्ट्र + गोवा

पंजाब = पंजाब + जम्मू और कश्मीर

तमिलनाडु = तमिलनाडु + अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

पश्चिम बंगाल = पश्चिम बंगाल + सिक्किम

अनुपलब्ध

कम वजन वाले शिशु

3416. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में पैदा कम वजन वाले शिशुओं की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संभावित माताओं को उनके पोषण में सुधार करने के बारे में शिक्षित करने के लिए क्या दम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं।

भारत में जन्म के समय कम वजन के बच्चों की घटना वैसी ही है जैसा कि बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में है। एनएफएचएस 3 के आंकड़ों के अनुसार, 22 प्रतिशत बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं (जन्म के समय 2500 ग्राम के कम वजन)। इसकी तुलना में वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए यूनिसेफ द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय कम वजन की घटना बांग्लादेश में 22 प्रतिशत, नेपाल में 21 प्रतिशत, पाकिस्तान में 32 प्रतिशत तथा चीन में 3 प्रतिशत है।

(ख) जन्म के समय कम वजन की स्थिति मुख्यतया गर्भावस्था से पूर्व तथा गर्भावस्था के दौरान माता के अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व विशेषतौर पर आयरन की कमी से होता है। अन्य कारण माता के संक्रमणों, शारीरिक परिश्रम, शैक्षणिक स्तर तथा घर के माहौल हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती माताओं को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम हैं:–

– आहार संबंधी पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनमें वांछित परिवर्तन लाने के लिए वीएचएनडी (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) संबंधी पोषण शिक्षा

– आरसीएच के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए किशोरियों एवं किशोरों के लिए जानकारी तथा परामर्श

– आहार तथा आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण के संबंध में प्रत्याचित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) द्वारा गर्भवती माताओं के साथ अंतर वैयक्तिक संप्रेषण तथा उन्हें परामर्श देना।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

3417. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण के लिए ठेकेदारों की सेवाएं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीस (पीयूसीएल) द्वारा जनहित मुकद्में में फाइल की गई रिटयाचिका सं0 196/2001 बनाम भारत का संघ एवं अन्य, भारत वे उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके दिनांक 7.10.2004 के आदेश जिसे 13.12.2006 और 22.4.2009 को दोहराया गया, द्वारा निर्देश दिए गये थे कि आंगनवाड़ियों को पोषण की आपूर्ति हेतु ठेकेदारों की सेवाएं न ली जाएं और विशेषतया आईसीडीएस निधियों को खाद्यान्न खरीदने और भोजन तैयार करने में खर्च करते समय ग्रामीण, समुदायों, स्व-सहायता दलों और महिला मंडलों का प्रयोग किया जाएगा।

इन निर्देशों के अनुसरण में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तद्नुसार 17.12.2004 को पत्र गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र फाइल करें। मंत्रालय ने फिर 20.12.2005 को सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को निर्देश जारी किए कि वे सुनिश्चित करें कि जहां तक सम्भव हो खाद्यान्न तथा अन्य मसाले इत्यादि खरीदने, आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाना तैयार करने तथा पूरक पोषण का निरीक्षण/मानीटरन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, दलों और महिला मण्डलों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 24.2.2009 को संशोधित आहार एवं पोषण मानक जारी किए जिसमें पूरक पोषण कार्यक्रम प्रदायगी की विधि और प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया और जिनका माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने दिनांक 22.04.2009 के आदेश के माध्यम से समर्थन किया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

असुरक्षित इंजेक्शन

3418. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री कामेश्वर बैठा:

श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिए गए 62.9 प्रतिशत इंजेक्शन तथा टीकाकरण केन्द्र पर टीकाकरण कार्यक्रम में नवजात शिशुओं को दिये गये 74 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीकाकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए गए असुरक्षित इंजेक्शन के कारण मरे नवजात शिशुओं की वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी हां, वर्ष 2004 में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दिए जाने वाले 62.9 प्रतिशत इंजेक्शन तथा टीकाकरण केंद्रों में रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में नवजात शिशुओं को दिए जाने वाले 74 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित हैं।

वर्ष 2002 से 2004 की अवधि के दौरान "इंजेक्शन प्रैक्टिसे इन इण्डिया" अध्ययन कराया गया और 2004 में इसे प्रकाशित किया गया। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में असुरक्षित इंजेक्शन के प्रयोग की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने वर्ष 2005 से रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में ऑटो डिसेबल (एडी) सिरिंजों का इस्तेमाल शुरू किया।

(ग) और (घ) एडी सिरिंज एक बार इस्तेमाल होने के बाद बंद हो जाता है जिससे इसका पुनः इस्तेमाल नहीं होता है, अतः वैक्सीन इंजेक्शन की प्रत्येक खुराक के लिए नए विसंक्रमित एडी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है और स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को रोग प्रतिरक्षण पद्धति के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार इन उपचारी उपायों से रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत असुरक्षित इंजेक्शन को देने के कारण किसी मौत की सूचना नहीं मिली है।

S 94.602

अनाथालय

3419. **श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनाथालयों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अर्हता मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनाथालयों को चलाने में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का ब्यौरा क्या है जो देश में अनाथों/निराश्रितों/परिव्यक्त व्यक्तियों/ गली-मोहल्ले के बालकों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/एन.जी.ओ. को संस्वीकृत, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उक्त प्रयोजनों हेतु दी गई धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) तीन अधिनियमों नामतः स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, अनाथालय और अन्य पूर्तआश्रम (पर्यवेक्षण और नियन्त्रण) अधिनियम 1960, तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जे.जे.एक्ट) में से एक के तहत अनाथालय स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों, जिनमें अनाथ शामिल हैं, के लिए जे.जे.एक्ट के तहत गृहों तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एस.ए.ए.) की स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जे.जे.एक्ट के तहत बनाई गई मॉडल नियमावली, 2007 में, संस्थाओं में बच्चों को देखरेख लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए

गए हैं तथ इसमें भौतिक अवसंरचना के मानक, कपड़ा, शय्या, पोषण तथा आहार और शिक्षा, व्यावसयिक प्रशिक्षण परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपाय शामिल हैं।

गृहों तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसिंयों (एस.ए.ए.) जो जे.जे.एक्ट तथा उसके अधीन नियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित किए जाते हैं, को अनुदान निर्मुक्त करने के प्रस्तावों की जांच की जानी अपेक्षित है तथा स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए इन्हें अनुशंसित किए जाने से पूर्व, राज्य सरकार के संबंधित सचिव की अध्यक्षता में तथा आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत गठित परियोजना संस्वीकृत समिति द्वारा उनका समाशोधन किया जाना अपेक्षित है।

(ख) ऐसे गृहों तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसिंयों (एस.ए.ए) की स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए, केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के बीच निधियों की भागीदारी की अनुपात संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान समेकित बालक संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत अनाथों/नि:सहाय/उपेक्षित/बेघर बच्चों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर-सरकारी संगठना (एन.जी.ओ.) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष, प्रत्येक के दौरान (आई. सी.पी.एस.) के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन को संस्वीकृत की गई तथा निर्मुक्त की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-III पर दर्शाए गए हैं। संस्वीकृत तथा निर्मुक्त की गई निधियों का सामान्यतया उपयोग कर लिया जाता है। तथापि खर्च न किया गया शेष यदि कोई हो बाद के वर्ष के लिए उपयुक्त अनुदान से समायोजित कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) पश्चिम बंगाल में कार्यरत एक गैर-सरकारी संगठन के विरूद्ध एक शिकायत मंत्रालय में प्राप्त हुई है। इसके संबंध में पश्चिम-बंगाल सरकार से संगठन के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने तथा एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

आश्रालयों तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) की स्थापना तथा उनके रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ.) के बीच निधियों की भागीदारी के अनुपात का ब्यौरा

क.	पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा राज्यों के लिए	आश्रालय			एसएए		
		केन्द्र	राज्य	एनजीओ	केन्द्र	राज्य	एनजीओ
1.	सरकार द्वारा संचालित	75%	25%	-	75%	25%	-
2.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित	75%	15%	10%	90%	-	10%
ख.	पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए	आश्रालय			एसएए		
		केन्द्र	राज्य	एनजीओ	केन्द्र	राज्य	एनजीओ
1.	सरकार द्वारा संचालित	90%	10%	-	90%	10%	-
2.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित	90%	-	10%	90%	-	10%

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान देश में अनाथ/निराश्रित/उपेक्षित/बेघर बच्चों के कल्याण हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या		
		गृह	मुक्ताश्रय	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	17	0
2.	असम	0	3	5
3.	बिहार	0		2
4.	छत्तीसगढ़	5		0
5.	गुजरात	23		1
6.	हरियाणा	4		1
7.	हिमाचल प्रदेश	14	2	1
8.	झारखण्ड	0		3
9.	कर्नाटक	11	15	17
10.	केरल	0	3	14
11.	मध्य प्रदेश	0		14
12.	महाराष्ट्र	52	4	17
13.	मणिपुर	13	1	1
14.	मेघालय	14		0
15.	मिजोरम	0		3
16.	नागालैण्ड	10	1	2
17.	ओडिशा	15		18
18.	पंजाब	0		5
19.	राजस्थान	28	2	3
20.	सिक्किम	3		1
21.	तमिलनाडु	23	14	18

1	2	3	4	5
22.	त्रिपुरा	0	3	3
23.	उत्तर प्रदेश	18	18	0
24.	पश्चिम बंगाल	27	22	14
25.	चंडीगढ़	0	1	0
26.	दिल्ली	7	13	0
27.	पुदुचेरी	0	2	0
	कुल	267	121	143

विवरण-III

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि (रूपये लाखों में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (27.08.2012 तक की स्थिति)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	504.49	902.54	2038.24	-
2.	असम	129.92	301.79	-	242.62
3.	बिहार	-	604.58	115.22	-
4.	छत्तीसगढ़	206.13	-	-	-
5.	गुजरात	269.42	490.54	626.37	-
6.	हरियाणा	25.89	371.86	147.29	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	314.47	-
8.	झारखण्ड	-	-	420.67	-
9.	कर्नाटक	203.11	381.67	1410.91	779.67 89.52#
10.	केरल	149.16	320.21	333.33	-
11.	मध्य प्रदेश	481.62	-	240.31	-

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	–	3730.28	1174.79	–
13.	मणिपुर	105.42	202.29	216.16	–
14.	मेघालय	–	102.13	211.25	–
15.	मिजोरम	–	195.36	225.46	–
16.	नागालैण्ड	190.12	–	942.51	–
17.	ओडिशा	146.42	545.38	546.98	–
18.	पंजाब	–	–	574.65	–
19.	राजस्थान	225.07	332.47	566.55	–
20.	सिक्किम	–	–	88.94	–
21.	तमिलनाडु	193.12	447.65	1276.56	–
22.	त्रिपुरा	–	221.40	198.38	–
23.	उत्तर प्रदेश	–	–	2142.25	–
24.	पश्चिम बंगाल	500.86	186.83	1205.52	–
25.	चंडीगढ़	–	–	17.96	–
26.	दिल्ली	–	237.29	341.93	287.20
27.	पुदुचेरी	–	107.22	–	–
28.	चाईल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन, मुम्बई	932.98	1789.90	2316.37	1249.55* कोई नहीं#
	कुल	4263.73	11471.39	17693.07	2559.04* 619.34#

*संस्वीकृत राशि

#निर्मुक्त राशि

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

3420. श्री सोमेन मित्रा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने हेतु विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एमओयू के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र क्षमता निर्माण, निवेश में वृद्धि करने के लिए संयुक्त कार्रवाई, सर्वेक्षण एवं संभाव्यता, सहभागिता परियोजनाओं, प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों, व्यापार मिशनों का आदान-प्रदान, सूचना का आदान-प्रदान इत्यादि के व्यापक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ दीर्घावधिक करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नोक्ता देशों के साथ दीघावधिक करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है:—

वर्ष	देश का नाम	करार का प्रकार	संबद्ध मंत्रालय/संगठन	हस्ताक्षर की तिथि एवं स्थान
2009-10	अरब मिस्र गणराज्य	संयुक्त कार्रवाई योजना	व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय	29/10/2009 काहिरा
2010-11	बोत्स्वाना गणराज्य	समझौता ज्ञापन	बोत्स्वाना गणराज्य की सरकार	17/06/2010 नई दिल्ली
	कोरिया गणराज्य	समझौता ज्ञापन	लघु एवं मध्यम व्यवसाय प्रशसन	18/06/2010 कोरिया
	मोजांबिक गणराज्य	समझौता ज्ञापन	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय	30/09/2010 नई दिल्ली
	इंडोनेशिया गणराज्य	समझौता ज्ञापन	सहकारिता एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	25/01/2011 नई दिल्ली
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2012-13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

समझौता ज्ञापन वेबसाइट msme.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित करार/समझौता ज्ञापन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित आपसी हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तथ दोनों देशों में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग की संभावनाएं तलाश करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

[हिन्दी]

603-05

विद्युत उत्पादन हेतु विशेष पैकेज

3421. श्री जफर अली नकवी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत के आधार पर विद्युत प्रशुल्क हेतु कोई नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादक कंपनी ग्रिड के साथ कनेक्टविटी से संबंधित तकनीकी मानकों की अनुपालन करने पर लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही उत्पादन केंद्र की स्थापना, प्रचालन तथ अनुरक्षण कर सकती है। यह अधिनियम विभिन्न खंडों में प्रवेश की बाधाओं को दूर करते हुए उद्योग के सभी खंडों, सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करता है। अधिनियम की धारा 63 में, बोली प्रक्रिया के द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण किए जाने की व्यवस्था है, जिससे निजी क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं की मृत्यु

3422. श्री पी. विश्वनाथ:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिशुओं की बढ़ी मृत्यु का प्रमुख कारण नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवजात शिशुओं की मृत्यु का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नवजात शिशुओं की मृत्यु को कम करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित/उपयोग की गई कुल राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में नवजात शिशु देखभाल यूनिट कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आबंटन को कम कर दिया/रोक दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को लगाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन प्रणाली 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु में नवजात मृत्यु 69.3% है।

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए एसआरएस के अनुसार नवजात मृत्यु दर का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) एनआरएचएम के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में नवजात मौतों में कमी लाने के लिए आशा के जरिए गृह आधारित नवजात परिचर्या शुरू की है।

गृह आधारित नवजात परिचर्या का प्रयोजन सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशु संबंधी पद्धतियों में सुधार लाना तथा बीमार नवजात शिशुओं की जल्दी पहचान एवं उन्हें रेफर करना है।

गृह आधारित नवजात परिचर्या के लिए आशा के कार्यक्रम में कम-से-कम छह दौरे निहित होते हैं तथा आशा को नवजातों की परिचर्या हेतु घर के दौरे करने के लिए 250 रु. दिए जाएंगे।

इसके अलावा, नवजात मृत्यु में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

(1) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके): जेएसवाई गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा इसमें नकद सहायता का प्रावधान है। जेएसएसके में सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सीजेरियन सेक्शन के आपरेशन सहित पूर्णतया मुफ्त एवं शून्य व्यय की पात्रता प्रदान की जाती है तथा इसमें आने-जाने के लिए परिवहन, भोजन, औषध तथा नैदानिक सामग्री की व्यवस्था है। बीमार नवजातों के लिए भी ऐसी पात्रताएं लागू की गई हैं।

(2) बीमार नवजात की परिचर्या के लिए जिला स्तरों पर नवजात परिचर्या कार्नरों (एनबीसीसी) विशेष नवजात परिचर्या एककों (एसएनसीयू) के जरिए सुविधा आधारित नवजात परिचर्या का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और एफआरयू पर नवजात स्थिरीकरण एकक (एनबीएसयू) स्थापित किए जा रहे हैं। आज की तिथि के अनुसार देश भर में 374 एसवएनसीयू, 1638 एनबीएसयू तथा 11432 एनबीसीसी कार्य कर रहे हैं।

(3) बच्चों की सामान्य बीमारियों के उपचार तथा जल्दी निदान और जन्म के समय नवजात परिचर्या के लिए डॉक्टरों, नर्सों एवं एएनएम के कौशल के निर्माण एवं उन्नयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

तहत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण किया जाता है।

(4) माता और बाल पहचान प्रणाली: एक नाम आधारित माता तथा बाल पहचान प्रणाली स्थापित की गई है जो सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीयन एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित है ताकि उनके लिए नियमित एवं पूर्ण सेवाओं की व्यवस्था की जा सके।

विवरण-I

नवजात मृत्युदर का राज्यवार रुझान

राज्य का नाम	2008	2009	2010
भारत	35	34	33
आंध्र प्रदेश	34	33	30
असम	34	33	33
बिहार	32	31	31
छत्तीसगढ़	39	38	37
दिल्ली	19	18	19
गुजरात	37	34	31
हरियाणा	34	35	33
हिमाचल प्रदेश	33	36	31
जम्मू और कश्मीर	39	37	35
झारखंड	25	28	29
कर्नाटक	24	25	25
केरल	7	7	7
मध्य प्रदेश	48	47	44
महाराष्ट्र	24	24	22
ओडिशा	47	43	42
पंजाब	28	27	25
राजस्थान	43	41	40
तमिलनाडु	21	18	16
उत्तर प्रदेश	45	45	42
पश्चिम बंगाल	26	25	23

विवरण-II

आरसीएच-II कार्यक्रम, पीआईपी 2012-13 में वित्तीय अनुमोदन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित बजट वित्तीय वर्ष 2012-13
1	2	3
1.	बिहार	95774.72
2.	झारखंड	36133.71
3.	मध्य प्रदेश	61182.68
4.	छत्तीसगढ़	26691.02
5.	ओडिशा	35504.18
6.	राजस्थान	78242.01
7.	उत्तर प्रदेश	133342.45
8.	उत्तराखंड	9459.81
9.	आंध्र प्रदेश	55418.68
10.	गुजरात	34941.07
11.	हरियाणा	22905.95
12.	हिमाचल प्रदेश	4814.03
13.	जम्मू और कश्मीर	15151.69
14.	कर्नाटक	27041.68
15.	केरल	16850.77
16.	महाराष्ट्र	49540.15
17.	पंजाब	14421.08
18.	तमिलनाडु	44139.47
19.	पश्चिम बंगाल	56029.26
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1111.65
21.	चंडीगढ़	1031.35
22.	दादरा और नगर हवेली	556.88
23.	दमन और दीव	548.11
24.	दिल्ली	13684.15
25..	गोवा	932.98
26.	लक्षद्वीप	360.53
27.	पुदुचेरी	1030.26
28.	अरुणाचल प्रदेश	2311.02
29.	असम	51301.73
30.	मणिपुर	2833.33
31.	मेघालय	4791.25
32.	मिजारेम	2996.70
33.	नागालैंड	4382.01
34.	सिक्किम	1347.24
35.	त्रिपुरा	3831.62
	कुल	910635.22

[हिन्दी]

ओआरएस पैकेट

3423. श्री रेवती रमण सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा मियाद पूरी कर चुके ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) पैकेटों की आपूर्ति का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में ओआरएस पैकेटों की आपूर्ति की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या गदम उठाए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक तीन सरकारी अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा.आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग चिकित्सा कॉलेज और उसके सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, सिर्फ वैसे ओआरएस पैकेटों की ही अधिप्राप्ति और वितरण होता है जिनका शेल्फ जीवन पर्याप्त रहे और जिनकी मियाद समाप्ति की तारीख आस-पास न हो।

[अनुवाद]

होम्योपैथी उपचार

3424. श्री टी.आर. बालू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में होम्योपैथी द्वारा उपचार की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/मेडिकल सेंटरों में होम्योपैथिक विंग और डॉक्टरों की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुराने गजेट/चिकित्सा उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपए किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने और देश में होम्योपैथी के डॉक्टरों की संख्य में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/एठाने जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में होम्योपैथिक उपचार की मांग में वृद्धि हुई है। होम्योपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या वर्ष 1980 में 1,05,912 से बढ़कर वर्ष 2010 में 2,46,772 हो गई है और होम्यापैथिक अस्पतालों/औषधालयों की संख्या वर्ष 1980 में 1686 से बढ़कर वर्ष 2010 में 6958 हो गई है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग द्वारा "भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का उपयोग और स्वीकार्यता" पर एक अध्ययन चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कराया गया था। इसके निष्कर्ष होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार लाभ प्राप्त करने वाले रोगियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित हैं। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की तुलना में होम्योपैथी में बाह्य रोगियों की वार्षिक औसत संख्या अधिक थी।

(ग) 'आयुष अस्पताल और औषधालय विकास' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधों के सह-स्थापन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अवसरंचना, उपस्कर और फर्नीचर हेतु एकबारगी वित्तीय सहातया तथा औषधियों एवं आकस्मिक खर्च के लिए आवर्ती अनुदान अनुमेय है। आयुष अस्पतालों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों की संविदात्मक नियुक्ति हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के आयुष सह-स्थापित एकांशों में संविदात्मक चिकित्सकों को वेतन एनआरएचएम फलैक्सी पूल के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के सभी उपबंध और वित्तीय सहायता होम्योपैथी के लिए भी लागू होती है।

(घ) "आयुष संस्थाओं का विकास" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किए गए है:-

- आयुष स्नातक-पूर्व कॉलेजों का विकास।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा हेतु सहायता।
- आयुष कार्मिकों हेतु पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आयुष के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण अस्पतालों के अस्पताल वार्डों का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण।
- आयुष कॉलेजों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना।
- शैक्षिक संस्थाओं का राज्य आदर्श संस्थान के रूप में उन्नयन।

(ङ) "आयुष संस्थाओं का विकास" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उन राज्यों में, जहां ऐसी संस्थाएं मौजूद नहीं हैं, वहां आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी की नई संस्थाएं/आयुष विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50:50 समरूप भागीदारी के आधार पर राज्यों को 10.00 करोड़ रुपए तक एकबारगी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया है और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा आरोग्य मेलों के जरिये भी होम्योपैथिक पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है।

सौर उपकरणों संबंधी योजना

3425. श्री शिव कुमार उदासी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोगों को उचित मूल्य पर सोलर कूकर और सोलर ऊर्जा जैसे सोलर उपकरण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परिवारों और अन्य क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) सौर मिशन के ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सौर कुकरों हेतु बैंचमार्क लागत का 30% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए सौर लालटेनों, घरेलू लाइटों के वितरण/संस्थापना हेतु प्रतिवाट पीक अधिकतम 81/-रु. और सौर जल पम्पिंग प्रणालियों हेतु प्रतिवाद पीक 57 रु. के अध्यधीन लोगों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की बैंचमार्क लागत का (प्रतिवाट पीक 270/-रु.) 30% भी उपलब्ध करा रहा है।

(ग) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों हेतु निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि मंत्रालय प्रति व्यक्ति, सौर लालटेनों, घरेलू लाइटों और 210 वाट पीक तक के लघु क्षमता के पीवी संयंत्रों की संस्थापना करने हेतु नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से प्रतिवाद पीक 108 रु. की सीमा तक पूंजी लागत का 40% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। लागत के शेष 60% हेतु बैंक द्वारा सामान्य वाणिज्यिक दरों पर लाभार्थी को क्रेडिट सुविधा दी जाती है।

खाद्य औषध विनियमन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग

3426. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य और औषध विनियमन के क्षेत्र में सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बारे में भारतीय विनियामकों को अवगत कराने के लिए खाद्य और औषध विनियम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्ट-मंडल ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और औषध विनियामक प्रशासन (एफडीए) का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय शिष्टमंडल ने उक्त दौरे के दौरान किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया; और

(ङ) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के साथ सहयोग कने पर सहमत है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ प्रणालियों से देश के खाद्य और औषधि विनियामक तंत्र को अवगत कराने के उद्देश्य से सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), कोडेक्स एलीमेंटारियस के साथ और अपने स्तर पर सुदृढ़ विनियामक प्रणालियों वाले विभिन्न देशों के साथ समझौता किया है।

(ग) से (ङ) हाल ही में एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) का दौरा किया था। इसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सहित खाद्य और औषधि प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर चर्चाएं हुईं।

[हिन्दी] गोत 615-48

नए एचआईवी संक्रमण

3427. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री महाबल मिश्रा:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में नए एचआईवी संक्रमण में कमी के बावजूद भारत में वर्ष 2015 तक 22 मिलियन से अधिक संक्रमण के नए मामले होने का अनुमान है; यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ख) टीकाकरण सहित विस्तारित एवं प्रभावी रोकथाम कार्यक्रमों के माध्यम से नए एचआईवी संक्रमण के मामलों की रोकथाम करने और उन्हें कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए और देश भर में अधिक जोखिम वाले समूहों के साथ आम जनता के बीच नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या कम करने में प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एचआईवी/एड्स प्रभावित व्यक्तियों हेतु विशिष्ट अस्पताल स्थापित करने का है और इस प्रकार संक्रमित व्यक्तियों विशेष रूप से बच्चों की वित्तीय सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। एचआइवी सेंटिनल निगरानी-2008-09 पर आधारित एचआइवी प्राक्कलन 2010 के अनुसार भारत में एचआइवी से संक्रमित लोगों की अनुमानित संख्या 23.9 लाख थी और 2009 में नये एचआईवी संक्रमण अनुमानतः 1.2 लाख थे। पिछले दशक के दौरान नये संक्रमणों में 56% की गिरावट हुई है। चालू निगरानी-चक्र से यह भी ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एएनसी उपस्थिति वालों और उच्च जोखिम वर्गों में से नये संक्रमणों में और भी गिरावट आई है।

(ख) एचआईवी/एड्स के निवारण व नियंत्रण के लिये भारत सरकार सन् 1992 से ही शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। जुलाई 2007 (2007-2012) में आरंभ एनएसीपी के तीसरे चरण का लक्ष्य था "पांच वर्ष की अवधि में देश में महामारी पर लगाम लगाना तथा समाप्त करना।" इस कार्यक्रम की चतुर्मुखी कार्यनीति थी:

- उच्च जोखिम वाले वर्गों और सामान्य जन में नये संक्रमणों को रोकना
- अधिकाधिक संख्या में पीएलएचओ को अधिक सावधानी, सहायता और उपचार उपलब्ध करना।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निवारण, परिचर्या, सहयोग और उपचार के क्षेत्र में अवसंरचना, प्रणाली और मानव संसाधन को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना।

लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए उच्च जोखिम वाले लोगों के बीच निवारण सेवाओं का संवर्धन, वर्धित जागरूकता के लिये व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, परामर्श एवं जांच सुविधाओं का विस्तार, इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक रक्त यूनिट की अनिवार्य जांच के माध्यम से रक्त और रक्त उत्पादनों की सुरक्षा, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार, कंडोम संवर्धन, अवसरजन्य संक्रमणों वे उपचार सहित एचआईवी संक्रमित लोगों का उपचार और सहायता, एंटी-रिट्रोवाइरल औषधियों की व्यवस्था और एचआईवी हस्तक्षेप की रणनीति को मुख्यधारा में लाना कार्यान्वित हो चुके हैं। एचआईवी संक्रमणों को कम करने के क्षेत्र में 2006-09 की अवधि में प्राप्त उपलब्धियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रदत्त सामग्री के अनुसार, भारत में निवारक वैक्सीन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए नवीन एचआईवी वैक्सीन कैंडिडेट की खोज तथा उसे विकसित करने के लिए उन्होंने टांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, गुडगांव, हरियाणा (विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था) तथा एक वैश्विक लाभ अर्जित न करने वाले संगठन, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव, के बीच उत्पाद विकास भागीदारी के रूप में एचआईवी वैक्सीन की खोज संबंधी अनुसंधान को तेज करने के लिए एक सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू किया है।

(ग) और (घ) नहीं, एचआईवी/एड्स प्रभावित और संक्रमित लोगों के लिये विशेषीकृत अस्पतालों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चिकित्सा महाविद्यालयों, चयनित जिला और उप-जिला अस्पतालों में एंटी-रिट्रोवाइरल उपचार केंद्र स्थापित किये गये हैं जहां एचआईवी संक्रमित रोगियों को निःशुल्क परिचर्या, सहयोग और उपचार प्रदान किये जाते हैं। अभी, पूरे देश में 355 एआरटी केंद्र कार्यरत हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार 355 एआरटीकेंद्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से एचआईवी संक्रमित बच्चों को वित्तीय सहायता के लिये कोई योजना नहीं है। तथापि, कुछ राज्य एचआईवी संक्रमित महिलाओं और बच्चों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिये आगे आये हैं।

विवरण-I

वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों की अनुमानित संख्या, राज्यवार 2006-2009

राज्य का नाम	नए एचआईवी संक्रमण (15+वर्ष)			
	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
आंध्र प्रदेश	23	22	21	21
अरूणाचल प्रदेश	30,959	27,456	25,749	23,905
असम	133	134	134	134
बिहार	1,729	1,981	2,272	2,540
चंड़ीगढ़	12,292	11,374	10,654	10,056
छत्तीसगढ़	244	348	307	217
दादरा और नगर हवेली	4,444	3,994	3,577	3,221
दमन और दीव	22	20	19	19
दिल्ली	18	18	17	17
गोवा	2,255	2,210	2,173	1,970
गुजरात	309	310	315	299
हरियाणा	9,576	7,476	5,973	4,283
हिमाचल प्रदेश	1,235	1,179	1,186	1,196
जम्मू और कश्मीर	524	456	419	400
झारखंड	618	668	721	778
कर्नाटक	2,897	3,240	3,553	3,814

1	2	3	4	5
केरल	12,144	11,270	10,762	9,184
मध्य प्रदेश	4,500	4,442	4,269	3,968
महाराष्ट्र	5,328	5,001	4,885	4,806
मणिपुर	16,853	14,293	12,829	11,287
मेघालय	1,465	1,315	1,289	1,219
मिजोरम	168	174	174	168
नागालैंड	498	469	444	409
ओडिशा	983	877	806	704
पुदुचेरी	8,406	9,292	10,337	11,268
पंजाब	96	101	129	94
राजस्थान	4,095	3,819	3,687	3,611
सिक्किम	5,728	5,415	5,280	5,018
तमिलनाडु	25	25	24	23
त्रिपुरा	3,678	2,485	1,926	850
उत्तर प्रदेश	268	273	280	280
उत्तराखंड	6,890	6,731	6,680	6,397
उत्तराखंड	685	835	1,014	1,196
पश्चिम बंगाल	11,584	9,984	8,687	7,316
कुल	1,50,672	1,37,687	1,30,592	1,20,668

स्रोतः एचआईवी अनुमान, 2010, नाको

विवरण-II

355 एंटी रेट्रोवायरल (एआरटी) उपचार केन्द्रों का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	जिला	एआरटी केंद्र के नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	जिला मुख्यालय अस्पताल, आदिलाबाद
	अनंतपुर	जीजीएच, अनंतपुर

1	2	3
	अनंतपुर	खदरी केन्द्र
	अनंतपुर	RDT एआरटी केन्द्र
	चित्तोर	जिला अस्पताल चित्तूर
	चित्तोर	एसवीआरआर जीजीएच, तिरूपति चित्तूर
	कुडापाह	आर, आईएमएस, कडपा
	पूर्व गोदावरी	एआरटी सेंटर, एरिया अस्पताल, अमलापुरम
	पूर्व गोदावरी	GGH, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी
	पूर्व गोदावरी	राजमुंदरी एआरटी सेंटर
	गुंटूर	क्षेत्र के अस्पताल, तेनाली,
	गुंटूर	सरकार मेडिकल कॉलेज, गुंटूर
	गुंटूर	गुंटूर एआरटी केन्द्र
	गुंटूर	नरसारावपेट एआरटी केन्द्र
	गुंटूर	अनिवासी भारतीय एआरटी केन्द्र
	हैदराबाद	DH, किंग कोटी, हैदराबाद
	हैदराबाद	सरकार, जनरल चेस्ट अस्पताल, हैदराबाद
	हैदराबाद	Nillofer अस्पताल
	हैदराबाद	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद
	करीमनगर	सरकारी जिला अस्पताल, करीमनगर
	करीमनगर	रामागुडम एआरटी केन्द्र
	खम्मभ	भद्राचलम एआरटी केन्द्र
	खम्मभ	जिला मुख्यालय के अस्पताल, खम्मभ
	कृष्णा	तंदूर एआरटी केन्द्र
	कृष्णा	DH, मछलीपट्टनम, कृष्णा
	कृष्णा	GGH, विजयवाड़ा
	कृष्णा	पुराना सरकारी जनरल अस्पताल

1	2	3
	कुरनूल	सरकार जनरल अस्पताल, कुरनूल
	महबूबनगर	जिला मुख्यालय अस्पताल, महबूबनगर
	मेडक	जिला मुख्यालय अस्पताल मेडक
	नलगोंडा	जिला मुख्यालय अस्पताल नलगोंडा
	नेल्लोर	जिला मुख्यालय के अस्पताल, नेल्लोर
	निज़ामाबाद	जिला मुख्यालय के अस्पताल, निज़ामाबाद
	प्रकाशम	सरकार जिला अस्पताल, ओंगोल
	प्रकाशम	मरकापुर एआरटी केन्द्र
	रेगारेड्डी	गांधी मेड, कॉलेज, सिंकदराबाद
	श्रीकाकुलम	जिला मुख्यालय अस्पताल, श्रीकाकुलम
	विशाखापट्टनम	सरकारी चेस्ट और संचारी रोग, अस्पताल एआरटी सेंटर
	विशाखापट्टनम	एआरटी केंद्र एनाकापल्लां
	विशाखापट्टनम	सरकार. एम सी (किंग जॉर्ज अस्पताल), विजाग
	विज़ियनगरम	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
	वारंगल	मेडिकल कॉलेज, वारंगल
	पश्चिम गोदावरी	जिला मुख्यालय के अस्पताल, एलुरु
	पश्चिम गोदावरी	टाडेपल्लीगुडम एआरटी केन्द्र
अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	एआरटी केंद्र, जनरल अस्पताल, नहारलागुन
	कछार	सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
असम	डिब्रूगढ़	एएमसी, डिब्रूगढ़
	कामरूप	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल
	भागलपुर	JLN मेडिकल कॉलेज, भागलपुर
	दरभंगा	दरभंगा मेड, कर्नल, लहरियासराय, दरभंगा
	गया	ARTC, ANMMCH
	कटिहार	एआरटी केंद्र कटिहार

1	2	3
बिहार	मधुबनी	एआरटी केंद्र मधुबनी
	मोतिहारी	जिला अस्पताल (सदर), मोतिहारी
	मुजफ्फरपुर	एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर
	पटना	एआरटीसी, आरएमआरआई
	पटना	पीएमसीएच, पटना
	सरन	जिला (सदर), अस्पताल सरन
चंडीगढ़	चंडीगढ़	पीजीआईएमईआर
	बस्तर	एआरटी केंद्र जगदलपुर
	बिलासपुर	एआरटी केंद्र CIMS बिलासपुर
छत्तीसगढ़	दुर्ग	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल
	रायपुर	सरकार चिकित्सा महाविद्यालय, एआरटी केंद्र, रायपुर
	सरगुजा	एआरटी केंद्र सरगुजा
दिल्ली	केंद्र	एलएनजेपी अस्पताल, नई दिल्ली
	नई दिल्ली	एम्स, नई दिल्ली
	नई दिल्ली	एआरटी कलावती सरल बाल अस्पताल
	नई दिल्ली	आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली
	उत्तर	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल
	उत्तरी-पूर्व	जीटीबी अस्पताल, दिल्ली
	दक्षिण	एलआरसी टीबी के संस्थान, नई दिल्ली
	दक्षिण	सफदरजंग अस्पताल
	पश्चिम	डीडीयू अस्पताल, नई दिल्ली
गोवा	उत्तरी गोवा	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बंबोलिन
	अहमदाबाद	एआरटी केंद्र वीएसजी अस्पताल
	अहमदाबाद	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद
	अमरेली	जनरल अस्पताल, अमरेली

1	2	3
	बनासकाँठा	एआरटी केंद्र, जनरल अस्पताल, पालनपुर
	भरूच	एआरटी सेंटर, Genral अस्पताल, भरूच
	भावनगर	मेडिकल कालोज, भावनगर
	दाहोद	एआरटी केंद्र, दाहोड़
	गांधीनगर	हिम्मतनगर एआरटी सेंटर
	जामनगर	जीजी अस्पताल जामनगर
	जूनागढ़	जनरल अस्पताल जूनागढ़
	कच्छ	एआरटी केन्द्र, भुज
	खेड़ा	एआरटी केंद्र नाडियाड
गुजरात	मेहसाना	मेडिकल कोलाज, मेहसाना
	नवसारी	नवसारी एआरटी सेंटर
	पंचमहल	एआरटी केंद्र के जनरल अस्पताल, गोधरा
	पाटन	जनरल अस्पताल, पाटन
	पोरबंदर	एआरटी केंद्र, भावसीजीजनरल अस्पताल, पोरबंदर
	राजकोट	पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट
	सूरत	सरकारी, मेडिकल कॉलेज, मजुरा गेट, सूरत
	सूरत	मोरा चोरयासी, रिलायंस एचआईवी और टीबी नियंत्रण केंद्र, सूरत
	सूरत	स्मीअर अस्पताल, सूरत
	सुरेन्द्रनगर	महात्मा गांधी (एमजीएस) स्मति अस्पताल सुरेंद्रनगर
	वडोदरा	एसएसजी अस्पताल के एआरटी सेंटर
	वलसाड	एआरटी केंद्र वलसाड
हरियाणा	रोहतक	पीजीआईएमएस
	हमीरपुर	एआरटी केंद्रआरएच हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश	कंगरा	एआरटीसी डॉ. आरपी मेडिकल कॉलेज,
	शिमला	आईजीएमसी, शिमला
	जम्मू	सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	श्री नगर	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस श्रीनगर
झारखंड	डाल्टनगंज	सदर अस्पताल, डाल्टनगंज
	देवगढ़	सदर अस्पताल, देवगढ़
	धनबाद	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH), धनबाद,
	हजारीबाग	एआरटीसी हजारीबाग
	पूर्वी सिंहभूम	एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर
	राँची	आर, आईएमएस रांची
कर्नाटक	बागलकोट	एआरटी केंद्र जामखंडी
	बागलकोट	एआरटी सेंटर, तालुका अस्पताल मुधौल
	बागलकोट	जिला अस्पताल, बगलकोट
	बागलकोट	जनरल अस्पताल, हुनागंड
	बंगलूर	एआरटी केंद्र, के.सी. जनरल अस्पताल
	बंगलूर	बोरिंगऔर लेडी कर्जन हॉस्पीटल, बंगलौर
	बंगलूर	पुलिस महानिरीक्षक इंस्टीबाल स्वास्थ्य, बंगलौर, आईजीआईसीएच
	बंगलूर	आईएमएस बंगलौर
	बंगलूर	सेंट जॉन अस्पताल
	बंगलूर	विक्टोरिया अस्पताल
	बेलगम	जिला अस्पताल, बेलगांव
	बेलगम	जनरल अस्पताल, चिकोडी
	बेलगम	जनरल अस्पताल, गोकक
	बेलगम	जनरल अस्पताल, अथनी, जिले, बेलगाम
	बेलगम	जनरल अस्पताल, सौदागती, जिले, बेलगाम
	बेलैरी	होसपेट एआरटी सेंटर
	बेलैरी	वीआईएमएस, बेल्लारी
	बिदार	जिला अस्पताल, बीदर

1	2	3
	बीजापुर	जिला अस्पताल, बीजापुर
	बीजापुर	सिदगी एआरटी केन्द्र
	चामराजनगर	जिला अस्पताल, चमराजनगर
	Chikballapur	जिला अस्पताल, चिकबलापुर
	चिकमगलूर	जिला अस्पताल, मंगलौर
	चित्रदुर्गा	जिला अस्पताल, चित्रदुर्गा
	दक्षिण कन्नड़	जिला अस्पताल, चिकमगलूर
	दावनगेरे	एआरटी केंद्र, चन्नागिरि
	दावनगेरे	जिला अस्पताल, दावणगिरि
	धारवाड़	जिला अस्पताल, धारवाड़
	धारवाड़	आई एम एस एआरटी केंद्र, हुबली
	गडग	जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर, गडग
	गुलबर्गा	जिला अस्पताल, गुलबर्गा
	गुलबर्गा	स्वैच्छिक परामर्श और एआरटी केंद्र, वाडी
	हावेरी	जिला अस्पताल, हावेरी
	कोडागू	जिला अस्पताल, कोडागू
	कोलार	जिला अस्पताल, कोलार
	कोप्पल	जिला अस्पताल, कोप्पल
	मण्डया	जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर, मंड्या
	मैंगलोर	कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मंगलोर
	मैसूर	आशा किराना
	मैसूर	जिला अस्पताल, हसन
	मैसूर	मैसूर मेडिकल कॉलेज
	रायचूर	जिला अस्पताल, रायचूर
	रायचूर	जनरल अस्पताल, लिंगासुगर

1	2	3
	रामनगरम	जिला अस्पताल, रामानगरा
	शिमोगा	जिला अस्पताल, शिमोगा
	तुमकुर	जिला अस्पताल, तुमकुर
	उडुपी	जिला अस्पताल, उडुपी
	उत्तर कन्नड़	जिला अस्पताल, करवर
	Yadgiri	जिला अस्पताल, एआरटी सेंटर, यादगिरि
	आलाप्पुझा	मेडिकल कॉलेज अल्लपी
	एर्नाकुलम	एआरटी केंद्र, जनरल अस्पताल एरनाकुलम
	Kasaragod	जनरल Hospital कासरगोड
	कोट्टायम	मेडिकल कॉलेज कोट्टायम
केरल	कोझिकोड	एआरटी केंद्र, कोझीकोड
	पलक्कड़	एएसएचयूएस जिला अस्पताल
	तिरूअनंतपुरम	अस्पताल त्रिवेंद्रम
	थ्रिस्सुर	एआरटी केंद्र, त्रिशूर
	भोपाल	गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल
	पूर्व निमाड़	एआरटी केंद्र जिला अस्पताल खंडवा
	ग्वालियर	चिकित्सा विभाग, जावेद अस्पताल ग्वालियर
	इंदौर	एमवाई अस्पताल, इंदौर
मध्य प्रदेश	जबलपुर	मेडिकल कॉलेज, जबलपुर
	मन्दसौर	एआरटी मंदसौर
	रेवा	एआरटी केंद्र रीवा
	सागर	एआरटी सागर
	सिवनी	एआरटी सिवनी
	उज्जैन	आरडीजी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन
महाराष्ट्र	अहमदनगर	जिला सिविल अस्पताल, अहमदनगर
	अहमदनगर	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, लोनीएल प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, लोनी

1	2	3
	औरंगाबाद	जिला अस्पताल, वैजापुर, औरंगाबाद
	अकोला	मेडिकल कॉलेज, अकोला
	अमरावती	एआरटी केंद्र, जिला सिविल अस्पताल
	औरंगाबाद	मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद
	बीड	मेडिकल कॉलेज, अंबेजोगई
	भंडारा	भंडारा डीएच
	बुलढाणा	एआरटी केंद्र, जिला जनरल अस्पताल
	चंद्रपुर	बीआईएलटी चन्द्रपुर
	चंद्रपुर	जिला अस्पताल में एआरटी केंद्र, चंद्रपुर
	धुले	मेडिकल कॉलेज, धुले
	गढ़चिरौली	गढ़चिरौली एआरटी सेंटर
	Gondiya	एआरटी केंद्र, गोंदिया
	हिंगोली	एआरटी सेंटर, सिविल अस्पताल, रिसाला बाजार, दरगाह रोड
	जलगाँव	सिविल अस्पताल, जलगांव
	जलना	जलना डीएच
	कोल्हापुर	आर सी एस एम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
	कोल्हापुर	उप जिला अस्पताल, गंजीगलई
	लातूर	सिविल अस्पताल और सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय
	मुंबई	बीएलवाई नायर हॉस्पिटल
	मुंबई	गोदरेज मुंबई
	मुंबई	केईएम अस्पताल
	मुंबई	एल एंड टी स्वास्थ्य केन्द्र
	मुंबई	एलटीएमजी सीयन अस्पताल
	मुंबई	एलटीएमजी सीयन अस्पताल, क्षेत्रीय बाल एआरटी केंद्र
	मुंबई	एनएमएमसी वाशी

1	2	3
	मुंबई	सिद्धार्थ अस्पताल, गोरेगांव, मुंबई
	मुंबई	शताब्दी अस्पताल, गोवंडी, मुंबई
	मुंबई	सर जेजे अस्पताल
	नागपुर	सरकार, मेड, कॉलेज, नागपुर
	नागपुर	आईजीएमसी, नागपुर
	नांदेड	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय
	नंदुरबार	नंदुरबार एआरटी सेंटर
	नासिक	एआरटी केंद्र एसडीएच मालेगांव
	नासिक	सिविल अस्पताल, नासिक
	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद डीएच
	परभनी	सिविल अस्पताल, परभणी
	पुणे	एएफएमसी पुणे
	पुणे	बी.जे. मेडिकल कॉलेज
	पुणे	बजाज ऑटो के आईटीडी वाईसीएमएच पिंपरी
	पुणे	नारी, पुणे
	रायगढ़	रिलायंस दाह पातालगंगा
	रत्नागिरी	जिला सिविल अस्पताल, रत्नागिरी
	सांग्ली	भारती विद्यापीठ-सांगली
	सांग्ली	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सांगली
	सतारा	एआरटी केंद्र कराड़
	सतारा	जिला सिविल अस्पताल, सतारा
	शोलापुर	एआरटी केंद्र उप जिला अस्पताल, पंढरपुर
	शोलापुर	सरकार, मेडिकल कॉलेज, सोलापुर
	ठाणे	एआरटी केंद्र आरजीएमसी काल्वे-ठाणे
	ठाणे	सेंट्रल अस्पताल उल्हासनगर-3

1	2	3
	ठाणे	विट्ठल सायन जनरल अस्पताल, ठाणे
	वर्धा	एआरटी केंद्र सिविल अस्पताल वर्धा
	वाशिम	वाशिम DH
	यवतमाल	मेडिकल कॉलेज, Yawatmal
	बिष्णुपुर	जिला अस्पताल, बिश्नुपुर
	चुराचांदपुर	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल चुराचांदपुर
	इम्फाल पूर्व	जे.एन. अस्पताल, एआरटी सैंटर, इम्फाल पूर्व
	इम्फाल पूर्व	जे.एन. क्षेत्रीय बाल चिकित्सा एआरटी सैंटर, इम्फाल पूर्व
मणिपुर	इंफाल पश्चिम	एआरटी केंद्र, अस्पताल, इंफाल पश्चिम आर
	सेनापति	जिला अस्पताल, सेनापति
	थोबल	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल Thoubal
	उखरुल	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल चंदेल
	उखरुल	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल उखरुल
मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	शिलांग
	आइजोल	सिविल अस्पताल, आइजोल
मिज़ोरम	चंम्पाई	चम्पाई एआरटी सेंटर
	लुंगलेई	लुंगलेई एआरटी सेंटर
	दीमापुर	जिला अस्पताल, दीमापुर,
	किप्रे	एआरटी केंद्र, किप्रे
	क्रोहिमा	नगा अस्पताल प्राधिकरण, कोहिमा
नागालैंड	मोकोकचुंग	एआरटी सेन्टर्न, इंपाकोगुम मेमोरियल अस्पताल
	त्युएनसांग	सिविल अस्पताल, तुएनसांग
	जुन्हेबोटो	एआटी केंद्र, जुन्हेबोटो
ओडिशा	अनुगुल	एआटी केंद्र, डीएचएच अंगुल
	बालनगीर	एआरटी केंद्र, डीएचए; च बालनगीर
	बालेश्वर	एआरटी बालासोर

1	2	3
	कटक	एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक
	गंजम	एक के सी जी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बरहमपुर
	खोर्द्धा	एआरटी केंद्र कैपिटल अस्पताल
	कोरापुट	बीआईएलटी एआरटी केंद्र डीएचएच
	सम्बलपुर	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, एआरटी केंद्र
	सुन्दरगढ़	एआरटी केंद्र, आरजीएच राउरकेला
पुदुचेरी	पुदुचेरी	सरकार जनरल अस्पताल
	अमृतसर	जीएमसी, अमृतसर
	बठिंडा	एआरटी केंद्र, शहीद भाई मनी सिंह सिविल अस्पताल
	गुरदासपुर	एआरटी सेंटर, सिविल अस्पताल, पठानकोट
पंजाब	जालंधर	सिविल अस्पताल, जालंधर
	लुधियाना	एआरटी केंद्र, भगवान महावीर, सिविल अस्पताल
	पटियाला	मेडिकल कालेज़, पटियाला
	अजमेर	एआरटी केंद्र जेएलएन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज
	अलवर	एआरटी केंद्र, अलवर
	बीकानेर	बीकानेर, एसपी मेडिकल कॉलेज
	भीलवाड़ा	एआरटी केन्द्र भीलवाड़ा
राजस्थान	जयपुर	एसएमएस अस्पताल, जयपुर
	जोधपुर	एसएनएमसी, जोधपुर
	कोटा	चिकित्सा महाविद्यालय
	पाली	सरकार, बांगुर पाली-मारवाड़ अस्पताल
	सीकर	एआरटी केंद्र सीकर
	उदयपुर	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
सिक्किम	पूर्व	एसटीएनएम अस्पताल
तमिलनाडु	अरियालुर	सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, कृष्णागिरि
	चेन्नई	सरकार, छाती रोगों की चिकित्सा के लिए अस्पताल

1	2	3
	चेन्नई	आईसीएच
	चेन्नई	एमएमसी के स्त्री रोग एवं प्रसूति संस्थान
	चेन्नई	किलपोक मेडिकल कॉलेज
	चेन्नई	मद्रास मेडिकल कॉलेज
	चेन्नई	स्टैनले मेडिकल कॉलेज
	कोयंबतूर	कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज
	कुड्डालोर	सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, कुडालोर
	धर्मपुरी	जिला अस्पताल
	दिंडीगल	सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, डिंडीगुल
	अपरदन	जिला मुख्यालय अस्पताल ईरोड
	कांचीपुरम	सरकार. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चेंगलपट्टू
	कन्याकुमारी	चिकित्सा महाविद्यालय
	करूर	जिला अस्पताल
	मदुराई	एआरटी केंद्र मेलुर
	मदुराई	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
	नागापट्टनम	नागपट्टिनम जिला मुख्यालय अस्पताल,
	नमक्कल	सरकारी अस्पताल
	नमक्कल	सरकारी अस्पताल
	पेरम्बलुर	एआरटी केंद्र, भारत सरकार अस्पताल, पेरम्बलुर
	पुदुक्कोट्टई	सरकार, जिला अस्पताल
	रामनाथपुरम	रामनाथपुरम जिला मुख्यालय अस्पताल
	सेलम	अत्तुर एआरटी केन्द्र
	सेलम	चिकित्सा महाविद्यालय
	शिवगंगा	शिवांगी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
	तंजावुर	तंजावुर मेडिकल कॉलेज
	नीलगिरी	नीलगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल

1	2	3
	थेनी	थेनी मेडिकल कॉलेज
	थिरूवल्लूर	सरकार. जिला मुख्यालय अस्पताल, तिरूवल्लुर
	तिरूपति	सरकार. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
	तिरूचिरापल्ली	एआरटी केंद्र, मन्नापराई
	तिरुचिरापल्ली	त्रिची मेडिकल कॉलेज
	तिरुनेलवेली	चिकित्सा महाविद्यालय
	तिरूपति	एआरटी केंद्र, तिरुपुर
	तिरूवंतपुरम	मुख्यालय अस्पताल, तिरूवन्नमलई गवर्न. डिस्ट्रीक्ट
	टुडुकुडी	जयाकोंडम एआरटी सेंटर
	टुटुकुडी	तूतीकोरिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तूतीकोरिन
	वेल्लोर	सीएमसी वेल्लोर
	वेल्लोर	वेल्लोर मेडिकल कॉलेज
	वेल्लोर	थिरूपथूर
	भीलुपुरम	जिला अस्पताल
	विरुधुनगर	जिला अस्पताल
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	आगरा	एस.एन.मेडिकल कॉलेज अस्पताल
	अलीगढ़	जे.एन.मेडिकल कॉलेज अलीगढ़
	इलाहाबाद	एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
	आजमगढ़	एआरटी केंद्र आजमगढ़
	देवरिया	एआरटी केंद्र जिला अस्पताल देवरिया
	इटावा	एआरटी केंद्र की आर एंड आर, Saifai,
	गोरखपुर	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर
	गोजीपुर	एआरटी केंद्र, जिला अस्पताल गाज़ीपुर

1	2	3
	जौनपुर	एआरटी केंद्र जौनपुर
	झांसी	एमएलबी मेडिकल कॉलेज
	कानपुर नगर	आईडी अस्पताल, जी एस वी एम मैडिकल कॉलेज, कानपुर
	कुशीनगर	कम्बाइंड जिला अस्पताल, कुशीनगर
	लखनऊ	एआरटी सेंटर, डा. राम मनोहर लोहिया संयुक्त अस्पताल
	लखनऊ	केसीएमसी, लखनऊ
	मेरठ	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज
	परतापगढ़	एआरटी केंद्र प्रतापगढ़
	रायबरेली	एआरटी केंद्र, ऊंचाहार
	सिद्धार्थ नगर	एआरटी केंद्र, सिद्धार्थ नगर
	वाराणसी	एआरटी केंद्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल
	वाराणसी	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
	देहरादून	दून अस्पताल
उत्तरांचल	नैनीताल	डॉ. सुशीला तिवारी मेमोरियल वन अस्पताल हल्द्वानी
	बर्धमान	मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज, बर्दवान
	दार्जिलिंग	उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, सिलीगुडी
	कोलकाता	एमआर बांगुर जिला अस्पताल,
	कोलाकाता	मेडिकल कॉलेज, क्षेत्रीय बाल एआरटी केंद्र
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आरजीके आरा मेडिकल कॉलेज
	कोलकाता	ट्रॉपिकल मेडिसिन के स्कूल
	मलधन	मालदा जिला अस्पताल
	मेदिनीपुर	मेदिनपुर मेडिकल कॉलेज, मेदिनीपुर
	उत्तर दीनाजपुर	इस्लामपुर एसडी अस्पताल, (कमरा नं 10 और 11)

[अनुवाद]

एयर इंडिया में पायलटों की कमी

3428. **श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री बलीराम जाधव:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री महाबल मिश्रा:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री महाबली सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पायलटों की हड़ताल के परिणामस्वरूप सरकार ने एयर इंडिया में पायलटों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय पायलटों को विदेशी पायलटों से प्रतिस्थापित किया है/प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विदेशी पायलटों को स्थायी आधार पर रखने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयर इंडिया से निकाले गए पायलटों का भविष्य क्या है;

(घ) क्या जिन विवादों/मुद्दों पर एयर इंडिया के पायलटों ने हड़ताल की थी, उन्हें सुलझा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी पायलटों को 31 दिसंबर, 2012 तक ही रखा जा सकता है।

(ग) से (ङ) एयर इंडिया द्वारा इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) के 97 हड़ताली पायलटों को बर्खास्त कर दिया गया। मामला दर मामला आधार पर बहाली के आवेदनों की जांच करने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति गठित की गई।

[हिन्दी]

एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा

3429. **श्री हंसराज गं अहीर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की अनुमत मात्र से अधिक होने पर इन डिब्बों को जब्त किए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा एनर्जी ड्रिंक्स में कैफी तत्व की निर्धारित मात्र क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) कैफीन की उच्च मात्र की अनुमति देने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स हेतु नई श्रेणी बनाने के लिए इन एनर्जी ड्रिंक्स हेतु नए मानक निश्चित करने पर कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ-साथ एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्र के संबंध में आवधिक जांच करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) जी हां, उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 30 नमूने लिये और 6,50,73,882 रूपये मूल्य वे एनर्जी ड्रिक्स का स्टॉक जब्त किया।

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के तहत कार्बोनेटेड पानी में 145 मि.ग्रा./लीटर से कम की कैफीन के इस्तेमाल की अनुमति है। तथापि, प्रोपराइटरी खाद्य के रूप में वर्गीकृत एनर्जी ड्रिंक्स/कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा नियमित तौर पर नमूने लिये जाते हैं और अगर नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

3430. **श्री यशवीर सिंह:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मधुमेह और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पर्सनेलेटी डिसआर्डर आदि जैसी मानसिक बीमारियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों के लिए मधुमेह और मानसिक बीमारियों के इलाज हेतु एक लाख रुपये तक के चिकित्सा बिल का भुगतान सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए चालू वर्ष में कितना अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने मधुमेह और मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीपीएल रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो किस आधार पर इन बीमारियों को आरएएन के अंतर्गत शामिल किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के अंतर्गत उपचार की श्रेणियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) संबंधित संस्थन/अस्पतालों द्वारा रोगियों 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक की वित्तीय सहायता पर कारैवाई की जाएगी जिनके अधिकार में आवर्ती निधि रखी गई है। 1.00 लाख रुपए से अधिक और 1.50 लाख रुपए से कम के वित्तीय सहायता की जरूरत वाले अलग-अलग व्यक्ति मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य रूग्णता सहायता कोष को भेजे जा सकते हैं। 1.50 लाख से अधिक राशि वे मामले विचार के लिए आरएएन को भेजे जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त बजट आबंटन प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, लेकिन तकनीकी समिति की सिफारिश पर और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना की प्रबंधन समिति के अनुमोदन से सूची को अद्यतन बनाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि ((आरएएन) योजना के अंतर्गत धन के प्रदान किए जाने वाले उपचार की संशोधित श्रेणियों की एक निदर्शी सूची

1. हृदयरोग विज्ञान व कार्डियक शल्य-चिकित्सा

1. पेसमेकर
2. सीआरटी/बाइवेन्ट्रीकुलर पेसमेकर
3. आटोमैटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डेफिब्रीलेटर
4. कोम्बोयुक्तियां
5. कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित नैदोनिक कार्डियक केथेटेराइजेशन
6. एंजियोप्लास्टी, रोटा-एब्लेशन, बाल्यूनवेल्वुलोपलास्टी उदाहरणार्थ-पीटीएमसी, बीजीवी इत्यादि समेत इंटरवेंशनल क्रियाविधि
7. एएसडी, वीएसडी और पीडीए डिवाइस क्लोजर
8. पेरिफेरल वास्कुलर एंजियोप्लास्टी, कोटोटिड एंजियोप्लास्टी, वृक्क एंजियोप्लास्टी
9. कोयल एम्बोलाइजेशन व वास्कुलर प्लग्स
10. ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स सहित स्टेंट्स
11. इलेक्ट्रोफिजियो लोजिकल अध्ययन और रेडियो बारम्बारता एब्लेशन
12. सीएबीजी समेत जन्मजात व उपार्जित स्थितियों हेतु हृदय शल्य चिकित्सा
13. वास्कुलर शल्य चिकित्सा
14. कार्डियक प्रत्यारोपण इत्यादि

2. कैंसर

1. विकिरण चिकित्सा व गामा नाइफ शल्य चिकित्सा।
2. कैंसर रोधी रसायनिक चिकित्सा सहायता चिकित्सा व प्रतिजीवाणु विकार फैक्टर।
3. अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण-एलोजेनिक व आटोलोगस।
4. नैदानिक क्रियाविधियां-फ्लोसिटोमेट्री/सिटोजेनेटिक।
5. कैंसर रोगियों के लिए शल्य-चिकित्सा।
6. कैथेटर्स, सेन्ट्रल लाइन्स व नेनस एक्सेस युक्तिया

3. मूत्र विज्ञान/वृक्क विज्ञान/जठरांत्र रोग विज्ञान

1. डायलेसिस और इसके उपभेज्य (हेम डायलेसिस और पेरियेनियल दोनों)।
2. तीव्र वृक्क पात में प्लाज्माल्फेरिसिस।

3. बीमार रोगी की आईसीयू तीव्र वृक्क पात में अनवरत वृक्क प्रतिस्थापना चिकित्सा।
4. डायलेसिस हेतु वास्कुलर एक्सेस उपभोज्य (शंट्स, केथेटर्स)।
5. वृक्क प्रत्यारोपण-वृक्क प्रत्यारोपण की लागत 2.5 से 4.0 लाख रुपए तक भिन्न-भिन्न है जो रोगी जरूरत के अनुसार उपयोग की गई औषध के प्रकार पर निर्भरत करती है।
6. पीसीएन व पीसीएनएल किटें।
7. लथिट्रिप्सी (पथरी हेतु)
8. मूत्र विज्ञान व जठरांत्र रोग विज्ञान में इन्डोस्कोपिक शल्य चिकित्सीय क्रियाविधियों हेतु प्रयोज्य व स्टेंट्स।

4. विकलांग रोग विज्ञान

1. अंगों के लिए कृत्रिम प्रोस्थेसिस
2. रोपण और समग्र हिप व घुटना प्रतिस्थापन
3. एक्सटर्नल फिक्सेटर्स
4. एओ इम्प्लांट्स अस्थि रोगों के फ्रेक्चरों के उपचार में प्रयोग किया गया
5. स्पायरल फिक्सेशन इम्प्लांट-पेडिकल स्क्रूज (ट्रोमेटिक, पेरेप्लेजिक, क्लाउडी प्लेजिक)
6. फ्रेक्चर फिक्सेशन हेतु रोपण (लाकिंग प्लेट व माड्यूलर)
7. हिप प्रतिस्थापन बाइपोल-फिक्स्ड
8. अस्थि एवज

5. स्नायु शल्य चिकित्सा-स्नायु विज्ञान

1. मस्तिष्क गुल्य
2. सिर की चोटें
3. इन्ट्राक्रेनियल एन्युरिज्म
4. एवीएम
5. स्पाइनल ट्यूमर्स
6. मस्तिष्क/सुषुम्ना केडिजेनेरेटिव/डिमाइलिनेरिंग रोग
7. अभीघात
8. मिर्गी
9. चलन विकार
10. तंत्रिका विज्ञानीय संक्रमण

6. अंत:स्राविकी:

1. जीवन भर हेतु हारमोनल प्रतिस्थापन चिकित्सा

– मधुमेह

– हिपो पिच्चुरेरिज्म

– हिपो थइरोडिज्म

– जीएच अल्पता

– कशिंग्स सिन्ड्रोम

– एडरेनल अपर्याप्त

– अंत:स्राव शल्य चिकित्सा

7. मानसिक बीमार

1. आर्गेनिक साइकोसिस तीव्र व चिरकारी
2. सिजोफरेनिया, बायो-पोलर विकार, डेजुनजल विकार और अन्य तीव्र पालीमोर्फ्रिक साइकोसिस समेत फंक्शनल साइकोसिस
3. गंभीर ओसीडी, सोमेटोफोर्म, विकार, खाने संबंधी विकार
4. औटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों और बाल्यावस्था के दौरान गंभीर आचरणात्मक विकारों समेत विकासात्मक विकार

8. औषधें

1. इम्युनोसप्प्रेसिव औषधें
2. डी रोधी
3. एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन
4. इरिथ्रोपोइटिन
5. जले हुए रोगियों के लिए रक्त व रक्त उत्पादों/प्लाज्मा
6. लिफेसोमल एम्फोटेरिसिन
7. पेग इंटरफेरोन

8. रिबावेरिन

9. सीएमवी की उपचार (प्ट गेसाइक्लोनिट, वेल्गेंसीक्लोवीर)

10. वोरिकोनेजोल

11. एंटी-रिजेक्शन उपचार (एटीजी, ओकेअी 3)

12. प्रत्यारोपणोत्तर विषाणु संक्रमण हेतु उपचार

13. कोई जीवन सहायता औषधें।

9. जांचें

सभी अंगों के लिए, डोप्लर अध्ययन, रेडियो-न्युक्लियोराइड स्केन्स, सीटी स्केन, मेम्योग्राफी, एंजियोग्राफी, एनमआरआई, ईईजी, ईएमजी, यूरो-डायनेमिक अध्ययन, कार्डियक चित्रण-दबाव थेल्लियन व पीईटी, कार्डियक एमआरआईसीएमवी, बीके विषाणु, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी हेतु जांच।

साइको डायग्लोस्टिक्स, स्नायुमनो विज्ञानीय मूल्यांकन आईक्यू मूल्यांकन, सीरम लिथियम जैसे रक्त परीक्षण और कार्बेमेजेपाइन, वेल्पोरेट, फेनिसेइन का औषध स्तर और कोई अन्य इसी प्रकार की मेडिकशन्स, पथादों अथवा दुरूपयोग/विष विज्ञान के लिए सीएसएफ अध्ययन जांच।

10. अन्य

1. एआईडीपी (जीबी सिन्ड्रोम) व मयासथेनिया ग्रेविस के लिए इम्यूनोग्लोबिन

2. विषाणुरोधी

3. फंग्ल-रोधी

4. विल्सन रोगः पेनिसिल्लेमाइनए

5. स्पासटिसिटी हेतु बोटुलीनमए टाक्सिन इंजेक्शन

6. स्पासटिसिटी हेतु बेक्लोफेन

11. विविध

हाइड्रोसेफेलस हेतु शंट्स

12. चिकित्सा अधीक्षक/डॉक्टरों की समिति के द्वारा वित्तीय सहायता के लिए समुचित समझी गई अन्य प्रमुख बीमारी/उपचार/कार्यकलाप को अनुदान हेतु विचार किया जा सकता है।

बाल-देखभाल सुविधाएं

3431. **श्री नित्यानंद प्रधानः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यरत कामगारों के बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए देश के स्लम क्षेत्रों में बेहतर बाल-देखभाल सुविधाएं स्थापित करने हेतु क्या कार्य-योजना है;

(ख) क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एन.सी.पी.सी.आर.) ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन बच्चों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ)ः (क) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 12000/- रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों जिनमें स्लम क्षेत्र के बच्चे भी शामिल हैं, को दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में 'कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम' का क्रियान्वयन कर रहा है। शिशु गृह बच्चों को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के अलावा, पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा एवं आपतकालीन स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान करते हैं। इस समय यह स्कीम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, और भारतीय बाल कल्याण परिषद् जो एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, 1970 तथा खान अधिनियम, 1952 जैसे अनेक विधान हैं जो कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु-गृह प्रदान करने के लिए नियोक्ता को बाध्य करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जेंडर बजटिंग 656-58

3432. **श्री किसनभाई वी. पटेलः**
श्री प्रदीप माझीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न मंत्रालय/विभागों में जेंडर बजटिंग हेतु प्रावधान शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जेंडर बजटिंग के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट डेवलपमेंट के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने जेंडर बजटिंग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जेंडर बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आयोजना, बजटीय, क्रियान्वयन, प्रभाव-मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर जेंडर परिप्रेक्ष्य में जेंडर को बनाए रखने तथा विकास- में जेंडर की मुख्य धारा के लाने के उद्देश्य से नीति/कार्यक्रम उद्देश्यों तथा आबंटनों के पुन: निरीक्षण की आवश्यकता है। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य जेंडर वचनबद्धताओं को बजटीय वचन बद्धताओं में तबदी करना है। जेंडर बजटिंग के उद्देश्य मंत्रालयों की नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित करने तथा कार्यरूप देने की पहलों को पूरा करने के लिए है, जो स्त्री-पुरुष असंतुलन का मुकाबला कर सकें, स्त्री-पुरुष मेंसमानता तथा विकास को बढ़ावा दे सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि सार्वजनिक संसाधन मंत्रालयों के बजटों के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं तथा तदनुसार प्रबंधित किए जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ जेंडर बजटिंग सैल (जी.बी.सी.) स्थापित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्रवाई कर रहा है तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार 56 मंत्रालयों/विभागों ने जी.बी.सी. स्थापित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, 29 मंत्रालय/विभाग भी संघीय बजट के साथ संसद में रखे गए जेंडर-बजट विवरण के भाग के रूप में महिलाओं के लिए किए गए आबंटनों के बारे में भी सूचित कर रहे हैं। संघीय बजट 2012-13 में जी.बी. आबंटनों का विस्तार 88,142.80 करोड़ रुपये था जो कुल बजट का 5.91 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जेंडर बजट विवरण के क्रियान्वयन की कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है, यद्यपि, बजट परामर्श आयोजित किए गए जिनमें जी.बी.एस. पर चर्चा की गई।

(ङ) जेडर बजटिंग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केन्द्रीय, राज्य सरकारों तथा विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण के विभिन्न उपाय कर रहा है। जेंडर बजटिंग योजना स्कीम इस आशय से वर्ष 2007-08 के दौरान आरंभ की गई थी। मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के लिए एक जेंडर-बजटिंग पुस्तिका एवं प्रशिक्षुओं हेतु जेंटर बजटिंग मैनुअल भी तैयार किए हैं। मंत्रालय जेंडर-बजटिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ अलग-अलग सत्रों भी आरंभ किए हैं।

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स नियंत्रण हेतु विदेशी सहायता

3433. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक देश में एचआईवी/एड्स नियंत्रण हेतु विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी सहायता के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसके साथ-साथ सहायता का उचित सुनिश्चित करने के लिये क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में एचआईवी/एड्स को नियंत्रित करने के लिए विदेशी एजेन्सियों द्वारा निधियां प्रदान किए गये गैर-सरकारी संगठनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक विदेशी एजेन्सियों ने निधियों का पूरा उपयोग न किए जाने अथवा दुरुपयोग किए जाने के कारण वित्तीय सहायता प्रदान करना बंद कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सन 1992 से चल रहा है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में

प्रमुख योगदान विश्व बैंक, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, मलेरिया एंड ट्युबरकुलोसिस (जीएफएटीएम) तथा डिपार्ट मेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) से प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) तथा संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से भी निधियां प्राप्त हुई हैं।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	विश्व बैंक	डीएफआईडी	यूएसएड	यूएनडीपी	ग्लोबल फंड
2009-10	184.96	209.81	13.55	7.55	630.44
2010-11	251.60	205.71	24.73	5.33	307.58
2011-12	251.76	-	11.55	3.86	564.69
2012-13	अब तक कोई सहायता नहीं मिली है।				

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के अंतर्गत कार्यकलाप चार व्यापक श्रेणियों में आते हैं अर्थात् (i) नए संक्रमणों की रोकथाम करना (ii) परिचर्या, सहायता तथा उपचार (iii) संस्थागत संस्थागत सुदृढ़ीकरण और (iv) कार्यनीतिगत प्रबंधन सूचना प्रणाली

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इन कार्यकलापों का कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटिज (एसएसीएस) द्वारा किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के तहत स्वायत्तशासी निकाय हैं।

निवारण संबंधी कार्यक्रम का अधिकांश भाग गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिन्होंने इस संबंध एसएसीएस से संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह संविदा एक मानक फार्मेट में होती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से निधियां राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (एसएसीएस) को दी जाती हैं तो तत्पश्चात इन्हें गैर सरकारी संगठनों को जारी करती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कुछ विदेशी एजेन्सियां जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों को सीधे तौर पर निधियां प्रदान करती है। भारत सरकार के साथ किए गए करारों के तहत, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) वर्ष 2003 से एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियत्रंण कार्यक्रम के प्रयासों को पूरा करती रही है। क्लिंटन फाउंडेशन एवं सेंटर फॉर, डिजीज कंट्रोल जैसी अन्य एजेन्सियां हैं जिन्होंने वस्तुगत रूप में सहायता प्रदान की है जैसे कि बाल-चिकित्सीय एचआईवी दवाएं, ईआईडी किट तथा प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी सहायता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 660-12

पृथक् विमानन सुरक्षा बल

3434. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:
श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पृथक् विमानन सुरक्षा बल (एएसएफ) के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बल के सृजन की व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नवीन बल को प्रशिक्षण देने हेतु अवसंरचना के निर्माण/इस बल के रख-रखाव हेतु आवर्ती व्यय के लिए कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मौजूदा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का पुनर्गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सामान्य सुरक्षा की तुलना में विमानन सुरक्षा, एक अत्यंत ही तकनीकी कार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन (इकाओ) के शिकागो सम्मेलन अभिसमय के अनुबंध 17 में निहित मानकों के अनुसार विमानन सुरक्षा लागू की जानी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए, किसी भी देश के लिए अनिवार्य है कि वइ इकाओं के साथ ऐसी संविदा करें जो संविदाकारी राज्य को सभी नागर विमान प्रचालनों का रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करें। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा का क्रियान्वयन करते समय उक्त अभिसयम के अनुबंध-9 में यात्रियों की सुविधा संबंधी उपबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह केवल उच्च विशेषज्ञता प्राप्त, पेशेवर रूप से सक्षम तथा समर्पित बल के माध्यम से ही संभव है।

(ग) और (घ) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में भारत में विमानन सुरक्षा प्रबंध तथा प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के विशेषज्ञ दल को लगाया है। इस परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की समीक्ष करना था:

(i) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान प्रशासन का पुनर्संरचना करना,

(ii) एक समर्पित विमानन सुरक्षा बल की स्थापना करना,

(iii) विमानन सुरक्षा के लिए एक सशक्त प्रचालन ढांचा तैयार करना, यात्री सुविधाओं तथा विमानन सुरक्षा के बीच, सही संतुलन कायम रखना, भारत में विभिन्न हवाईअड्डा प्रचालन माडलों तथा अन्य देशों में माडलों को ध्यान में रखना, और

(iv) हवाईअड्डे नर नॉन-कोर सुरक्षा कार्य का निर्वहन करने के लिए वैकल्पिक तंत्र यदि कोई हों का प्रस्ताव करना। नए बल को प्रशिक्षण देने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने, इस बल के अनुरक्षण के लिए आवर्ती व्यय के लिए व्यय का आकलन किया जा रहा है। नए विमानन सुरक्षा बल की औसत लागत वर्तमान में देश के 59 हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ की लागत से बहुत कम होने की संभावना है।

(ङ) और (च) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्सरचना तथा भारत में विमानन सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए 2010 में इकाओं के परामर्शदाताओं के एक विशेषज्ञ दल को नियोजित किया गया था। 26 अगस्त, 2011 को इकाओ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है तथा इन सिफारिशों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी] 662-66

खाद्य सुरक्षा और गुणवता

3435. श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने खाद्य उद्योग में खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर आचरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में आयोजित/ सहायता प्रदत्त कार्यशालाओं और सम्मेलन/शिखर सम्मेलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कार्यशालाओं/सम्मेलन/ शिखर सम्मेलन के क्या परिणाम हुए हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के संबंध में कोई योजना बनाई है/बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा व मानक आयुक्तों, अधिनिर्णय अधिकारियों, नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए अनेक विषय'- अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न लाभग्रहियों को लक्षित करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापनों, एडवर्टोरियलों, रेडियो झलकियों, बाह्य होर्डिंगों को भी जारी किया है।

(ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर विभिन्न सम्मलेन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियाँ आयोजित किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन कार्यशालाओं में विचार-विमर्श किए गए प्रमुख मुद्दों में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के विनियामक उपबंधों का प्रवर्तन, लाइसेंस व पंजीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली इत्यादि शामिल थे। ये कार्यशालाएं/प्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा विनियामकों को विनियामक उपबंधों के व्यापक क्षेत्र और विनियामक तंत्रों में विकसित नई अवधारणाओं से भलीभांति परिचित करवाने में सहायक होंगी।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने खाद्य अपमिश्रण तथा भ्रामक विज्ञापनों को जारी और झूठे पोषणिक दावे करने वाली खाद्य फर्मों का पर्दाफाश करने जारी के लिए जनता के वास्ते एक इनामी योजना तैयार की है। इस योजना में मुखबिरों को 500/- रूपए के इनाम देने की परिकल्पना है। इस इनामी योजना का ब्यौरा पहले ही 10 जूलाई, 2012 को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की वेबसाइट www.fssai.gov.in पर डाल दिया गया है ताकि इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की सूची

क्र.सं.	जगह का नाम	विषय	तिथि
1	2	3	4
1.	दिल्ली-भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण मुख्यालय	खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण क्यसीआई और सीआईआई के सहयोग से सेवा में गुणवत्ता प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने पर कार्यशाला.	29 मई 2009
2.	दिल्ली- भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण मुख्यालय	मिशन खाद्य सुरक्षा के लिए सशक्तीकरण पर कार्यशाला	15-17 जुलाई, 2010
3.	दिल्ली-भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण मुख्यालय	राष्ट्रीय इग्न के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए शैक्षिक फ्रेम के विकास हेतु कार्यशाला	3-4 नवंबर, 2011
4.	दिल्ली, भारतीय हैबीटेट सेंटर	खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, मिशिगन स्टेट यनिवर्सिटी, अमेरिका और टेरी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन में उत्तम पद्धतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	9-11 नवंबर, 2010
5.	दिल्ली- भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण मुख्यालय	सर्वोत्तम का कार्यान्वयन और आईएस 15,700 के तत्वों पर कार्यशाला	15-16 नवंबर, 2010
6.	मुंबई	भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण और खाद्य व कृषि संगठन की फूड रिटेल चेन में सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार" के बारे में कार्यशाला	14 दिसंबर, 2011
7.	कोलकाता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के सहयोग से आर्सेनिक के विशेष संदर्भ में पानी की गुणवत्ता पर एक वैश्चिक परामर्श	9-11 फरवरी, 2011

1	2	3	4
8.	हैदराबाद	मैसर्स सतुगरु प्रबंधन परामर्शदाता (एसएमसी) के सहयोग से वैश्चिक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम	22-25 अगस्त 2011
9.	कोलकाता	पीएचईडी के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों में बेचे गए भोजन, पेयों और और पानी की गुणवत्ता के विशेष संदर्भ में खाद्य व पानी की सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकारियों को शामिल करने के लिए तंत्र के विकास पर राष्ट्रीय स्तर परामर्श	10-11 सितंबर, 2011
10.	दिल्ली, प्रगति मैदान	आहार-अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य शो में खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की भागीदारी	12 से 16 मार्च, 2012

[अनुवाद]

तम्बाकू की खेती के स्थान पर विकल्प

3436. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार तम्बाकू की खेती के स्थान पर आर्थिक रूप से धारणीय विकल्पों पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी समूह "तम्बाकू की खेती के स्थान पर आर्थिक रूप से धारणीय विकल्प" पर मसौदा नीति, विकल्प और सिफारिशें तैयार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डब्ल्यूएचओ को अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व देश में तम्बाकू उत्पादकों और इससे सम्बद्ध उद्योगों के विचारों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने अंतिम निर्णय लेने से पूर्व तम्बाकू उत्पादकों और इससे सम्बद्ध उद्योगों के विचारों को समाहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे कोर्ठ दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं, तथापि, डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन टोबैको को कंट्रोल (एफसीटीसी) का अनुच्छेद 17-18, जिसमें भारत एक पक्ष है, "तम्बाकू उगाने के आर्थिक रूप से धारणीय विकल्पों" से संबंधित है। ब्राजील, यूनान, तुर्की सहित भारत उक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत दिशानिर्देशों/नीति विकल्पों के विकास के लिए कार्यदल का एक प्रमुख सहायक है। इस कार्यदल ने "तंबाकू उगने के आर्थिक रूप से धारणी विकल्पों के बारे में विकल्पों और सिफारिशों के नीतिगत प्रारूप जिसे 12-17 नवंबर, 2012 से सिओल, दक्षिण कोरिया में डब्ल्यूएचओ-'एफसीटीसी के अंतर्गत पक्षों के सम्मेलन के 5वें सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से परामर्श किया है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्दरी द्वारा क्रियान्वित पांच अलग-अलग कृषि-मौसमी (एग्रो-क्लाइमेटिक) अंचलों में तंबाकू की वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा है।

मलेरिया औषधियों की गुणवत्ता

3437. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस अध्ययन पर ध्यान दिया है जिसमें यह पाया गया है कि भारत में जांच की गई औषधियों में से लगभग 7% औषधियों या तो नकली हैं या खराब गुणवत्ता वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खराब गुणवत्ता वाली मलेरिया-रोधी औषधियां, औषधि प्रतिरोधी व अपर्याप्त इलाज का कारण बनी हो और हाल

की विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत की 70% से ज्यादा जनसंख्या मलेरिया संक्रमण के जोखिम का सामना करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) मलेरिया के कारण अस्वस्थता और मृत्यु-दर को कम करने के लिए मलेरिया संक्रमित लोगों को उच्च प्रभावी गुणवत्ता वाली औषधियां प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां, यह रिपोर्ट 'ए सैफ मेडिसिन्स चेस्ट फॉर द वर्ल्ड प्रिवेंटिंग सबस्टैंडर्ड प्रोड्क्ट्स फ्रांस टैटिंग इंडियाज फार्मास्युटिकल्स" शीर्षक से रोजगर बेट एवं अन्य द्वारा 'हेल्थ इस्यूज-इंटरनेशनल पॉलिसी नेटवर्क' में प्रकाशित हुई है। तथापि, विगत तीन वर्षों द्वारा देशभर में जांचे गए औषध नमूनों से प्रकट होता है कि औसतन केवल 4.7% संदिग्ध नमूने अवमानक स्तर के घोषित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सत्यापित प्रयोगशालाओं के जरिए प्रेषण पूर्व एवं पश्चात् औषध जांच के जरिए मलेरिया रोधी औषधों के प्रापण एवं वितरण के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण कायम रखा जाता है।

अब तक राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) द्वारा किए गए चिकित्सीय प्रभावकारिता संबंधी अध्ययनों से देश के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय औषध नीति 2010 के अंतर्गत निर्धारित की गई मलेरिया रोधी औषधों के प्रति कोई अर्थपूर्ण औषध प्रतिरोध सूचित नहीं होता है।

(ङ) मलेरिया के कारण होने वाली रूग्णता तथा मृत्यु में कमी जाने के लिए मलेरिया से संक्रमित लोगों को प्रभावकारी उच्च गुणवत्तायुक्त औषधें प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं:-

1. इस कार्यक्रम के तहत प्रयुक्त होने वाली मलेरिया रोधी औषधों की प्रभावकारिता की मॉनीरटिंग करने के लिए एनआईएमआर की सहायता से चिकित्सीय प्रभावकारिता संबंधी अध्ययन किए जाते हैं।
2. मलेरिया औषधों के दुष्प्रभावों की मॉनीटरिंग करने के लिए एनआईएसआर की सहायता से फार्माको-विजिलेंस अध्ययन भी किए जाते हैं।
3. भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्त सभी औषधों के लिए प्रेषण पूर्व तथा पश्चात् गुणवत्ता आश्वासन किया जाता है।

[हिन्दी] 668-70

एअर इंडिया के पायलट

3438. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया में अनेक पायलट महीने में मात्र एक या दो घंटे की उड़ान सेवा देकर काफी बड़ा वेतन पैकेज पा रहे हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच शुरू की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) एअर इंडिया को कितने पायलटों की आवश्यकता है, इसकी वर्तमान संख्या कितनी है तथा अतिरिक्त पायलटों, यदि कोई हो, की संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के देय भुगतानों को रोक दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं व इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। सभी पालयटों को प्रबंधन द्वारा अपनी यूनियनों और गिल्डों के साथ किए गए करारों के अनुसार वेतन और भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एअर इंडिया के लिए पायलटों की अपेक्षित संख्या, वर्तमान क्षमता और अधिशेष/कमी से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया के कर्मचारियों को मई 2012 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है और अप्रैल 2012 में देय पी एल आई का भुगतान किया जा चुका है। जो पायलट हड़ताल पर थे उन्हें (जिन पायलटों को बर्खास्त किया गया था उनको छोड़कर) मार्च 2012 तक के वेतन अदा किये जा चुके हैं। जो पायलट हड़ताल पर नहीं थे उन्हें अप्रैल 2012 तक और जो हड़ताल पर थे उन्हें फरवरी 2012 तक उड़ाने भत्ते किए जा चुके हैं (बार्खस्त किए गए 85 पायलटों

को छोड़कर) और केबिन कर्मीदल को मार्च 2012 तक उड्डन भत्तों को भुगतान किया जा चुका है।

वेतन के भुगतान में विलंब निम्नलिखित कारणों से आए गम्भीर वित्तीय संकट की वजह से हुआ है:

(i) विमानन टार्बाइन ईंधन की लागत में असामान्य वृद्धि।

(ii) ऊंचे कर।

(iii) उच्च हवाईअड्डा शुल्क और उपकर।

(iv) अत्यधिक क्षमता की वजह से बाजार हिस्सेदारी के लिए एयरलाइनों को बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कम अर्जन/हानि।

(v) डॉलर से सुदृढ़ होने की वजह से विमान ऋणों पर ब्याज के भार में वृद्धि

विवरण

कुल कर्मीदल आवश्यकता/उपलब्धता/कमी/अधिशेष

श्रेणी	विमान	उड़ान के लिए उपलब्ध विमान	उड़ान के लिए उपलब्ध विमानों के अनुसार आवश्यकता (कमांडर+फर्स्ट ऑफिसर)	कुल उपलब्ध कर्मीदल (कमांडी+फर्स्ट) ऑफिसर)	कमी/अधिशेष
बी777	20	18	396	297	-99
बी744	5	3	34	35	+1
बी787	6 (प्रस्तावित)	5 (प्रस्तावित)	90	4	-86

प्रशिक्षणाधीन कर्मीदल-कमी/अधिशेष

श्रेणी	कुल प्रशिक्षणाधीन कर्मीदल (कमांडर+फर्स्ट ऑफिसर)	सभी प्रशिक्षणाधीन कर्मियों की रिलीज के बाद कमी/अधिशेष
बी777	121	22 अधिशेष
बी744	10 (केवल फ्लाइंग ऑफिसर)	9 अधिशेष
बी787	(16+16 प्रस्तावित)	9 कमी

एअर इंडिया के नैरों बॉडी प्रचालनों के लिए उपलब्ध पायलटों की वर्तमान क्षमता निम्नानुसार है:

विमान श्रेणी	संख्या
ए319 और ए321 के ए320 श्रेणी वाली विमान	730
ए330	19
बी787 पर प्रशिक्षण पर चुके पायलट	30
कुल योग	779

नैरों बॉडी से संबंधित पायलटों की उपर्युक्त संख्या अधिशेष नहीं है और पायलटों की एफडीटीएल पर हॉल ही में जारी की गई नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) को देखते हुए और ए320/ए330 विमानों से पायलटों को बी787 श्रेणी के विमानों पर परिवर्तित किए जाने के कारण, कंपनी को अतिरिक्त पायलट शामिल करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

लिखित उत्तर 671-81

मेडिकल प्रैक्टिशनर्स

3439. श्री जोस के मणि: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) सहित व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारत के पास एमबीबीएस डिग्रीधारी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम स्पष्ट रूप से इस बात के लिए राज्यों की क्षमता को स्वीकार तथा मान्यता देता है कि आईएमसी अधिनियम और इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट में विनिर्दिष्ट योग्यताधारी से इतर व्यक्तियों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली में कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में मुख्तियार चंद बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों की आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां।

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2(ङङ) के खंड (iii) के तहत सरकारों द्वारा घोषणा-पत्र जारी करने से उत्पन्न विवाद की जांच की जिसमें पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टीशनरों' को परिभाषित किया गया है ऐसे घोषणा पत्रों के तहत अधिसूचित वैद्य/हकीम भारतीय औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनिमय, 1940 के तहत आने वाली एलोपैथिक दवाएं नुस्खे में लिखने का दावा करते हैं। इसके अलावा, एकीकृत पाठ्यक्रमों में डिग्री प्राप्त वैद्य/हकीम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने का दावा करते हैं।

न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियम 2(ङङ) (iii) विधिमान्य है। तथापि, उक्त नियम तथा उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के लाभ उन राज्यों में उपलब्ध होंगे जहां राज्य के कानून द्वारा किसी भी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने का ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है जिसके तहत भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को राज्य में पंजीकृत किया जाता है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, राज्य में पंजीकृत भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करने वालों को किसी भी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाली राज्य विधि लाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

विवरण

*प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर**

(मार्च 2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित[1] (आर)	संस्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1624	2424	2348	76	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	अनुपलब्ध	92	अनुपलब्ध	5

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	938	अनुपलब्ध	1557	अनुपलब्ध	*
4.	बिहार##	1863	2078	3532	*	*
5.	छत्तीसगढ़	741	1482	424	1058	317
6.	गोवा	19	46	41	5	*
7.	गुजरात	1123	1123	778	345	345
8.	हरियाणा	444	651	530	121	*
9.	हिमाचल प्रदेश	453	582	451	131	2
10.	जम्मू और कश्मीर	397	750	881	*	*
11.	झारखंड	330	330	392	*	*
12.	कर्नाटक	2310	2310	2089	221	221
13.	केरल	809	1204	1122	82	*
14.	मध्य प्रदेश	1156	1238	814	424	342
15.	महाराष्ट्र	1809	3618	2292	1326	*
16.	मणिपुर	80	240	192	48	*
17.	मेघालय	109	127	104	23	5
18.	मिजोरम	57	57	37	20	20
19.	नागालैंड	126	अनुपलब्ध	101	अनुपलब्ध	25
20.	ओडिशा	1228	725	525	200	703
21.	पंजाब	446	487	487	0	*
22.	राजस्थान	1517	1478	1472	6	45
23.	सिक्किम	24	48	39	9	*
24.	तमिलनाडु	1204	2326	1704	622	*
25.	त्रिपुरा	79	अनुपलब्ध	119	अनुपलब्ध	*
26.	उत्तरांचल	239	299	234	65	5
27.	उत्तर प्रदेश	3692	4509	2861	1648	831
28.	पश्चिम बंगाल	909	1807	1006	801	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	40	28	12	*

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन और दीव	3	3	5	*	*
33.	दिल्ली	8	22	19	3	*
34.	लक्षद्वीप	4	4	10	*	*
35.	पुदुचेरी	24	37	37	0	*
	अखिल भारत[2]	23887	30051	26329	7246	2866

नोटः

#2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

##2010 के लिए संस्वीकृत आंकड़े प्रयुक्त किए गए हैं

एनए. अनुपलब्ध

+एलोपैथिक डॉक्टर

*अधिशेष : रिक्त तथा कमी के अखिल भारत के आंकड़ें कुछ राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों में अधिशेष को नजर अंदाज करते हुए राज्यवार रिक्त तथा कमी के कुल योग हैं)

[1]प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक

[2]रिक्त तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिवहन करने के लिए उन राज्यों को हटाया जा सकता है जिनके लिए जनशक्ति के पद उपलब्ध नहीं है।

तालिका 28

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्य विशेषज्ञ

कुल विशेषज्ञ (सर्जन, ओबीएंडजीवाई, फिजिशयन तथा बाल चिकित्सा)

(मार्च 2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित[1] (आर)	संस्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1124	578	408	170	716
2.	अरुणाचल प्रदेश	192	छ।	1	अनुपलब्ध	191
3.	असम	432	अनुपलब्ध	26	अनुपलब्ध	216
4.	बिहार##	280	280	151	129	129
5.	छत्तीसगढ़	592	592	82	510	510

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	20	16	10	6	10
7.	गुजरात	1220	346	76	270	1144
8.	हरियाणा	428	257	45	212	383
9.	हिमाचल प्रदेश	304	अनुपलब्ध	9	अनुपलब्ध	295
10.	जम्मू और कश्मीर	332	315	170	145	162
11.	झारखंड	752	124	66	58	686
12.	कर्नाटक	720	अनुपलब्ध	584	अनुपलब्ध	136
13.	केरल#	896	640	774	*	122
14.	मध्य प्रदेश	1332	778	227	551	1105
15.	महाराष्ट्र	1460	649	600	49	860
16.	मणिपुर	64	64	4	60	60
17.	मेघालय	116	8	9	*	107
18.	मिजोरम	36	अनुपलब्ध	2	अनुपलब्ध	34
19.	नागालैंड	84	अनुपलब्ध	34	अनुपलब्ध	50
20.	ओडिशा	1508	812	438	374	1070
21.	पंजाब	516	460	300	160	216
22.	राजस्थान	1504	1068	569	499	935
23.	सिक्किम	8	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	8
24.	तमिलनाडु[3]	1540	0	0	0	1540
25.	त्रिपुरा#	44	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	44
26.	उत्तराखंड	220	210	78	132	142
27.	उत्तर प्रदेश	2060	2060	1894	166	166
28.	पश्चिम बंगाल	1392	542	175	367	1217
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	16	0	16	16
30.	चंडीगढ़	8	11	7	4	1

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	0	0	4
32.	दमन और द्वीव	8	2	0	2	8
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	12	0	1	*	11
35.	पुदुचेरी	12	3	5	*	7
	अखिल भारत*	19236	9831	6935	3880	12301

#2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

##2010 के लिए संस्वीकृत आंकड़े प्रयुक्त किए गए हैं

एनए, अनुपलब्ध

[1]प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चार

*अधिशेष : रिक्त तथा कमी के अखिल भारत के आंकड़ें कुछ राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों में अधिशेष को नजर अंदाज करते हुए राज्यवार रिक्त तथा कमी के कुल योग हैं)

[2]रिक्त तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिवहन करने के लिए उन राज्यों को हटाया जा सकता है जिनके लिए जनशक्ति के पद उपलब्ध नहीं है।

[3]विशेषज्ञ सीएचसी में किराए के आधार पर आ रहे हैं।

सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी-सीएचसी में एलोपैथिक

(मार्च 2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत (एस)	तैनात (पी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	880	650
2.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	108
3.	असम	अनुपलब्ध	391
4.	बिहार	अनुपलब्ध	451
5.	छत्तीसगढ़	592	276
6.	गोवा	21	20
7.	गुजरात	686	571
8.	हरियाणा	453	258
9.	हिमाचल प्रदेश	282	260
10.	जम्मू और कश्मीर	539	318
11.	झारखंड#	1681	1833
12.	कर्नाटक##	255	240
13.	करेल	224	264
14.	मध्य प्रदेश	909	678
15.	महाराष्ट्र	722	584
16.	मणिपुर	107	85
17.	मेघालय	78	86
18.	मिजारेम	अनुपलब्ध	10
19.	नागालैंड	12	36
20.	ओडिशा	367	316
21.	पंजाब	174	147

1	2	3	4
22.	राजस्थान	998	905
23.	सिक्किम	अनुपलब्ध	5
24.	तमिलनाडु	1926	1638
25.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	36
26.	उत्तराखंड	55	48
27.	उत्तर प्रदेश	161	167
28.	पश्चिम बंगाल	1435	1353
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	13
30.	चंडीगढ़	6	6
31.	दादरा और नगर हवेली	अनुपलब्ध	6
32.	दमन और द्वीप	4	4
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	22	14
35.	पुदुचेरी	21	21
	कुल[2]	12631	11798

नोट:

#2010 के लिए आंकड़े 2010 के लिए संस्वीकृति आंकड़े प्रयुक्त किया गए हैं।

N.A. अनुपलब्ध

[2]रिक्त तथा कमी की समग्र प्रतिशतता का परिकलन करने के लिए उन राज्यों को हटाया जा सकता है जिनके लिए जनशक्ति के पद उपलब्ध नहीं हैं।

रेलभूमि पर ओपीडी व निदान केन्द्र

3440. श्री एंटो एंटोनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से तिरुवनंतपुरम में रेलवे स्टेशन के निकट रेल भूमि पर ओपीडी व निदान केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित ओपीडी और निदान केन्द्र के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) रेल मंत्रालय को केरल सरकार से तिरूवनंतपुरम में एक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, रोग नैदानिक केन्द्र, उपचर्या महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने उन क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों, यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए भारत भर में पीपीपी मोड में पता लगाए गए स्थानों पर रेलवे स्टेशनों और टर्मिनलों के पास रेलवे की भूमि पर रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं/बहिरंग रोगी विभागों, अस्पतालों, अति विशेषज्ञता वाले अस्पतालों इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों की स्थापना करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय तिरुवनंतपुरम में उस पैमाने की रेलवे की कोई रिक्त भूमि नहीं है जिसकी कम से कम चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षा होती है। तथापि, वे नैदानिक कैन्द्र और बहिरंग रोगी विभाग के विकास हेतु प्रचलानात्मक उपयोग हेतु अनपेक्षित रिक्त भूमि प्रदान करेगी।

टी जनजाति समुदाय

3441. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नरहरि महतो:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के "टी जनजाति" समुदाय को पिछड़ा समुदाय के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा असम की टी-जनजाति की समाजिक नृविज्ञानी व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम में टी-जनजाति की जनसंख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) राष्ट्रीय वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोई अकेला समुदाय नहीं है जिसे असम राजय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में "टी जनजाति" के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि, असम राज्य के लिए ओबीसी की केन्द्रीय सूची में 96 जातियां हैं जो "टी गार्डन मजदूरों, टी गार्डन जनजातियों, पूर्व टी गार्डन मजदूरों तथा पूर्व टी गार्डन जनजातियों" की परिभाषा के तहत आती है जो संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि जातियों की सूची जन साधारण के सिद्धांत पर परिभाषित की गई थी अर्थात् जातियों के नाम राज्य सूची के साथ-साथ मंडल सूची दोनों में दिये गये थे।

विवरण

असम राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची (उद्धृत)

प्रविष्ठि संख्या	जाति/समुदाय
1	2
24.	टी गार्डन मजदूर, टी गार्डन जनजातियां, पूर्व टी गार्डन मजदूर तथा पूर्व टी गार्डन जनजातियां जैसा नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
1.	अहिरगोला
2.	आर्या माला
3.	असुर
4.	बरहाई
5.	बासफोर
6.	भोकटा
7.	बाउरी
8.	बोवरी
9.	भूयान
10.	भूमिज
11.	बेड़िया
12.	बेलदार
13.	भाराइक
14.	भाटा

1	2
15.	बासोर
16.	बैगा
17.	बैजारा
18.	भील
19.	बोंडो
20.	बिनजिया
21.	बिरहार
22.	बिरजियां
23.	बेदी
24.	चमार
25.	चौधरी
26.	चेरे
27.	चिक बानिक
28.	दंडारी
29.	दंदासी
30.	दुसाद
31.	धनवार
32.	गंडा
33.	गोंडा
34.	गोंड
35.	घांसी
36.	गोराईत
37.	घाटोवार
38.	हारि
39.	होलरा
40.	जोलहा
41.	केओत
42.	कोईरी
43.	खोनयोर
44.	कुर्मी
45.	कवार
46.	करमाली
47.	कोरवा

1	2
48.	कोल
49.	कालाहांडी
50.	कालीहांडी
51.	कोटवाल
52.	खारिया
53.	कुम्हार
54.	खेरवार
55.	खोइडल
56.	खोंड
57.	कोया
58.	कोंडपान
59.	कोहोर
60.	कोरमाकर
61.	काशन
62.	लाहर
63.	लोधा
64.	लोधी
65.	मदारी
66.	माहली
67.	मोहाली
68.	मोदी
69.	महातो
70.	मालपथारिया
71.	मानकी
72.	मजवार
73.	मिर्धर
74.	मुंडा
75.	नोनिया, नूनिया
76.	नागासिया
77.	नागबंशी
78.	नाथ
79.	ओरांव
80.	पासी
81.	पैदी
82.	पान
83.	पानीका
84.	परजर
85.	पत्रातंती
86.	प्रधान
87.	राजवार
88.	सहोरा
89.	संथान, संताल
90.	सर्वेरा
91.	तूरी
92.	तेलंगा
93.	तासा
94.	तंतुवाई
95.	तेली
96.	तंती

[हिन्दी]

18l - 88

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

3442. श्रीमती मीना सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री चार्ल्स डिएस:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय अपनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग को नवीनतम प्रौद्योगिकी सुसज्जित करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी. आईसी.) द्वारा की गई बिक्री और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का खादी और ग्रामोद्योग के विकास और विपणन के लिए कोई पैकेज देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों हेतु ब्रांड नाम का विकास करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देश में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (के.वी.आई.) के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं; (i) 'उत्पाद विकास, डिजाइन इंटरवेंशन पर पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी)' (ii) 'बाजार विकास सहायता (एमडीए)', (iii) 'मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता', (iv) 'खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की योजना (v) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) और (vi) 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)'.

(ग) से (ङ) सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विस्तार कार्यकलापों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान स्थापित किया है। केवीआईसी ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लाभ के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोगिक परीक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति के तकनीकी संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

केवीआईसी एक गैर-लाभकारी संगठन है और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन में एक सुविधा प्रदानकर्ता की भूमिका निभाता है। इसकी अपनी खुद की 10 बिक्री केन्द्र है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केवीआईसी की बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की गई बिक्री के मूल्य विवरण में दिए गए है।

एशियाई विकास बैंक की सहायता से केवीआईसी व्यापक खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। जिसमें 300 खादी संस्थाओं के लिए एक व्यापक सुधार की योजना और विपणन अवसंरचना और कार्यक्रमों का पुनः सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

(च) और (छ) खादी की असलियत की गारंटी के लिए, खादी की एक अलग पहचान, 'खादी मार्क', की परिकल्पना की गई है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

केवीआईसी के बिक्री केन्द्रों/खादी ग्रामोद्योग भवनों के माध्यम से की गई बिक्री

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	केवीआईसी के बिक्री केन्द्र/खादी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1.	केजीबी नई दिल्ली	2687.02	2512.97	2708.13	344.19
2.	ग्रामशिल्पा नई दिल्ली	178.54	146.95	79.75	-
3.	केजीबी एर्नाकुलम	297.19	324.76	474.62	33.60
4.	केजीबी पटना	73.21	94.51	105.81	10.48
5.	केजीबी कोलकाता	625.64	395.20	474.65	68.57
6.	केजीबी मुम्बई	531.34	486.53	552.04	17.55
7.	केजीबी गोवा	38.60	65.57	38.92	2.49
8.	केजीबी भोपाल	37.11	42.95	54.67	9.14
9.	केजीबी अगरतला	21.40	4.80	3.57	-
10.	केजीबी जोधपुर	-	-	0.33	-

*30.06.2012 तक

पर्यटन

[अनुवाद]

689

वाइपर द्वीप की पट्टा अवधि

3443. श्री विष्णुपद राय: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाइपर द्वीप को कितनी अवधि के लिए लाइवस्टॉक को-ऑपरेटिव सोसाइटी को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) क्या पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद इसे आगे के लिए नवीकृत कियागया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त पट्टे की नवीकृत अवधि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि वाइपर द्वीप के पट्टे की अवधि दिनांक 01.05.1945 से 30 वर्षों के लिए थी और दिनांक 30.04.1975 को समाप्त होने के बाद पट्टे को नवीकृत नहीं किया गया।

689-94

गुर्दा प्रतिरोपण

3444. श्री जगदानंद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में भारतीय अस्पतालों में गुर्दा की ब्रिक्री के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक सामने आए मामलों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में इलाज हेतु कितने विदेशी राष्ट्रिक भारत आए;

(घ) इनमें से ऐसे राष्टिरकों की संख्या कितनी है जिन्होंने गुर्दा प्रत्यारोपण करवाया;

(ङ) सरकार का गुर्दा की बिक्री की घटनाओं को रोकने हेतु क्या सख्त उपाय करने का विचार है;

(च) क्या 1994 में अधिनियमित मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम अभी तक कुछ राज्यों में लागू नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और सूचना परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण की ऐसी घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं। ऐसी घटनाओं के संबंध में विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण ऐसी सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंग प्रत्यारोपण के लिए विदेशी प्राप्तकर्ता के संबंध में सूचना प्रदान की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में दांडिक उपबंधों और सजाओं को और अधिक सख्त कर दिया गया है।

(च) और (छ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 जम्मू व कश्मीर और आंध्र प्रदेश राज्यों जिन्होंने मानव अंगों के प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए उनके अपने कानून बनाए हैं, को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

विवरण-I

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दा एवं अन्य अंग प्रत्यारोपणों के मामलों का ब्यौरा-जैसा कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का ब्यौरा	सूचित मामलों का ब्यौरा
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	वर्ष 2009 में दिनांक 20.11.2009 के एपआईआर सं. 412/09 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2010 में दिनांक 05.06.2010 के एफआईआर सं. 79 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। 2012 में दिनांक 18.05.2012 तथा 21.08.2012 के क्रमश: एफआइआर सं. 158 एवं 370 के तहत दो मामले दर्ज किए गए।

1	2	3
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी 2004 में बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई के डॉ. एस.पी. त्रिवेदी पर धोखाधड़ी, जालसाजी तथा मानव अंगोंके अवैध व्यापार के लिए मुकदमा चलाया गया था।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ मामलों में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेषतौर पर गुर्दे की बिक्री का पता चला जिनकी इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष जांच दल द्वारा जांच की जा रही है। जांच-पड़तालों के परिणाम स्वरूप, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक अस्पताल नामतः रामशरण दास किशोरी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इस राज्य में अवैध/वाणिज्यिक अंग व्यापार के लिए गरीब लोगों के व्यापक शोषण की कोई रिपोर्ट नहीं है।
4.	गुड़गांव, हरियाण	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुड़गांव (हरियाणा) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 8 संदिग्ध डॉक्टरों एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
5.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2008 में उज्जैन जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण करने के लिए पर्दाफाश किया गया।
6.	मध्य प्रदेश	इस मामले को अपराध से 408/27.6.08 के रूप में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत 18, 19 के तहत दर्ज किया गया। उज्जैन पुलिस ने छह (6) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
7.	केरल	अलप्पुझा तथा एर्नाकुलम जिलों के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु जिला स्तरीय प्राधिकार समिति के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि उनके जोन से वर्ष 2010 में जालसाजी के 18 मामले तथा धोखाधड़ी के एक मामले को दर्ज किया गया है। सभी मामलों की सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है तथा मामले की न्यायिक जांच की जा रही है।
8.	मिजोरम	शून्य
9.	उत्तर प्रदेश	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य
11.	पुदुचेरी	शून्य
12.	गुजरात	शून्य
13.	त्रिपुरा	शून्य
14.	चंडीगढ़	शून्य
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
16.	गोवा	शून्य

1	2	3
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य
18.	असम	शून्य
19.	लक्षद्वीप (यूटी)	शून्य
20.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
21.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
22.	दमन और दीव	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

विवरण-II

अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत में विदेशी प्राप्तकर्ता का ब्यौरा-जैसा कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें से प्राप्त हुआ है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2010	वर्ष 2011
1.	महाराष्ट्र	29	17
2.	मिजोरम	शून्य	शून्य
3.	कर्नाटक	23	40
4.	तमिलनाडु	शून्य	1
5.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी] 693-94

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में सी.बी.एस.ई. के पाठ्क्रम

3445. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में शिक्षा के उच्च स्तरीय विशेषकर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पाठ्यक्रमों के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है और इन स्कूलों की वर्तमान स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को माध्यमिक एवं उच्च स्तर की शिक्षा (कक्षा 6 से कक्षा 12) के उच्च मानदंड प्रदान करना है। जून, 2010 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ईएसमआरएस को राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जैसा संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा उचित समझा जाए, से संबद्ध किया जा सकता है।

खादी का उत्पादन

694-708

3446. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में हाथ से काते गए हाथ से बुने गए ऊनी एवं रेशमी खादी के उत्पादन की मात्रा राज्य-वार क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादित खनिज पदार्थों, वन उत्पादों, कृषि/खाद्यान्न, रसायन एवं पोलीमर आधारित हाथ से बने कागजी उत्पादों का ग्रामीण इंजीनियरिंग क्षेत्र में हुए उत्पादन के ब्यौरे सहित इसकी राज्य-वार मात्रा एवं मूल्य क्या है;

(ग) खादी एवं ग्राम उद्योगों की उपर्युक्त उत्पादक इकाइयों तथा उन्हें प्रदत्त सहायता राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग को प्रदत्त सहायता राशि कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित हाथ से कांते गए और हाथ से बुने गए, ऊनी और सिल्क खादी की राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और राज्य/संघ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के साथ 1019 ग्रामीण उद्योग संस्थान पंजीकृत हैं और पूर्व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और वर्तमान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 4.77 लाख से अधिक इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है। ग्रामोद्योग (वीआई) को सात व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया गया है; (i) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), (ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई), (iii) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) (iv) पॉलिमर और रसायन आधारित उद्योग (पीसीबीआई) (v) इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईबीटीआई), (vi) हाथ से बने कागज और फाइबर उद्योग (एचएमपीएफआई) और (vii) सेवा और कपड़ा उद्योग। एमबीआई, एफबीआई, एबीएफपीआई, पीसीबीआई, आरईबीटीआई, एचएमपीएफआई के तहत वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़े केवीआईसी द्वारा उनके रुपये मूल्य में रखे जाते हैं।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण I, II III और IV में दिये गये हैं। उत्पादन और प्रदान की गई सहायता राशि का संस्थान/ईकाई-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से केवीआईसी द्वारा नहीं रखा जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के तहत केवीआईसी को जारी की गई निधियों की मात्रा नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए केवीआईसी को उपलब्ध कराई गई निधियां	अन्य योजना स्कीमों के तहत केवीआईसी को प्रदान की गई निधियां	योग
2009-10	504.21	331.85	836.06
2010-11	877.20	570.17	1447.37
2011-12	1010.24	248.23	1258.47
2012-13 (31.07.2012 तक)	630.14	-	630.14

विवरण-I

हाथ से काती गई और हाथ से बुनी गई ऊनी और सिल्क खादी की राज्यवार मात्रा

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		ऊनी खादी	सिल्क खादी	ऊनी खादी	सिल्क खादी	ऊनी खादी	सिल्क खादी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	3.10	0.34	3.10	0.35	3.09	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	2.36	0.00	2.36	0.00	2.38	0.00
3.	पंजाब	12.08	0.00	12.11	0.00	12.11	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	उत्तराखंड	4.99	0.00	5.11	0.00	5.12	0.00
6.	हरियाणा	20.91	0.00	21.62	0.00	21.66	0.00
7.	दिल्ली	0.12	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
8.	राजस्थान	13.88	0.00	14.15	0.00	14.16	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	15.25	1.81	16.13	2.41	18.56	3.02
10.	बिहार	0.47	0.89	0.48	0.91	0.48	0.91
11.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
13.	नागालैंड	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19
14.	मणिपुर	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
15.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06
18.	असम	0.00	5.37	0.00	5.38	0.00	5.39
19.	पश्चिम बंगाल	0.00	28.02	0.00	28.08	0.00	29.04
20.	झारखंड	0.12	1.21	0.12	1.21	0.12	1.21
21.	ओडिशा	0.00	3.16	0.00	3.48	0.00	3.49
22.	छत्तीसगढ़	0.14	7.29	0.14	7.56	0.14	7.58
23.	मध्य प्रदेश	2.04	1.37	2.05	1.38	2.05	1.38
24.	गुजरात**	1.56	0.39	1.60	0.40	1.62	0.41
25.	महाराष्ट्र***	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
26.	आंध्र प्रदेश	0.25	1.02	0.26	1.04	0.26	1.05
27.	कर्नाटक	6.97	5.79	6.97	5.93	6.97	5.93
28.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	केरल	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.20
31.	तमिलनाडु	0.00	8.63	0.00	9.39	0.00	9.49
32.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	84.24	65.96	86.34	68.20	88.86	69.94

**दमन दीव सहित ***दादरा व नगर हवेली सहित

विवरण-II

2009-10 के दौरान समूहवार उत्पादन

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एबीएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपीएफआई	आरईबीटीआई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	5886.17	3039.71	13181.42	5290.83	1973.60	9498.43
2.	हिमाचल प्रदेश	6073.06	3359.42	12792.85	5719.89	2087.26	12809.61
3.	पंजाब	13368.31	8654.89	23081.41	11927.78	3509.86	17391.09
4.	चंडीगढ़	276.88	145.38	591.54	303.43	85.66	357.31
5.	उत्तराखंड	2950.48	2280.20	5652.34	2325.21	1296.28	4912.65
6.	हरियाणा	11795.92	6494.84	18771.01	7073.27	3010.70	18283.59
7.	दिल्ली	889.56	485.19	1754.84	1008.97	304.97	1132.09
8.	राजस्थान	35977.11	11667.65	41579.55	18659.31	5963.07	30566.04
9.	उत्तर प्रदेश	33609.95	17462.25	66800.73	26341.48	8385.18	38759.99
10.	बिहार	4271.85	1069.03	20174.30	2428.25	365.93	5679.85
11.	सिक्किम	428.38	382.23	1128.52	191.57	133.24	876.64
12.	अरूणाचल प्रदेश	514.20	682.11	937.43	353.57	236.42	978.50
13.	नागालैंड	1483.75	908.40	2542.30	970.08	325.72	3519.26
14.	मणिपुर	1359.70	645.13	2344.56	1185.37	504.66	1697.74

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मिजोरम	2803.44	1106.45	7275.29	1548.12	630.02	4457.84
16.	त्रिपुरा	2357.19	484.91	1589.67	1211.63	398.85	2010.40
17.	मेघालय	2404.33	720.23	3700.85	804.26	380.69	1615.74
18.	असम	9094.05	3582.48	16027.07	5863.31	2288.44	9308.75
19.	पश्चिम बंगाल	15005.23	7706.91	32150.34	15133.80	5775.99	11727.09
20.	झारखंड	4049.68	542.81	1989.55	545.45	165.30	1848.84
21.	ओडिशा	7106.20	2393.96	12458.72	4346.17	1667.68	7474.95
22.	छत्तीसगढ़	13507.66	1815.37	11458.03	2966.54	699.24	4538.35
23.	मध्य प्रदेश	27081.62	3385.88	24362.20	12169.50	2872.89	16087.30
24.	गुजरात**	9775.78	3955.25	17784.53	10433.39	2853.46	15185.33
25.	महाराष्ट्र***	30729.55	14339.48	53660.27	25850.47	8445.52	36617.41
26.	आंध्र प्रदेश	42985.01	8535.65	34570.03	11630.25	4457.56	21024.71
27.	कर्नाटक	24687.72	7741.66	41145.85	17300.65	5633.50	25940.44
28.	गोवा	658.22	483.07	1359.90	966.53	178.50	826.93
29.	लक्षद्वीप	36.42	10.24	63.00	17.37	3.99	34.66
30.	केरल	16881.18	6971.81	23303.72	11154.45	3919.20	18350.57
31.	तमिलनाडु	18582.23	7325.58	31247.01	15474.08	8877.91	24436.04
32.	पुदुचेरी	197.99	138.09	329.70	90.74	59.65	422.04
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	319.81	138.72	678.87	150.95	50.80	414.31
	योग	**347148.63**	**128654.98**	**526487.40**	**221436.67**	**77541.74**	**348784.49**

**दमन और दीव सहित ***दादरा और नगर हवेली सहित

विवरण-III

2010-11 के दौरान समूहवार उत्पादन

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एबीएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपीएफआई	आरईबीटीआई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	6454.63	3333.30	14454.43	5801.79	2164.20	10415.74
2.	हिमाचल प्रदेश	6659.59	3683.86	14028.35	6272.29	2288.81	14046.69

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पंजाब	14659.36	9490.73	25310.52	13079.72	3848.83	19070.66
4.	चंडीगढ़	303.62	159.43	648.66	332.74	93.93	391.81
5.	उत्तराखंड	3235.45	2500.44	6198.23	2549.77	1421.48	5387.14
6.	हरियाणा	12935.14	7122.09	20583.84	7756.37	3301.46	20049.34
7.	दिल्ली	975.48	532.03	1924.33	1106.42	334.43	1241.42
8.	राजस्थान	39451.62	12794.48	45595.13	20461.35	6538.96	33517.98
9.	उत्तर प्रदेश	36855.83	19148.68	73252.09	28885.51	9194.89	42503.29
10.	बिहार	4684.42	1172.27	22122.65	2662.76	401.27	6228.37
11.	सिक्किम	469.71	419.14	1237.50	210.14	146.13	961.35
12.	अरूणाचल प्रदेश	563.65	747.94	1027.94	387.76	259.37	1072.88
13.	नागालैंड	1627.07	996.15	2787.80	1063.70	357.27	3859.17
14.	मणिपुर	1491.01	707.44	2570.91	1299.80	553.44	1861.73
15.	मिजोरम	3074.17	1213.33	7977.81	1697.61	690.87	48883.39
16.	त्रिपुरा	25854.82	531.73	1743.23	1328.61	437.44	2204.58
17.	मेघालय	2636.55	789.74	4058.29	881.88	417.46	1771.72
18.	असम	9972.34	3928.48	17574.85	6429.51	2509.48	10207.77
19.	पश्चिम बंगाल	16454.33	8451.24	35255.23	16595.38	6333.82	12859.67
20.	झारखंड	4440.79	595.22	2181.69	598.15	181.24	2027.37
21.	ओडिशा	7792.45	2625.17	13661.89	4765.93	1828.76	8196.84
22.	छत्तीसगढ़	14812.19	1990.67	12564.63	3253.09	766.79	4976.61
23.	मध्य प्रदेश	29697.13	3712.85	26714.98	13344.76	3150.36	17640.91
24.	गुजरात**	10719.85	4337.25	19502.12	11441.04	3129.06	16651.71
25.	महाराष्ट्र***	33697.25	1572427	58842.61	28347.01	9261.05	40153.82
26.	आंध्र प्रदेश	47068.71	9424.74	37952.87	12806.23	4856.29	230.30
27.	कर्नाटक	27071.92	8489.39	45119.54	18971.44	6177.52	28445.67
28.	गोवा	721.78	529.72	1491.27	1059.84	195.73	906.77
29.	लक्षद्वीप	39.89	11.21	69.11	19.07	4.35	38.09

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	केरल	18511.49	7645.28	25554.39	12231.67	4297.66	20122.67
31.	तमिलनाडु	20376.81	8033.09	34264.73	16968.53	9735.33	26795.92
32.	पुदुचेरी	217.13	151.43	361.53	99.54	65.40	462.73
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	350.70	152.12	744.44	165.55	55.75	454.31
	योग	**380606.88**	**141144.88**	**577377.59**	**242874.96**	**84998.83**	**382443.6**

**दमन और दीव सहित

***दादरा और नगर हवेली सहित

विवरण-IV

2011-12 के दौरान समूहवार उत्पादन

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमबीआई	एफबीआई	एबीएफपीआई	पीसीबीआई	एचएमपीएफआई	आरईबीटीआई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	7105.58	3669.46	15912.16	6386.90	2382.46	1146.17
2.	हिमाचल प्रदेश	7331.21	4055.37	15443.11	6904.85	2519.64	15463.30
3.	पंजाब	16137.75	10447.81	27863.08	14398.81	4236.99	20993.93
4.	चंडीगढ़	334.247	175.53	714.07	366.30	103.40	431.32
5.	उत्तराखंड	3561.74	2752.61	6823.32	2806.91	1564.84	5930.43
6.	हरियाणा	14239.65	7840.35	22659.72	8538.60	3634.41	22071.31
7.	दिल्ली	1073.86	585.68	2118.40	1218.00	368.15	1366.63
8.	राजस्थान	43430.31	14084.80	50193.40	22524.84	7198.42	36898.26
9.	उत्तर प्रदेश	40572.74	21079.82	80639.56	31798.61	10122.19	46789.74
10.	बिहार	5156.84	1290.49	24353.72	2931.30	441.74	6856.50
11.	सिक्किम	517.08	461.41	1362.30	231.33	160.87	1058.30
12.	अरूणाचल प्रदेश	620.48	823.37	1131.61	426.897	285.53	1181.08
13.	नागालैंड	1791.16	1096.62	3068.95	1170.97	393.30	4248.37
14.	मणिपुर	1641.38	778.79	2830.19	1430.88	609.25	2049.49

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मिजोरम	3384.20	1335.69	8782.37	1868.81	760.55	5381.38
16.	त्रिपुरा	2845.50	585.35	1919.03	1462.60	481.56	2426.91
17.	मेघालय	2902.45	869.39	4467.57	970.82	459.56	1950.40
18.	असम	10978.05	4324.67	19347.27	7077.92	2762.56	11237.22
19.	पश्चिम बंगाल	18113.74	9303.55	38810.72	18269.03	6972.59	14156.56
20.	झारखंड	4888.65	655.25	2401.71	658.47	199.52	2231.83
21.	ओडिशा	8578.33	2889.92	15039.69	5246.57	2013.18	9023.49
22.	छत्तीसगढ़	16305.99	2191.43	13831.78	3581.16	844.12	5478.50
23.	मध्य प्रदेश	32692.08	4087.29	29409.18	14690.58	3468.07	19419.99
24.	गुजरात**	11800.95	4774.66	21468.91	12594.87	3444.62	18331.03
25.	महाराष्ट्र***	37095.62	17310.02	64776.88	31205.8	10195.03	44203.32
26.	आंध्र प्रदेश	51815.58	10375.22	41780.42	14097.74	5346.05	25353.10
27.	कर्नाटक	29802.12	9345.54	49669.84	20884.71	6800.52	31314.41
28.	गोवा	794.57	583.15	1641.66	1166.72	215.47	998.22
29.	लक्षद्वीप	43.91	12.34	76.08	20.99	4.79	41.93
30.	केरल	20378.37	8416.31	28131.55	13465.23	4731.08	22152.04
31.	तमिलनाडु	22431.81	8843.23	37720.32	18679.80	10717.14	29498.29
32.	पुदुचेरी	239.03	166.70	397.99	109.58	71.99	509.40
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	386.07	167.46	819.52	182.24	61.37	500.13
	योग	**418991.04**	**155379.34**	**635606.08**	**267368.84**	**93570.96**	**421012.98**

**दमन और दीव सहित

***दादरा और नगर हवेली सहित

[अनुवाद]

नौकरियों में पिछड़ती महिलाएं

3447. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि समानता में प्रगति के बावजूद, महिलाएं सभी क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं नौकरी के मामले में विशेषकर आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अन्य राज्यों की तुलना में पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो तुलनात्मक रूप से ग्यारहवीं योजना के तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में महिला संगठनों के विचार/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थितियों पर काबू जाने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के परामर्श से क्या कदम उठाए जा रहे हैं/जाने वाले हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय प्राक्कलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए पंचवर्षीय श्रम शक्ति सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान कराया गया था। इन सर्वेक्षणों रिपोर्टों के अनुसर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों के रोजगार की राज्य-वार वार्षिक विकास दर का ब्यौर संलग्न विवरण-I एवं संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आंध्र प्रदेश राज्य सहित प्रत्येक राज्य में महिलाएं कार्यक्षेत्र में पीछे हैं।

(ग) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस संबंध में महिला संगठनों से मत/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी मौजूदा विकास परिप्रेक्ष्य का महत्त्वपूर्ण पहलू है। मौजूदा भारतीय आर्थिक विकास एवं पारिवारिक उत्तरजीविता में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका को स्वीकारते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज महिलाओं को पुरुषों के बराबर का नागरिक ही नहीं माना है अपितु उन्हें सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास एवं परिवर्तन मुद्दों के समाधान के लिए योजना में उनके बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। उसी प्रकार, यह भी मान्यता है कि महिला रोजगार संबंधी नीतियों को महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की जरूरत हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं त्रिकोणीय पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अंगीकृत द डीसेन्ट वर्क कन्ट्री प्रोग्राम फॉर इंडिया, महिला श्रमिकों पर अधिक बल देता है और महिला पुरुष समानता को संकेन्द्रित मुद्दों के रूप में देखता है। इसी तर्ज पर, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न मुद्दों पर जो महिलाओं के कार्य करने एवं जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, काम किया है एवं कार्य कर रहा है। इनमें से कुछ मुद्दों में महिलाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए अंशदान की जांच करने के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, मौजूदा रोजगार कार्यनीति एवं महिला द्वारा किए गए कार्य पर राष्ट्रीय परामर्श, प्रारूप राष्ट्रीय रोजगार नीति को तैयार करना, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का क्रियान्वन, प्रावधानों को अद्यतन के सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, कार्यस्थाल का एचआईवी/एड्स, घरेलू क्रमियों, परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ बाल श्रमिक, डीसेन्ट वर्क तत्वों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में महिला सरोकारों का समेकन, प्रदूषण रहित कार्य आदि शामिल हैं। विभिन्न वैश्विक संसूचकों के आधार पर महिलाएं वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित हुई हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग का एक प्रमुख घटक भारत में वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का पता लगाने के लिए नीति एवं क्षेत्रीय अध्ययन है।

विवरण-I

प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रधान स्तर और प्रधान स्तर के साथ-साथ सहायक स्तर पर सामान्यतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या

ग्रामीण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिलाएं		व्यक्ति	
	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	594	598	413	443	504	521
अरुणाचल प्रदेश	494	499	288	293	399	404
असम	548	553	128	158	351	368

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	478	481	43	65	271	283
छत्तीसगढ़	507	511	362	371	436	442
दिल्ली	601	601	28	28	301	301
गोवा	526	526	127	127	339	339
गुजरात	579	585	247	320	421	459
हरियाणा	512	522	135	250	338	396
हिमाचल प्रदेश	546	556	400	468	473	512
जम्मू और कश्मीर	529	563	55	292	298	431
झारखंड	485	491	125	159	313	333
कर्नाटक	619	624	359	370	489	497
केरल	550	564	176	218	354	383
मध्य प्रदेश	555	556	266	282	418	426
महाराष्ट्र	566	576	354	396	463	488
मणिपुर	493	499	175	212	339	361
मेघालय	568	580	330	371	454	480
मिजोरम	596	598	370	404	488	506
नागालैंड	464	500	174	319	322	411
ओडिशा	575	578	164	243	370	410
पंजाब	525	531	45	240	293	391
राजस्थान	503	510	220	357	365	436
सिक्किम	556	556	296	309	436	442
तमिलनाडु	602	603	391	405	493	501
त्रिपुरा	571	583	91	188	336	390
उत्तर प्रदेश	443	461	274	399	362	431
उत्तराखंड	481	504	90	174	292	344

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	594	608	91	152	356	392
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	575	583	154	199	379	404
चंडीगढ़	522	522	93	93	301	301
दादरा और नगर हवेली	556	556	42	42	311	311
दमन और दीव	574	574	193	198	414	416
लक्षद्वीप	650	658	105	245	384	456
पुदुचेरी	624	631	331	349	468	481
अखिल भारत	537	547	202	261	374	408

राष्ट्र नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 537: भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, 2009-10

विवरण-II

प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रधान स्तर और प्रधान स्तर के साथ-साथ सहायक स्तर पर सामान्यत: नियोजित व्यक्तियों की संख्या

शहरी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिलाएं		व्यक्ति	
	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक	प्रधान स्तर के श्रमिक	सभी श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	539	542	167	176	358	364
अरुणाचल प्रदेश	435	438	145	148	300	302
असम	522	528	81	93	312	322
बिहार	428	431	28	47	242	252
छत्तीसगढ़	476	478	136	140	310	313
दिल्ली	535	535	54	58	331	333
गोवा	576	576	100	100	332	332
गुजरात	561	563	125	143	361	370

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	552	557	106	130	347	361
हिमाचल प्रदेश	556	559	140	159	349	359
जम्मू और कश्मीर	538	542	105	138	328	347
झारखंड	486	486	75	85	288	294
कर्नाटक	575	576	167	170	380	382
केरल	534	547	171	194	344	363
मध्य प्रदेश	503	503	118	131	319	326
महाराष्ट्र	569	575	141	159	368	380
मणिपुर	469	472	130	146	306	315
मेघालय	468	468	212	214	332	333
मिजोरम	519	521	281	288	399	403
नागालैंड	418	436	67	132	252	293
ओडिशा	568	568	97	119	339	350
पंजाब	566	568	81	124	344	365
राजस्थान	507	510	81	120	302	323
सिक्किम	601	601	150	150	398	398
तमिलनाडु	568	569	181	191	377	383
त्रिपुरा	553	556	105	108	324	327
उत्तर प्रदेश	525	530	88	113	322	336
उत्तराखंड	496	501	58	80	287	300
पश्चिम बंगाल	578	584	106	141	350	370
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	564	574	181	191	382	392
चंडीगढ़	555	555	135	135	352	352
दादरा और नगर हवेली	569	569	6	6	339	339
दमन और दीव	548	548	86	86	344	344

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	452	485	162	271	307	378
पुदुचेरी	562	566	198	203	377	381
अखिल भारत	539	543	119	138	339	350

राष्ट्र नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 537: भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, 2009-10

फैमिली मेडिसीन केन्द्र

3448. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों को वहनीय और सार्वभौमिक स्वास्थ्य-देखभाल के लिए 'फैमिली मेडीसीन' में विशेषज्ञों की भूमिका को मान्यता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने फैमिली फिजिशियन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और निम्न लागत की स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए फैमिली मेडीसीन केन्द्र की स्थापना का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में फैमिली मेडीसीन और फिजिशियनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) हां

(ख) ऐसी कोई जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

(ग) से (ङ) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) ने केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से फैमिली मेडीसीन को एक ऐसे विषय के रूप में अधिसूचित किया है जिसमें भारत के विश्वविद्यालय स्नात्तकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रस्तावित एमडी पाठ्यक्रम (फैमिली मेडीसीन) को भी अनुमोदित किया है जिसको चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू करने हेतु राज्यों के बीच परिचालित भी किया गया है।

नागर विमानन क्षेत्र

3449. श्री प्रेमदास राय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र में बेड़े तथा प्रवेश आवश्यकताओं जैसी बनावटी बाधाएं प्रतिस्पर्द्धा को सीमित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में सांविधि, नियमों और नीतियों के प्रतिस्पर्द्धा निषेध प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) नागर विमाान महानिदेशालय ने विमान परिवहन सेवाओं को प्रचालित करने के लिए, परमिट प्रदान करने की न्यूनतम अपेक्षा के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी की हैं। उक्त नागर विमानन अपेक्षाओं में ऐसी सेवाएं शुरू करने हेतु बेड़े संबंधी अपेक्षाएं और पात्रता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये नागर विमानन अपेक्षाएं डीजीसीए की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध हैं। ये अपेक्षाएं संरक्षा और अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस क्षेत्र के प्रति गंभीर विमान कंपनियां ही आएं।

(ग) और (घ) सरकार ने भारतीय नागर विमानन सैक्टर के विनियामक ढांचे के भीतर पाए गए संविधियों, नियमों, नीतियों के निषेधकारी उपबंधों और परिपाटियों में संभावित प्रतिस्पर्धा की पहचान और विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन कराया है।

उक्त अध्ययन रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

719-22

परिवार परामर्श केन्द्र

3450. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में और अधिक परिवार परामर्श केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कार्यरत परिवार परामर्श केन्द्रों को राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परिवार परामर्श केन्द्रों के बेहतर कार्यकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) उन जिलों में, जिनमें कोई परिवार परामर्श केंद्र नहीं हैं, नए परिवार परामर्श केंद्रों को खोलने के प्रस्तावों पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की परिवार परामर्श केंद्र स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) देश में कार्यरत परिवार परामर्श केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) परिवार परामर्श केंद्रों का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिवार परामर्श केंद्रों में पहले से कार्य कर रहे परामर्शदाताओं, नव नियुक्त परामर्शदाताओं और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के कर्मियों को नियमित अंतराल पर अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्श केंद्रों से अर्धवार्षिक रिपोर्ट मंगाई जाती हैं और उनका आवधिक निरीक्षण भी किया जाता है।

विवरण

देश में कार्यरत परिवार परामर्श केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परिवार परामर्श केंद्रों
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	49
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	असम	29
5.	बिहार	51
6.	चंडीगढ़	6
7.	छत्तीसगढ़	14
8.	दिल्ली	26
9.	गोवा	5
10.	गुजरात	46
11.	हरियाणा	21
12.	हिमाचल प्रदेश	9
13.	जम्मू और कश्मीर	27
14.	झारखंड	39
15.	कर्नाटक	44
16.	केरल	40
17.	लक्षद्वीप	–
18.	मध्य प्रदेश	47
19.	महाराष्ट्र	77
20.	मणिपुर	13
21.	मेघालय	2
22.	मिजोरम	8
23.	नागालैंड	3
24.	ओडिशा	30
25.	पुदुचेरी	9
26.	पंजाब	9
27.	राजस्थान	36
28.	सिक्किम	4

1	2	3
29.	तमिलनाडु	68
30.	त्रिपुरा	12
31.	उत्तर प्रदेश	77
32.	उत्तराखंड	13
33.	पश्चिम बंगाल	46
	कुल	867

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

इस समय श्री गणेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.0$^1/_4$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे; श्री अजित सिंह।

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7236/15/12]

(2) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 जो 26 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 323 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7237/15/12]

...(व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के पहले प्रतिवेदन के बारे में की-गई-कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब में कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7238/15/12]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): महोदया, मैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधरा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2012 जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7239/15/12]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, श्री एस. गांधी सेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7240/15/12]

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) विनियम, 2012 जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-15/2011-आयु. (न्यूनतम मानक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7241/15/12]

...(*व्यवधान*)

विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): महोदया, मैं श्री के.सी. वेणुगोपाल की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7242/15/12]

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित ग्राहकों के लिए ऊर्जा उपभोग सन्नियम और मानक प्ररूप, समयावधि जिसके भीतर, और स्कीम को तैयार तथा कार्यान्वित करने की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के निर्गम की प्रक्रिया तथा खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा संरक्षण के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्रारूप, शुल्क और कार्यवाही का अभिलेख) नियम, 2012 जो 28 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7243/15/12]

(3) संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों द्वारा जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता विस्तार के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7244/15/12]

...(*व्यवधान*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, मैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-20410 और 2010-2011 के कार्यकरण

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 16.12.2011 को सभा पटल पर रखे गए।

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटन पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7245/15/12]

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.02$^1/_4$ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 3 सितम्बर, 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यों की सूची में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:

(1) आज की कार्य सूची से अग्रसारित सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर आगे विचार करना तथा पारित करना:

(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 और

(ख) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना।

(क) विदेशी सरकारी अधिकारी और सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अधिकारी को रिश्वत निवारण विधेयक, 2011;

(ख) धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011;

(ग) विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2011;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011; और

(ङ) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य पर निवेदन सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। माननीय सदस्यगण तत्काल सभा पटल पर पर्चियां स्वयं दे दें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्यसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाए:

1. भारत सरकार के उपक्रमों कोल इंडिया लि. सी.सी. एल. एवं बी.सी.सी.एल. में पेयजल की घोर समस्या है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के बोकारो जिला में तेनुघाट डैम से बोकारो करगली, कथारा एवं डोरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा जनहित में संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाने की मांग करता हूं।

2. कोल इंडिया द्वारा बी.सी.सी.एल. से लेकर हिरक रोड जो काफी जर्जर स्थिति में है एवं यह मार्ग कोल इंडिया के इकाइयों सी.सी.एल. एवं बी.सी.सी.एल. के ट्रांसपोटेशन का मुख्य मार्ग भी है एवं इस मार्ग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग के पुन: निर्माण एवं मजबूतीकरण हेतु संबद्ध विभाग (कोल इंडिया) को अतिशीघ्र आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग करता हूं।

***डॉ. भोला सिंह** (नवादा): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने

---

*सभा पटल पर रखा गया

आगामी सप्ताह के लिए सदन में कार्ययोजना प्रस्तुत की है उसमें मैं निम्नलिखित दो प्रस्ताव जोड़ने की अनुमति चाहता हूं:

1. बिहार के नवादा जिले में अपरसकरी नदी में 700 करोड़ रुपये के बराज डैम बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार अविलंब स्वीकृति प्रदान करे।

2. बिहार के नवादा जिलांतर्गत रजौली में आणविक ताप विद्युत केन्द्र की प्रस्तावित योजना को केन्द्र सरकार बिहार सरकार के आश्वासन के आलोक में कार्यान्वयन के लिए शीघ्र हरी झंडी दे।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें:

1. गुजरात की संजीवनी समान नर्मदा नदी पर बन रहा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट फेज-1 के अन्तर्गत उसकी ऊंचाई (138.68 मीटर) सेतु एवं दरवाजे के काम बिना मंजूरी के कई वर्षो से लंबित पड़े हैं। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त काम की मजूरी शीघ्र बहाल करे।

2. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुचराजी, शखलपुर, विसनगर तथा गुजरात के अन्य सभी समपारों की लम्बाई-चौड़ाई के लंबित मामलों को शीघ्र ही मंजूरी दी जाए।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को बड़ी मात्र में नुकसान हो रहा है। किसान पीड़ित हैं। अत: इसके लिए तत्काल उपाए किए जाएं।

2 मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में रेलवे का एक भी रेक प्वाइंट नहीं है। पूरा क्षेत्र इसी वजह से तकलीफ में है। अत: रेक प्वाइंट की सुविधा रेलवे द्वारा प्रदान की जाए।

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्व दिल्ली): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. देश में अधिकतर राज्यों में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद् है, लेकिन कुछेक ऐसे भी राज्य हैं जहां विधान सभा तो है, मगर विधान परिषद् का गठन अब तक नहीं किया गया है। देश के विशेषकर

*सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश, जहां अब तक विधान परिषद् का गठन नहीं किया गया है, विधान परिषद की स्थापना किए जाने से संबंधित विषय।

2. झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी): अगले सप्ताह की कार्यसूची मे शामिल करने के संबंध में-अगले सप्ताह की कार्यसूची में भारतीय संविधान के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण विषय पर चर्चा की जाए। वर्तमान में एम. नागराज केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हुई है।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जाएं:

1. बिहार राज्य के नालन्दा जिले में नालंदा में पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय के काम को तेजी से किए जाने की आवश्यकता क्योंकि इससे विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत होगी।

2. अंदरूनी और बाहरी खतरों को देखते हुए आयुध निर्माणी, राजगृह नालन्दा (बिहार) में यथाशीघ्र प्रोडक्शन शुरू किए जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*सभा पटल पर रखा गया

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों को सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	डॉ. पदम्सिंह बाजीराव पाटील श्री बलीराम जाधव	285
2.	श्री पी. करूणाकरन	286
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री गजानन ध. बाबर	287
4.	श्री पुलीन बिहारी बासके	288
5.	श्री सी. शिवासामी श्री कोडिकुन्नली सुरेश	289
6.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री यशवीर सिंह	290
7.	श्री समीर भुजबल	291
8.	श्री के.डी. देशमुख	292
9.	श्रीमती सुशीला सरोज श्रीमती सीमा उपाध्याय	293
10.	श्री हरिशचंद्र चव्हाण	294
11.	श्री लक्ष्मण टुडु श्री यशवंत लागुरी	295
12.	श्री कमल किशोर 'कंमाडो' कुमारी सरोज पांडेय	296
13.	श्री विश्व मोहन कुमार डॉ. संजय सिंह	297
14.	श्री शैलेन्द्र कुमार	298
15.	श्री मंगनी लाल मंडल श्री ओम प्रकाश यादव	299
16.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	300
17.	श्री रतन सिंह	301
18.	श्री सुरेश कलमाडी प्रो. रंजन प्रसाद यादव	302
19.	श्री सोमेन मित्रा	303
20.	श्री जफर अली नकवी	304

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के. एस. विजय	3253, 3401
2.	श्री बसुदेव आचार्य	3428
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3274, 3295, 3367, 3415
4.	श्री आनंदराव अडसुल	3274, 3295, 3334, 3367, 3408
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3279, 3442, 3446
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3380
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	3273, 3293, 3429
8.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3314
9.	श्री एम. आनंदन	3302, 3325, 3375
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	3248, 3266, 3380, 3384
11.	श्री अशोक अर्गल	3230
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3332
13.	श्री कीर्ति आजाद	3387
14.	श्री टी.आर. बालू	3296, 3424
15.	श्री गजानन ध. बाबर	3240, 3250, 3367, 3408
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3302, 3376
17.	श्री रमेश बैस	3291, 3386
18.	श्री कामेश्वर बैठा	3226, 3239, 3418
19.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3364

1	2	3
20.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3384
21.	श्री पुलीन बिहारी बासके	3416
22.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	3246
23.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	3342, 3385
24.	श्री सुदर्शन भगत	3281
25.	श्री संजय भोई	3322, 3379
26.	श्री समीर भुजबल	3405
27.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3252
28.	श्री हेमानंद बिसवाल	3234, 3383
29.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3301
30.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	3351
31.	श्री हरीश चौधरी	3369
32.	श्री जयंत चौधरी	3306
33.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	3335
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3390, 3433
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3300, 3372, 3427, 3428
36.	श्री भूदेव चौधरी	3284, 3312
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3224, 3396
38.	श्री अधीर चौधरी	3354
39.	श्री भक्त चरण दास	3276, 3358, 3410
40.	श्री खगेन दास	3297, 3358
41.	श्री राम सुन्दर दास	3326
42.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3274
43.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3348
44.	श्रीमती रमा देवी	3315, 3368, 3389
45.	श्री के.पी. धनपालन	3236, 3373, 3413
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3254, 3436
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3283, 3445
48.	श्री चार्ल्स डिएस	3363, 3442
49.	श्री निशिकांत दुबे	3297, 3425, 3434
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3278
51.	श्रीमती प्रिया दत्त	3376
52.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3373, 3380, 3412
53.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड	3322, 3379
54.	श्रीमती मेनका गांधी	3292
55.	श्री वरुण गांधी	3299
56.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाँधी	3264, 3302, 3403, 3411
57.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3300, 3372, 3427, 3428
58.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3233, 3302, 3395
59.	श्री एल. राजगोपाल	3340, 3442
60.	श्री शिवराम गौडा	3356
61.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3347, 3375, 3418
62.	श्री महेश्वर हजारी	3226, 3239, 3418
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3259, 3384, 3396, 3428
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3281, 3316, 3345 3433

1	2	3
65.	श्री बलीराम जाधव	3302, 3428
66.	डॉ. संजय जायसवाल	3321
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3315, 3378
68.	श्री बद्रीराम जाखड़	3248, 3249, 3262
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3232
70.	श्री हरिभाऊ जावले	3263
71.	श्री प्रहलाद जोशी	3235, 3301
72.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3250, 3400
73.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	3352, 3434
74.	श्री सुरेश कलमाडी	3288
75.	श्री पी. करुणाकरन	3366, 3414
76.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3318, 3417
77.	श्री राम सिंह कस्वां	3316
78.	श्री नलिन कुमार कटील	3272, 3387
79.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3267, 3363, 3380
80.	डॉ. कृपारानी किल्ली	3260, 3379
81.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3261
82.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3283
83.	श्री विश्व मोहन कुमार	3370
84.	श्री पी. कुमार	3309, 3358, 3380
85.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	3302, 3361
86.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	3335
87.	श्री यशवंत लागुरी	3294, 3368, 3377, 3409

1	2	3
88.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3255, 3402
89.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3316, 3387, 3425
90.	श्री नरहरि महतो	3287, 3412, 3441
91.	श्री भर्तृहरि महताब	3343
92.	श्री प्रदीप माझी	3280, 3305, 3426, 3432
93.	श्री सदाशिवराव दादोवा मंडलिक	3379
94.	श्री जोस के. मणि	3316, 3439
95.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3238, 3397
96.	श्री भरत राम मेघवाल	3412
97.	श्री महाबल मिश्रा	3427, 3428
98.	श्री सोमेन मित्रा	3420
99.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3386
100.	श्री विलास मुत्तेमवार	3353, 3428
101.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3304, 3313
102.	श्री पी. बलराम नायक	3381, 3412
103.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3300, 3385
104.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	3285
105.	श्री जफर अली नकवी	3421
106.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3311
107.	श्री संजय निरुपम	3290
108.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3391
109.	श्री पी.आर. नाटराजन	3383
110.	श्री जगदम्बिका पाल	3380
111.	श्री वैजयंत पांडा	3297, 3307, 3434

1	2	3
112.	श्री प्रबोध पांडा	3422
113.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3370
114.	श्री गोरखनाथ पांडेय	3277, 3281
115.	श्री जयराम पांगी	3412
116.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3322, 3379
117.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	3327
118.	श्री देवजी एम. पटेल	3377, 3386
119.	श्री आर.के. सिंह पटेल	3313
120.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3289
121.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3280, 3305, 3426, 3432
122.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	3265, 3427
123.	श्री संजय दिना पाटील	3300, 3331, 3385
124.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3270, 3368
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3298
126.	श्री सी.आर. पाटील	3243
127.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3362
128.	श्री भास्करराव बाबूराव पाटील खतगांवकर	3322, 3379
129.	श्रीमती कमला देवी पटले	3412
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3268, 3283, 3447
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	3222, 3431
132.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	3344
133.	श्री प्रेमदास	3289
134.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3247, 3315, 3382
135.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3328
136.	श्री अब्दुल रहमान	3347
137.	श्री प्रेमदास राय	3365, 3449
138.	श्री सी. राजेन्द्रन	3310
139.	श्री एम.बी. राजेश	3315
140.	श्री रामकिशुन	3258
141.	श्री कादिर राणा	3295, 3377
142.	श्री निलेश नारायण राणे	3269
143.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3262
144.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3315
145.	श्री रामसिंह राठवा	3251, 3279, 3335, 3385, 3411
146.	श्री अशोक कुमार रावत	3313, 3316, 3338
147.	श्री विष्णु पद राय	3443
148.	श्री रुद्रमाधव राय	3282, 3327
149.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3256, 3309
150.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3223, 3298, 3399, 3435
151.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3333
152.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3241, 3323, 3398
153.	श्री एस. आलगिरी	3316, 3345
154.	श्री एस. सेम्मलई	3377
155.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3313, 3316
156.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3347, 3407
157.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3257, 3387, 3428
158.	श्रीमती सुशीला सरोज	3239, 3418

1	2	3
159.	श्री तूफानी सरोज	3293
160.	श्री सर्वे सत्यनारायण	3244, 3289, 3387
161.	श्री हमदुल्लाह सईद	3237, 3428, 3448
162.	श्री एम.आई. शानवास	3315, 3366
163.	श्री शरीफुद्दीन शारिक	3349
164.	श्री जगदीश शर्मा	3428
165.	श्री नीरज शेखर	3275, 3374, 3375, 3430
166.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	3339
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3262
168.	श्री राजू शेट्टी	3412
169.	श्री जी.एस. बासवराज	3359, 3434
170.	श्री एंटो एंटोनी	3319, 3440
171.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	3414
172.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3357, 3425
173.	डॉ. भोला सिंह	3336, 3387
174.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3245, 3435
175.	श्री दुष्यंत सिंह	3374, 3415, 3425, 3437
176.	श्री गणेश सिंह	3312
177.	श्री जगदानंद सिंह	3444
178.	श्री महाबली सिंह	3428
179.	श्रीमती मीना सिंह	3324, 3442
180.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3337
181.	श्री राधा मोहन सिंह	3284, 3387
182.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3355, 3374
183.	श्री राकेश सिंह	3240
184.	श्री रतन सिंह	3392
185.	श्री रवनीत सिंह	3248
186.	श्री उदय सिंह	3229, 3394
187.	श्री यशवीर सिंह	3275, 3374, 3375, 3430
188.	चौधरी लाल सिंह	3295
189.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	3275, 3381, 3438
190.	श्री धनंजय सिंह	3320
191.	श्री रेवती रमण सिंह	3282, 3423
192.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3303
193.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3281, 3294, 3389
194.	डॉ. संजय सिंह	3377
195.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3283, 3331
196.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3330
197.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3259, 3360
198.	श्री ई.जी. सुगावनम	3227
199.	श्री के. सुगुमार	3388
200.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3317
201.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3242, 3347, 3407
202.	श्री मालिक टैगोर	3275, 3308
203.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3228, 3297
204.	श्री अशोक तंवर	3271
205.	श्री मनीष तिवारी	3341
206.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3221, 3393

1	2	3
207.	श्री आर. थामराईसेलवन	3225, 3388, 3406
208.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3386,
209.	श्री पी.टी. थॉमस	3366, 3450
210.	श्री मनोहर तिरकी	3241, 3287, 3323, 3441
211.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3419
212.	श्री लक्ष्मण टुडु	3368, 3369, 3404
213.	श्री शिवकुमार उदासी	3297, 3425
214.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3226, 3418
215.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3231, 3433
216.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3382
217.	श्रीमती उषा वर्मा	3226, 3239, 3418
218.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3350, 3372
219.	श्री पी. विश्वनाथन	3286, 3422
220.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3302, 3329, 3436
221.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3368
222.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3295, 3367, 3375, 3408
223.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3303
224.	श्री ओम प्रकाश यादव	3380
225.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3315
226.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3346
227.	श्री मधु गौड यास्खी	3295, 3367, 3371, 3375
228.	योगी आदित्यनाथ	3311, 3412

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	294
विदेश	:	292, 293
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	288, 289, 290, 298, 300, 303
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	285
खान	:	301
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	304
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	286, 287, 291, 297, 299
पर्यटन	:	
जनजातीय कार्य	:	295
महिला और बाल विकास	:	296, 302

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	3262, 3267, 3269, 3272, 3286, 3300, 3302, 3304, 3314, 3315, 3322, 3332, 3338, 3339, 3344, 3347, 3352, 3354, 3363, 3366, 3373, 3377, 3379, 3380, 3385, 3386, 3394, 3396, 3399, 3428, 3434, 3438, 3449
विदेश	:	3225, 3227, 3232, 3243, 3257, 3284, 3291, 3308, 3319, 3330, 3332, 3334, 3337
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3226, 3229, 3230, 3231, 3237, 3239, 3240, 3242, 3246, 3254, 3259, 3273, 3274, 3275, 3277, 3281, 3282, 3289, 3293, 3295, 3296, 3298, 3299, 3311, 3317, 3318, 3320, 3324, 3326, 3327, 3329, 3335, 3341, 3343, 3346, 3349, 3350, 3353, 3360, 3362, 3367, 3372, 3375, 3376, 3381, 3382, 3384, 3387, 3388, 3389, 3391, 3403, 3404, 3406, 3407, 3411, 3414, 3415, 3416, 3418, 3422, 3423, 3424, 3426, 3427, 3429, 3430, 3433, 3435, 3436, 3437, 3439, 3440, 3444, 3448
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	3238, 3279, 3310, 3333, 3358, 3368, 3390, 3393, 3420, 3442, 3446
खान	:	3260, 3265, 3303, 3361, 3401, 3408
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	3228, 3245, 3247, 3264, 3297, 3306, 3321, 3325, 3348, 3374, 3397, 3425

प्रवासी भारतीय कार्य	:	3224, 3236, 3305, 3316, 3364
पंचायती राज	:	3292, 3294, 3413
विद्युत	:	3248, 3250, 3256, 3258, 3270, 3301, 3309, 3313, 3331, 3342, 3355, 3357, 3359, 3365, 3370, 3392, 3402, 3405, 3421
पर्यटन	:	3222, 3235, 3241, 3252, 3278, 3288, 3345, 3356, 3369, 3378, 3400, 3443
जनजातीय कार्य	:	3223, 3233, 3234, 3244, 3249, 3261, 3263, 3268, 3271, 3276, 3283, 3285, 3287, 3307, 3323, 3340, 3351, 3371, 3383, 3395, 3409, 3410, 3441, 3445
महिला और बाल विकास	:	3221, 3251, 3253, 3255, 3266, 3280, 3290, 3312, 3336, 3398, 3412, 3417, 3419, 3431, 3432, 3447, 3450

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/28/14/2014 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।